मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

खुदरा विद्युत प्रदाय विद्युत दर (टैरिफ) आदेश वर्ष 2008–09

संदर्भः

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेडः	याचिका क्रमांक **63/07** (पश्चिम डिस्कॉम)
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेडः	याचिका क्रमांक **64/07** (पूर्व डिस्कॉम) एवं
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेडः	याचिका क्रमांक **65/07** (मध्य डिस्कॉम)

दिनांक 29 मार्च, 2008 को जारी

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
चतुर्थ एवं पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2430183, फैक्स– 2430158 वेबसाईट : **www.mperc.org**, ई–मेल : **secmperc@sancharnet.in**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी

बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

खुदरा विद्युत प्रदाय विद्युत दर (टैरिफ) आदेश वर्ष 2008–09

याचिका क्रमांक : 63 / 07 (म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी)

64 / 07 (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी) एवं

65 / 07 (म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी)

उपस्थित : डॉ. जे.एल. बोस, अध्यक्ष

आर. नटराजन, सदस्य,

के.के. गर्ग, सदस्य

विषय : मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ आवेदनों पर आधारित वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) तथा खुदरा टैरिफ का अवधारण।

सूची

आदेश	**11**
राज्य सलाहकार समिति	**16**
जन सुनवाई	**16**
पुनरीक्षित टैरिफ दरों से अनुमानित राजस्व की प्राप्ति	**17**
आदेश का क्रियान्वयन	
ए1 : मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2008 को याचिकाओं 63/07, 64/07 तथा 65/07 के संबंध में जारी टैरिफ विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार	
ए2 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड (ईस्ट डिस्काम) की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**19**
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका	19
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय	20
आयोग का विश्लेषण	29
नेटवर्क की लागतें	50
पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	50
प्रचालन तथा संधारण लागतें	54
अवमूल्यन	58
ब्याज तथा वित्त प्रभार	62
पूंजी पर प्रतिलाभ	72
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें	74
सम्पूर्ण अनुमोदित राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण	75
विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व अन्तर	79
विद्युत वितरण कम्पनियों तथा जनरेशन कम्पनी का अवधि जून 2005 से मार्च 2006 तक के सत्यापन का उपचारण	78
ए3 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड (वेस्ट डिस्काम) की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**83**

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका	83
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय	84
आयोग का विश्लेषण	92
नेटवर्क की लागतें	113
पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	113
प्रचालन तथा संधारण लागतें	117
अवमूल्यन	121
ब्याज तथा वित्त प्रभार	126
पूंजी पर प्रतिलाभ	136
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें	137
अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण	140
विद्युत वितरण कम्पनियों तथा जनरेशन कम्पनी का अवधि जून 2005 से मार्च 2006 तक के सत्यापन का उपचारण	142
ए4 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड (सेंट्रल डिस्काम) की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**147**
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका	147
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय	148
नेटवर्क की लागतें	177
पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	178
प्रचालन तथा संधारण लागतें	182
अवमूल्यन	185
ब्याज तथा वित्त प्रभार	189

पूंजी पर प्रतिलाभ	199
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें	200
अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण	202
अवधि जून 2005 से मार्च 2006 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों तथा जनरेशन कम्पनी के सत्यापन का उपचारण	205
ए5 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारी की याचिका पर टिप्पणियां	**210**
ए6 : खुदरा टैरिफ रूपांकन	**229**
कानूनी स्थिति	229
टैरिफ अवधारण हेतु आयोग की कार्यपद्धति	229
ए7 : आयोग द्वारा पूर्व आदेशों में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति	**236**
निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ अनुसूची	**परिशिष्ट – 1 ए** 255
उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ अनुसूची	**परिशिष्ट –1 बी** 276
आपत्तिकर्ताओं की सूची	**परिशिष्ट – 2** 305

<u>तालिका सूची</u>

संख्या क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका 1:	वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का परिदृश्य	12
तालिका 2:	राजस्व अन्तर से प्रस्तावित वसूली	13
तालिका 3:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय	19
तालिका 4:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि	21-23
तालिका 5:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें	24-25
तालिका 6:	राज्य हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)	27
तालिका 7:	विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रु. में) (जैसे कि ये दायर किये गये)	27
तालिका 8:	एमपी ट्रेडको हेतु पीजीसीआईएल प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)	27
तालिका 9:	विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)	28
तालिका 10:	एमपी ट्रेडको हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)	28
तालिका 11:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान	32
तालिका 12:	मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)	33
तालिका 13:	वित्तीय वर्ष 08 हेतु सकल ऊर्जा आवश्यकता	33
तालिका 14:	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को स्टेशन वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)	34-35
तालिका 15:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, माहवार ऊर्जा आवश्यकता तथा उपलब्धता	36-37
तालिका 16:	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु अवधि क्रय की दर	37
तालिका 17:	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत	38
तालिका 18:	विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत	38-39
तालिका 19:	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	39
तालिका 20:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन	41
तालिका 21:	पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	42
तालिका 22:	मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (पूर्वी क्षेत्र) से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन	42
तालिका 23:	पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	43
तालिका 24:	अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव	43-44
तालिका 25:	वित्तीय वर्ष 2006 हेतु, इन्दिरा सागर परियोजना का लागत पुनरीक्षण	44
तालिका 26:	इन्दिरा सागर परियोजना हेतु अतिरिक्त अनुज्ञेय की गई लागत	45
तालिका 27:	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत–न्यूनतम क्रय अहर्ताएं	46
तालिका 28:	अन्य स्त्रोतों हेतु अनुज्ञेय की गई लागत	46

तालिका 29ः	पीजीसीआईएल प्रभारों का आवंटन	47
तालिका 30ः	राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार	48
तालिका 31ः	राज्यान्तरिक पारेषण सत्यापन	48
तालिका 32ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन	48-49
तालिका 33ः	प्रस्तुत की गई निवेश योजना	50
तालिका 34ः	वित्तीय वर्ष 2007–08 में मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति	52
तालिका 35ः	वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने के संबंध में भौतिक प्रगति	53
तालिका 36ः	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय	55
तालिका 37ः	नेटवर्क परिसम्पत्तियों की संस्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन	56
तालिका 38ः	वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों की संस्थापना संबंधी प्रगति	57
तालिका 39ः	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	57-58
तालिका 40ः	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का प्रतिशत	59
तालिका 41ः	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया अवमूल्यन का दावा	60
तालिका 42ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन	62
तालिका 43ः	दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका	63
तालिका 44ः	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	64-65
तालिका 45ः	वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशानुसार ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (जीएफए) को आवंटन	67
तालिका 46ः	वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबंद्ध ऋण की गणना	67
तालिका 47ः	अंकेक्षित लेखे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में बकाया ऋण की स्थिति	67-68
तालिका 48ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	68
तालिका 49ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार	69
तालिका 50ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज	69-70
तालिका 51ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज	70-71
तालिका 52ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु दावा किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (सीएसडी) पर ब्याज	71
तालिका 53ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	72
तालिका 54ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसका दावा किया गया	73
तालिका 55ः	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ	73
तालिका 56ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	74
तालिका 57ः	चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय	75
तालिका 58ः	खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय	75
तालिका 59ः	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई	77-78

	सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	
तालिका 60:	एमपी जनको की अतिरिक्त लागत को विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य आवंटन	79
तालिका 61:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर,	79-80
तालिका 62:	पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व	80
तालिका 63:	वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व	81
तालिका 64:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय	83
तालिका 65:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि	85-87
तालिका 66:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें	88-89
तालिका 67:	विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रु. में) (जैसे कि ये दायर किये गये)	90
तालिका 68:	एमपी ट्रेडको हेतु पीजीसीआईएल प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)	91
तालिका 69:	विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)	91
तालिका 70:	एमपी ट्रेडको हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)	91
तालिका 71:	माह अप्रैल 07 से माह जनवरी 08 तक की अवधि के वितरण ट्रांसफर्मर मापयन्त्र (मीटरिंग) आंकड़े	93
तालिका 72:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान	95-96
तालिका 73:	मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)	96
तालिका 74:	वित्तीय वर्ष 08 हेतु सकल ऊर्जा आवश्यकता	97
तालिका 75:	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को स्टेशन वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)	98-99
तालिका 76:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, माहवार ऊर्जा आवश्यकता तथा उपलब्धता	100
तालिका 77:	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु अवधि क्रय की दर	100-101
तालिका 78:	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत	101
तालिका 79:	विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत	102
तालिका 80:	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	103
तालिका 81:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन	104-105
तालिका 82:	पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	105
तालिका 83:	मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन	106
तालिका 84:	पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	106
तालिका 85:	अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव	107
तालिका 86:	वित्तीय वर्ष 2006 हेतु, इन्दिरा सागर परियोजना का लागत पुनरीक्षण	108
तालिका 87:	इन्दिरा सागर परियोजना हेतु अतिरिक्त अनुज्ञेय की गई लागत	108
तालिका 88:	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत–न्यूनतम क्रय अहर्ताएं	109

तालिका 89:	अन्य स्त्रोतों हेतु अनुज्ञेय की गई लागत	110
तालिका 90:	पीजीसीआईएल प्रभारों का आवंटन	110-111
तालिका 91:	राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार	111
तालिका 92:	राज्यान्तरिक पारेषण सत्यापन	111
तालिका 93:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन	112-113
तालिका 94:	प्रस्तुत की गई निवेश योजना	113
तालिका 95:	नेटवर्क का भौतिक विवरण	114
तालिका 96:	वित्तीय वर्ष 2007–08 में मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति	115
तालिका 97:	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय	118
तालिका 98:	नेटवर्क परिसम्पत्तियों की संस्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन	119
तालिका 99:	वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों की संस्थापना संबंधी प्रगति	119
तालिका 100:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	120-121
तालिका 101:	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का प्रतिशत	122
तालिका 102:	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया अवमूल्यन का दावा	123
तालिका 103:	दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन	124-125
तालिका 104:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन	125-126
तालिका 105:	दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका	126-127
तालिका 106:	दायर की गई याचिका के अनुसार ऋणों की निबंधन तथा शर्तें	127
तालिका 107:	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	128
तालिका 108:	वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशानुसार ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (जीएफए) को आवंटन	131
तालिका 109:	वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबंद्ध ऋण की गणना	131
तालिका 110:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	132
तालिका 111:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार	132
तालिका 112:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज	133
तालिका 113:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज	134
तालिका 114:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (सीएसडी) पर ब्याज	135
तालिका 115:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	136
तालिका 116:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसका दावा किया गया	136
तालिका 117:	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ	137
तालिका 118:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	138
तालिका 119:	चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय	139
तालिका 120:	खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय	139

तालिका 121:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	141-142
तालिका 122:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर,	143
तालिका 123:	पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व	144
तालिका 124:	वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व	145
तालिका 125:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय	147
तालिका 126:	वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि	149-151
तालिका 127:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें	152-153
तालिका 128:	विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रु. में) (जैसे कि ये दायर किये गये)	154
तालिका 129:	एमपी ट्रेडको हेतु पीजीसीआईएल प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)	155
तालिका 130:	विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)	155
तालिका 131:	एमपी ट्रेडको हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)	155
तालिका 132:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान	160
तालिका 133:	मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)	161
तालिका 134:	वित्तीय वर्ष 08 हेतु सकल ऊर्जा आवश्यकता	161
तालिका 135:	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को स्टेशन वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)	162-163
तालिका 136:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, माहवार ऊर्जा आवश्यकता तथा उपलब्धता	164
तालिका 137:	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु अवधि क्रय की दर	165
तालिका 138:	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत	165-166
तालिका 139:	विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत	166
तालिका 140:	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	167
तालिका 141:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन	169
तालिका 142:	पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	169-170
तालिका 143:	मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (पूर्वी क्षेत्र) से मध्यप्रदेश राज्यको आवंटन	170
तालिका 144:	पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	170
तालिका 145:	अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव	171
तालिका 146:	वित्तीय वर्ष 2006 हेतु, इन्दिरा सागर परियोजना का लागत पुनरीक्षण	172
तालिका 147:	इन्दिरा सागर परियोजना हेतु अतिरिक्त अनुज्ञेय की गई लागत	173
तालिका 148:	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत–न्यूनतम क्रय अहर्ताएं	174
तालिका 149:	अन्य स्त्रोतों हेतु अनुज्ञेय की गई लागत	174

तालिका 150:	पीजीसीआईएल प्रभारों का आवंटन	175
तालिका 151:	राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार	175
तालिका 152:	राज्यान्तरिक पारेषण सत्यापन	176
तालिका 153:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन	176-177
तालिका 154:	प्रस्तुत की गई निवेश योजना	178
तालिका 155:	नेटवर्क का भौतिक विवरण	179
तालिका 156:	वित्तीय वर्ष 2007–08 में मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति	180
तालिका 157:	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय	182-183
तालिका 158:	नेटवर्क परिसम्पत्तियों की संस्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन	183
तालिका 159:	वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों की संस्थापना संबंधी प्रगति	184
तालिका 160:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	184-185
तालिका 161:	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया अवमूल्यन	186
तालिका 162:	दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन	187
तालिका 163:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन	188
तालिका 164:	दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका	190
तालिका 165:	दायर की गई याचिका के अनुसार ऋणों की निबंधन तथा शर्तें	190-191
तालिका 166:	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	191-192
तालिका 167:	वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशानुसार ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (जीएफए) को आवंटन	194
तालिका 168:	वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबंद्ध ऋण की गणना	194
तालिका 169:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	195
तालिका 170:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार	195
तालिका 171:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज	196
तालिका 172:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज	197
तालिका 173:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	198
तालिका 174:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसका दावा किया गया	199
तालिका 175:	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ	200
तालिका 176:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	201
तालिका 177:	चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय	202
तालिका 178:	खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय	202
तालिका 179:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	204-205
तालिका 180:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व	206

	अन्तर,	
तालिका 181:	पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व	207
तालिका 182:	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व	207-208
तालिका 183:	टैरिफ दर बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन	230

आदेश

(आज दिनांक 29 मार्च 2008 को पारित किया गया)

यह आदेश मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (जिन्हें कि इसके पश्चात् पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी कहा गया है) द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे कि इसके पश्चात् मप्रविनिआ अथवा आयोग कहा गया है) के समक्ष दायर की गई याचिकाओं क्रमशः 63/07, 64/07 तथा 65/07,से संबंधित है। ये याचिकाएं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2006 की अहर्ताओं के अनुसार दायर की गई हैं।

1.1 ये विनियम, वित्तीय वर्ष 2007.–08 से वित्तीय वर्ष 2009–10 तक तथा इसे सम्मिलित करते, बहु–वर्षीय टैरिफ अवधि हेतु वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ दरों के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करते हैं। इन विनियमों के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 हेतु उनकी वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं प्रस्तुत की हैं। खुदरा टैरिफ प्रस्ताव, यद्यपि, केवल वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु ही दायर किये गये हैं।

1.2 आयोग ने दिनांक 30 मार्च, 2007 को टैरिफ अवधारण संबंधी जारी आदेश में विशिष्ट रुप से उल्लेख किया था कि विद्युत दरें (टैरिफ) दिनांक 31 मार्च, 2008 तक प्रभावशील रहेंगी, जब तक कि इन्हें अन्य किसी आदेश द्वारा जारी कर इसे संशोधित अथवा इनमें सुधार न कर दिया जावे। तीन वितरण कम्पनियों, यथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि., जबलपुर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. भोपाल तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि., इन्दौर द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को उनकी वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं दायर की गई थीं। वितरण कम्पनियों ने उनकी याचिकाओं में आयोग को उनके खुदरा टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुति हेतु, 15 दिवस की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया। आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 2 नवम्बर, 2007 द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को 15 दिवस की अनुमति इस आशय से प्रदान की गई कि वितरण कम्पनियों से टैरिफ प्रस्तावों की प्राप्ति तिथि को ही टैरिफ याचिका प्रस्तुत करने की तिथि माना जावेगा। वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, उनके खुदरा टैरिफ प्रस्ताव दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत किये गये।

1.3 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 (2) तथा विनियमों की कण्डिका 1.8 के उपबन्धों के अनुपालन में, आयोग द्वारा उनके आदेश दिनांक 12.11.2007 द्वारा याचिकाकर्ताओं को उनकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों की संक्षेपिकाओं के प्रारुप आयोग के अनुमोदनार्थ समाचार–पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रस्तुति हेतु निर्देश दिये गये। याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी प्रारुप सार्वजनिक सूचनाएं आयोग के समक्ष दिनांक 16 नवम्बर, 2007 तक प्रस्तुत की गईं। आयोग द्वारा प्रारुप सार्वजनिक सूचनाओं में कुछ सुधार किये गये तथा याचिकाकर्ताओं को जारी आदेश दिनांक 23 नवम्बर, 2007 द्वारा इनके अंग्रजी तथा हिन्दी संस्करण को समाचार–पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था हेतु यथाशीघ्र पणधारकों से उनकी टिप्पणियां/सुझाव आमन्त्रित किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये।

सार्वजनिक सूचना हेतु, टैरिफ प्रस्तावों की अधिसूचना

1.4 मध्य तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों ने अनुज्ञप्तिधारियों के टैरिफ आवेदन पत्रों तथा टैरिफ प्रस्तावों की संक्षेपिकाएं दिनांक 28.11.2007 को प्रकाशित कीं तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने इनका प्रकाशन दिनांक 29.11.2007 को किया। पणधारकों को उनकी टिप्पणियों/सुझाव/आपत्तियां दिनांक 19.12.2007 तक प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया।

1.5 आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत विषय–वस्तु संबंधी याचिकाओं का परीक्षण करते समय कई अपूर्ण जानकारियां पाई गईं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी से अतिरिक्त जानकारी/समर्थक अभिलेखों की आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा चिन्हित किये गये मुद्दों पर पृच्छाओं को विद्युत वितरण कम्पनियों को प्रेषित किया तथा उन्हें समस्त वांछित जानकारी/समर्थक अभिलेखों को एक शपथ–पत्र पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों तथा मप्र ट्रेडको के प्रतिनिधियों को चिन्हित किये गये विषयों पर चर्चा हेतु बैठकों की तिथियां निर्धारित की गई। इन बैठकों में की गई चर्चाओं के अनुसरण में, विद्युत वितरण कम्पनियों को वांछित जानकारी दिनांक 4 फरवरी, 2008 तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

याचिकाओं की संक्षेपिका:

1.6 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं की संक्षेपिका निम्नानुसार दर्शाई गई है।

तालिका 1: वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का परिदृश्य

विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष	विद्युत विक्रय से राजस्व आय (करोड़ रुपये में)	गैर टैरिफ आय	सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (करोड़ रुपये में)	वित्तीय–वर्ष 2008–09 /2009–10 हेतु आय तथा व्यय का राजस्व अन्तर (करोड़ रुपये में)	वित्तीय–वर्ष 2005–06 हेतु दायर किया गया राजस्व अन्तर जिसे वित्तीय 2008–09/ वित्तीय 2009–10 हेतु प्रत्युतसर्जित (अमारटार्टूज) किया जावेगा (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु दायर किया गया राजस्व अन्तर जिसे वित्तीय 2008–09/ वित्तीय 2009–10 हेतु प्रत्युतसर्जित (अमारटार्टूज) किया जावेगा (करोड़ रुपये में)	दायर किया गया कुल राजस्व अन्तर (करोड़ रुपये में)
		(ए)	(बी)	(सी)	(डी)= (सी)–(ए)	(ई)	(एफ)	(जी)=(डी+ई+एफ)
पूर्व क्षेत्र	विव 2008–09	2694.00	66.25	3335.04	641.04	166.18	168.06	975.28
	विव 2009–10	2877.00	72.06	3736.08	859.08	151.11	152.50	1162.69
पश्चिम क्षेत्र	विव 2008–09	3314.04	76.3	3719.00	405.00	163.10	318.40	886.50
	विव 2009–10	3564.70	76.9	4027.60	462.90	148.30	289.60	900.80
मध्य क्षेत्र	विव 2008–09	2594.05	37.60	3003.59	409.54	236.95	330.67	977.16
	विव 2009–10	2787.12	40.84	3259.85	472.75	215.45	300.06	988.26

1.7 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी याचिकाएं अपूर्ण पाई गईं क्योंकि इनमें मुख्य जानकारी का अभाव था, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि पूर्व वर्ष की नेटवर्क सांख्यिकी तथा याचिका दायर करते समय की अद्यतन स्थिति जिससे कि आगामी वर्षों हेतु नेटवर्क के आंकड़ों का पूर्वानुमान किया जा सके तथा

अनुवर्ती रुप से प्रचालन एवं संधारण व्ययों की गणना की जा सके। अनुज्ञप्तिधारियों ने वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण के आधार पर अमीटरीकृत विक्रय को प्राक्कलित किये जाने संबंधी कोई विश्लेषित अध्ययन भी प्रस्तुत नहीं किया।

1.8 वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु उनकी याचिकाओं में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 975.28 करोड़, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 886.50 करोड़ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 977.16 करोड़ के कुल राजस्व अन्तर का पूर्वानुमान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु राजस्व अन्तर के पूर्वानुमान की गणना निम्न संघटकों से की गईं हैः–

(i) चालू (वित्तीय वर्ष 2007–08) की टैरिफ दरों के आधार पर प्रक्षेपित व्यय तथा राजस्व का पूर्वानुमान

(ii) वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अवधि जून 2005 से मार्च 2006 तक दावा किये गये राजस्व अन्तर का प्रत्युसर्जन (amortisation)

प्रत्युत्सर्जन की उनकी गणना करते समय अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह माना गया है कि पूर्व अवधियों के राजस्व अन्तरों का प्रत्युत्सर्जन वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2009–10 तक की तीन वर्षों की अवधि हेतु कर लिया जावेगा। ऐसे प्रत्युत्सर्जन हेतु माह जून 2005 से माह मार्च 2006 तक के राजस्व अन्तर हेतु ब्याज दर 10.5% तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 के राजस्व अन्तर हेतु यह दर 10.75% मानी गई है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अतिरिक्त लागत की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा इन्दिरा सागर विद्युत उत्पादन स्टेशन हेतु टैरिफ पुनरीक्षण के कारण भी की गई है।

1.9 अनुज्ञप्तिधारियों ने उपरोक्त दर्शाये गये राजस्व अन्तर के कुल पूर्वानुमान की वसूली आंशिक रुप से वित्तीय वर्ष 2008–09 में टैरिफ वृद्धि के माध्यम से तथा आंशिक रुप से ''विनियामक परिसम्पतियों (रेग्यूलेटिंग असेट्स)'' के सृजन द्वारा प्रस्तावित की हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित की गई टैरिफ वृद्धि के कारण राजस्व वृद्धि तीनों वितरण कम्पनियों के संयुक्त राजस्व अन्तर की 20 प्रतिशत की सीमा तक की ही आपूर्ति करती है। अवशेष राजस्व अन्तर को ''विनियामक परिसंपत्ति'' निरुपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसे वित्तीय वर्ष 2009–10 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि हेतु प्रत्युत्सर्जित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। निम्न तालिका वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल पूर्वानुमान की गई राजस्व अन्तर की राशि की प्रस्तावित आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2008–09 में टैरिफ पुनरीक्षण के माध्यम से राजस्व वृद्धि द्वारा तथा विनियामक परिसम्पति के सृजन के माध्यम से किया जाना दर्शाती हैः

तालिका 2ः राजस्व अन्तर से प्रस्तावित वसूली

विद्युत वितरण कम्पनी	कुल राजस्व अन्तर (करोड़ रु में)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ पुनरीक्षण के माध्यम से राजस्व वृद्धि (करोड़ रु में)	विनियामक परिसम्पति (रेगूलेटरी असेट)(करोड़ रु में)
पूर्व क्षेत्र	975.28	130.0	845.28
पश्चिम क्षेत्र	886.50	246.60	645.90
मध्य क्षेत्र	977.16	183.88	793.28

1.10 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ याचिकाओं तथा अनुज्ञप्तिधारियों की अतिरिक्त जानकारी संबंधी अहर्ताओं के प्रस्तुतिकरणों की समीक्षा की है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ याचिकाओं की प्रस्तुतियों के अनुसरण में आयोग द्वारा माह जून 2005 से मार्च 2006 की अवधि हेतु, तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय लाभों/हानियों के सत्यापन संबंधी आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2005 को जारी किये जा चुके हैं। आयोग द्वारा कथित आदेश के अन्तर्गत प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु इस प्रकार अवधारित की गई समस्त राशियों का समायोजन वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में उपभोक्ताओं से वसूली हेतु किया जाना है।

1.11 वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु प्रस्तुत किये गये राजस्व अन्तर के संबंध में, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों ने उनकी याचिकाएं माह फरवरी, 2008 के क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय सप्ताह में दायर की हैं जब कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने उनकी सत्यापन याचिका माह मार्च 2008 के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तुत की है। इन याचिकाओं के संबंध में, आयोग द्वारा कई जानकारियों का अभाव होना पाया गया है तथा इस हेतु अतिरिक्त आंकड़ों की आवश्यकता को चिन्हित किया गया है जिन्हें कि अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा सूचित किया जा चुका है। वितरण कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त जानकारी के प्रस्तुतिकरण पश्चात ही केवल आयोग के लिए प्रत्येक वितरण कम्पनी हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु सत्यापन याचिकाओं का उचित रुप से सूक्ष्म परीक्षण तथा अनुज्ञेय किये जाने योग्य वित्तीय लाभ/हानि का अवधारण किया जाना संभव हो पायेगा। वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों का सत्यापन संबंधी अन्तिम आदेश वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान जारी किया जावेगा। अतएव, वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, प्रत्येक कम्पनी हेतु वित्तीय लाभ/हानि का प्रभाव वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में शामिल किया जाना संभव नहीं हो पायेगा। अतः इसे वित्तीय वर्ष 2009–10 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में ही समायोजित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, आयोग ने माह जून 2005 से मार्च 2006 तक की अवधि हेतु मप्र पावर जनरेटिंग कम्पनी हेतु सत्यापन आदेश जारी किया है जो कि मप्र पावर जनरेटिंग कम्पनी को विद्युत वितरण कम्पनियों से रु 109.13 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वसूली किया जाना अनुज्ञेय करता है। इस आदेश में, इस राशि को तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को माह जून 2005 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान उनके द्वारा किये गये कुल विद्युत क्रय के अनुपात में अन्तरित किया गया है। इसी के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, मप्र पावर ट्रांसमिशन कम्पनी के सत्यापन संबंधी आदेश के अन्तर्गत आयोग के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में से रु. 74.47 करोड़ की अतिरिक्त राशि वसूल किया जाना अनुज्ञेय किया गया है।

1.12 इन तर्कों के आधार पर तथा सूक्ष्म परीक्षण प्रक्रिया के दौरान वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी याचिकाओं के विस्तृत सूक्ष्म परीक्षण तथा समस्त अतिरिक्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अनुमोदित की गई है।

वितरण कंपनियों हेतु एक समान खुदरा विद्युत दरें

1.13 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत दरों की समीक्षा करते समय, आयोग द्वारा राज्य शासन से एक पत्र प्राप्त हुआ जिनमें वितरण कंपनियों हेतु एक समान विद्युत दरें रखे जाने बाबत् उनके विचार व्यक्त किये गये थे। आयोग को संबोधित इस पत्र क्रमांक 1/79/13/2008 दिनांक 20.02.2008 का सुसंगत भाग का भाषा–रूपांतर निम्नानुसार उद्धरित किया जाता है :

"इन विद्युत दरों (टैरिफ) के अवधारण हेतु आधारभूत सिद्धांत के बतौर, मध्यप्रदेश शासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि समस्त उपभोक्ताओं तथा राज्य की उपयोगिताओं (यूटिलिटीज) के हितों का संरक्षण हो तथा किसी भी उपभोक्ता को उसके विद्युत संयोजन की भौगोलिक स्थिति उसे अलाभकारी स्थिति में न रखे। इस प्रयोजन हेतु, म. प्र. शासन यह सुनिश्चित किये जाने की इच्छा रखता है :

- *निकट भविष्य में कम से कम राज्य के एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत दरें एक समान रहें;*
- *इसी समय, उसका यह भी विश्वास है कि वितरण कंपनियों के मध्य राजस्व अंतरों अथवा बचतों के संबंध कोई वृहद अंतर में नहीं होने चाहिए, सिवाय संक्रियाओं (आप्रेशन्स) की उन्नत दक्षता हेतु ;*
- *शासन की यह मंशा है कि शासन की नीति के अनुसार राज्यानुदान अथवा किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता केवल चिन्हित की गई श्रेणी/श्रेणियों को ही प्रदान की जावें;*
- *उपरोक्त को सुनिश्चित करते हुए, वह यह भी चाहता है कि किसी भी वितरण कंपनी/कंपनियों के हितों को खतरा उत्पन्न न हो; तथा*
- *तथापि, दक्षता में अभिवृद्धि बाबत् वितरण कंपनियों के समक्ष पर्याप्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध होने चाहिए।*

स्मरणीय है कि शासन के पत्र क्रमांक 1469/13/06 दिनांक 7 मार्च, 2006 तथा पत्र क्र 8059/13/2006 दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 द्वारा आयोग को वित्तीय वर्ष 2006–07 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु खुदरा टैरिफ का अवधारण करते समय इसी प्रकार की संसूचनाएं उपरोक्त उद्देश्यों के सन्तुलन हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं। आयोग द्वारा शासन द्वारा लिये गये दृष्टिकोण पर विचार किया था तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने सर्वोत्तम प्रयास किये थे। मप्र शासन, इसी दिशा में आगे भी आयोग को परामर्श प्रदान करता है कि वह शासन को चालू बहुवर्षीय टैरिफ अवधारण हेतु भी नियंत्रण अवधि 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च 2010 हेतु उपरोक्त रुपरेखा के अनुसार इन उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु सहायता प्रदान करे। आयोग शासन को विद्युत अधिनियम की धारा 82 (2) (iv) के अन्तर्गत अपनी अनुशंसाएं प्रदान कर सकता है यदि उसका यह विचार हो कि शासन को उपरोक्त उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए।"

1.14 स्मरणीय है कि पूर्व वर्ष की टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया (वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु) भी, मप्र शासन ने इसी प्रकार के आशय के प्रतिपालन हेतु, आयोग द्वारा सचिव (ऊर्जा) मप्र शासन के साथ किये गये विचार–विमर्श के उपरान्त विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य उत्पादन क्षमताओं के पुनः आवंटन की विधि तैयार की थी तथा तदनुसार म.प्र. शासन को इस बाबत अवगत कराया था। इस प्रकार का पुनः आवंटन विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य वितरण कम्पनियों की विद्युत क्रय लागत में विभेदक (Differential) के सृजन द्वारा अन्तिम राजस्व बचत के सन्तुलन के रुप

में परिणित हुआ है। इसी विधि के माध्यम से ही मप्र राज्य में वित्तीय वर्ष 2007–08 में एक समान विद्युत दरों की उपलब्धि संभव हो पाई थी।

इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2008–09 में तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के बीच राजस्व घाटे/बचतों में संतुलन के प्रयोजन से तथा इसी के साथ–साथ राज्य भर में एक समान खुदरा विद्युत दरों को बनाये रखे जाने की दृष्टि से आयोग द्वारा पुनः सचिव, (ऊर्जा), मप्र शासन से विचार–विमर्श कर राज्य शासन को विद्युत वितरण कम्पनियों तथा मप्र ट्रेडको के बीच विद्यमान तथा नवीन विद्युत उत्पादन क्षमताओं के पुर्नावटंन हेतु, परामर्श दिया गया। इसे मध्यप्रदेश शासन को आयोग के पत्र क्र. 624 दिनांक 14 मार्च, 2008 द्वारा संसूचित किया गया। राज्य शासन ने उनकी अधिसूचना क्रमांक 2088–एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक, 19 मार्च, 2008 द्वारा उनकी पूर्व अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 को पुनरीक्षित किया गया। तथापि, आयोग यहां यह उल्लेख करना चाहता है कि यदि राज्य शासन भविष्य में भी एक समान खुदरा विद्युत दरें जारी रखे जाने का इच्छुक हो तो वर्तमान में किये गये आवटंन को आने वाले वर्षों में भी, वितरण कम्पनियों के उपभोक्ता मिश्र तथा भार–वृद्धि पर निर्भर, परिवर्तित करना पड़ सकता है।

राज्य सलाहकार समिति

1.15 आयोग द्वारा दिनांक 28.12.2007 को राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ इन याचिकाओं पर चर्चा के प्रयोजन से तथा जन–सामान्य से प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर एक बैठक का आयोजन किया गया। टैरिफ याचिकाओं की मुख्य विशेषताओं पर एक प्रस्तुतिकरण, जो व्यय तथा राजस्व के मुख्य बिन्दुओं को प्रदर्शित करता है, समिति के सदस्यों के समक्ष किया गया। इस संबंध में सदस्यों द्वारा कई बहुमूल्य सुझाव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

सार्वजनिक सुनवाई

1.16 आयोग द्वारा आयोग के कार्यालय में टैरिफ याचिकाओं पर सार्वजनिक सुनवाईयों का आयोजन किया गया। इन सुनवाईयों का आयोजन निम्न तिथियों को किया गयाः

स. क्र	विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	सार्वजनिक सुनवाई की तिथि
1.	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर	06.02.2008
2.	(अ) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इन्दौर	07.02.2008
	(ब) समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों के केवल कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु	08.02.2008
3.	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल	11.02.2008
4.	केवल गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु	12.02.2008*

*** दिनांक 12.02.2008 को निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई राज्य शासन द्वारा अवकाश घोषित किये जाने के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। अतः इसे समाचार–पत्रों में पृथक सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन उपरान्त दिनांक 18.02.2008 को आयोजित किया गया।**

1.17 आयोग द्वारा कई गैर–शासकीय संस्थाओं (NGOs) को भी टैरिफ अवधारण प्रक्रिया में भाग लेने तथा उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व हेतु आमन्त्रित किया गया। इन सुनवाइयों के दौरान प्राप्त की गई टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर इस आदेश में यथोचित विचार किया गया है।

पुनरीक्षित विद्युत दरों (टैरिफ) से अनुमानित राजस्व राशि की प्राप्ति

1.18 आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय विद्युत दरों को पुनरीक्षित किया गया है जिन्हें कि आदेश के साथ संलग्न किया गया है। आयोग द्वारा तीन वितरण कंपनियों हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु समस्त राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत दरों से प्राप्त होने वाले राजस्वों को प्राक्कलित किया गया है। ये विवरण वितरण कंपनी–वार विस्तृत आदेश में उपलब्ध हैं।

1.19 आयोग निर्देशित करता है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नियमित रूप से तथा नियतकालिक रुप से (अधिमानतः त्रैमासिक आधार पर) उनके विक्रयों की प्रगति तथा राजस्व के प्राक्कलनों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा किसी प्रकार का गंभीर असंतुलन पाये जाने पर उन्हें आयोग को उचित मार्गदर्शन हेतु सम्पर्क करना चाहिए।

आदेश का क्रियान्वयन

1.20 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार समाचार पत्रों में सात (7) दिवस का नोटिस देकर आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस आदेश द्वारा अवधारित विद्युत दरें (टैरिफ) दिनांक 15 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक प्रभावशील रहेंगी, जब तक कि इनमें आयोग द्वारा किसी आदेश के माध्यम से इसमे संशोधन अथवा सुधार न कर दिया जावे। दिनांक 30 मार्च, 2007 को जारी पूर्व टैरिफ आदेश, इस आदेश के क्रियान्वयन होने के पूर्व तक वैध रहेगा।

1.21 अतएव, आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाएं, सुधारों के साथ तथा सशर्त स्वीकार कर ली गई हैं तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान विद्युत प्रदाय के अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र में खुदरा विद्युत दरों तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य प्रभारों का अवधारण कर दिया गया है। आयोग निर्देश देता है कि यह आदेश दिये गये निर्देशों तथा दी गई शर्तो के साथ–साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार क्रियान्वित किया जावे। अनुज्ञप्तिधारियों को आगे उपभोक्ताओं को केवल इस टैरिफ आदेश के उपबंधों के अनुसार ही देयक जारी किये जाने के आदेश भी दिये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार आदेश जारी किये गये, इन्हें संलग्न कारणों, आधारों तथा शर्तों के साथ पढ़ा जावे।

हस्ता / –	हस्ता / –	हस्ता / –
(के.के. गर्ग) सदस्य (अभियांत्रिकी)	(आर. नटराजन) सदस्य (इकॉनामिक्स)	(डा. जे.एल. बोस) अध्यक्ष

दिनांक : 29 मार्च, 2008
स्थान : भोपाल

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र
विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर
(ईस्ट डिस्कॉम)

ए2 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड (ईस्ट डिस्कॉम) की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका

2.1 वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल विक्रय 7,367 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किये गये हैं। निम्न दाब श्रेणी हेतु विक्रय 4,469 यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 60.66 प्रतिशत) तथा उच्चदाब श्रेणी में 2,898 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 39.34 प्रतिशत) प्राक्कलित किये गये हैं।

तालिका 3 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय

उपभोक्ता श्रेणी			विद्युत विक्रय मिलियन यूनिट में
निम्न दाब उपभोक्ता	एलवी 1	घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	2290
	एलवी 2	गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	367
	एलवी 3	जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	135
	एलवी 4	निम्न दाब औद्योगिक	251
	एलवी 5	कृषि उपभोक्ता	1425
		योग (निम्न दाब)	**4469**
उच्च दाब उपभोक्ता	एचवी 1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	423
	एचवी 2	कोयला खदानें	521
	एचवी 3.1	औद्योगिक	985
	एचवी 3.2	गैर–औद्योगिक	142
	एचवी 4	मौसमी (सीजनल)	4
	एचवी 5.1	सार्वजनिक जल–प्रदाय	60
	एचवी 5.2	उच्च दाब सिंचाई	3
	एचवी 6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	315
	एचवी 7	छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	446
		कुल (उच्च दाब)	**2898**
निम्न दाब + उच्च दाब का योग			**7367**

2.2 अनुज्ञप्तिधारी के 7,367 मिलियन यूनिट के विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित प्राक्कलन (जो 6598 मिलियन यूनिट हैं) से 11.65 प्रतिशत अधिक हैं। अनुज्ञप्तिधारी की याचिका के पूर्वानुमान अनुसार, इस प्राक्कलन में 250 मिलियन यूनिट का बिना–मीटरीकृत कृषि विक्रय सम्मिलित है। अनुज्ञप्तिधारी ने घरेलू श्रेणी में 262 मिलियन यूनिट का बिना मीटरीकृत विक्रय का भी पूर्वानुमान किया है। अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी याचिका में कुल

7,27,000 की संख्या में घरेलू श्रेणी में बिना मीटरीकृत उपभोक्ताओं का पूर्वानुमान दर्शाया है जो कि अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सम्पूर्ण रुप से विद्यमान है।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

2.3 अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा जानकारी मप्र पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमपी जनको), मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपी ट्रांसको) तथा मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (एमपी ट्रेडको) के साथ किये गये परस्पर वार्तालाप के आधार पर प्रदान की है। इस संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा भी किया गया है कि उसके द्वारा मप्रविनिआ [विद्युत तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया)] विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी–19 (I), वर्ष 2006) की धारा 18 से मार्गदर्शन प्राप्त किया है जिसमें कहा गया है कि

''वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–कालीन मांग तथा प्रदाय उपलब्धता संबंधी निर्धारण, किसी एक अथवा समस्त संबंधितों से, जिसमें राज्य सेक्टर उत्पादन कंपनियों, वितरण कंपनियों, निजी वितरण अनुप्तिधारियों, केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण कंपनियों/क्षेत्रीय विद्युत मण्डल, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी सम्मिलित हैं, से परामर्श द्वारा, करेगा।''

2.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके द्वारा प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों से अस्थाई (Tentative) रूप से अपनाई गई जानकारी का प्रयोग विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु, राजस्व आवश्यकता की प्राप्ति हेतु, किया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय की जाने वाली विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाये जाने का अनुरोध किया है। अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को उन्हें अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया यदि ऐसी जानकारी एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध करा दी जाती है।

2.5 अनुज्ञप्तिधारी ने क्षमता का प्रतिशत आवंटन (अर्थात् 28.83 प्रतिशत का भारित औसत) शासन की वर्ष 2007–08 हेतु अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 के अनुसार वर्ष 2008–09 हेतु भी माना है। पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी ने निम्न मदों की गणना के विवरण उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार प्रस्तुत किये हैं :

- समस्त स्त्रोतों से मासिक उपलब्ध विद्युत ऊर्जा
- उत्पादकों को देय वार्षिक स्थाई प्रभार
- उत्पादकों को प्रोत्साहनों, आयकर, शुल्कों आदि के कारण किये जाने वाले अनुमानित भुगतान; तथा
- भुगतान किये जाने वाले अनुमानित अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन

2.6 अनुज्ञप्तिधारी ने विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी) के साथ उनके द्वारा की गई चर्चा के आधार पर किया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान विद्युत उत्पादन का पूर्वानुमान वर्ष 2007–08 के पूर्वानुमानों पर आधारित है जिसे कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में क्रियाशील होने वाले नवीन उत्पादन केन्द्रों से बढ़ी हुई उपलब्धता (पूर्व वर्ष के प्रचालन पर) के समायोजन पर आधारित किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (एनटीपीसी, एनपीसी) से उपलब्धता संबंधी जानकारी याचिका तैयार करते समय तथा दायर करने के समय तक उपलब्ध नहीं थी। उपलब्धता के आकलन हेतु, पूर्व के दो वर्षों तथा चालू वर्ष 2007–08 के प्रथम छः माहों के ''वास्तविक उत्पादन'' का प्रयोग किया गया है।

2.7 वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा 2009–10 में क्रियाशील होने वाले नवीन विद्युत उत्पादन स्टेशनों से होने वाली संभावित विद्युत की उपलब्धि पर भी विचार किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगे यह बतलाया गया कि मप्र शासन की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 के अनुसार, नवीन विद्युत स्टेशनों हेतु आयोग के खुदरा विद्युत प्रदाय आदेश दिनांक 30 मार्च, 2007 के संदर्भ में ऐसे विद्युत स्टेशनों से विद्युत उपलब्धि पर 80% मानदण्डीय संयंत्र भार–कारक (Normative PLF) व सहायक विद्युत उत्पादन कोयला तथा गैस आधारित स्टेशनों हेतु क्रमशः 7% तथा 3% की दर से (यदि वे विद्यमान हों) के आधार पर पूर्वानुमान किया गया है। मढ़ीखेड़ा इकाई क्रमांक 3 तथा ओंकारेश्वर जल विद्युत से विद्युत उपलब्धि वह थी जैसा कि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु इसे उसके खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश दिनांक 30 मार्च, 2007 द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा पूर्वानुमान अवधि, अर्थात, वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु भी समरुप आंकड़ा मान लिया गया है।

2.8 निम्न तालिका प्रत्येक स्त्रोत से वार्षिक उपलब्धता को दर्शाती है जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु मासिक उपलब्धता याचिका के प्रपत्र एफ 1–ए में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 4 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि

स.क्र	स्त्रोतवार उपलब्धि (मिलियन यूनिट में)	राज्य हेतु (मिलियन यूनिट में)	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु (मिलियन यूनिट में)
I.	**केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन**		
1.	एनटीपीसी – कोरबा	3,232	713
2.	एनटीपीसी – विंध्याचल I	2,833	890
3.	एनटीपीसी – विंध्याचल II	2,314	898
4.	एनटीपीसी – विंध्याचल III (यूनिट 1)	728	282

5.	एनटीपीसी – कवास	564	229
6.	एनटीपीसी – गंधार	824	334
7.	केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	483	187
8.	टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन)	823	319
9.	फरक्का + तालचेर + कहलगांव	507	193
	केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन – योग	**12,308**	**4,046**
II.	**अन्य स्त्रोत**		
1.	एनएचडीसी–(नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन)–इन्दिरा सागर	2,700	798
2.	सरदार सरोवर	2,500	552
3.	अन्य I (पवन तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	-	-
4.	अन्य II (लघु–अवधि क्रय)	-	-
5.	अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू.आई)	-	-
	अन्य योग	**5,199**	**1,350**
ए.	**महायोग**	**17,508**	**5,395**
I.	**एमपी जनको–ताप विद्युत**		
1.	अमरकंटक टीपीएस – चचई – पीएच 1 तथा 2	1,122	332
2.	सतपुड़ा टीपीएस – सारणी – पीएच 1 तथा 2	7,018	2,111
3.	संजय गांधी टीपीएस – बिरसिंहपुर पीएच 1 तथा 2	5,081	1,502
	ताप विद्युत का योग	**13,221**	**3,945**
II.	**एमपी जनको – जल विद्युत**		
1.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन – गांधी सागर	171	38
2.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन राणा प्रताप सागर	-	-
3.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन –जवाहर सागर	-	-
4.	पेंच टीएचपीएस	208	46
5.	बाण सागर टोंस एचपीएस (I, II तथा III)	1,094	241
6.	बाण सागर टोंस एचपीएस – बाणसागर IV	79	17
7.	बिरसिंहपुर एचपीएस	45	10
8.	बरगी एचपीएस	503	111
9.	राजघाट एचपीएस	45	10
10.	माताटीला एचपीएस	-	-
11.	मढ़ी खेड़ा एचपीएस	49	19

12.	मिनी–माइक्रो एचपीएस	-	-
	जल–विद्युत योग	2,193	**492**
बी.	एमपी जनको उत्पादन योग	**15,414**	**4,437**
सी.	कुल विद्युत उपलब्धि (ए+बी)	**32,922**	**9,832**
डी.	एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय @ बीएसटी	**5,345**	**1,843**
ई.	कुल विद्युत उपलब्धता (सी+डी)	**38,267**	**11,675**

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन

2.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु एमपी जनको की स्थाई लागतें तथा परिवर्तनीय लागतें एमपी जनको हेतु आयोग के बहुवर्षीय (वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2008–09 तक) टैरिफ आदेश से अपनाई गई हैं। विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों हेतु, स्थाई लागतें (Fixed Costs) केंन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के तत्संबंधी स्टेशनों हेतु आदेशों के अनुसार तथा परिवर्तनीय लागतें (Variable Costs) वर्तमान में लागू ईंधन मूल्य समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) को सम्मिलित कर माह जुलाई, 2007 के देयक के अनुसार अपनाई गई हैं।

2.10 केन्द्रीय क्षेत्र के नवीन स्टेशनों से विद्युत क्रय की लागत को गणना हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न विधि अपनाई गई है :

(ए) विंध्याचल–III हेतु, परिवर्तनीय लागत को मा. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा उनके टैरिफ आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2007 द्वारा वर्ष 2008–09 तक अनुमोदित को अपनाया गया है।

(बी) सीपत I तथा बढ़ एसटीपीएस हेतु परिवर्तनीय लागत नेशनल थर्मल पावर स्टेशन (एनटीपीसी) द्वारा आधार वर्ष हेतु सूचित प्रावधिक टैरिफ दर के अनुसार है जिसमें वर्ष 2009–10 तक 5.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की गई है। अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि केविनिआ की अधिसूचना दिनांक 24 सितम्बर, 2007 के अनुसार केविनिआ द्वारा अधिसूचित घरेलू कोयला आधारित बोलियों हेतु ऊर्जा प्रभार तत्व की 7.66% अभिवृद्धि दर (Escalation Rate) अधिक प्रतीत होती है। अतएव ऊर्जा प्रभार तत्व में युक्तियुक्त रुप से 5.5% प्रतिवर्ष की दर से अभिवृद्धि की गई है जो कि आयातित कोयला हेतु बारलो जोंकर इन्डेक्स औसत वृद्धि दर है।

(सी) सीपत–II, ओंकारेश्वर जल विद्युत स्टेशन, कहलगांव चरण–II हेतु, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत मा.केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) की वर्ष 2008–09 तक प्रावधिक टैरिफ हेतु दायर की गई याचिका के अनुसार है।

(डी) एमपी जनको, बिरसिंहपुर विस्तार हेतु, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत मप्रविनिआ के समक्ष दायर की गई वर्ष 2008–09 तक प्रावधिक टैरिफ याचिका के अनुसार है। अमरकंटक (नवीन) तथा सतपुड़ा विस्तार हेतु, स्थाई तथा

परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट एमपी ट्रेडको से की गई चर्चानुसार बिरसिंहपुर विस्तार हेतु प्रावधिक टैरिफ याचिका के अनुरुप मानी गई है।

(ई) दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी), मढीखेड़ा यूनिट III, लैंको अमरकंटक, पीटीसी–धीरुजन तथा पीटीसी–टोरंट (गैस) हेतु स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट एमपी ट्रेडको द्वारा प्रदाय की गई लागत के अनुरुप है।

2.11 अन्य नवीन स्टेशनों बाबत, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतें ट्रेडको से की गई चर्चा के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं। निम्न तालिका विद्युत क्रय लागत के अवधारण हेतु विचार किये गये प्रत्येक स्टेशन की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों की संक्षेपिका दर्शाती है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्थाई लागत के अंशदान को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन हेतु माना गया है। ईधन मूल्य समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) का पूर्वानुमान परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट उसी रीति के अुनसार किया गया है जैसे कि वह परिवर्तनीय प्रति यूनिट हेतु है तथा इसे विद्युत उत्पादन लागत के परिवर्तनीय तत्व में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपेक्षाकृत नवीन स्टेशनों हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों के परस्पर सम्मिश्रण द्वारा एक औसत थोक विद्युत प्रदाय दर प्राप्त की गई है जिसके अनुसार एमपी ट्रेडको प्रत्येक वैयक्तिक विद्युत वितरण कम्पनी को विद्युत प्रदाय करेगी।

तालिका 5 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें

	स्त्रोत / स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2008–09		
		स्थाई लागत –राज्य (करोड़ रूपये में)	स्थाई लागत –पूर्व क्षेविविकं (करोड़ रूपये में)	परिवर्तनीय लागत (रूपये / किलो वाट आवर में)
I	**केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन**			
1.	एनटीपीसी – कोरबा	88.03	19.42	0.63
2.	एनटीपीसी – विंध्याचल I	93.58	29.64	1.36
3.	एनटीपीसी – विंध्याचल II	120.61	46.78	1.24
4.	एनटीपीसी – विंध्याचल III (यूनिट–1)	59.31	23.01	0.95
5.	एनटीपीसी – कवास	54.51	22.84	4.29
6.	एनटीपीसी – गंधार	70.12	29.39	1.64
7.	केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	–	–	2.05
8.	टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन)	–	–	2.66
9.	फरक्का + तालचेर + कहलगांव	16.31	5.78	1.48
	केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन – योग	**502.46**	**176.86**	**1.51**
II	**अन्य स्त्रोत**			

1.	एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	580.42	171.59	0.18
2.	सरदार सरोवर	–	–	1.03
3.	अन्य 1 (पवन एवं कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	–	–	–
4.	अन्य 2 (लघु–अवधि क्रय)	–	–	–
5.	अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू.आई)	–	–	–
	अन्य योग	**580.42**	**171.59**	**0.53**
	महायोग	**1,082.88**	**348.45**	**1.26**
I.	**एमपी जनको–ताप विद्युत**			
1.	अमरकंटक टीपीएस – चचई – पीएच 1 तथा 2	51.2	15.14	1.17
2.	सतपुड़ा टीपीएस – सारणी – पीएच 1 तथा 2	186.86	56.4	1.31
3.	संजय गांधी टीपीएस, बिरसिंहपुर पीएच 1 तथा 2	300.49	88.83	1
	ताप विद्युत का योग	**538.55**	**160.37**	**1.18**
II.	**एमपी जनको – जल विद्युत**			
1.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन – गांधी सागर	11.37	2.51	–
2.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन राणा प्रताप सागर	–	–	–
3.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन –जवाहर सागर	–	–	–
4.	पेंच टीएचपीएस	12.05	2.66	–
5.	बाण सागर टोंस एचपीएस (I, II तथा III)	69.16	15.26	–
6.	बाण सागर टोंस एचपीएस – बाणसागर IV	15.16	3.34	–
7.	बिरसिंहपुर एचपीएस	2.57	0.57	–
8.	बरगी एचपीएस	9.93	2.19	–
9.	राजघाट एचपीएस	5.03	1.11	–
10.	माताटीला एचपीएस	–	–	–
11.	मढ़ी खेड़ा एचपीएस	9.94	3.86	–
12.	मिनी–माइक्रो एचपीएस	–	–	–
ए.	**जल–विद्युत योग**	**135.21**	**31.49**	–
बी.	**एमपी जनको उत्पादन योग**	**673.76**	**191.86**	**1.05**
सी.	**कुल विद्युत उपलब्धि (ए+बी)**	**1,756.64**	**540.3**	**1.17**
डी.	**एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय @ बीएसटी**		**447.26**	
ई.	**कुल विद्युत उपलब्धता (सी+डी)**		**987.56**	

विद्युत क्रय लागत के अन्य तत्वों का आकलन

2.12 विद्युत क्रय लागत के अन्य तत्व, जैसे कि, प्रोत्साहन, अप्रोत्साहन, आय–कर, विद्युत शुल्क तथा उपकर आदि तथा प्रति यूनिट विविध प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2007–08 (माह जुलाई, 2007 तक) की वास्तविक लागत के स्तर के अनुरुप माना गया हैं। इन लागत तत्वों का पूर्वानुमान परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट की गणना के अनुरुप किया गया है तथा इन्हें विद्युत उत्पादन की परिवर्तनीय लागत में सम्मिलित किया गया है जैसा कि इन्हें प्रत्येक वैयक्तिक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, स्टेशन–वार लागत विवरणों में प्रदर्शित किया गया है।

अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतें

2.13 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को प्रक्षेपित अवधि (वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10) हेतु दो भागों में विभाजित किया गया हैः

(अ) अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत जो कि विद्यमान क्षमताओं से सम्बद्ध है – जैसा कि इसे प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित किया गया है।

(ब) अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत जो अपेक्षाकृत नवीन तथा उदीयमान क्षमताओं से सम्बद्ध है – एमपी ट्रेडको को आवंटित।

2.14 इस प्रकार के विभाजन का कारण अपेक्षाकृत नवीन क्षमताओं की लागत को एमपी ट्रेडको को आवंटित करना था क्योंकि एमपी ट्रेडको विद्युत वितरण कम्पनियों को थोक विद्युत प्रदाय दर पर विद्युत वितरण कम्पनी की अपूर्ण मांग की सीमा तक विद्युत प्रदाय करेगी जिस समय उनकी विद्यमान क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। अतः सम्पूर्ण पारेषण क्षमता जिसे कि पूर्वानुमान अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किया जा सकेगा अथवा नहीं किया जा सकेगा, की लागत का भुगतान टाले जाने हेतु, इस प्रकार का विभाजन किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मप्रविनिआ के सिद्धान्तों को उद्धरित किया है जिसके अनुसार पारेषण प्रभार का आवंटन उत्पादन क्षमताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

2.15 सम्पूर्ण राज्य हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों की संक्षेपिका वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु वास्तविक आंकड़ों के अनुसार निम्न तालिका में दर्शायेनुसार है। वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 हेतु वार्षिक प्रभार क्रमशः माह मार्च 2006 तथा माह मार्च 2007 के देयकों पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र के वार्षिक प्रभार सितम्बर, 2007 तक के देयकों पर आधारित हैं जबकि अन्य प्रभार [जिनमें चक्रण प्रभार, संबद्धता (लिंकेज) प्रभार तथा भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) प्रभार सम्मिलित है] 6 महीनों (माह सितम्बर, 2007 तक) हेतु उपलब्ध थे। अतएव, वार्षिक प्रभार की गणना 6 महीनों के प्रभार की दो गुना दर पर की गई है।

तालिका 6: राज्य हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)

स.क्र		वित्तीय वर्ष 2005–06			वित्तीय वर्ष 2006–07			वित्तीय वर्ष 2007–08		
	लाइनें / श्रृखला क्षेत्र	वार्षिक टैरिफ (करोड़ रु. में)	अंशदान (प्रतिशत में)	अंशदान के अनुसार देय प्रभार (करोड़ रु. में)	वार्षिक टैरिफ (करोड़ रु. में)	अंशदान (प्रतिशत में)	अंशदान के अनुसार देय प्रभार (करोड़ रु. में)	वार्षिक टैरिफ (करोड़ रु. में)	अंशदान (प्रतिशत में)	अंशदान के अनुसार देय प्रभार (करोड़ रु. में)
ए.	पूर्व क्षेत्र	194	1.35%	3	393	1.10%	4	408	0.94%	4
बी.	पश्चिम क्षेत्र	425	25.13%	107	388	24.52%	95	436	24.32%	102
सी.	अन्य (अन्तर्क्षेत्रीय)	-	0.00%	6	132	13.03%	17	112	21.33%	24
डी.	योग	**619**		**116**	**912**		**117**	**956**		**130**

2.16 अनुज्ञप्तिधारी ने कुल पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) पारेषण प्रभारों का आवंटन प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया है जिन्हें पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र स्टेशनों तथा सरदार सरोवर परियोजना (जो कि पीजीसीआईएल नेटवर्क से संयोजित है) से प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, भारित औसत क्षमता तथा आवंटन प्रतिशत से व्यूत्पादित (derived) किया गया है।

तालिका 7: विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रु. में) (जैसे कि ये दायर किये गये)

विद्युत वितरण कम्पनी	आवंटन %	वित्तीय वर्ष 2005–06	वित्तीय वर्ष 2006–07	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
मप्र मध्य क्षेविविक.लि	32.41%	37	38	42	42	42
मप्र पश्चिम क्षेविविक.लि	37.98%	44	44	49	49	50
मप्र पूर्व क्षेविविक.लि	29.60%	34	35	38	39	39
योग		**116**	**117**	**130**	**130**	**130**

2.17 अपेक्षाकृत नवीन तथा उदीयमान क्षमताओं हेतु पारेषण प्रभारों का पूर्वानुमान सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर किया गया है। रु. करोड़ प्रति मेगावाट के रुप में लक्ष्य को वित्तीय वर्ष 2006–07 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर व्युत्पादित किया गया है। यह लक्ष्य भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) प्रभारों की शुद्ध गणना के रुप में है। केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धियों पर आधारित तथा व्युत्पादित लक्ष्यों के आधार पर एमपी ट्रेडको भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार निम्नानुसार हैं जिन्हें कि थोक विद्युत प्रदाय दर में सम्मिलित किया गया है तथा जिन पर एमपी ट्रेडको विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत का विक्रय कर सकेगी, यदि विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत क्रय किये जाने की आवश्यकता हो।

तालिका 8: एमपी ट्रेडको हेतु पीजीसीआईएल प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)

एमपी ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
अपेक्षकृत नवीन तथा उदीयमान केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों हेतु पीजीसीआईएल प्रभार	40	45	54

2.18 पूर्वानुमान अवधि के दौरान, राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों (एमपी ट्रांसको प्रभारों) को प्राक्कलित किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी ने पीजीसीआईएल प्रभारों का पूर्वानुमान किये जाने हेतु प्रयोग की गई विधि को ही अपनाया गया है। प्रभारों के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्वानुमान अवधि हेतु, वार्षिक पारेषण प्रभारों में प्रोत्साहन, आयकर तथा विशेष लाभ (बेनीफिट) तत्व को भी समायोजित किया है। विद्यमान उत्पादन क्षमताओं से संयोजित एमपी ट्रांसको प्रभार जो कि प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान योग्य हैं, निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका 9: विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)

वार्षिक मप्र ट्रासमिशन कं लि प्रभार (करोड़ रु. में) जैसे कि ये निम्न द्वारा भुगतान योग्य हैः	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
मप्र मध्य क्षेविविक.लि	209.42	181.45	181.45
मप्र पश्चिम क्षेविविक.लि	229.97	199.26	199.26
मप्र पूर्व क्षेविविक.लि	265.33	229.89	229.89
योग	**704.72**	**610.60**	**610.60**

2.19 एमपीपीटीसीएल प्रभार, जो कि अपेक्षाकृत नवीन तथा उदीयमान उत्पादन क्षमताओं से संबद्ध हैं तथा जैसे कि ये एमपी ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य हैं, निम्नानुसार हैं जिन्हें कि थोक विद्युत प्रदाय दर में सम्मिलित कर लिया गया है जिस पर एमपी ट्रेडको विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत का विक्रय कर सकेगी यदि विद्युत वितरण कम्पनियों को इसकी आवश्यकता हो।

तालिका 10: एमपी ट्रेडको हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)

मप्र ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य एमपीपीटीसीएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
एमपीपीटीसीएल द्वारा भुगतान योग्य वार्षिक प्रभार एमपीपीटीसीएल प्रभार	133	212	261

गुण–दोष क्रमानुसार प्रेषण (मैरिट आर्डर डिस्पैच)

2.20 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मसिक आधार पर गुण–दोष क्रमानुसार प्रेषण के अनुसरण को विभिन्न स्त्रोतों की परिवर्तनशील लागतों के आधार पर मासिक उपलब्धता के साथ मासिक ऊर्जा की आवश्यकता के साथ मिलान कर अपनाया गया है। अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि जबकि लागतों का मासिक अवधारण लागत की वार्षिक उपलब्धता पर उन्नत प्राक्कलन प्रदान करना है, परन्तु, दैनिक शीर्ष आवश्यकताऐं तथा वास्तविक तथा प्राक्कलन मध्य अन्तर के आधार पर वास्तविक लागत आगे टल जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी ने आगे निवेदन किया है कि अन्तरों को नियमित आधार पर प्रस्तावित लागत समायोजन सूत्र (फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट–एफसीए फार्मूला) के अनुसार अन्तरित कर

दिया जावेगा जो कि निम्न दर्शाई राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपबंधों कंडिका 5.3 (ज) (4) तथा कंडिका 8.2.1 (1) के अनुरूप हैः

''विगत लागतों के बोझ से भावी उपभोक्ताओं को बचाने के लिये अनियंत्रण योग लागतों को तेजी से वसूल किया जाना चाहिए। अनियंत्रण योग लागतों (सीमित नहीं) में शामिल है–ईंधन लागत, मुद्रा स्फिति के कारण लागत, कर एवं उपकर विपरीत प्राकृतिक घटनाओं के मामले में हाइड्रो–थर्मल मिश्रण समेत विद्युत क्रय यूनिट लागतों में भिन्नता''

एवं

''सभी विद्युत क्रय लागतों को वैध समझा जाना आवश्यक है जब तक कि यह स्थापित न कर दिया जाये कि मेरिट आदेश सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है और अनुचित दरों पर विद्युत का क्रय किया गया है।''

आयोग का विश्लेषण

विक्रय का पूर्वानुमान

मीटरीकृत खपत

2.21 आयोग ने समस्त मीटरीकृत उपभोक्ताओं के विक्रय पूर्वानुमानों की समीक्षा की है तथा पूर्व की प्रवृत्ति के साथ इसकी तुलना की है। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी की विभिन्न श्रेणियों के विक्रय पूर्वानुमानों के समर्थन में प्रस्तुतिओं को भी संज्ञान में लिया है तथा की गई अवधारणाओं को युक्तियुक्त मानता है। विद्यमान विद्युत उत्पादन तथा नियोजित क्षमता अभिवृद्धि के आधार पर, यह संज्ञान में लिया गया है कि वर्ष 2008–09 में मप्र राज्य को विद्युत उपलब्धता की मात्रा अनुज्ञप्तिधारी के विक्रय पूर्वानुमान की पूर्ति किये जाने से कहीं अधिक है। अतः आयोग अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान के कांट–छांट किये जाने को उपयुक्त नहीं मानता। पारेषण एवं वितरण हानियों (टी एण्ड डी लॉसेस) पर विचार करने के उपरान्त भी, उपलब्ध विद्युत मात्रा उपभोक्ताओं की समस्त पूर्वानुमान आवश्यकताएं की आपूर्ति हेतु पर्याप्त है। अतः आयोग समस्त मीटरीकृत उपभोक्ताओं के विक्रय पूर्वानुमानों को अनुमोदन करता है।

अमीटरीकृत खपत

2.22 घरेलू श्रेणी की अमीटरीकृत खपत के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को विदित करा दिया है कि अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रारंभ होने से पूर्व ही शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को मीटरीकृत करने की योजना है तथा तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 में शहरी क्षेत्रों के घरेलू खण्ड में कोई बिना मीटर वाला उपभोक्ता नहीं होगा। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को माह दिसम्बर, 2007 हेतु प्रस्तुत त्रैमासिक स्थिति के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय क्षेत्र के शहरी भागों में अभी भी काफी बड़ी संख्या में अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ता विद्यमान हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2008–09 में, यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस खण्ड के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत विक्रय का पूर्वानुमान नहीं किया गया है, आयोग ने इस टैरिफ आदेश में इन उपभोक्ताओं हेतु भी टैरिफ दर को विनिर्दिष्ट

कर रहा है। इसके द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी से वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अवशेष शहरी घरेलू श्रेणी में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में विद्युत खपत को प्राक्कलित करने तथा आनुषंगिक इनकी बिलिंग किये जाने का अवसर प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

2.23 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु टैरिफ आदेश में अवधारित किया गया था कि घरेलू श्रेणी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग शहरी क्षेत्रों में 77 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह 38 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह के आधार पर की जावेगी। इसके स्थान पर, अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 में ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की खपत 30 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह की दर से आकलित की है। अनुज्ञप्तिधारी ने ग्रामीण क्षेत्रों के इन अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में यूनिटों की अवधारणा के समर्थन बाबत कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है।

तथापि, आयोग पिछले वर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित घरेलू अमीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु अुनज्ञप्तिधारी के 38 यूनिट प्रति माह के स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी के 30 यूनिट प्रतिमाह के खपत संबंधी प्राक्कलन को स्वीकार करता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस श्रेणी में विक्रय संबंधी प्राक्कलन को इसे दायर किये गये अनुसार ही अनुमोदित किया जाता है।

2.24 कृषि श्रेणी के अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के संबंध मे, आयोग ने उसके वित्तीय वर्ष 2007–08 संबंधी आदेश में निर्देशित किया था कि उपभोक्ता की बिलिंग निम्न आधार पर की जावेगीः–

(ए) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 100 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजन हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी ; तथा

(बी) शहरी क्षेत्रों में अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजनों हेतु 150 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी।

2.25 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत कृषि श्रेणी में अमीटरीकृत खपत के प्राक्कलन का विश्लेषण किया तथा अनुज्ञप्तिधारी को इस श्रेणी में उसके खपत संबंधी प्राक्कलनों का आधार प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। अनुज्ञप्तिधारी ने तदनुसार अपना राजस्व मॉडल आयोग को प्रस्तुत किया है जो कि वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विक्रय तथा राजस्व पूर्वानुमान का आधार है, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे दायर किया गया है। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजस्व मॉडल का विश्लेषण किया तथा उसके द्वारा शहरी तथा ग्रामीण

उपभोक्ताओं हेतु, दोनों स्थाई तथा अस्थाई उपभोक्ताओं के अन्तर्गत, कृषि उपभोक्ताओं तथा संयोजित भार को चिन्हित किया गया।

2.26 आयोग द्वारा यह संज्ञान में लिया गया कि अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा दायर की गई याचिका में कृषि श्रेणी के अमीटरीकृत अस्थाई उपभोक्ताओं की किसी विद्युत खपत का कोई ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके बजाय, अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु इस श्रेणी का कुल पूर्वानुमान बतौर स्थाई संयोजनों हेतु केवल 249.84 मिलियन यूनिट विक्रय किया जाना दर्शाया है। अतः आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को उनकी आदेश शीट दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा कृषि श्रेणी के स्थाई तथा अस्थाई संयोजनों संबंधी जानकारी पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। प्रत्युत्तर में, अनुज्ञप्तिधारी ने यह जानकारी पुनः प्रस्तुत की है जहां उनके द्वारा इस त्रुटि का सुधार कर लिया गया है तथा स्थाई एवं अस्थाई अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को क्रमशः 202.63 मिलियन यूनिट तथा 47.21 मिलियन युनिट विक्रय किया जाना दायर किया गया है। उक्त जानकारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस विषय पर दिनांक 21 जनवरी, 2008 को चर्चा के दौरान प्रस्तुत की गई। आयोग ने दायर किये गये पुनरीक्षित आंकड़ों को स्वीकार कर लिया है। उपभोक्ताओं तथा संयोजित भार संबंधी जानकारी के आधार पर तथा उपरोक्त दर्शाये गये आकलन मानदण्डों के प्रयुक्त किये जाने पर, आयोग का विचार है कि इस श्रेणी से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के पूर्वानुमान औचित्यपूर्ण हैं तथा तदनुसार विक्रय पूर्वानुमानों को पुनरीक्षित दायर किये गये अनुसार अनुमोदित करता है।

2.27 आयोग उपरोक्त गणना स्थाई अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग अवधि बारह माह तथा अस्थाई अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की उक्त अवधि चार माह मानकर की है जो कि आयोग द्वारा जारी पूर्व टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट की गई बिलिंग विधि के अनुरुप है।

2.28 अमीटरीकृत कृषि पम्पसेटों तथा घरेलू उपभोक्ताओं के और आधिक यथार्थवादी प्राक्कलन विकसित किये जाने के प्रयोजन से, आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को जारी किये गये आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के दोनों कृषि तथा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने वाले वितरण ट्रांसफार्मरों पर स्थापित कम से कम 100 मापयन्त्रों (मीटरों) के ऊर्जा खपत संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर ने वितरण ट्रांसफार्मर मापयन्त्रों संबंधी खपत अभिलेखों के वांछित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, आयोग निर्देश देता है कि अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग, आयोग के वित्तीय वर्ष 2007–08 टैरिफ आदेश *(जैसा कि उपरोक्त दर्शाये पैरा 2.24 में उल्लेख किया गया है)* में अनुमोदित किये गये अनुसार, की जावे।

2.29 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विक्रय पूर्वानुमान को निम्नानुसार अनुमोदित किया जाता है:–

तालिका 11: वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान

उपभोक्ता श्रेणी			विद्युत विक्रय मिलियन यूनिट में
निम्न दाब उपभोक्ता	एलवी 1	घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	2289.68
	एलवी 2	गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	370.54
	एलवी 3	जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	135.09
	एलवी 4	निम्न दाब औद्येगिक	251.99
	एलवी 5	कृषि उपभोक्ता	1424.76
		योग (निम्न दाब)	**4472.07**
उच्च दाब उपभोक्ता	एचवी 1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	422.68
	एचवी 2	कोयला खदानें	521.31
	एचवी 3.1	औद्योगिक	984.93
	एचवी 3.2	गैर–औद्योगिक	141.74
	एचवी 4	मौसमी (सीजनल)	3.60
	एचवी 5.1	सार्वजनिक जल–प्रदाय	69.70
	एचवी 5.2	उच्च दाब सिंचाई	3.16
	एचवी 6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	315.00
	एचवी 7	छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	445.61
		कुल (उच्च दाब)	**2897.74**
निम्न दाब + उच्च दाब का योग			**7369.81**

2.30 आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के अनुसार वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ अवधारण हेतु जारी विनियमों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचाराधीन वर्ष के दौरान विक्रय की गई वास्तविक विद्युत की मात्रा को, मानदण्डीय हानियों पर विचार करते हुए, समेकित किया जावेगा ताकि ऐसे वर्ष के दौरान अनुज्ञेय विद्युत मात्रा की गणना की जा सके।

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

2.31 राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2010–11 की अवधि हेतु वितरण हानियों के वार्षिक लक्ष्य प्रकाशित किये जा चुके हैं जिन्हें कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आवश्यकता की गणना मध्यप्रदेश शासन के वितरण हानियों संबंधी आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के आधार पर की गई है। अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 की अवधि बाबत, पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु वितरण हानि 29.5 प्रतिशत मानी गई है।

तालिका 12 : मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)

वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
वित्तीय वर्ष 2006–07	34.5%
वित्तीय वर्ष 2007–08	32.5%
वित्तीय वर्ष 2008–09	**29.5%**
वित्तीय वर्ष 2009–10	26.5%
वित्तीय वर्ष 2010–11	23.5%

2.32 पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र स्टेशनों की अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पृथक–पृथक की गई है। पश्चिम क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों हेतु, पूर्व आंकड़े (वित्तीय वर्ष 2007–08 के 44 सप्ताह, अर्थात् दिनांक 3 फरवरी, 2008 को समाप्त होने वाले सप्ताह पर्यन्त) को लिया गया है तथा 4.28% के औसत हानि स्तर का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र पारेषण लाईनों की हानियों हेतु, औसत हानि स्तर (वित्तीय वर्ष 2007–08 के 47 सप्ताह हेतु) 3.31% माना गया है।

2.33 आयोग द्वारा पारेषण बहुवर्षीय टैरिफ आदेशानुसार राज्यान्तरिक (इंटर–स्टेट) पारेषण हानियां 4.9 प्रतिशत मानी गई हैं।

2.34 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु निर्धारित हानि के लक्ष्यों के अनुसार ऊर्जा संतुलन की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई हैः

तालिका 13: वित्तीय वर्ष 08 हेतु सकल ऊर्जा आवश्यकता

स.क्र	3विवरण	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
1	कुल विद्युत ऊर्जा का विक्रय (मिलियन यूनिट में)	7,369.81
2	वितरण हानि (% में)	29.5%
3	पारेषण – वितरण अर्न्तमुख पर (मिलियन यूनिट में)	10,453.63
4	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कं लिमिटेड की पारेषण हानि (% में)	4.9%
5	मध्यप्रदेश राज्य की सीमा पर	10,992.25
6	बाह्य हानियां (मिलियन यूनिट में)	231.33
7	**सकल ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)**	**11,223.51**

2.35 मध्यप्रदेश शासन ने अधिसूचना क्र 2088–एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा तीनों विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के विद्यमान उत्पादन क्षमता आवंटन को पुनरीक्षित कर दिया है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान संस्थापित की गई उत्पादक क्षमता को आवंटित कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष

2008–09 के दौरान संस्थापित की जाने वाली प्रत्याशित क्षमता के एमपी ट्रेडको को आवंटन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

2.36 आयोग ने मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र 2088–एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु विद्यमान स्टेशनों से ऊर्जा के आवंटन तथा एमपी ट्रेडको को नवीन स्टेशनों की आवंटित क्षमताओं पर विचार किया है। आयोग ने मध्यप्रदेश शासन की उक्त अधिसूचना पर भी विचार किया है जिसमें उल्लेख है कि ऊर्जा घाटे की अवधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय करेंगे।

2.37 निम्न तालिका मप्र शासन की पूर्व अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 तथा मप्र शासन की अधिसूचना क्र 2088–एफआरएस–4–XIII–200 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को उत्पादन क्षमताओं का आवंटन प्रस्तुत करती हैः

तालिका 14ः पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को स्टेशन वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)

स्टेशन का नाम	मप्र शासन की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2007 के अनुसार आवंटन	मप्र शासन द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित आवंटन
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट)–राणा प्रताप तथा जवाहर सागर	29.56%	29.56%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हायडल)ः बरगी	22.06%	21.00%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट)ः गांधी सागर	22.06%	28.00%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट)ः पेंच	22.06%	22.00%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हायडल) बिरसिहंपुर	22.06%	22.00%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हायडल)ः बाण सागर संकुल (I, II, तथा III)	22.06%	20.00%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट)ः राजघाट	22.06%	30.00%
पूर्वी क्षेत्रः तालचेर एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	22.06%	46.00%
सरदार सरोवर परियोजना	22.06%	20.50%
पश्चिमी क्षेत्रः कोरबा एसटीपीसी (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	22.06%	24.00%
संयुक्त उपक्रमः इन्दिरा सागर (8 x 125 मेगावॉट)	29.56%	38.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल)ः अमरकंटक संकुल	29.56%	22.00%
पश्चिमी क्षेत्रः विंध्याचल एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) - I	29.56%	26.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल)ः संजय गांधी संकुल	29.56%	22.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल)ः सतपुड़ा संकुल	29.56%	21.00%

(चरण–III तथा चरण–III)		
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल): सतपुड़ा चरण–I (अन्तर्राज्यीय)	29.56%	21.00%
पूर्वी क्षेत्र: फरक्का एसटीपीएस	38.79%	48.00%
पश्चिमी क्षेत्र: विंध्याचल एसटीपीएस–II	38.79%	38.00%
पश्चिमी क्षेत्र: विंध्याचल एसटीपीएस–III, (यूनिट–I)	38.79%	48.00%
पश्चिमी क्षेत्र: काकरापार एपीएस (एटॉमिक पावर स्टेशन)	38.79%	48.00%
पश्चिमी क्षेत्र: गंधार जीपीपी (गैस पावर प्लांट)	38.79%	48.00%
पश्चिमी क्षेत्र: तारापुर एपीएस	38.79%	48.00%
पूर्वी क्षेत्र: कहलगांव एसटीपीएस	38.79%	48.00%
एमपीपीजीसीएल – एसएच: मढीखेड़ा	38.79%	48.00%
पश्चिमी क्षेत्र: कवास जीपीपी	38.79%	48.00%
ओंकारेश्वर एचपीएस (हायड्रो पावर स्टेशन)		48.00%
पश्चिमी क्षेत्र: विंध्याचल एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) III (यूनिट–II)		48.00%
बाणसागर – IV (झिन्ना)		48.00%
मढ़ीखेढ़ा (यूनिट–III)		48.00%
लैंको–अमरकंटक		49.00%
भारित औसत	**28.83%**	**30.76%**

2.38 ओंकारेश्वर जल–विद्युत (हायडल) पावर स्टेशन को पूर्व में ट्रेडको के साथ रखा गया था क्योंकि इसे पिछले वर्ष के मध्य से प्रचालन में आना था। चूंकि यह संयंत्र वित्तीय वर्ष 2008–09 से पूर्ण रुप से उपलब्ध हो जावेगा, अतः मप्र शासन की नवीन अधिसूचना के आधार पर इसे स्थाई आवंटन (फर्म एलोकेशन) के अन्तर्गत रखा गया है।

2.39 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु आवंटन का भारित औसत प्रत्येक स्टेशन से आवंटित अंशदान के अनुसार 30.76% है।

2.40 **द्विपक्षीय स्टेशनः–** आयोग ने समस्त द्विपक्षीय स्टेशनों (राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, पेंच, राजघाट तथा सारनी चरण-I) से उपलब्धता के संबंध में मप्र राज्य के अंशदान पर ही विचार किया है। आयोग ने मप्र जनको आदेश दिनांक 7 मार्च, 2006 में गाधी सागर, पेंच, राजघाट, सारनी चरण-I हेतु दरों का अवधारण किया है तथा केवल मप्र राज्य के अंशदान हेतु ही इन्हीं दरों पर विचार किया है। तथापि, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर हेतु किसी आंकड़े के अभाव में, आयोग ने जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर स्टेशन से विद्युत क्रय की लागत

के अवधारण हेतु प्रावधिक तौर पर प्रति मेगावॉट आधार की उपलब्धता के साथ–साथ गांधी सागर को प्रयोज्य टैरिफ दर पर भी विचार किया है।

2.41 आयोग द्वारा संज्ञान कर लिया गया है कि द्विपक्षीय स्टेशनों हेतु ऊर्जा का पुनर्मिलान अभ्यास प्रगति पर है। अतः, वह अनुज्ञप्तिधारी को तत्संबंधी विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश देता है।

2.42 **केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनः–** वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्यमान केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से वार्षिक ऊर्जा उपलब्धता पर वित्तीय वर्ष 2006–07 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान (माह दिसम्बर, 2007 तक पश्चिमी क्षेत्र हेतु तथा माह नवम्बर, 2007 तक पूर्वी क्षेत्र हेतु) उपलब्धता के विश्लेषण पश्चात् विचार किया गया है। इन आंकड़ों का प्रयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान उपलब्धता के पूर्वानुमान हेतु किया गया है।

2.43 **एमपी जनको स्टेशनः–** जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, एमपी जनको स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धता को एमपी जनको के उत्पादन के मासिक पूर्वानुमान पर आधारित होना दर्शाया है।

2.44 आयोग ने एमपी जनको स्टेशन से कुल उपलब्धता के संबंध में उसके टैरिफ आदेश के अनुसार विचार किया है। तथापि, आयोग द्वारा एमपी जनको द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर मासिक उपलब्धता के विश्लेषण तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 की आवश्यकता के संबंध में अभ्यास भी किया गया है।

2.45 निम्न तालिका राज्य सीमा के बाहर स्थित स्टेशनों से एमपी जनको स्टेशनों हेतु, बाह्य हानियों तथा एक्सबस पर विचारोंपरांत मासिक उपलब्धता दर्शाती हैः

तालिका 15ः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, माहवार ऊर्जा आवश्यकता तथा उपलब्धता

(मिलियन यूनिट में)

माह	ऊर्जा उपलब्धता	राज्यान्तरिक वितरण कम्पनी क्रय	राज्यान्तरिक वितरण कम्पनी विक्रय	राज्य सीमा पर वितरण कम्पनी की आवश्यकता	कमी / आधिक्य
अप्रैल 2008	686.82	0.00	0.00	924.88	(238.06)
मई 2008	709.09	0.00	0.00	893.09	(184.00)
जून 2008	643.96	0.00	0.00	851.38	(207.42)
जुलाई 2008	854.54	0.00	0.00	787.30	67.24
अगस्त 2008	898.79	0.00	0.00	819.67	79.12
सितम्बर 2008	835.94	0.00	0.00	823.06	12.88
अक्टूबर 2008	1046.92	0.00	34.75	868.37	178.54
नवम्बर 2008	989.64	0.00	0.00	954.89	0.00

दिसम्बर 2008	972.56	0.00	0.00	1033.58	(61.02)
जनवरी 2009	951.92	0.00	0.00	1066.23	(114.31)
फरवरी 2009	797.71	0.00	0.00	1010.90	(213.31)
मार्च 2009	812.48	0.00	0.00	958.91	(146.44)
योग	**10200.36**	**0.00**	**34.75**	**10992.25**	**(826.64)**

2.46 जैसा कि उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी को अप्रैल से जून तथा दिसम्बर से मार्च के महीनों में 1164.44 मिलियन यूनिट लघु–अवधि ऊर्जा की उपाप्ति (प्रोक्यूरमेंट) करनी होगी तथा माह जुलाई से अक्टूबर तक उसके पास 337.78 मिलियन यूनिट का आधिक्य रहेगा।यह उपाप्ति उसे एमपी ट्रेडको से रु. 2.44 प्रति किलोवॉट ऑवर की औसत दर पर (राज्य सीमा पर अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना उपरान्त) निम्न तालिका में दर्शाई गई गणना के अनुसार करनी होगीः

तालिका 16ः वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु अवधि क्रय की दर

ट्रेडको स्टेशन	स्थाई लागत (करोड़ रू में)	पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ में)	परिवर्तनीय लागत (पैसे प्रति किलो वाट ऑवर)	मिलियन यूनिट (एक्सबस)	मिलियन यूनिट (राज्य सीमा पर)	कुल लागत (करोड़ रू में)	पैसे / किलो वाट आवर (राज्य सीमा पर)
कहलगांव एसटीपीएस चरण–II (3×500मेगावाट)	60.15	3.57	120.8	697.37	674.28	147.97	219.5
सीपत ताप विद्युत परियोजना, चरण–I (3×660 मेगावाट)	62.41	2.87	52.6	560.50	536.51	94.77	176.0
सीपत ताप विद्युत परियोजना, चरण–II (2×500 मेगावाट)	107.87	4.77	55.1	931.99	892.10	164.03	183.9
अमरकंटक (नवीन 210 मेगावाट)	194.62	0.00	101.0	1368.66	1368.66	332.85	243.2
दामोदर वैली कार्पोरेशन परियोजना एमटीपीएस तथा सीटीपीएस (500मेगावाट)	351.94	13.36	121.3	2606.98	2520.69	681.59	270.4
बिरसिंहपुर विस्तार (500मेगावाट)	511.00	0.00	101.0	3258.72	3258.72	840.13	257.8
योग	**1287.99**	**24.58**		**9424.22**	**9250.97**	**2,261.35**	**244.4**

2.47 चूंकि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य भर में एक समान टैरिफ दर लागू किये जानें का निर्णय लिया है, अतः किसी अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध किसी माह में आधिक्य ऊर्जा प्रथमतः मध्यप्रदेश के अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदान की जावेगी जिनके पास उक्त माह में विद्युत की कमी होगी । आयोग निर्देश देता है कि राज्य के भीतर अन्य वितरण कम्पनियों को आधिक्य ऊर्जा की विक्रय दर मासिक संकोषीय लागत (मन्थली पूल्ड कॉस्ट) होगी :

तालिका 17: पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत

स.क्र.	माह	कुल स्थाई उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	करोड़ रूपये में *	रूपये प्रति किलोवॉट ऑवर
1	अप्रैल	686.82	140.42	2.04
2	मई	709.09	146.53	2.07
3	जून	643.96	132.39	2.06
4	जुलाई	854.54	178.99	2.09
5	अगस्त	898.79	184.22	2.05
6	सितम्बर	835.94	167.02	2.00
7	अक्टूबर	1046.92	213.32	2.04
8	नवम्बर	989.64	196.05	1.98
9	दिसम्बर	972.56	195.73	2.01
10	जनवरी	951.92	194.81	2.05
11	फरवरी	797.71	159.46	2.00
12	मार्च	812.48	165.52	2.04

** इसमें स्थाई लागत, परिवर्तनीय लागत, पीजीसीआईएल प्रभार, एमपी ट्रांसको तथा अन्य लागतें शामिल हैं*

2.48 अनुज्ञप्तिधारी के पास बची रहने वाली आधिक्य (ऊर्जा) जैसी कि यह मासिक उपलब्धता तथा आवश्यकता संबधी उपरोक्त तालिका में उपलब्धता तथा आवश्यकता संबधी उपरोक्त तालिका में देखी सकती है, राज्यान्तरिक व्यापार के उपरान्त बाह्‌य व्यापार हेतु उपयोग की जावेगी तथा अर्जित राजस्व को विद्युत क्रय लागत के विरूद्ध समायोजित किया जावेगा। निम्न तालिका पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु आधिक्य ऊर्जा की सूचक लागत (Indicative Cost) दर्शाती है। तथापि, आयोग द्वारा यह संज्ञान कर लिया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी किसी आधिक्य ऊर्जा का विक्रय उक्त समय पर मांग तथा प्रदाय परिदृश्य पर निर्भर करते हुए उचित दर पर कर सकेगा। अतः, आधिक्य विद्युत ऊर्जा से अर्जित वास्तविक राजस्व का समाधान, वित्तीय व ा 2008–09 के सत्यापन के दौरान किया जावेगा।

तालिका 18 : विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत

स.क्र.	माह	आधिक्य विद्युत ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल लागत (करोड़ रूप्यें में)	रूप्ये प्रति किलोवाट ऑवर
1	अप्रैल	-	-	-
2	मई	-	-	-
3	जून	-	-	-
4	जुलाई	67.24	14.08	2.09
5	अगस्त	79.12	16.22	2.05
6	सितम्बर	12.88	2.57	2.00

7	अक्टूबर	178.54	36.38	2.04
8	नवम्बर	-	-	-
9	दिसम्बर	-	-	-
10	जनवरी	-	-	-
11	फरवरी	-	-	-
12	मार्च	-	-	-
योग		**337.78**	**69.25**	**2.05**

2.49 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर के दौरान आधिक्य विद्युत ऊर्जा के कारण विक्रय राज्यान्तरिक व्यापार के अंतर्गत 337.78 मिलियन यूनिट आंका गया है। आधिक्य विद्युत ऊर्जा के विक्रय से होने वाली आय को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय लागत के साथ समायोजित किया जावेगा ।

2.50 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित तथा आयोग द्वारा प्राक्कलित स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 19: वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

स क्र	वित्तीय वर्ष 2008–09		
	स्टेशनों के नाम	विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित	जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें प्राक्कलित किया गया
1	केन्द्रीय क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)	3852	4384.71
2	केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र)	193	103.00
3	द्विपक्षीय क्रय	0	0
4	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	798	985.13
5	सरदार सरोवर	552	462.91
6	ओंकारेश्वर जल–विद्युत [1]		600.00
7	लैंको अमरकंटक		477.72
8	पवन विद्युत उत्पादन		14.00
9	कैप्टिव		3.07
10	एमपी जनको	4437	3401.15
11	एमपी ट्रेडको के माध्यम से विद्युत उपात्ति	1843	1164.43
12	**योग**	**11675**	**11596.12**

[1] विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अस्थाई आवंटन (Infirm Allocation) के अन्तर्गत विचार किया गया

2.51 **केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (पश्चिमी क्षेत्र):** मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार, विभेदक आवंटन (डिफरेंशियल एलोकेशन) के कारण अनज्ञप्तिधारी को उपलब्ध अंशदान में अभिवृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आयोग ने मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार आगामी वर्ष के दौरान विन्ध्याचल ताप–विद्युत स्टेशन के चरण–III की दोनों इकाईयों से स्थाई आवंटन (Firm Allocation) उपलब्धता को प्राक्कलित किये जाने के दौरान विचार किया है; जबकि, अनुज्ञप्तिधारी ने आगामी वर्ष के दौरान उपलब्धता को प्राक्कलित किये जाने के संबंध में स्थाई आवंटन बाबत केवल विन्ध्याचल, चरण तृतीय यूनिट–I पर ही विचार किया है। मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार सीपत चरण–I तथा II को एमपी ट्रेडको के साथ रखा गया है।

2.52 **केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (पूर्वी क्षेत्र):** अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा दायर की गई याचिका के अंतर्गत कहलगांव (चरण–II) पर विचार किया है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इस स्टेशन की क्षमता अब एमपी ट्रेडको के पास है।

2.53 **द्विपक्षीय विद्युत क्रयः** मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार दामोदर वैली कार्पोरेशन हेतु, इन क्षमताओं को एमपी ट्रेडको के साथ रखा गया है।

2.54 **ओंकारेश्वर जल–विद्युत स्टेशनः** आयोग ने ओंकारेश्वर जल–विद्युत स्टेशन से अनुज्ञप्तिधारी हेतु उपलब्धता को मप्र शासन की अधिसूचना में क्षमता आवंटन के अनुसार माना है।

2.55 **एमपी जनकोः** उपलब्धता में परिवर्तन, मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित क्षमता आवंटन के कारण हुआ है। आयोग ने अमरकंटक–विस्तार तथा बिरसिंहपुर–विस्तार से विद्युत प्राप्ति पर विचार किया है तथा इन स्टेशनों को एमपी ट्रेडको के साथ रखा गया है।

विद्युत क्रय लागतें

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन–पश्चिमी क्षेत्र

2.56 **पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशन [कोरबा, वीएसटीपीएस–I, वीएसटीपीएस–II, वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I तथा यूनिट– II), कवास तथा गन्धार]:** जैसा कि पूर्व में कहा गया है, विद्यमान स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धता पर अनुज्ञप्तिधारियों, द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार विचार किया गया है। आयोग ने भी इन स्टेशनों बाबत स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के इन स्टेशनों बाबत इनकी स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों के सत्यापन उपरांत इन्हें अनुमोदित कर दिया है। केएपीपी हेतु एकल भाग टैरिफ दर का भुगतान देय होगा तथा प्रावधिक टैरिफ दरों पर भारत शासन, अणुशक्ति विभाग के माह अक्टूबर 2006 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार माना गया है। टीएपीपी 3 तथा 4 हेतु, एकल भाग टैरिफ को जैसा कि वह माह नवम्बर 2007 तक के वास्तविक देयकों के अनुसार देय है, माना गया है।

2.57 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय स्टेशनों हेतु मध्यप्रदेश राज्य को अंशदान का आंवटन एनटीपीसी के देयकों के अनुसार दर्शाया गया था। आयोग ने मध्यप्रदेश राज्य आवंटन तथा परिणामस्वरुप, पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के अंशदान को शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2088 एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार माना है।

तालिका 20 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन

सरल क्रमांक	पश्चिमी क्षेत्र (केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–सीजीएस)	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु	
							उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	केएसटीपीएस	2100.00	21.38%	3432.42	89.84	24.00%	823.8	**21.56**
2	वीएसटीपीएस–I	1260.00	33.34%	2763.77	100.78	26.00%	718.6	**26.20**
3	वीएसटीपीएस–II	1000.00	30.12%	1981.59	121.21	38.00%	753.0	**46.06**
4	वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I तथा–II)	1000.00	22.34%	1469.64	118.61	48.00%	705.4	**56.93**
5	केजीपीएस	656.20	24.15%	830.90	58.9	48.00%	398.8	**28.27**
6	जीजीपीएस	657.39	20.64%	846.65	76.64	48.00%	406.4	**36.79**
7	केएपीपी	440.00	23.99%	475.26		48.00%	228.1	
8	टीएपीपी (3 तथा 4)	1080.00	19.52%	730.36		48.00%	350.6	

2.58 ईधन लागत समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) प्रभारों को आयोग के पास माह नवम्बर 2007 तक के अद्यतन उपलब्ध देयकों के अनुसार लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के देयक हेतु औसत राशि को लिया गया है तथा इसमें 5.5%[1] की दर से वृद्धि की गई है जिसके अनुसार आगामी वर्ष के ईंधन लागत समायोजन प्रभार प्राप्त हुए हैं। अन्य प्रभार, जिनमें प्रोत्साहन तथा कर शामिल हैं, पर वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विचार नहीं किया गया है तथा इन पर तदनुसार इस वर्ष किये जाने वाले सत्यापन के दौरान विचार किया जावेगा।

2.59 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

[2] सूचकांक दर, जैसा कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा याचिका प्रस्तुति में प्रयोग किया गया है।

तालिका 21 : पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

पश्चिमी क्षेत्र (सीजीएस)	वित्तीय वर्ष 08				
	परिवर्तनीय (रू/किलोवाट आवर)	ईंधन लागत समायोजन (एफपीए) प्रभार (रू/किलोवाट आवर)	कुल परिवर्तनीय प्रभार (करोड़ रु. में)	ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
केएसटीपीएस	0.47	0.08	823.8	45.63	**67.2**
वीएसटीपीएस–I	0.76	0.24	718.58	71.36	**97.6**
वीएसटीपीएस–II	0.73	0.22	753.43	71.76	**117.8**
वीएसटीपीएस–III (यूनिट– I एवं II)	0.95	0.01	705.43	68.19	**125.1**
केजीपीएस	1.03	1.52	398.83	101.79	**130.1**
जीजीपीएस	1.05	0.23	406.39	52.04	**88.3**
केएपीपी	2.04		228.12	46.61	**46.6**
टीएपीपी (3 तथा 4)	2.81		350.57	98.67	**98.7**
योग			**4384.71**	**556.04**	**771.3**

** इनमें स्थाई प्रभार सम्मिलित हैं, जैसा कि उपरोक्त तालिका में उल्लेखित है।*

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन–पूर्वी क्षेत्र

2.60 पूर्वी क्षेत्र में स्थित संयंत्रों की अनुज्ञेय लागतों के अवधारण हेतु, पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों हेतु अनुसरण किये जा रहे सिद्धांत को यहां पर भी अपनाया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इन संयंत्रों में अंशदान के संबंध में शासन की अधिसूचना क्रमांक 2088 एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार विचार किया गया है।

तालिका 22 : मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (पूर्वी क्षेत्र) से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी								
स.कं	पूर्वी क्षेत्र सीजीएस	स्थापित क्षमता (मेगा वाट में)	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागतें (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	फरक्का	1600	0.91%	97.76	4.74	48.00%	46.9	2.27
2	कहलगांव	840	0.89%	53.68	2.83	48.00%	25.8	1.36
3	तालचेर	1000	0.91%	65.89	3.62	46.00%	30.3	1.66
4	**योग**			**217.33**	**11.19**		**103.0**	**5.30**

2.61 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 23 : पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

वित्तीय वर्ष 2008–09					
पूर्वी क्षेत्र (सीजीएस)	परिवर्तनीय (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में)	ईंधन समायोजन प्रभार (एफपीए) (रूपये/किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल परिवर्तनीय प्रभार (करोड़ रु. में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
फरक्का	0.99	0.25	46.93	5.79	8.06
कहलगांव	1.09	0.23	25.77	3.39	4.75
तालचेर	0.41	0.26	30.31	2.03	3.69
योग			**103.00**	**11.21**	**16.50**

*****_उपरोक्त तालिका में उल्लेख किये गये अनुसार इनमें स्थाई प्रभार भी सम्मिलित है_

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव [3]

2.62 आयोग द्वारा अतिरिक्त पूंजीकरण तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उनके नवीनतम टैरिफ आदेशों द्वारा अनुमोदित अन्य लागतों के प्रभाव के संबंध में केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु वार्षिक स्थाई प्रभारों को अनुज्ञेय करते समय विचार किया गया है। चूंकि अतिरिक्त लागत का भुगतान पांच वार्षिक किस्तों में किया जाना है (जैसा कि इसका उल्लेख केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सुसंगत आदेशों के अन्तर्गत किया गया है); अतएव राज्य के सुसंगत अंशदान पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अतिरिक्त पूंजीकरण लागत के पांचवे भाग को अनुज्ञेय किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग अन्य लागतों (वह लागत, जो कि सूचनाओं के प्रकाशन पर व्यय की गई है) का राज्यीय अंशदान जैसा कि इसे सुसंगत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है, को भी अनुज्ञेय करता है।

2.63 निम्न तालिका वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों के अनुज्ञेय किये गये स्थाई प्रभारों के योग की संक्षेपिका दर्शाती है:–

तालिका 24: अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव

संक्र	विद्युत उत्पादक स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य को आवंटन (मेगावाट में)	राज्य को आवंटन (% में)	वार्षिक स्थाई प्रभार (करोड़ रु. में)	अतिरिक्त पूंजीकरण (करोड़ रु. में)	अन्य प्रभार (करोड़ रु. में)	स्थाई प्रभार (राज्य का अंशदान) (करोड़ रु. में)
पश्चिमी क्षेत्र								
1.	पश्चिमी क्षेत्र केएसटीपीएस	2100	448.88	21.38%	411.86	42.10	0.03	89.84
2.	पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस–I	1260.00	420.12	33.34%	300.70	7.83		100.78
3.	पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस–II	1000.00	301.22	30.12%	400.40	9.82	0.03	121.21

[3] पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव पूर्व से ही केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों में स्थाई प्रभारों में सम्मिलित किया जा चुका है।

4.	पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस–III	1000.00	223.40	22.34%	530.95			118.61
5.	पश्चिमी क्षेत्र, कवास जीपीपी	656.20	158.50	24.15%	243.80	0.17	0.03	58.90
6.	पश्चिमी क्षेत्र, कवास जीपीपी	657.39	135.70	20.64%	367.00	-5.61	0.03	75.53
7.	पश्चिमी क्षेत्र, काकरापार एपीएस	440.00	105.54	23.99%				0.00
8.	पश्चिमी क्षेत्र, तारापुर एपीएस	1080.00	210.78	19.52%				0.00
पूर्वी क्षेत्र								
1.	पूर्वी क्षेत्र – फरक्का एसटीपीएस	1600.00	14.56	0.91%	520.58	2.87		4.74
2.	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	840.00	7.48	0.89%	316.00	11.15	0.07	2.83
3.	पूर्वी क्षेत्र – तालचेर एसटीपीएस	1000.00	9.10	0.91%	397.30			3.62

इन्दिरा सागर (एनएचडीसी), सरदार सरोवर, लैंको अमरकंटक तथा ओंकारेश्वर परियोजनाएं

2.64 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, इन्दिरा सागर जल–विद्युत ऊर्जा संयंत्र हेतु प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग टैरिफ आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 के अनुसार अनुज्ञेय किये गये है। अतः वर्ष 2008–09 हेतु रु. 447.84 करोड़ का स्थाई प्रभार अनुज्ञेय किया गया है। इन्दिरा सागर हेतु परिवर्तनीय प्रभार कोरबा एसटीपीएस के अनुरुप अनुज्ञेय किये गये हैं अर्थात, रु. 0.47 प्रति किलोवाट की परिवर्तनीय लागत तथा रु. 0.08 प्रति किलोवाट ऑवर का ईंधन लागत समायोजन (एफपीए) जैसा कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में उल्लेखित है।

2.65 आयोग ने अवधि 2005–06 हेतु नर्मदा हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएचडीसी) द्वारा उनके देयकों के अन्तर्गत दावा की गई राशि को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) के आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 को इन्दिरा सागर हेतु, प्रभारों में किये गये पुनरीक्षण को अनुज्ञेय किये जाने हेतु माना है। आयोग ने प्रावधिक आदेश के अनुसार प्रस्तुत किये गये देयकों तथा केविनिआ के इन्दिरा सागर संबंधी टैरिफ आदेश उपरान्त एनएचडीसी द्वारा दावा की गई अंतिम राशि को माना है तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अंतिम 10 महीनों के अन्तर में से माह अप्रैल तथा मई 2005 की वास्तविक राशि को घटा कर अनुज्ञेय किया है क्योंकि विद्युत वितरण कम्पनियां दिनांक 1 जून, 2005 को संस्थापित की गई हैं। निम्न तालिका इन लागतों के विवरण दर्शाती है।

तालिका 25: वित्तीय वर्ष 2006 हेतु, इन्दिरा सागर परियोजना का लागत पुनरीक्षण

इन्दिरा सागर परियोजना – वित्तीय वर्ष 2006 हेतु, लागत का पुनरीक्षण (करोड़ रु. में)			
	केविनिआ आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 से पूर्व	केविनिआ आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 के उपरान्त	अनुज्ञेय किया गया अन्तर
2005–06	364.26	493.53	129.27
अप्रैल–2005	34.89	43.64	8.75
मई–2005	22.99	32.83	9.84
वर्ष 2005–06 के 10 माह हेतु दावा योग्य राशि	**306.38**	**417.06**	**110.68**

2.66 अनुज्ञेय की गई लागत को, आगे तीनों राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों को, वर्ष 2005–06 में तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु, अनुज्ञेय विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) (मिलियन यूनिट में) के अनुपात में आवंटित किया गया है जिसे

कि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु उसके सत्यापन आदेश में अनुमोदित किया गया है। यह आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुसरण की गई अनुक्रिया के सुसंगत है।

2.67 निम्न तालिका प्रत्येक वितरण कम्पनी पर अतिरिक्त लागत अनुषंग (Additional Cost Incident) का विवरण दर्शाती है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, यह लागत लगभग रु. 35.39 करोड़ आती है।

तालिका 26: इन्दिरा सागर परियोजना हेतु अतिरिक्त अनुज्ञेय की गई लागत

विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटन			
इन्दिरा सागर परियोजना – अनुज्ञेय किया गया लागत पुनरीक्षण (करोड़ रु. में)	मध्य	पश्चिम	पूर्व
	32.73	42.36	35.39

2.68 **सरदार सरोवरः** वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके याचिका प्रस्तुतिकरण में सरदार सरोवर जल–विद्युत स्टेशन से विद्युत क्रय लागत की गणना रु. 1.03 प्रति किलोवॉट ऑवर की है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मानी गई विद्युत क्रय लागत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (नघाविप्रा) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, वास्तविक प्रभारित किये गये देयकों के अनुसार है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि नघाविप्रा द्वारा टैरिफ अवधारण हेतु एक याचिका प्रावधिक दर रु. 2.00 प्रति किलोवॉट ऑवर के अनुमोदन हेतु दायर की गई है।

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में सरदार सरोवर हेतु रु. 275.27 करोड़ के वार्षिक स्थाई प्रभार अनुज्ञेय किये हैं। ये स्थाई प्रभार तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य राज्य को आवंटित क्षमता हेतु उनके अंशदान के अनुसार विभाजित किये गये हैं।

2.69 **लैंको–अमरकंटक तथा ओंकारेश्वरः** आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लैंको अमरकंटक हेतु, दायर की लागतों को यथावत अनुज्ञेय करता है। ओंकारेश्वर हेतु, आयोग ने एनएचडीसी द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों का विश्लेषण किया है तथा यह पाया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मानी गई लागतें न्यायोचित है। अतः आयोग इन लागतों को दायर किये गये अनुसार अनुज्ञेय करता है।

2.70 **गैर–पारम्परिक स्त्रोतः** पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पवन ऊर्जा से 41 मिलियन यूनिट की उपलब्धता हेतु याचिका दायर की है। आयोग ने पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं से यह संज्ञान में लिया है कि पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उपलब्ध नही है। अतः, आयोग ने इस पवन विद्युत कुल ऊर्जा उपलब्धता को इन दो विद्युत वितरण कम्पनियों को भी न्यूनतम क्रय दायित्व की आपूर्ति के प्रयोजन से आवंटित किया है। इस प्रकार, आयोग 16 मिलियन यूनिट पवन ऊर्जा की लागत को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को, 11 मिलियन यूनिट की लागत

को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को तथा 14 मिलियन यूनिट की लागत को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित किया जाना अनुज्ञेय करता है।

2.71 **न्यूनतम क्रय अहर्ताएंः** आयोग द्वारा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु उनकी वार्षिक खपत (तृतीय–पक्ष विक्रय तथा स्वंय के उपयोग को सम्मिलित करते हुए) के 10% की दर से गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से उनके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में, विद्युत की उपलब्धता के अध्यधीन, न्यूनतम क्रय आवश्यकता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गैर–पारम्परिक स्त्रोतों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से न्यूनतम क्रय आवश्यकता निम्न तालिका में दर्शाई गई हैः

तलिका 27ः गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत–न्यूनतम क्रय अहर्ताएं

गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	न्यूनतम क्रय अहर्ताएं
पवन विद्युत उत्पादन	5%
बायोमास	2%
अन्य	3%

2.72 **कैप्टिव विद्युत उत्पादनः** आयोग ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु एचईजी से उपलब्ध की गई कुल विद्युत हेतु 28.83% का अंशदान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई दर रु. 1.84 प्रति किलोवॉट ऑवर अनुसार अनुमादित किया है।

तलिका 28ः अन्य स्त्रोतों हेतु अनुज्ञेय की गई लागत

स क्र	अन्य स्त्रोत	राज्य				पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का अंशदान				
		उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रु. में)	कुल प्रभार (करोड़ रु. में)	अंशदान (%)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	परिवर्तनीय (रु. प्रति किलोवॉट ऑवर)	कुल परिवर्तनीय प्रभार (करोड़ रु. में)	स्थाई लागत (करोड़ रु.में)	कुल प्रभार (करोड़ रु.में)
1.	इन्दिरा सागर	2592.44	477.84	621.43	38.00%	985.1	0.55	54.6	181.58	236.15
2.	सरदार सरोवर	2258.10	275.27	275.27	20.50%	462.9	0.00	0.0	56.43	56.43
3.	ओंकारेश्वर	1250.00	263.27	332.62	48.00%	600.0	0.55	33.3	126.37	159.66
4.	लैंको अमरकंटक	974.94	134.42	214.56	49.00%	477.7	0.82	39.3	65.87	105.14
5.	पवन विद्युत उत्पादन	41.00	0.00	14.64	-	14.00	3.57	5.00	-	5.00
6.	कैप्टिव	10.64	0.00	1.96	-	3.07	1.84	0.56	-	0.56

अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण प्रभार

2.73 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को भुगतान किये जाने वाले प्रभार, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु प्रभारों का मिश्रण हैं। विद्यमान स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत हेतु प्राक्कलन पर विचार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग की गई विधि के अनुसार किया गया है जो कि माह अप्रैल 2007 से माह दिसम्बर 2007 तक के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के वास्तविक देयकों पर आधारित है।

2.74 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2008—09 की टैरिफ अवधि हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का पूर्वानुमान किया है। तत्पश्चात्, इन प्रभारों को, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इनकी स्थाई क्षमता (Firm Capacity) के आधार पर, तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है। तथापि, आयोग का विचार है कि विद्युत वितरण कम्पनियों को उन स्टेशनों हेतु जिन्हें कि एमपी ट्रेडको से संलग्न किया गया है, के संबंध में अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतों से संबंधित भार डाला जाना अनुचित होगा। तदनुसार, आयोग ने इन स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को एमपी ट्रेडको को आवंटित कर दिया है। निम्न तालिका पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित प्रभारों के विवरण दर्शाती हैः

तालिका 29: पीजीसीआईएल प्रभारों का आवंटन

कम्पनी का नाम	अंशदान—मेगावाट में	पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रुपये में)
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1034.08	34.53
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1064.80	35.55
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1062.90	35.49
ट्रेडको	736.00	24.58
योग	**3897.78**	**130.15**

राज्यान्तरिक (इन्टरा स्टेट) पारेषण प्रभार

2.75 आयोग का मत है कि पारेषण प्रभारों को विद्युत क्रय लागतों में प्रति यूनिट प्रभार बतौर समाविष्ट किया जाना चाहिए तथा इसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में तन्तुपथ मद (Line Item) के रुप में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा इस लिये किया गया है क्योंकि ट्रांसको क्षमता को पूर्व से ही वितरण कम्पनियों को आवंटित किया जा चुका है तथा इस प्रकार कोई भी विद्युत मात्रा जिसे विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा क्रय किया जाता है, उसे अनिवार्य रूप से पारेषण प्रणाली में प्रवाहित किया जावेगा। पारेषण प्रभारों की अन्तर्स्थापना न केवल पूर्ण वसूली को अनुज्ञेय करेगी, वरन् वह विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा नेटवर्क के उपयोग पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त, आयोग का यह भी मत है कि एमपी ट्रेडको को कोई भी पारेषण लागत आंवटित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह एक लघु—अवधि क्रेता है तथा वह केवल वितरण कम्पनियों की ओर से कार्य सम्पादन कर रहा है ।

2.76 अतः, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत वितरण कम्पनी की विद्युत क्रय की लागत का अवधारण पारेषण प्रभार को शामिल किये जाने के बाद किया गया है जिसे कि निम्न तालिका मे निदर्शित किया गया है :

तालिका 30: राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार

	मध्य	पश्चिम	पूर्व	विशेष आर्थिक क्षेत्र	योग
क्षमता (मेगावाट में)	2652	3092	2414	12	8170
राशि (करोड़ में)	218.28	254.49	198.69	0.99	672.45
राज्य सीमा पर उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	11288.24	13134.66	10200.36		
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपी ट्रांसको प्रभार (रुपये प्रति किलोवॉट ऑवर में)	0.19	0.19	0.19		

2.77 आयोग ने वर्ष 2006–07 में पारेषण सत्यापन हेतु रू. 74.47 करोड़ की अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय की है। इस लागत को विद्युत वितरण कम्पनियों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र की पारेषण क्षमता में आवंटित अंशदान के अनुसार, आवंटित किया गया है। अतः पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत क्रय लागत में रू 22.01 करोड़ के अतिरिक्त पारेषण प्रभार को अनुज्ञेय किया गया है

तलिका 31 : राज्यान्तरिक पारेषण सत्यापन

	मध्य	पश्चिम	पूर्व	विशेष आर्थिक क्षेत्र	योग
क्षमता (मेगावाट में)	2107	2457	1919	10	6493
राशि (करोड़ में)	**24.17**	**28.18**	**22.01**	**0.11**	**74.47**

2.78 अपरोक्त की गई चर्चानुसार मप्रविनिआ द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को अनुज्ञेय की गई विद्युत क्रय लागत निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 32 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन

सरल क्रमांक	स्टेशन		राज्य सीमा पर उपलब्धि (मिलियन यूनिट मे)	कुल लागत (करोड़ रूपये. मे)	रू. प्रति किलोवॉट आवर
1	केन्दीय उत्पादन स्टेशन	पश्चिमी क्षेत्र –कोरबा एसटीपीएस	788.52	67.19	0.85
2	पश्चिमी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल एसटीपीएस–I	687.83	97.56	1.42
3		पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल एसटीपीएस–II	720.77	117.82	1.63
4		पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	381.76	130.06	3.41
5		पश्चिमी क्षेत्र गंधार जीपीपी	389.00	88.29	2.27
6		पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	218.36	46.61	2.13
7		पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस	335.57	98.67	2.94

8		पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल एसटीपीएस-III	675.24	125.12	1.85
		उप–योग	**4197.05**	**771.33**	**1.84**
9	केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–पूर्व क्षेत्र	पूर्व क्षेत्र – फरक्का एसटीपीएस	45.37	8.06	1.78
10		पूर्व क्षेत्र – कहलगांव एसटीपीएस	24.91	4.75	1.91
11		पूर्व क्षेत्र – तालचेर एसटीपीएस	29.31	3.69	1.26
		उप–योग	**99.59**	**16.50**	**1.66**
12	**एमपी जनको**		**3401.13**	**489.52**	**1.44**
13	एनएचडीसी	इन्दिरा सागर	985.13	236.15	2.40
14	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सरदार सरोवर	443.10	56.43	1.27
15	एनएचडीसी	ओंकारेश्वर	600.00	159.66	2.66
16	लैंको	लैंको अमरकंटक	457.27	105.14	2.30
17	एनसीई	पवन विद्युत उत्पादन	14.00	5.00	3.57
18	कैप्टिव	एचईजी आदि	3.07	0.56	1.84
		उप–योग	**2502.57**	**562.93**	**2.25**
		कुल स्थाई उपलब्धता	**10200.36**	**1840.29**	**1.80**
19		वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य परस्पर क्रय	0.00	0.00	
20		लघु–अवधि क्रय–एमपी ट्रेडको	1164.43	284.64	2.44
21		घटाएं: वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य परस्पर विक्रय	34.75	6.88	1.98
22		घटाएं: राज्य से बाहर विद्युत विक्रय @ 4 पैसे प्रति किलोवॉट ऑवर की रियायत (मार्जिन) पर	337.78	70.61	2.09
23		शुद्ध क्रय	10992.25	2047.44	1.86
24		पीजीसीआईएल प्रभार		35.49	
25		एमपी ट्रांसको प्रभार		198.69	
26		वित्तीय वर्ष 2007 हेतु एमपी ट्रांसको का सत्यापन		22.01	
27		वित्तीय वर्ष 2006 हेतु इन्दिरा सागर परियोजना का लागत–पुनरीक्षण		35.59	
28		**अनुज्ञेय की गई विद्युत क्रय लागत**	**10992.25**	**2339.22**	**2.13**

नेटवर्क की लागतें

2.79 निम्न भागों में, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की पूंजीगत व्यय योजनाओं, परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण, अवमूल्यन का पूर्वानुमान, ब्याज तथा वित्त प्रभारों एवं पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी) का विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इन लागतों बाबत प्रस्तुतियों पर आयोग का निर्णय निम्न परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

2.80 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत पांच–वर्षीय निवेश योजना कतिपय सुधारों के साथ अपनाई गई है जिस पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि यह पूर्व वित्तीय वर्ष की प्रगति तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 की पुनरीक्षित पूंजीनिवेश की संभावनाओं पर आधारित है।

2.81 याचिका के अनुसार पुनरीक्षित निवेश योजना की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत हैः

तलिका 33 : प्रस्तुत की गई निवेश योजना

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	45.00	62.00
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	40.00	40.00
पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट (पीएसआई)	15.30	40.80
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	79.00	245.99
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)–प्रस्तावित	53.50	348.47
एन्टरप्राईस रिसोर्स प्लानिंग प्रोजेक्ट (ईआरपी परियोजना)	0.00	13.01
नवीन संयोजन (निक्षेप) – न्यू कनेक्शन (डिपाजिट)	4.00	9.26
एक्सेलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)–II	20.00	35.00
हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (हडको)	103.00	287.00
योग (आरजीजीवीवाई को सम्मिलित कर)	**359.80**	**1081.53**

2.82 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगे निवेदन किया गया है किः

- वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, पूंजी निवेश की संभावनाओं को अधोमुख (नीचे की ओर) माह सितम्बर 2007 तक की वास्तविक प्रगति पर आधारित, पुनरीक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु योजना को तदनुसार वित्तीय वर्ष 2007–08 के परिवाह (Spill Over) को सम्मिलित करते हुए समायोजित किया गया है।

- प्रस्तावित नवीन एडीबी योजना का चरणबद्ध पुनरीक्षण एशियन डेवलपमेंट बैंक को प्रस्तुत किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर आधारित है।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पूंजी निवेशों का चरणबद्ध पुनरीक्षण विभिन्न वृत्त स्तर की योजनाओं के अनुमोदन की अद्यतन स्थिति पर आधरित है।
- नवीन संयोजनों हेतु पूंजीगत व्यय को सम्मिलित किया जाना जिन्हें उपभोक्ता के अंशदान से पोषित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2007–08 (डीएफआईडी के माध्यम से) से प्रस्तावित इंटरप्राईसेज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) योजना को सम्मिलित किया जाना, जिसमें वित्त पोषण का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), बिलिंग तथा लेखांकन प्रक्रियाओं में दक्षता–वृद्धि हेतु संभाला जा रहा है।
- प्रस्तावित प्रबंधन सूचना प्रणाली योजना के अन्तर्गत निवेश चरणबद्धता को वर्तमान प्रगति के स्तर के आधार पर पुनरीक्षित किया गया है।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई पूंजीकरण योजना

2.83 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसे मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 मई, 2005 द्वारा जारी प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के आधार पर उत्तराधिकार में रूपये 511.35 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्य (सीडब्लूआईपी) प्राप्त हुये हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रावधिक लेखे के अनुसार, निर्माणाधीन मुख्य कार्यों में रू. 27.27 करोड़ की अभिवृद्धि हुई है। तथापि, रू. 27.27 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये। पूर्वानुमान अवधि हेतु, पूंजीकरण को निम्नानुसार माना गया है :

(ए) प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के रूप में राशि प्रावधिक रू. 511.35 करोड़ के प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र में से रू. 299.80 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2007–08 तक पूंजीकृत की गई प्राक्कलित की गई है।

(बी) प्रत्येक वर्ष में नवीन पूंजीनिवेश, 1:1 के अनुपात में दो वर्षों की अवधि में पूंजीकृत हो जाना माने गये हैं।

(सी) जबकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पूंजीनिवेश, निवेश योजना में किये गये के अंतर्गत होना बताये गये हैं, परिसम्पत्तियां तथा तत्संबंधी दायित्व बहुवर्षीय टैरिफ प्रक्षेपित राशियों हेतु माने गये हैं। योजना की निबंधन तथा शर्तों के अनुसार, परिसम्पत्तियां तथा दायित्व राज्य शासन के स्वामित्व में रहेंगे।

(डी) व्ययों का पूंजीकरण वार्षिक कर्मचारी तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का 8 प्रतिशत माना गया है।

पूंजीगत व्यय तथा पूंजीकरण के संबंध में आयोग का विश्लेषण

2.84 वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अवधारण के संबंध में, पूंजीगत निवेशों की भूमिका उन्हीं कार्यो तक सीमित है जिन्हें कि वित्तीय वर्ष 2006–07 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 की अवधि के दौरान क्रियाशील

किये जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत की स्थिति में, सकल स्थाई पारिसम्पत्तियां अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान आगे किया गया कोई पूंजीकरण जुड़ जाएगा। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान पूंजीकरण के विस्तार की सीमा से प्रभावित होते हैं। अतएव, मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय वर्ष 2007–08 के अभी तक के निष्पादन पर विचार किया जाना आवश्यक होगा। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 34: वित्तीय वर्ष 2007–08 में मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति

राशि करोड़ में

योजना का नाम	निवेश योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–07 तथा 2008 (संयुक्त रुप से)	दिनांक 31 मार्च, 2007 तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित प्रगति	वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान माह दिसम्बर 2007 तक की प्रतिवेदित प्रगति
सब ट्रांसमिशन (नार्मल) – एसटी (एन) नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	37.90	24.33	38.12*
एक्सेलेरेटे पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	94.00	18.74	12.01
एशियन डेवलपेंट बैंक (एडीबी)	74.81	45.70	17.91
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	51.75	प्रतिवेदित नहीं किये गये	13.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	380.00	प्रतिवेदित नहीं किये गये	20.00
प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना/न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (पीएमजीवाई/एमएनपी)	11.69	3.62	5.06
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)	28.43	3.93	1.42
हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन (हडको)	246.97**	योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारंभ हो रही है	49.39**
योग	**925.55**	**96.32**	**156.91**

* कम्पनी ने मध्यप्रदेश शासन से एसटी (एन) कार्यो के अन्तर्गत अतिरिक्त धन–राशि प्राप्त की हैं जिस हेतु मप्रविनिआ का अनुमोदन चाहा गया है।
**योजना का अनुमोदन मप्रविनिआ से नहीं चाहा गया है।

2.85 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रारंभ के नौ महीनों के दौरान वित्तीय प्रगति लगभग 17% रही। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित भौतिक प्रगति पूर्वानुमान की गई संख्या की तुलना में उक्त अवधि बाबत निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 35: वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने के संबंध में भौतिक प्रगति

विवरण	वित्तीय वर्ष 2007–08 में दायर की गई याचिका के अनुसार	माह दिसम्बर, 2007 तक की प्रगति	प्रगति प्रतिशत में
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमिटर में)	968	368	38%
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमिटर में)	4414	474	11%
निम्न दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	270	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
33 / 11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	73	42	57%
पावर ट्रांसफार्मर–संख्या / एमवीए	164 / 517	54 / उपलब्ध नहीं है	33% / उपलब्ध नहीं है
वितरण ट्रांसफार्मर–संख्या / एमवीए	10236 / 287	1046 / उपलब्ध नहीं है	10% / उपलब्ध नहीं है

2.86 उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति की अद्यतन स्थिति स्पष्ट दर्शाती है कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु व्यावसायिक योजना के भाग के रूप में पूंजीगत व्यय के संबंध में उल्लेखनीय रूप से पीछे रह गया है। यदि शेष बचे 3 माह हेतु, विद्यमान प्रगति की आनुपातिक गणना भी कर दी जावे, फिर भी उपलब्धियां लक्ष्यों से काफी कम रहेंगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक कार्य के संबंध में वास्तविक कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रतिवेदन (कम्पलीशन रिपोर्ट) उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में अब तक पूर्ण किये गये कार्यों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से स्थाई परिसम्पत्तियों में अन्तरित किया गया है अथवा नहीं।

2.87 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु प्रदान किये अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्य रू.1444.71 करोड़ दर्शाते हैं जबकि वित्तीय वर्ष 2005–06 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन केवल रूपये 1288.05 करोड़ दर्शाया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में केवल रू. 156.66 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अनुज्ञप्तिधारी दिनांक 1 जून, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक की दस माह की अवधि के दौरान केवल रु. 36.05 करोड़ की राशि का पूंजीकरण करने में समर्थ रहा है, वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान रु. 156.66 करोड़ (जो कि वित्तीय वर्ष 2005–06 को समाप्त हो रहे निमार्णधीन मुख्य कार्यो का 29% मात्र है, यह मानते हुए कि समस्त पूंजीकरण केवल निर्माणाधीन मुख्य कार्यो का रुपान्तरण मात्र हैं) का पूंजीकरण पूर्व वर्ष के निष्पादन के मुकाबले में वास्तविक रुप से उल्लेखनीय प्रगति होना दर्शाता है।

2.88 तथापि, वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान निमार्णधीन मुख्य कार्यो की असंतोषजनक प्रगति तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसम्पत्ति प्रतिवेदनों की प्रस्तुति न करने के दृष्टिगत, आयोग का विचार है कि उपभोक्ता के हित में वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ अवधारण हेतु, वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में किसी वृद्धि पर, विचार किया जाना उचित न होगा। अंकेक्षित लेख के समर्थन से, वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान वास्तविक वृद्धि, पर वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ अवधारण के समय विचार किया जावेगा। इससे अनुज्ञप्तिधारी को प्रोत्साहन प्राप्त होने की संभावना है जिससे लंबित मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने, परियोजना के कार्य पूर्ण प्रतिवेदनों (कम्पलीशन रिपोर्ट) को संधारित करने तथा आयोग को इन्हें समयबद्ध रूप से इसकी प्रस्तुति सुनिश्चित करने में गति प्राप्त होगी।

2.89 आयोग इस बात पर जोर देने का इच्छुक है कि वह विद्युत वितरण क्षेत्र में सकेन्द्रित निवेश किये जाने हेतु, बहुत अधिक पक्ष में है। आयोग के मत में राज्य में विद्युत वितरण नेट वर्क में सुधार लाये जाने हेतु भारी पूंजी निवेश किये जाने की त्वरित आवश्यकता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के साथ–साथ राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी विद्युत वितरण नेटवर्क में प्राथमिकता के आधार पर पूंजी निवेश किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा पावर फायनेंस कार्पोरेशन आदि से वित्तीय पोषित एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी) तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में बड़ी पहल की जा सकती है। दुर्भाग्य से, प्राथमिकता के आधार पर ध्यान प्राप्त किये जाने के बावजूद, वितरण कंपनी की इस संबंध में प्रगति काफी निराशाजनक रही है तथा योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय में पूरा किये जाने के संबंध में पर्याप्त रूचि का अभाव प्रतीत होता है। जबकि यह स्थिति निरंतर उच्च वितरण हानियों की ओर अग्रसर हो रही है, इसी समय आयोग टैरिफ हेतु केवल उन्हीं निवेशों को अनुज्ञेय किये जाने बाबत ऐसा दृष्टिकोण अपनाये जाने हेतु विवश है जहां पर वितरण कंपनियों ने वास्तविक रूप से उनकी प्रस्तुतियों द्वारा इसका प्रदर्शन किया है। ऐसे समय में, सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जैसी कि ये वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे में प्रतिबिंबित की गई है, ही आयोग के पास केवल अभिलेखित तथा सत्यापित जानकारी है जो कि अनुज्ञप्तिधारी के परिसम्पत्ति के आधार को प्रदर्शित करती है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार को जैसे कि वे वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत में केवल सकल स्थाई सम्पत्ति पर लागू हों, को अनुज्ञेय करेगा।

प्रचालन तथा संधारण लागतें

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

2.90 अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में मानदण्डीय आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। अनुज्ञप्तिधारी

द्वारा प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारकों (Determinants) को वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु किये गये पूर्वानुमान के अनुसार माना है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी का दावा निम्नानुसार है:

तालिका 36 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय

	प्रचालन तथा संधारण प्रभार	वित्तीय वर्ष 2008–09
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	2672663
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.90
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**18441.37**
बी	वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूर्व–भुगतान (प्रिपेड) स्थापित किये जाने वाले मीटरों की संख्या	0.00
	गुणांक – बी (लाख रूपये प्रति मीटर)	**0.50**
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – बी (लाख रूपये में)	0.00
सी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	6548
	गुणाक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.49
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – सी (लाख रूपये में)	**16303.91**
डी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	77846.96
	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर में)	17.00
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**13233.98**
ई	**ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)**	**3583.95**
	गुणाक – ई (लाख रूपये प्रति एमवीए)	1.62
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ई (लाख रूपये में)	**5806.00**
	योग (ए+बी+सी+डी+ई)	**537.85**
एफ	**मदें जो सूत्रों के अन्तर्गत नहीं आतीं [अर्थात्, मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी), टेक्स आदि (करोड़ रूपये में)]**	**0.55**
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**538.40**

2.91 उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी ने कर्मचारी टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु, वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु 70.50 करोड़ की राशि का दावा किया है जो कि प्रसुविधाओं की आवश्यकताओं पर आधारित है।

प्रचालन एवं संधारण लागत हेतु आयोग का विश्लेषण

2.92 परिसम्पत्ति पूंजीकरण बाबत भाग में, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ अवधारण हेतु, वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान किसी परिसम्पत्ति को जोड़े जाने पर विचार न किये जाने के कारणों की व्याख्या की है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी को उसकी परिसम्पत्ति पूंजीकरण दर में सुधार लाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को इसके लाभ केवल आगामी टैरिफ वर्षों में सत्यापन याचिकाओं पर विचारोपरांत ही उपलब्ध कराये जावेंगे। आयोग इसे उपभोक्ताओं के सर्वश्रेष्ठ हितों में उचित मानता है क्योंकि इसके कारण उपभोक्ता को, परिसम्पत्ति आधार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुपालन किये जाने द्वारा, जिसकी कार्यान्वित होने या न होने की अनुज्ञेय सीमा तक संभावना है, भविष्य में की जाने वाली अभिवृद्धि हेतु टैरिफ दर के माध्यम से भुगतान न करना होगा। अतः, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय केवल उच्च दाब लाईनों के सर्किट किलोमीटर हेतु, तथा दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में विद्यमान ट्रांसफार्मेशन क्षमता पर ही अवधारित किये गये हैं। ये आंकड़े अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदान किये गये हैं।

2.93 पूर्व उल्लेखित परिच्छेदों में चर्चित किये गये आयोग के दृष्टिकोण की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में स्थापित की गई लाइनों तथा ट्रांसफार्मरों के असंतोषजनक निष्पादन द्वारा और अधिक संपुष्टि होती है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 37 : नेटवर्क परिसम्पत्तियों की संस्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन

विवरण	माह मार्च 03 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2003–04 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान अभिवृद्धि का दावा	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अभिवृद्धि का दावा
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	10753	114	220	117	694	968	364
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	57862	1228	362	272	479	4414	प्रस्तुत नही किया गया
पावर ट्रांसफार्मर–एमवीए क्षमता	2491	85	44	104	244	517	152

2.94 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु प्राक्कलित की गई लाईनों तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता में वृद्धि पूर्व वर्ष में इन्हें वास्तविक रूप से जोड़ किये गये के अनुरूप नहीं है। वास्तव में, वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रगति की प्रस्तुति से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आंकड़ों का किया गया पूर्वानुमान काफी अधिक है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 38 : वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों की संस्थापना संबंधी प्रगति

विवरण	याचिका में वित्तीय वर्ष 2007–08 में दावा की गई नेटवर्क अभिवृद्धि	कंपनी द्वारा संचालित की गई समस्त योजनाओं में माह दिसम्बर 2007 तक की वास्तविक प्रगति	प्रगति प्रतिशत में
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	968	368	38%
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	4414	474	11%
पावर ट्रांसफार्मर एमवीए क्षमता	517	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

2.95 मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों के दो अन्य अवधारकों (determinants) यथा, मीटरीकृत उपभोक्ताओं तथा मीटरीकृत विक्रयों के संबंध में आयोग द्वारा सुसंगति संधारित किये जाने की दृष्टि से, वित्तीय वर्ष 2008–09 के अवधारण हेतु समरूप मार्ग अपनाया है ; अर्थात्, ये मानदण्ड वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त के अनुरूप रखे गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान, प्रचालन एवं संधारण लागत के अवधारण के प्रयोजन से किसी प्रकार की वृद्धियों पर विचार नहीं किया गया है। ये आंकड़े अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को भी प्रदान किये गये थे।

2.96 आयोग, तथापि, यहां पर यह जोर देना चाहता है कि यद्यपि वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अवधारण के प्रयोजन से, मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारक केवल वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की भांति माने गये हैं, वित्तीय वर्ष 2008–09 के अन्त में मानदण्डीय व्ययों की पुनर्गणना वित्तीय वर्ष 2007–08 की वास्तविक अभिवृद्धियों के आधार पर की जावेगी। समायोजन पर, वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन के समय विचार किया जावेगा।

2.97 उपरोक्त तर्कों के आधार पर, आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय जिनकी वसूली वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु टैरिफ दरों के माध्यम से किया जाना है, निम्नानुसार हैं :

तालिका 39 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

	प्रचालन तथा संधारण व्यय	वित्तीय वर्ष 2008–09
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	1771450
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.90
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**12223**
बी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	4453
	गुणांक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.49
	प्रचालन एवं संधारण – सी (लाख रूपये में)	**11087**
सी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	72101

	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर)	17.00
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**12257**
डी	ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)	2915
	गुणांक – ई (लाख रूपये/एमवीए में)	1.62
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ई (लाख रूपये /एमवीए में)	**4723**
योग	**(ए+बी+सी+डी) करोड़ रुपये में**	**402.90**
ई	**मदें जो सूत्रों के अंतर्गत नहीं आती [अर्थात, मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी), टैक्स आदि (करोड़ रूपये में)]**	**0.55**
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई) शुद्ध पूंजीकरण)	**403.45**

2.98 आयोग के विनियमों में प्रावधान किया गया है कि टर्मिनल सुविधायें प्रचालन तथा संधारण व्ययों की मानदण्डीय राशि से अतिरिक्त प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान में, पेंशन न्यास के सृजन के अभाव में मप्र शासन के आदेश दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं का भुगतान एमपीपीटीसीएल द्वारा सम्पादित किया जा रहा है; अतः अनुज्ञप्तिधारी हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में किसी प्रकार के पृथक प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

अवमूल्यन

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति :

2.99 अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा रू. 1251.52 करोड़ रूपये की सकल स्थाई परिसम्पत्तियां उत्तराधिकार में अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र (Opening Balance Sheet) के अनुसार प्राप्त की गई हैं जो कि मध्यप्रदेश शासन की किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तनीय हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में क्रमशः रु. 36.05 करोड़ तथा रु. 156.66 करोड़ की अभिवृद्धि दर्ज हुई है। दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार रु. 956.98 करोड़ है।

2.100 अनुज्ञप्तिधारी के अनुसार, अवमूल्यन की गणना सकल अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार स्थाई परिसम्पत्तियों की अवमूल्यन–योग्य परिसम्पत्तियों की प्रारंभिक शेष राशि पर की गई है। वह प्रतिशत, जिस हेतु प्रत्येक उप–श्रेणी में परिसम्पत्ति अवमूल्यन योग्य है, की गणना दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में की गई है तथा इसका प्राक्कलन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वर्ष 1985–86 से वर्ष 2004–05 के वर्ष–वार परिसम्पत्ति वृद्धि

आंकड़ों (Year wise asset addition data) के आधार पर किया गया है। इस प्रकार प्राप्त की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों (प्रारंभिक शेष) के प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

तालिका 40 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का प्रतिशत

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
भूमि तथा भूमि अधिकार	100%	100%
भवन तथा सिविल कार्य	100%	100%
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	100%	100%
अन्य सिविल कार्य	100%	100%
संयंत्र तथा मशीनरी :–		
ट्रांसफार्मर	60%	70%
बैटरियां	81%	83%
संसूचना उपकरण	59%	59%
अन्य	59%	59%
लाईनें तथा केबल नेटवर्क, आदि :		
मीटर	46%	55%
अन्य	55%	64%
वाहन	2%	30%
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	19%	38%
अन्य उपकरण	57%	67%
अन्य कोई मदें	100%	100%

2.101 इसके अतिरिक्त, तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति वृद्धि पर अवमूल्यन की गणना ऐसे प्रत्येक वर्ष में प्रक्षेपित (प्राजेक्टेड) पूंजीकरण, जैसा कि इसे इस आदेश के पूंजीगत व्यय संबंधी भाग में प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर की गई है। अनुज्ञप्तिधारी की याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के प्रक्षेपित पूंजीकरण को भिन्न–भिन्न परिसम्पत्ति श्रेणियों में अवमूल्यन को भारित किये जाने के प्रयोजन से उनके द्वारा किस प्रकार इसे विभाजित किया गया है। अवमूल्यन का दावा भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना एसओ 265 (ई) दिनांक 27 मार्च, 1994 के आधार पर किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की दरों के बजाय इन दरों पर विचार किये जाने का अनुरोध किया है क्योंकि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की दरें पारेषण सम्पत्तियों के विपरीत वितरण परिसम्पत्तियों की अल्प आर्थिक आयु प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।

2.102 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक वर्ष हेतु अवमूल्यन का दावा सकल स्थाई सम्पत्तियो के प्रारंभिक शेष पर उक्त वर्ष हेतु किया गया है तथा उक्त वर्ष में जोड़ी गई परिसम्पत्तियों पर किसी अवमूल्यन का दावा नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु किये गये अवमूल्यन का दावा निम्नानुसार है :

तालिका 41 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया अवमूल्यन का दावा

राशि करोड़ रूपये में

<table>
<tr><th>परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)</th><th>वित्तीय वर्ष 2007–08</th><th>वित्तीय वर्ष 2008–09</th></tr>
<tr><td>भूमि तथा भूमि अधिकार</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>भवन तथा सिविल कार्य</td><td>0.55</td><td>0.76</td></tr>
<tr><td>द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)</td><td>0.38</td><td>0.51</td></tr>
<tr><td>अन्य सिविल कार्य</td><td>0.10</td><td>0.14</td></tr>
<tr><td>संयंत्र तथा मशीनरी :–</td><td>19.71</td><td>27.87</td></tr>
<tr><td>ट्रांसफार्मर</td><td rowspan="4">विभाजन प्रस्तुत नहीं किया गया</td><td rowspan="4">विभाजन प्रस्तुत नहीं किया गया</td></tr>
<tr><td>बैटरियां</td></tr>
<tr><td>संसूचना उपकरण</td></tr>
<tr><td>अन्य</td></tr>
<tr><td>लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि :</td><td>65.43</td><td>101.59</td></tr>
<tr><td>मीटर</td><td rowspan="2">विभाजन प्रस्तुत नहीं किया गया</td><td rowspan="2">विभाजन प्रस्तुत नहीं किया गया</td></tr>
<tr><td>अन्य</td></tr>
<tr><td>वाहन</td><td>0.22</td><td>0.74</td></tr>
<tr><td>फर्नीचर तथा फिक्सचर्स</td><td>0.07</td><td>0.15</td></tr>
<tr><td>अन्य उपकरण</td><td>0.58</td><td>0.88</td></tr>
<tr><td>अन्य कोई मदें</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>87.04</td><td>132.64</td></tr>
</table>

2.103 अनुज्ञप्तिधारी ने चक्रण (व्हीलिंग) तथा खुदरा विक्रय (रिटेल सेल) गतिविधियों हेतु पृथक–पृथक अवमूल्यन की गणना नहीं की है तथा केवल चक्रण व्यापार हेतु ही समस्त अवमूल्यन का दावा किया है।

अवमूल्यन के दावों के संबंध में आयोग का विश्लेषण :

2.104 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अवमूल्यन के संबंध में किये गये दावों का विश्लेषण किया है तथा दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा जारी आदेश में अनुज्ञप्तिधारी को दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में परिसम्पत्ति श्रेणी–वार अवमूल्यन–योग्य तथा पूर्ण रुप से अवमूल्यित परिसम्पत्तियों के विवरण प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये हैं। यहां यह टीप किया जावे कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु अवमूल्यन संबंधी भाग में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को वित्तीय वर्ष 1984 से वर्षवार क्षेत्रीय लेखाधिकार–वार परिसम्पत्ति में की गई

अभिवृद्धि के आंकड़े उपलब्ध कराये गये थे तथा दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में अवमूल्यन योग्य तथा पूर्ण रुप से अवमूल्यित परिसम्पत्ति के पृथक्करण हेतु, विस्तृत विश्लेषण किया था। इस अभ्यास के आधार पर, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु केवल उन्हीं परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन की गणना की है जो कि उनकी वास्तविक लागत के 90% तक अवमूल्यित नहीं हुए हैं।

2.105 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रस्तुतिकरण के उपरान्त, आयोग द्वारा मध्य क्षेत्र तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों को इसी प्रकार के विश्लेषण किये जाने तथा आंकड़े आयोग को उपलब्ध कराये जाने संबंधी निर्देश दिये थे। जबकि, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग की अहर्ताओं का प्रतिपालन किया जाकर आयोग को आंकड़े उपलब्ध कराये जा चुके हैं, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने उनके पत्र क्रमांक एडीशनल सीई/काम/248 दिनांक 16.02.2008 द्वारा वांछित विश्लेषण की प्रस्तुति बाबत उनकी असमर्थता व्यक्त की है।

2.106 यहां यह संज्ञान किया जाना महत्वपूर्ण है कि यदि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के दावे यथावत अनुज्ञेय किये जाते हैं तो ऐसी पूर्ण संभावना है कि अवमूल्यन उन परिसम्पत्तियों पर अनुज्ञेय किया जावेगा जो कि अद्यतन उनकी वास्तविक लागत का 90% तक अवमूल्यित हो चुके हैं। तदनुसार, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के उपभोक्ताओं को टैरिफ के माध्यम से ऐसी परिसम्पत्तियों पर तथा उन परिसम्पत्तियों पर भी जिन पर ये अनुज्ञेय नहीं किये जा सकते, भुगतान करना होगा। अतएव, किसी अन्य उपयुक्त विधि के अभाव में, आयोग उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों के भारित औसत अवमूल्यन दर के आधार पर अवमूल्यन अनुज्ञेय कर रहा है।

2.107 परिसम्पत्ति आधार के मूल्य के संबंध में, आयोग ने विस्तृत रुप से वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसम्पत्ति वृद्धि के संबंध में पूर्वानुमान पर विचार न किये जाने बाबत् संव्यवहार किया है क्योंकि ये बढ़ा–चढ़ाकर तथा पूर्व की प्रवृत्ति के प्रतिकूल बनाये गये प्रतीत होते हैं। पूर्व में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित दोनों भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्ति पूंजीकरण बजट अनुमानों से काफी कम रहा है। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु भी यही प्रवृत्ति यथावत रहने की प्रबल संभावना है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अवमूल्यन की, वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, उपलब्ध अवमूल्यन से विचलन अधिक न होने की संभावना काफी क्षीण है। अतः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में परिसम्पत्तियों के अन्तिम रोकड़ पर अवमूल्यन की गणना की है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु किसी भी प्रक्षेपित परिसम्पत्ति वृद्धि पर विचार नहीं किया है। आयोग अनुज्ञेय राशि का सत्यापन, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अंकेक्षित आय–व्यय विवरण पत्र उपलब्ध होने पर करेगा बशर्ते वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूंजीकृत परिसम्पत्तियां उस योजना का भाग हों जिन्हें कि आयोग द्वारा तैयार किये गये कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) दिशा–निर्देशों के अनुसार यथोचित अनुमोदित किया गया हो।

2.108 उपरोक्त तर्कों के आधार पर, आयोग ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में तथा आगे वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2006–07 के दौरान वृद्धियों को सम्मिलित करते हुए, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रारंभिक शेष पर, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों के अवमूल्यन की भारित औसत दर पर अवमूल्यन अनुज्ञेय किये हैं। पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों को अवमूल्यन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार अनुज्ञेय किया गया है तथा यही अवमूल्यन पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को भी अनुज्ञेय किया गया है। इसी विधि द्वारा अवमूल्यन की राशि की गणना रु. 30.68 करोड़ आती है जिसे कि वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को अनुज्ञेय किया जाता है। इस संबंध में की गई गणना, निम्न तालिका में दर्शाई गई हैः

तालिका 42: वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	विवरण	31.05.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008*	31.03.2009*
पश्चिम	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां (करोड़ रु. में)	1499.42	1553.36	1677.78	1677.78	1677.78
	अवमूल्यन (करोड़ रु. में) **		55.13	31.29	36.40	36.11
	अवमूल्यन की भारित औसत दर		3.68%	2.01%	2.17%	2.15%
मध्य	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां (करोड़ रु. में)	1281	1303.07	1342.70	1342.70	1342.70
	अवमूल्यन (करोड़ रु. में)		47.65	26.62	28.32	28.06
	अवमूल्यन की भारित औसत दर		3.72%	2.04%	28.32%	2.09%
योग पश्चिम तथा मध्य	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां (करोड़ रु. में)	2780.42	2856.44	3020.48	3020.48	3020.48
	अवमूल्यन (करोड़ रु. में)		102.78	57.91	64.72	64.16
	अवमूल्यन की भारित औसत दर		3.70%	2.03%	2.14%	2.12%
पूर्व	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां (करोड़ रु. में)	1252.00	1288.05	1444.71	1444.71	1444.71
	अवमूल्यन की भारित औसत दर (उपरोक्त गणनानुसार)		3.70%	2.03%	2.14%	2.12%
	अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन (करोड़ रु. में)		**46.28**	**26.11**	**30.96**	**30.69**

* वित्तीय वर्ष 2006–07 के उपरांत परिसम्पत्तियों में वृद्धि पर विचार नहीं किया गया है जैसा कि इसे इस आदेश में स्पष्ट किया गया है

** वित्तीय वर्ष 2005–06 तक अवमूल्यन, भारत शासन, विद्युत मंत्रालय की दरों के अनुसार है तथा तत्पश्चात केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित दरों पर किया गया हैं (जिन्हें कि मप्रविनिआ द्वारा उनके विनियमों में अपनाया गया है)

ब्याज तथा वित्त प्रभार

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुतिः

2.109 ब्याज तथा वित्त प्रभारों में सम्मिलित हैं, दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार परियोजना विशिष्ट ऋणों पर ब्याज (पश्चातवर्ती वर्षों में अनुसूचित अदायगी घटाकर) एवं पश्चातवर्ती वर्षों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत निवेश योजना के अनुसार नवीन ऋणों के आहरण, उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज

प्रभार, कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज प्रभार तथा ऋण–प्रदायकर्ता संस्थाओं द्वारा वित्त एकत्रीकरण की लागत। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, नवीन पूंजीगत व्यय के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक समुपयुक्त (मैचिंग) वित्तीय योजना प्रस्तुत की गई है जिसमें ऋणों के आहरण, पूंजी अन्तःक्षेपण (इक्विटी इनफ्यूजन) तथा उपभोक्ता अंशदान सम्मिलित हैं।

2.110 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका, जिस पर ब्याज की गणना हेतु विचार किया गया है, निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 43: दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका

राशि करोड़ रूपये में

योजना	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	45.00	62.00
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)		
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	40.00	40.00
एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	15.30	40.80
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	20.00	35.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीआई)	79.00	245.99
पावर फायनेंस कार्पोरेशन केपेसिटर बैंक	53.50	348.47
(एडीबी) - II	103.00	287.00
अंशदान योजनाएं कन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स	0.00	13.01
	4.00	9.26
योग (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को सम्मिलित करते हुए)	**359.80**	**1081.53**

2.111 अनुज्ञप्तिधारी ने ब्याज तथा वित प्रभारों की गणना के संबंध में आगे निम्न प्रस्तुतिकरण किया हैः

(अ) स्त्रोतवार ऋण (रु. 294.63 करोड़) तथा सामान्य ऋण (जनरिक लोन्स) (रु. 251.89 करोड़) पर ब्याज जो कि दिनांक 31.05.2005 की स्थिति में प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण पत्र के माध्यम से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, की गणना तत्संबंधी ऋण अदायगी तथा ब्याज भुगतान अनुसूचियों पर आधारित है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 में आहरित नवीन ऋणों पर ब्याज की गणना तत्संबंधी ऋण अदायगी तथा ब्याज भुगतान अनुसूचियों पर आधारित है।

(स) वित्तीय वर्ष 2007–08, वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में आहरित नवीन ऋणों पर ब्याज का पूर्वानुमान ऋण अदायगी तथा ब्याज भुगतान की तत्संबंधी निबंधन तथा शर्तों पर आधारित है।

(द) पूंजीकरण को वर्ष हेतु निर्माण के दौरान ब्याज (Interest During Construction – IDC) ऋण की औसत लागत तथा औसत निर्माणाधीन प्रमुख कार्यो (सीडब्लूआईपी) पर आधारित गणना के आधार पर लिया गया है।

(ई) दोनों वित्तीय वर्षों 2008–09 तथा 2009–10 हेतु वित्तीय वर्ष एकत्रीकरण की लागत रु. 3 करोड़ ली गई है।

2.112 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्यमान तथा नवीन ऋणों पर ब्याज लागत को उपरोक्त दर्शाई गई निबन्धन तथा शर्तों के आधार पर दावा किया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई ब्याज लागत निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 44 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

ब्याज तथा वित्त प्रभार (आईएफसी)	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
विद्यमान ऋण		
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	4.26	2.55
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)	11.63	11.02
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	4.40	4.28
सामान्य (जनरिक) मप्र राज्य विद्युत मण्डल	24.19	21.17
नाबार्ड	0.05	0.04
एक्सेलेरेटड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	2.13	0.00
नवीन ऋण		
आरईसी – राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	0.16	0.16
पीएफसी – एसटीएल	3.09	2.76
पीएफसी – एसटीएल – 2	3.44	3.04
एडीबी	0.72	0.70
भविष्य के ऋण		
आरईसी	1.08	3.10
एडीबी	1.91	16.26
हाऊसिंग अर्बन एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (हडको)	4.64	22.19
भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक बैंक	1.73	11.21
जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	0.76	2.58
आरईसी – जेबीआईसी	1.39	4.70
भारत सरकार (जीओआई)	0.26	0.98
अन्य ब्याज तथा वित्त प्रभार		

वित्त तथा बैंक प्रभारों के एकत्रीकरण की लागत	3.00	3.00
कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार (सकल)	68.84	109.74
घटायें : पूंजीकृत किये गये ब्याज तथा ऋण प्रभार	33.05	39.44
राजस्व लेखा को प्रभारणीय शुद्ध ब्याज तथा वित्त प्रभार	35.79	70.30
जोड़ें: उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	20.46	26.30
राजस्व लेखे को प्रभारणीय कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार	**56.24**	**96.60**

ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण

2.113 दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत संबंधी विनियम केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय करते हैं जिन्हें कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से लिया गया है तथा जिनके संबद्ध मुख्य कार्य पूर्ण कर उपयोग हेतु प्रारंभ किये जा चुके हैं।

2.114 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को अर्द्ध–वार्षिक लेखे संधारित किये जाने तथा इन्हें अंकेक्षित करा आयोग को प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभी तक केवल वार्षिक लेखे ही उपलब्ध कराये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये अन्तिम लेखे वित्तीय वर्ष 2006–07 से संबंधित हैं जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 30 सितम्बर 2007 को समाप्त होने वाली अर्द्ध–वार्षिकी अवधि हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने संबंधी माह दिसम्बर 2007 तक का प्रतिवेदन उपलब्ध कर दिया है परन्तु इससे यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि पूर्ण किये गये कार्यों को पूंजीकृत किया गया है अथवा नहीं। अतएव, आयोग केवल वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्तिम अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध पूंजीकरण (सकल स्थाई परिसंपत्तियों) के बारे में ही आश्वस्त है। इसके अलावा, पूर्व में निर्माणाधीन कार्यों के पूंजीकरण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का प्रदर्शन देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि काफी न्यून है।

2.115 समस्त निर्माणाधीन ऐसे कार्यों हेतु, ऋण के वित्त प्रबंधन से संबंधित ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आई. डी.सी.) माना जाता है जिसे कि पूंजीकृत किया जावेगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जावेगा। ऐसी ब्याज लागत के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से पास थ्रू (Pass through) किये जाने पर विचार नहीं किया जाता है। इसके पीछे विचार यह है कि उपभोक्ता से केवल उन संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज के वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका कि उपभोक्ता उपयोग कर रहा है। निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों का उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माण के अन्तर्गत वहन की गई ब्याज लागत निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का एक भाग बन जाती है, अतः इसे टैरिफ के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जा रहा है।

2.116 आयोग के संज्ञान में है कि अनुज्ञप्तिधारी कुछ मुख्य कार्य वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्ण कर लेगा जिन्हें कि पूंजीकृत कर परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावेगा। तथापि, जैसा कि पूंजीकरण संबंधी भाग में स्पष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी का परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में प्रदर्शन पूर्ण रूप से किये गये प्रक्षेपणों को नकारता है जो कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये किये गये हैं। अतः, आयोग वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु संभावित पूंजीकरण पर विचार करना बुद्धिमतापूर्ण नहीं मानता परंतु वह केवल उसी दशा में ऐसी परिसम्पत्तियों को आरोपणीय ब्याज व्ययों पर विचार करेगा जब ऐसी परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावेगा। यह अनुज्ञप्तिधारी को, इस प्रकार से, कार्यों को पूर्ण किये जाने में गति लाये जाने तथा परिसम्पत्तियों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के त्वरित तथा दक्ष अन्तरण को सुनिश्चित किये जाने बाबत उसकी लेखांकन प्रक्रियाओं में सुधार लाये जाने को प्रोत्साहित करेगा। इसी के साथ–साथ, यह अनुज्ञप्तिधारी के लिये उसका अर्द्ध–वार्षिकी लेखा संधारित किये जाने तथा आयोग को इसकी प्रस्तुति किये जाने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा।

2.117 अतः आयोग की वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, उसी मार्ग के अनुसरण में ही अभिरूचि है जो उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ आदेशों में अपनाया गया था जिससे कि राजस्व लेखे को प्रभारणीय ब्याज के लागत की गणना की जा सके। इसमें ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) जैसा कि वह वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध है, का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) में आवंटन किया जाना सन्निहित है। इसे निम्न विधि द्वारा किया गया है :

(अ) वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल योग की गणना कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के योग से आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर की जाती है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का पोषण वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्त में वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश अनुसार इसे सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को आवंटित पूंजी के साथ जोड़ कर विचार किया गया है।

(स) सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल जोड़ के शेष को ऋण के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था द्वारा किया गया माना गया है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्त में वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश अनुसार इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित कुल ऋण के साथ जोड़ा गया है।

(द) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण से घटाया गया है। अदायगी राशियों की गणना वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कुल अनुसूचित अदायगी राशियों की आनुपातिक दर के रूप में गई है। वास्तविक अदायगी की राशियों को माना नहीं गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रमुख त्रुटियां की गई हैं।

2.118 आवंटन राशि निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 45 : वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेशानुसार ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (जीएफए) को आवंटन

स क्र	विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई है	326.75
2.	ऋण जिन्हें सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किया गया है (वर्ष 2005–06 के दौरान माने गये शुद्ध आनुपातिक अनुसूचित भुगतान)	56.07

तालिका 46 : वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबंद्ध ऋण की गणना

स.क्र	विवरण (आयोग को प्रस्तुत किये गये अंकेक्षित आय–व्यय विवरण के अनुसार)	राशि (करोड़ रूपये में)
1	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन	156.66
2	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान	8.94
3	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में शुद्ध परिवर्धन	147.72
4	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन का 30 प्रतिशत जिसे पूंजी (इक्विटी) द्वारा पोषित किया गया माना गया है	44.32
5	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शेष परिवर्धन–ऋण के माध्यम से पोषित किया गया	103.40
6	वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हित ऋण **(तालिका 45: वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेशानुसार ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (जीएफए) को आवंटन से उद्धरित)**	56.07
7	ऋण अदायगी	5.42
8	**दिनांक 31 मार्च 07 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण (5+6+7)**	**154.04**

2.119 परियोजना ऋणों पर ब्याज को कुल ऋण (आनुपातिक अदायगी के उपरान्त) पर अनुज्ञेय किया जावेगा जैसा कि वह पूर्ण किये गये कार्यों से संबंद्ध है। संदर्भ के प्रयोजन से, तथापि दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में कुल बकाया ऋण की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका 47: अंकेक्षित लेखे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में बकाया ऋण की स्थिति

वित्त परिपोषण संस्था	राशि (करोड़ रुपये में)
एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी),	26.13
नाबार्ड	0.66
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल सामान्य ऋण	275.02
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)	154.00
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	60.72
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) – आरटीएल	92.14

पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) – एसटीएल	20.42
आरईसी–राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाइ) ऋण	6.64
कार्यकारी पूंजीगत ऋण	145.13
मध्यप्रदेश शासन का कार्यकारी पूंजीगत ऋण	102.70
योग	**883.56**

2.120 ब्याज लागत को केवल उन्हीं ऋणों पर अनुज्ञेय किया जा सकता है जो कि आवंटन के अनुसार चिन्हित किये जा सकते हैं, जैसा कि ये पूर्ण किये गये कार्यों (सकल स्थाई परिसम्पत्तियों) के साथ **तालिका 46% वित्तीय वर्ष 2006–07 की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबद्ध ऋण की गणना** के अनुसार प्राप्त आवंटन से संबद्ध हैं। ऐसे ऋण पर ब्याज दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में समस्त ऋणों के भारित औसत ब्याज पर अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु भारित औसत ब्याज दर 9.89 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इसका अवधारण केवल अनुसूचित अदायगियों पर ही किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान वास्तविक ब्याज तथा प्रमुख चूकों (डिफाल्टस) पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन हेतु, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ऋण पर प्रकल्पित (नोशनल) ब्याज दर पर विचार किया गया है जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण पर ऋण स्थगन (मोरेटेरियम) विधान लागू है क्योंकि विलंब काल के उपरांत उसे ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त पीएफसी–आरटीएल, पीएफसी–एसटीएल से ऋण तथा अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋणों जैसे कि वे उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये हैं, पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि ये ऋण परिसम्पत्ति हेतु उपयोग नहीं किये गये हैं। कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज लागत के संबंध में आयोग द्वारा इसका अवधारण उसके द्वारा जारी किये गये टैरिफ अवधारण संबंधी विनियमों के अन्तर्गत मानदण्डों पर आधारित है जिस पर अगले भाग में चर्चा की जावेगी।

2.121 9.89 प्रतिशत की यह भारित औसत ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित सार्वजनिक ऋण प्रदाय अधिकार (पीएलआर) दर 12.25 प्रतिशत से कम होने के कारण उक्त दर पर ही अनुज्ञेय की गई है। तत्पश्चात्, भारित औसत ब्याज दर को चिन्हित किये गये ऋणों पर लागू किया गया है जो कि उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार पूर्ण किये गये कार्यों से संबद्ध है जिससे वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से की जाने वाली अनुज्ञेय ब्याज लागत को अनुज्ञेय किया जा सके। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया हैः

तालिका 48 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों से संबद्ध ऋण	154.05
भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	9.89%
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	**15.24**

2.122 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्त तथा बैंक प्रभार एकत्रीकरण की लागत को रूपये 3.00 करोड़ प्राक्कलित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भी समरुप राशि मानी गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी गणना का आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, आयोग वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान मुख्य कार्यों के सम्पादन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को नवीन ऋणों को आहरित करने बाबत निरूत्साहित करने के पक्ष में नहीं है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु वित्त एकत्रीकरण लागत हेतु, रू.3.00 करोड़ की राशि को अनुज्ञेय करता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्नानुसार हैं :

तालिका 49 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	15.24
अनुज्ञेय किये गये वित्त प्रभार	3.00
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	**18.24**

कार्यकारी पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

2.123 अनुज्ञप्तिधारी ने कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकता की गणना आयोग के टैरिफ अवधारण संबंधी विनियमों के अनुसार निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुसार की है। अनुज्ञप्तिधारी ने उनकी खुदरा विक्रय गतिविधि पर किसी प्रकार की सामग्री (इन्वेंटरी) की आवश्यकता पर विचार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी ने कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकता पर ब्याज लागत की गणना 12.75% की दर से की है। याचिका में अवधारित की गई ब्याज दर के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका 50 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

स क्र	विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु वार्षिक सामग्री (इन्वेंटरी) आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	26.27
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	44.90
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी	71.14
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**9.07**

	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.00
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां	449.07
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	177.80
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	438.30
	कुल कार्यकारी पूंजी	(166.94)
	ब्याज दर	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**0.00**

आयोग का विश्लेषण

2.124 खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु, आयोग द्वारा वार्षिक सामग्री (इन्वेंटरी) की आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की मीटरिंग परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य की एक प्रतिशत की दर से मानी गई है। चूंकि अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु मापयन्त्र (मीटरिंग) परिसम्पत्तियों की कीमत पृथक से उपलब्ध नहीं कराई है, आयोग ने इसे वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्त के स्तर पर माना है, जो कि रु. 251.67 करोड़ है। इस प्रकार मीटरिंग सामग्री की दो माह की आवश्यकता की गणना रू.0.42 करोड़ (251.67 का 1%, दो माह हेतु आनुपातिक किया गया) के रूप में होगी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2006–07 की अन्त की स्थिति में, सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) का शेष मूल्य रू. 1193.04 करोड़ होगा। इस मूल्य के एक प्रतिशत की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार रू. 2.00 करोड़ होगी। इसे चक्रण गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता (इन्वेंटरी रिक्यारमेंट) माना गया है। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुमत राशि हेतु कार्यकारी पूंजी के अन्य तत्वों के मूल्यों की पुनर्गणना इस आदेश के सुसंगत भाग में की गई है।

2.125 आयोग के विनियम अनुज्ञप्तिधारी को कार्यकारी पूंजीगत ब्याज भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य ऋण प्रदाय दर (Prime Landing Rate-PLR) के मानदण्ड में 2 प्रतिशत जोड़कर की सीमा के अन्तर्गत अनुज्ञेय करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य ऋण प्रदाय दर वर्तमान में 12.25% है। अतः, आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुसार, कार्यकारी पूंजीगत ऋण हेतु ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14.25% है। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका 51 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

स क्र	विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	2.0
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	33.62

सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण	35.62
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	14-25%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण	**5.08**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.42
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां *	463.25
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का 1/12 वां भाग	176.54
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप **	392.96
	कुल कार्यकारी पूंजी	(105.83)
	ब्याज दर	14.25%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज –खुदरा विक्रय गतिविधि	**0.00**

* इस आदेश के सुसंगत भाग में दर्शाई गई वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार गणना की गई।
** गण्ना अगले भाग में दर्शायेनुसार

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

2.126 प्रतिभूति निक्षेप पर देय ब्याज की गणना सुसंगत विनियम के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को लागू प्राधिकृत कुल प्रतिभूति राशि को पूर्वानुमान कर की गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कृषि उपभोक्ताओं हेतु 3 (तीन) माह की औसत मांग को तथा अन्य उपभोक्ताओं हेतु 1 1/2 (डेढ़) माह की औसत मांग को माना गया है।

2.127 वित्तीय वर्ष 2006–07, के वार्षिक लेखे के अनुसार, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप की राशि रू. 298.31 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, अर्जित राजस्व के प्राक्कलनों के अनुसार उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि की गणना क्रमशः रु. 340.95 करोड़ तथा रु. 438.33 करोड़ की गई है। देय ब्याज की राशि की गणना सुसंगत वर्ष के प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष के औसत के 6 प्रतिशत दर पर की गई है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, ब्याज जिसका दावा पूर्वानुमान जमा राशि पर किया गया है, निम्नानुसार दिया गया है :

तालिका 52 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु दावा किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (सीएसडी) पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 2008–09
पूर्वानुमान किया गया अन्तिम शेष	438.33
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर 6% की दर से ब्याज प्रभार	**26.30**

आयोग का विश्लेषण

2.128 उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि के अवधारण के प्रयोजन से, आयोग द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप की गणना मप्रविनिआ विनियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई (जो कि कृषि उपभोक्ताओं हेतु प्रतिभूति निक्षेप का प्रावधान 3 माह की औसत मांग के अनुसार तथा अन्य उपभोक्ताओं हेतु औसत मांग का डेढ़ गुना का प्रावधान करते हैं)। आयोग ने उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि का अवधारण वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, इन वर्षो के टैरिफ राजस्व के प्रयोग द्वारा किया है। तदोपरांत, औसत उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर इन दो वर्षों हेतु 6% की दर से ब्याज अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 53 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 2008–09
वित्तीय वर्ष 2007–08 राजस्वों हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप*	342.58
वित्तीय वर्ष 2008–09 राजस्वों हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप**	392.96
ब्याज गणना हेतु औसत उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	367.77
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर 6% की दर से ब्याज प्रभार	**23.58**

*** विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार (वित्तीय वर्ष 2007–08) जैसा कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी याचिकाओं में प्राक्कलित किया गया है**

**** वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार**

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

2.129 अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिलाभ का दावा पूंजी पर 14% की दर से पूंजी के पूर्वानुमान पर किया है जिसे कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों पर उपयोग किया जावेगा। पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु, अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्वानुमान की गई परिसम्पत्तियों का कुल पूंजीकरण अवधारित किया है तथा उस तत्व की गणना की है जिसे कि परिपोषित पूंजी से पूंजीकृत किया जाना प्रस्तावित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुल पूर्वानुमान किये गये पूंजीकरण से उपभोक्ता के अंशदान के भाग को घटाया नहीं गया है। पूर्वानुमान किये गये पूंजी पूंजीकरण की तत्पश्चात 30% मानदण्डीय स्तर से तुलना की गई है जिससे कि उस पूंजी पूंजीकरण (Equity Capitalization) राशि का अवधारण होता है जो कि पूंजी पर प्रतिलाभ की अहर्ता रखता है। विस्तृत गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 54 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसका दावा किया गया

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अ. वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियों, उपभोक्ता के अंशदान की सकल राशि	1890.49
ब. पूंजी (इक्विटी) का प्रारंभिक शेष	465.33
ब 1. निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण	786.07
स. पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	62.31
स1. मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (ब1 का 30%)	235.22
द. मानदण्डीय (स–स1) राशि से आधिक्य/कम अतिरिक्त पूंजी	(173.52)
पूंजी जो प्रतिलाभ की अहर्ता रखती है (ब+स/2 अथवा ब+स1/2, इनमें से जो भी कम हो)	496.48
पूंजी पर प्रतिलाभ; अहर्ता रखने वाली राशि से 14% अधिक दर पर	69.51

पूंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में आयोग का विश्लेषण

2.130 ब्याज तथा वित्त प्रभारों संबंधी भाग स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी को पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2006–07 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी में परिणित होती है। इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता हेतु, अनुज्ञेय किये गये पूंजी पर प्रतिलाभ का अवधारण, तत्पश्चात्, आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई 14% दर के अनुसार चिन्हित की गई कुल पूंजी पर जैसा कि इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित किया गया है, को प्रयोज्य कर किया जाता है। आयोग को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 की अवधि के दौरान, परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रयोजन हेतु, वितरण व्यापार में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया जावेगा, जिससे कि पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों को आवंटित की गई पूंजी (इक्विटी) की राशि में अभिवृद्धि होगी। यदि इसे अंकेक्षित लेखे के समर्थन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो भविष्य में इसे अनुज्ञप्तिधारी की सत्यापन याचिकाओं में अनज्ञेय किया जा सकेगा।

तालिका 55 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ

(राशि करोड़ रूपये में)

स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 2008–09
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका पूंजी के माध्यम से वित्तीय पोषण चिन्हित किया गया है, में 30% की अभिवृद्धि **(तालिका 46ः वित्तीय वर्ष 2006–07 की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यो से संबद्ध ऋण की गणना, उपभोक्तनुसार)**	44.32
दिनांक 31 मार्च, 06 की स्थिति में, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित की गई पूंजी का अन्तिम शेष	326.75
दिनांक 31 मार्च, 07 की स्थिति में, कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित किया गया है	371.07
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ, 14% की दर से	**51.95**

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें

2.131 उपरोक्त चर्चित व्ययों के तत्वों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें सम्मिलित हैं डूबन्त ऋण, अन्य विविध व्यय, कोई पूर्व अवधि व्यय/आकलन (क्रेडिट्स) तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनका विश्लेषण निम्न अनुच्छेदों में किया गया हैः

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

2.132 अनुज्ञप्तिधारी ने इस शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, इस राशि की गणना प्रक्षेपित दो वर्ष पुरानी प्राप्तियां (Receiveables) के 50% आधार पर की है। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी याचिका में न तो किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है तथा न ही प्राप्तियों की कोई गणना की गई है।

2.133 आयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, डूबन्त ऋणों को विनियमों के उपबन्धों के अनुसार कुल पूर्वानुमान किये गये विक्रय राजस्वों के 1% की दर के अध्यधीन अनुज्ञेय करेगा। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, डूबन्त ऋणों का वास्तविक उपलेखन, जैसा कि यह अंकेक्षित लेखे में (जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे आयोग को उपलब्ध कराया जावेगा) उपलब्ध है, की वित्तीय वर्ष 2008–09 के वास्तविक राजस्व के 1% की दर की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तथा आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत अनुज्ञेय किये गये (वित्तीय वर्ष 2008–09 की पूर्वानुमान राजस्व राशि का 1%) से इसकी तुलना की जावेगी। वित्तीय वर्ष 2008–09 का सत्यापन करते समय, अन्तर की राशियों का समायोजन किया जावेगा। निम्न तालिका वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु डूबन्त ऋणों का, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इनका दावा किया गया है तथा जिन्हें कि आयोग द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है, से संबंधित राशियों का विवरण दर्शाती हैः

तालिका 56 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
जिसका दावा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया है	95.81
वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार विक्रय राजस्व का 1%	27.80
जिसे आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया	**27.80**

टीपः विक्रय राजस्व की गणना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु इस आदेश द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार की गई है।

अन्य विविध व्यय

2.134 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, इस शीर्ष के अंतर्गत किसी व्यय का दावा नहीं किया गया है। आयोग इसे स्वीकार करता है।

आय–व्यय (गैर–टैरिफ)

2.135 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, इस मद के अंतर्गत रू. 66.25 करोड़ की राशि का दावा किया गया है। इस राशि में सम्मिलित हैं, मीटर भाड़ा, उपभोक्ताओं से विविध प्राप्तियां, प्रभार की राशि, ऋणों पर ब्याज तथा स्टाफ को अग्रिम राशि प्रदाय की जाना। इसमें से ऋणों पर ब्याज, तथा स्टाफ को अग्रिम राशि का प्रदाय तथा विविध प्राप्तियों को चक्रण गतिविधि का एक भाग माना गया है जबकि अन्य मदों को खुदरा विक्रय गतिविधि माना गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य आय की किसी भी मद के पूर्वानुमान का आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, अनुज्ञप्तिधारी ने चक्रण प्रभारों से किसी भी आय को चक्रण गतिविधि की अन्य आय के रूप में सम्मिलित नहीं किया है।

2.136 आयोग अन्य आय के समस्त तत्वों हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये पूर्वानुमानों को स्वीकार करता है तथा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य आय के अन्तर्गत दावा की गई सम्पूर्ण राशि के घटाये जाने का अनुज्ञेय करता है।

2.137 अनुज्ञप्तिधारी ने चक्रण गतिविधि से किसी आय पर विचार नहीं किया है जिसे आयोग स्वीकार करता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, चक्रण प्रभारों से अनुज्ञप्तिधारी की वास्तविक आय, खुली पहुंच उपभोक्ताओं की संख्या पर निर्भर, का समायोजन सत्यापन के समय किया जावेगा।

2.138 इस प्रकार, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि जिसे वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अन्य आय माना गया है, निम्नानुसार होगीः

तालिका 57 : चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	6.12
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई	**6.12**

तालिका 58 : खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	60.13
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई	**60.13**

अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण

2.139 आयोग द्वारा धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 26 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित विनियमों में उल्लेखित है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जावेगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि हेतु,

चक्रण (वितरण) गतिविधि हेतु, तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें कि चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल विद्युत वितरण व्ययों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण का उद्देश्य चक्रण प्रभारों को संस्थापित करना है जिनकी वसूली खुली पहुंच उपभोक्ताओं से की जावेगी।

2.140 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के विनियमों का प्रतिपालन उस सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु इसे दायर किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केवल कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज, डूबन्त ऋणों हेतु प्रावधान, तथा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज को खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत माना है। अन्य समस्त मदें पूर्णरूपेण चक्रण गतिविधि का भाग मानी गई हैं।

2.141 विद्यमान टैरिफ अभ्यास हेतु, आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागतों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य आवंटित किये जाने संबंधी विधि को स्वीकार करता है। तथापि, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को उसके वितरण केन्द्रों, क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों आदि के एक प्रतिनिधि नमूने का गहन अध्ययन किये जाने बाबत निर्देशित करता है जिससे कि प्रत्येक व्यय मद (विद्युत क्रय को छोड़कर) के आवंटन अनुपात को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्कृत किया जाना विकसित किया जा सके। इस अध्ययन के परिणाम आयोग को टैरिफ आदेश जारी होने के छः माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिये। तथापि, यह एक अस्थाई स्थानापन्न व्यवस्था है। आयोग चाहता है कि अनुज्ञप्तिधारी चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि को अलग–अलग व्यय भारित किये जाने का पूर्ण लेखांकन पृथक्करण का उत्तरदायित्व स्वयं संभाले। अनुज्ञप्तिधारी को इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर इस गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु संभावित समय–सीमा को दर्शाते हुए आयोग से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

2.142 अतः इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय

(बी) अवमूल्यन

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज

(डी) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि के लिये

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(एफ) अन्य विविध व्यय

(जी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये

(बी) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज

(सी) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(डी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

2.143 उपरोक्त दर्शायेनुसार, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 59 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित राशि करोड़ रूपये में
(ए) विद्युत क्रय व्यय	2118.52
(बी) पारेषण प्रभार (एमपी ट्रांसको) *	220.70
चक्रण गतिविधि :	
संचालन तथा संधारण व्यय	403.45
अवमूल्यन	30.69
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	18.24
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	5.08
पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)	51.95
अन्य व्यय	--
घटायें : अन्य आय	6.12
(सी) उप–योग–वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुमोदित की गई चक्रण सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	***503.29***
खुदरा विक्रय गतिविधिः	
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	0.00
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	27.80
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	22.07
घटायें : अन्य आय	60.13
(डी) उप–योग–वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुमोदित की गई खुदरा सम्पूर्ण	***(10.26)***

राजस्व आवश्यकता	
महायोग–वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी+डी)	**2832.23**

** इसमें सम्मिलित है, वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, एमपी ट्रांसको की सत्यापन राशि जैसा कि इसे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित किया गया है।*

विद्युत वितरण कम्पनियों तथा जनरेटिंग कम्पनी का अवधि माह जून 2005 से मार्च 2006 तक के सत्यापन का उपचारण

2.144 आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2008 द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों का अवधि माह जून 2005 से मार्च 2006 तक के वित्तीय लाभ तथा हानि का अवधारण किया गया। आदेश में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया था कि आयोग द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, निर्धारित की गई राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में उपभोक्ताओं को अन्तरण हेतु किया जावेगा।

2.145 इस आदेश के माध्यम से, आयोग द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 85.48 करोड़ की राशि के लाभ का अवधारण किया गया है। धनात्मक होने के कारण, इस राशि को वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से तदनुसार घटा दिया जावेगा।

2.146 आयोग द्वारा एमपी जनको का अवधि जून 2005 से मार्च 2006 तक का सत्यापन आदेश (आदेश दिनांक 18 जनवरी, 2008) भी पारित किया गया। इस आदेश द्वारा आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के माध्यम से एमपी जनको को विद्युत वितरण कम्पनियों से अतिरिक्त रु. 94.13 करोड़ राशि की वसूली किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा एमपी जनको को विद्युत वितरण कम्पनियों से रु. 14.82 करोड़ की वसूली ''उपलब्धता प्रोत्साहन (Availability Incentive)'' बतौर किये जाने की अनुमति भी प्रदान की गई। आयोग के आदेश में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया कि एमपी जनको विद्युत वितरण कम्पनियों से वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल राशि (रु. 94.31 करोड़ **+** (धन) रु. 14.82 करोड़) की वसूली 12 बराबर मासिक किस्तों में करेगी।

2.147 माह जून 2005 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान, विद्युत वितरण कम्पनियों को उत्पादन क्षमता आवंटित नही की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) द्वारा राज्य हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आहरित की गई विद्युत की मात्रा को एमपी जनको स्टेशनों से पृथक–पृथक आहरित किया जाना नहीं दर्शाती है (वरन् यह समस्त स्टेशनों से कुल आहरण का आवंटन किया जाना दर्शाती है, जिनमें विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से आहरण किया जाना भी सम्मिलित है)। अतः विचाराधीन अवधि के अन्तर्गत, जनको के सत्यापन हेतु कुल अवधारित लागत को विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किये जाने का कोई स्पष्ट आधार विद्यमान नहीं है। अतः आयोग ने यह आवंटन वितरण कम्पनियों द्वारा माह जून 2005 से मार्च 2006 तक की

अवधि के दौरान किये गये वास्तविक क्रयों के अनुपात में किया है। इस प्रकार की गई राशि की गणना, जिसे कि एमपी जनको को वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों से वसूल किया जाना अनुज्ञेय किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका 60 : एमपी जनको की अतिरिक्त लागत को विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य आवंटन

(राशि करोड़ रुपये में)

विद्युत वितरण कम्पनी	माह जून 2005 से मार्च 2006 की अवधि के मध्य विद्युत क्रय (मिलियन यूनिट में)	अनुपात	राशि जिस हेतु एमपी जनको की वसूली हेतु अनुमति प्रदान की गई	आवंटित की गई राशि
पूर्व क्षेत्र	8129.84	29.57%	**109.13**	32.27
पश्चिम क्षेत्र	10523.0	38.27%		41.77
मध्य क्षेत्र	8842.41	32.16%		35.10
योग क्षेत्र	**27495.45**	**100%**		**109.13**

विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व अन्तर

2.148 आयोग द्वारा विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व की गणना वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर की गई है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु राजस्व के अन्तर की गणना, अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह जून 05 से माह जून 06 तक की अवधि हेतु एमपी जनको तथा मप्र की विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण राजस्व अन्तर/(आधिक्य) की अनुज्ञेय की गई वसूली (जैसा कि इस पर पूर्व भाग में चर्चा की गई है) के प्रयोग द्वारा की गई है। विद्यमान टैरिफ दरों पर विक्रय राजस्वों तथा राजस्व अन्तर निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं। राजस्व–अन्तर, जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया है, को यहां त्वरित संदर्भ हेतु उद्धरित किया जाता है :

तालिका 61 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर,

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया	जैसा कि इस की गणना आयोग द्वारा की गई #
विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व राशि	2695.15	2706.10
घटायेंः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (अन्य आय का सकल योग)	3335.04	2832.23
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व (अन्तर)	(641.04)	(126.13)
अवधि माह जून 05 से मार्च 06 तक, एमपी जनको के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	---	(32.27)
अवधि माह जून 05 से मार्च 06 तक, मध्यप्रदेश विद्युत	(166.18)*	85.48

वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य		
वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	(168.06)**	----
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्यमान टैरिफ दरों पर कुल राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	**(975.28)**	**(72.92)**

* दायर किये गये रु. 360.96 करोड़ के राजस्व अन्तर के प्रत्युत्सर्जन (अमारटाईजेशन) के कारण प्रभाव

** दायर किये गये रु. 434.166 करोड़ के राजस्व अन्तर के प्रत्युत्सर्जन (अमारटाईजेशन) के कारण प्रभाव

चालू टैरिफ दरों पर गणना किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप, कार्यकारी पूंजी तथा डूबन्त ऋण

2.149 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू. 975.28 करोड़ की प्रक्षेपित राशि का अन्तर पाटने हेतु आंशिक रूप से टैरिफ दर में वृद्धि तथा दक्षता में अभिवृद्धि द्वारा तथा आंशिक रूप से विनियामक परिसम्पत्ति के सृजन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तथापि, आयोग द्वारा अवधारित पुनरीक्षित राजस्व अन्तर, उपरोक्त दर्शायनुसार, केवल रू. 72.92 करोड़ ही है। अतएव, आयोग द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये कुल राजस्व अन्तर की आपूर्ति हेतु टैरिफ प्रस्तावों में उपयुक्त संशोधन किये गये हैं तथा इस हेतु किसी विनियामक परिसम्पत्ति (Regulatory Asset) के सृजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

2.150 पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्याशित राजस्व निम्नानुसार हैं:

तालिका 62 : पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व

(राशि करोड़ रूपये में)

	विवरण	राशि
	राजस्व अन्तर, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया	975.28
ए.	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित दरों पर प्रत्याशित राजस्व	2779.53
बी.	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता **(अन्य आय का सकल योग)**	2832.23
सी = ए–बी	वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से अधिक राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	(52.7)
डी.	अवधि जून 2005 से मार्च 2006 तक एमपी जनको के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	(32.27)
ई.	अवधि जून 2005 से मार्च 2006 तक मध्यप्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	85.48
सी+डी+ई	**वित्तीय वर्ष 2008–09 की टैरिफ दरों के अनुसार कुल राजस्व (अन्तर)/आधिक्य**	**0.51**

2.151 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास मामूली सा अन्तर छूट गया है। तथापि, यह राज्य में एक समान टैरिफ दरें रखे जाने के परिणामस्वरूप है। चूंकि छूटा हुआ राजस्व अन्तर बहुत ही मामूली है, इसकी समीक्षा वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन के दौरान की जावेगी।

2.152 वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित दरों के अनुसार (जिन्हें इस आदेश की टैरिफ अनुसूची में दर्शाया गया है), आयोग द्वारा उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व की गणना निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 63 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व

उपभोक्ता श्रेणी	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व (करोड़ रूपये में)
निम्न दाब		
घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	2289.68	759.76
गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	370.54	199.58
जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	135.09	47.75
निम्न दाब औद्येगिक	251.99	102.56
कृषि उपभोक्ता	1424.76	364.17
योग (निम्न दाब)	**4472.07**	**1473.82**
उच्च दाब		
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	422.68	196.55
कोयला खदाने (कोल माईन्स)	521.31	279.52
औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक	1126.67	540.40
मौसमी (सीजनल)	3.60	2.52
उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	72.86	21.97
टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	315.00	112.54
छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	445.61	152.20
योग (उच्च दाब)	**2897.74**	**1305.71**
महायोग (निम्न दाब+उच्च दाब)	**7369.81**	**2779.53**

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र
विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर
(वेस्ट डिस्कॉम)

ए–3 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (वेस्ट डिस्कोम) की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका

3.1 वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल विक्रय 9,883 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किये गये हैं। निम्न दाब श्रेणी हेतु विक्रय 6,726 यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 68.06 प्रतिशत) तथा उच्चदाब श्रेणी में 3,157 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 31.94 प्रतिशत) प्राक्कलित किये गये हैं।

तालिका 64: वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय

उपभोक्ता श्रेणी			विद्युत विक्रय मिलियन यूनिट में
निम्न दाब उपभोक्ता	एलवी 1	घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	1868
	एलवी 2	गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	470
	एलवी 3	जल प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	148
	एलवी 4	निम्न दाब औद्येगिक	363
	एलवी 5	कृषि उपभोक्ता	3877
		योग (निम्न दाब)	**6726**
उच्च दाब उपभोक्ता	एचवी 1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	316
	एचवी 2	कोयला खदानें	0
	एचवी 3.1	औद्योगिक	2385
	एचवी 3.2	गैर औद्योगिक	
	एचवी 4	मौसमी (सीजनल)	10
	एचवी 5.1	सार्वजनिक जल प्रदाय	220
	एचवी 5.2	उच्च दाब सिंचाई	
	एचवी 6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	0
	एचवी 7	छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	226
		कुल (उच्च दाब)	**3157**
निम्न दाव + उच्च दाब का योग			**9883**

3.2 अनुज्ञप्तिधारी के 9883 मिलियन यूनिट के विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित प्राक्कलन (जो 9212 मिलियन यूनिट हैं) से 7.28 प्रतिशत अधिक हैं। अनुज्ञप्तिधारी की याचिका के पूर्वानुमान अनुसार, इस प्राक्कलन में 3590 मिलियन यूनिट का बिना–मीटरीकृत कृषि विक्रय तथा घरेलू श्रेणी में 27 मिलियन यूनिट का बिना मीटरीकृत विक्रय सम्मिलित है।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

3.3 एमपी ट्रेडको तथा तीनों वितरण कंपनियों के मध्य प्रचलित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि वह सुसंगत प्रपत्रों में (टैरिफ विनियमों के अनुसार) स्टेशनवार उत्पादन उपलब्धता की अद्यतन जानकारी सम्पूर्ण तथा स्वतंत्र रूप से प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह जानकारी उसके द्वारा मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) तथा मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (एमपी ट्रेडको) के साथ किये गये परस्पर वार्तालाप के आधार पर प्रदान की गई है। इस संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा भी किया गया है कि उसके द्वारा मप्रविनिआ [विद्युत तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया] विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी–19 (I) वर्ष 2006) की धारा 18 से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है जिसमें कहा गया है कि

''वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–कालीन मांग तथा प्रदाय उपलब्धता संबंधी निर्धारण, किसी एक अथवा समस्त संबंधितों से जिसमें राज्य सेक्टर उत्पादन कंपनियों, वितरण कंपनियों, निजी वितरण अनुप्तिधारियों, केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण कंपनियों/क्षेत्रीय विद्युत मण्डल राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी सम्मिलित है से परामर्श द्वारा, करेगा।''

3.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा किया गया है कि उसके द्वारा प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों से अस्थाई (Tentative) रूप से अपनाई गई जानकारी का प्रयोग विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु, राजस्व आवश्यकता की प्राप्ति हेतु, किया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय को जाने वाली विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाये जाने को अनुरोध किया है। अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को उन्हें अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया यदि ऐसी जानकारी एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध करा दी जाती है।

3.5 अनुज्ञप्तिधारी ने क्षमता का प्रतिशत आवंटन (अर्थात् 28.83 प्रतिशत) शासन की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 के अनुसार माना है। पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी ने निम्न मदों की गणना के विवरण उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार प्रस्तुत किये हैं :

- समस्त स्त्रोतों से मासिक उपलब्ध विद्युत ऊर्जा
- उत्पादकों को देय वार्षिक स्थाई प्रभार
- उत्पादकों को प्रोत्साहनों, आयकर, शुल्कों आदि के कारण किये जाने वाले अनुमानित भुगतान ; तथा
- भुगतान किये जाने वाले अनुमानित अन्तर्राज्यीयपारेषण प्रभार

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन

3.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी) के साथ उनके द्वारा की गई चर्चा के आधार पर किया गया है। एमपी जनको से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता एमपी जनको द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत उत्पादन के मासिक पूर्वानुमानों पर आधारित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (एनटीपीसी, एनपीसी) से उपलब्धता संबंधी जानकारी याचिका तैयार करते समय तथा दायर करने के समय तक उपलब्ध नहीं थी। उपलब्धता के आकलन हेतु, पूर्व के दो वर्षों तथा चालू वर्ष 2007–08 के प्रथम छः माहों के ''वास्तविक उत्पादन'' का प्रयोग किया गया है।

3.7 वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा 2009–10 में समयोत्तर नवीन क्रियाशील होने वाले स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धि पर भी विचार किया गया है। मप्र शासन की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 तथा आयोग के खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश दिनांक 30 मार्च, 2007 के अनुसार ऐसे अपेक्षाकृत नवीन स्टेशनों से विद्युत की उपलब्धि को एमपी ट्रेडको को आवंटित कर दिया गया है जिनसे अनुज्ञप्तिधारी विद्युत की अध्याप्ति थोक विद्युत प्रदाय दर पर उसी दशा में करेगा यदि विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता समाप्त हो जाने पर, किसी प्रकार की पूर्ति योग्य मांग बचती है। ऐसे स्टेशनों हेतु उपलब्धता का पूर्वानुमान 80% के मानदण्डीय संयंत्र भार कारक (प्लांट लोड फेक्टर–पीएलएफ) तथा कोयला एवं गैस आधारित स्टेशनों हेतु (यदि यह लागू हो) क्रमशः 7% तथा 3% की सहायक खपत (आक्सीलियरी कन्सम्पशन) पर किया गया है।

3.8 मढीखेड़ा यूनिट III तथा ओंकारेश्वर जल–विद्युत स्टेशन से उपलब्धता आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश दिनांक 30 मार्च, 2007 के अनुसार अनुमोदित की गई है तथा इसी आंकड़े को पूर्वानुमान अवधि, अर्थात, वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु माना गया है।

3.9 निम्न तालिका प्रत्येक स्त्रोत से वार्षिक उपलब्धता को दर्शाती है जबकि मासिक उपलब्धता याचिका के प्रपत्र एफ1–2 (एक अतिरिक्त प्रपत्र में) में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 65 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि

स.क्र	स्त्रोतवार उपलब्धि (मिलियन यूनिट में)	राज्य हेतु (मिलियन यूनिट में)	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु (मिलियन यूनिट में)
I.	केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन		
1.	एनटीपीसी – कोरबा	3,232	984
2.	एनटीपीसी – विंध्याचल I	2,833	1,139
3.	एनटीपीसी – विंध्याचल II	2,314	1,092
4.	एनटीपीसी – विंध्याचल III (यूनिट 1)	728	343

5.	एनटीपीसी – कवास	564	269
6.	एनटीपीसी – गंधार	824	390
7.	केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	483	228
8.	टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन)	823	388
9.	फरक्का + तालचेर + कहलगांव	507	219
	केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन – योग	**12,308**	**5,051**
II.	**अन्य स्त्रोत**		
1.	एनएचडीसी–(नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन)–इन्दिरा सागर	2,700	1,024
2.	सरदार सरोवर	2,500	761
3.	अन्य I (पवन तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	-	-
4.	अन्य II (लघु–अवधि क्रय)	-	-
5.	अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू.आई)	-	-
	अन्य योग	**5,199**	**1,785**
ए.	**महायोग**	**17,508**	**6,837**
I.	**एमपी जनको–ताप विद्युत**		
1.	अमरकंटक टीपीएस – चचई – पीएच 1 तथा 2	1,122	426
2.	सतपुड़ा टीपीएस – सारणी – पीएच 1 तथा 2	7,018	2,710
3.	संजय गांधी टीपीएस – बिरसिंहपुर पीएच 1 तथा 2	5,081	1,928
	ताप विद्युत का योग	**13,221**	**5,063**
II.	**एमपी जनको – जल विद्युत**		
1.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन – गांधी सागर	171	52
2.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन राणा प्रताप सागर	-	-
3.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन –जवाहर सागर	-	-
4.	पेंच टीएचपीएस	208	63
5.	बाण सागर टोंस एचपीएस (I, II तथा III)	1,094	333
6.	बाण सागर टोंस एचपीएस – बाणसागर IV	79	24
7.	बिरसिंहपुर एचपीएस	45	14
8.	बरगी एचपीएस	503	153
9.	राजघाट एचपीएस	45	14
10.	माताटीला एचपीएस	-	-
11.	मढ़ी खेड़ा एचपीएस	49	23
12.	मिनी–माइक्रो एचपीएस	-	-
ए.	**जल–विद्युत योग**	**2,193**	**676**
बी.	**एमपी जनको उत्पादन योग**	**15,414**	**5,739**

सी.	कुल विद्युत उपलब्धि (ए+बी)	**32,922**	**12,576**
डी.	एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय @ बीएसटी	**5,345**	**1,911**
ई.	कुल विद्युत उपलब्धता (सी+डी)	**38,267**	**14,487**

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन

3.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एमपी जनको की स्थाई लागतें तथा परिवर्तनीय लागतें एमपी जनको हेतु आयोग के बहुवर्षीय (वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2008–09) टैरिफ आदेश से अपनाई गई हैं। विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों हेतु, स्थाई लागतें (Fixed Costs) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के तत्संबंधी स्टेशनों हेतु आदेशों के अनुसार तथा परिवर्तनीय लागतें (Variable Costs) वर्तमान में लागू ईंधन मूल्य समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) को सम्मिलित कर माह जुलाई, 2007 के देयक के अनुसार अपनाई गई हैं।

3.11 केन्द्रीय क्षेत्र के नवीन स्टेशनों से विद्युत क्रय की लागत को गणना हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न विधि अपनाई गई है :

(ए) विंध्याचल–III हेतु, परिवर्तनीय लागत को मा. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा उनके टैरिफ आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2007 द्वारा वर्ष 2008–09 तक अनुमोदित को अपनाया गया है।

(बी) सीपत I तथा बढ़ एसटीपीएस हेतु परिवर्तनीय लागत नेशनल थर्मल पावर स्टेशन (एनटीपीसी) द्वारा आधार वर्ष हेतु सूचित प्रावधिक टैरिफ दर के अनुसार है जिसमें वर्ष 2009–10 तक 5.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की गई है। अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि केविनिआ की अधिसूचना दिनांक 24 सितम्बर, 2007 के अनुसार केविनिआ द्वारा अधिसूचित घरेलू कोयला आधारित बोलियों हेतु ऊर्जा प्रभार तत्व की 7.66% अभिवृद्धि दर (Escalation Rate) अधिक प्रतीत होती है। अतएव ऊर्जा प्रभार तत्व में युक्तियुक्त रुप से 5.5% प्रतिवर्ष की दर से अभिवृद्धि की गई है जो कि आयातित कोयला हेतु बारलो जोंकर इन्डेक्स औसत वृद्धि दर है।

(सी) सीपत–II, ओंकारेश्वर जल विद्युत स्टेशन, कहलगांव चरण–II हेतु, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत मा.केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) की वर्ष 2008–09 तक प्रावधिक टैरिफ हेतु दायर की गई याचिका के अनुसार है।

(डी) एमपी जनको बिरसिंहपुर विस्तार हेतु, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत मप्रविनिआ के समक्ष दायर की गई वर्ष 2008–09 तक प्रावधिक टैरिफ याचिका के अनुसार है। अमरकंटक (नवीन) तथा सतपुड़ा विस्तार हेतु, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट एमपी ट्रेडको से की गई चर्चानुसार बिरसिंहपुर विस्तार हेतु प्रावधिक टैरिफ याचिका के अनुरुप मानी गई है।

(ई) दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी), मढीखेड़ा यूनिट III, लैंको अमरकंटक, पीटीसी–धीरुजन तथा पीटीसी–टोरंट (गैस) हेतु स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट एमपी ट्रेडको द्वारा प्रदाय की गई लागत के अनुरुप है।

3.12 अन्य नवीन स्टेशनों बाबत, स्थाई तथा परिवर्तनीय ण्लागतें ट्रेडको से की गई चर्चा के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं। निम्न तालिका विद्युत क्रय लागत के अवधारण हेतु विचार किये गये प्रत्येक स्टेशन की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों की संक्षेपिका दर्शाती है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्थाई लागत के अंशदान को समग्र राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन हेतु माना गया है।

तालिका 66 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें

	स्त्रोत / स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2008–09		
		स्थाई लागत –राज्य (करोड़ रूपये में)	स्थाई लागत – पश्चिम क्षेविविकं (करोड़ रूपये में)	परिवर्तनीय लागत (रूपये / किलो वाट आवर में)
I	**केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन**			
1.	एनटीपीसी – कोरबा	88.03	26.8	0.4
2.	एनटीपीसी – विंध्याचल I	93.58	37.92	1.93
3.	एनटीपीसी – विंध्याचल II	120.61	56.89	4.18
4.	एनटीपीसी – विंध्याचल III (यूनिट–1)	59.31	27.98	3.21
5.	एनटीपीसी – कवास	54.51	25.46	17.36
6.	एनटीपीसी – गंधार	70.12	32.76	6.35
7.	केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	-	-	6.89
8.	टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन)	-	-	8.93
9.	फरक्का + तालचेर + कहलगांव	16.31	6.76	3.37
	केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन – योग	502.46	214.56	2.32
II	**अन्य स्त्रोत**			
1.	एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	580.42	220.23	0.18
2.	सरदार सरोवर	-	-	1.03
3.	अन्य 1 (पवन एवं कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	-	-	-
4.	अन्य 2 (लद्यु–अवधि क्रय)	-	-	-
5.	अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू.आई)	-	-	-
	अन्य योग	**580.42**	**220.23**	**0.54**

	महायोग	**1,082.88**	**434.8**	**1.69**
I.	**एमपी जनको–ताप विद्युत**			
1.	अमरकंटक टीपीएस – चचई – पीएच 1 तथा 2	51.2	19.43	1.17
2.	सतपुड़ा टीपीएस – सारणी – पीएच 1 तथा 2	186.86	72.38	1.31
3.	संजय गांधी टीपीएस, बिरसिंहपुर पीएच 1 तथा 2	300.49	114.02	1
	ताप विद्युत का योग	**538.55**	**205.83**	**1.18**
II.	**एमपी जनको – जल विद्युत**			
1.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन – गांधी सागर	11.37	3.46	-
2.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन राणा प्रताप सागर	-	-	-
3.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन –जवाहर सागर	-	-	-
4.	पेंच टीएचपीएस	12.05	3.67	-
5.	बाण सागर टोंस एचपीएस (I, II तथा III)	69.16	21.05	-
6.	बाण सागर टोंस एचपीएस – बाणसागर IV	15.16	4.62	-
7.	बिरसिंहपुर एचपीएस	2.57	0.78	-
8.	बरगी एचपीएस	9.93	3.02	-
9.	राजघाट एचपीएस	5.03	1.53	-
10.	माताटीला एचपीएस	-	-	-
11.	मढ़ी खेड़ा एचपीएस	9.94	4.69	-
12.	मिनी–माइक्रो एचपीएस	-	-	-
	जल–विद्युत योग	**135.21**	**42.82**	-
बी.	**एमपी जनको उत्पादन योग**	**673.76**	**248.65**	**1.04**
सी.	**कुल विद्युत उपलब्धि (ए+बी)**	**1,756.64**	**683.45**	**1.34**
डी.	**एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय**		**463.71**	
ई.	**कुल विद्युत उपलब्धता (सी+डी)**		**1,147.16**	

विद्युत क्रय लागत के अन्य तत्वों का आकलन

3.13 विद्युत क्रय लागत के अन्य तत्व, जैसे कि, प्रोत्साहन, अप्रोत्साहन, आय–कर, विद्युत शुल्क तथा उपकर आदि तथा प्रति यूनिट विविध प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2007–08 (माह जुलाई, 2007 तक) की वास्तविक लागत के स्तर के अनुरुप माना गया हैं। इन लागत तत्वों का पूर्वानुमान परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट की गणना के अनुरुप किया गया है तथा इन्हें विद्युत उत्पादन की परिवर्तनीय लागत में सम्मिलित किया गया है जैसा कि इन्हें प्रत्येक वैयक्तिक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, स्टेशन–वार लागत विवरणों में प्रदर्शित किया गया है।

अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतें

3.14 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को प्रक्षेपित अवधि (वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10) हेतु दो भागों में विभाजित किया गया है:

(अ) अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत जो कि विद्यमान क्षमताओं से सम्बद्ध है – जैसा कि इसे प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित किया गया है।

(ब) अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत जो अपेक्षाकृत नवीन तथा उदीयमान क्षमताओं से सम्बद्ध है – एमपी ट्रेडको को आवंटित।

3.15 इस प्रकार के विभाजन का कारण अपेक्षाकृत नवीन क्षमताओं की लागत को एमपी ट्रेडको को आवंटित करना था क्योंकि एमपी ट्रेडको विद्युत वितरण कम्पनियों को थोक विद्युत प्रदाय दर पर विद्युत वितरण कम्पनी की अपूर्ण मांग की सीमा तक विद्युत प्रदाय करेगी जिस समय उनकी विद्यमान क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। अतः सम्पूर्ण पारेषण क्षमता जिसे कि पूर्वानुमान अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किया जा सकेगा अथवा नहीं किया जा सकेगा, की लागत का भुगतान टाले जाने हेतु, इस प्रकार का विभाजन किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मप्रविनिआ के सिद्धान्तों को उद्धरित किया है जिसके अनुसार पारेषण प्रभार का आवंटन उत्पादन क्षमताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

3.16 अनुज्ञप्तिधारी ने कुल पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) पारेषण प्रभारों का आवंटन प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया है जिन्हें पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र स्टेशनों तथा सरदार सरोवर परियोजना (जो कि पीजीसीआईएल नेटवर्क से संयोजित है) से प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, भारित औसत क्षमता तथा आवंटन प्रतिशत से व्यूत्पादित (derived) किया गया है।

तालिका 67: विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रु. में) (जैसे कि ये दायर किये गये)

विद्युत वितरण कम्पनी	आवंटन %	वित्तीय वर्ष 2005–06	वित्तीय वर्ष 2006–07	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
मप्र मध्य क्षेविविक.लि	32.14%	37	38	42	42	42
मप्र पश्चिम क्षेविविक.लि	37.98%	44	44	49	49	50
मप्र पूर्व क्षेविविक.लि	29.60%	34	35	38	39	39
योग		**116**	**117**	**130**	**130**	**130**

3.17 अपेक्षाकृत नवीन तथा उदीयमान क्षमताओं हेतु पारेषण प्रभारों का पूर्वानुमान सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर किया गया है। रु. करोड़ प्रति मेगावाट के रुप में लक्ष्य को वित्तीय वर्ष 2006–07 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर व्युत्पादित किया गया है। यह लक्ष्य भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) प्रभारों की शुद्ध गणना के रुप में है। केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धियों पर आधारित तथा व्युत्पादित लक्ष्यों के आधार पर एमपी ट्रेडको

भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार निम्नानुसार हैं जिन्हें कि थोक विद्युत प्रदाय दर में सम्मिलित किया गया है तथा जिन पर एमपी ट्रेडको विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत का विक्रय कर सकेंगी, यदि विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत क्रय किये जाने की आवश्यकता हो।

तालिका 68ः एमपी ट्रेडको हेतु पीजीसीआईएल प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)

एमपी ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
अपेक्षकृत नवीन तथा उदीयमान केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों हेतु पीजीसीआईएल प्रभार	40	45	54

3.18 पूर्वानुमान अवधि के दौरान, राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों (एमपी ट्रांसको प्रभारों) को प्राक्कलित किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी ने पीजीसीआईएल प्रभारों का पूर्वानुमान किये जाने हेतु प्रयोग की गई विधि को ही अपनाया गया है। प्रभारों के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्वानुमान अवधि हेतु, वार्षिक पारेषण प्रभारों में प्रोत्साहन, आयकर तथा विशेष लाभ (बेनीफिट) तत्व को भी समायोजित किया है। विद्यमान उत्पादन क्षमताओं से संयोजित एमपी ट्रांसको प्रभार जो कि प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान योग्य हैं निम्न तालिका में दर्शाये गये हैंः

तालिका 69ः विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)

वार्षिक मप्र ट्रासमिशन कं लि प्रभार (करोड़ रु. में) जैसे कि ये निम्न द्वारा भुगतान योग्य हैंः	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
मप्र मध्य क्षेविविक.लि	209.42	181.45	181.45
मप्र पश्चिम क्षेविविक.लि	229.97	199.26	199.26
मप्र पूर्व क्षेविविक.लि	265.33	229.89	229.89
योग	**704.72**	**610.60**	**610.60**

3.19 एमपीपीटीसीएल प्रभार, जो कि अपेक्षाकृत नवीन तथा उदीयमान उत्पादन क्षमताओं से संबद्ध हैं तथा जैसे कि ये एमपी ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य हैं, निम्नानुसार हैं जिन्हें कि थोक विद्युत प्रदाय दर में सम्मिलित कर लिया गया है जिस पर एमपी ट्रेडको विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत का विक्रय कर सकेगी यदि विद्युत वितरण कम्पनियों को इसकी आवश्यकता हो।

तालिका 70ः एमपी ट्रेडको हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)

मप्र ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य एमपीपीटीसीएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
एमपीपीटीसीएल द्वारा भुगतान योग्य वार्षिक प्रभार एमपीपीटीसीएल प्रभार	133	212	261

आयोग का विश्लेषण

विक्रय का पूर्वानुमान

मीटरीकृत खपत

3.20 आयोग ने समस्त मीटरीकृत उपभोक्ताओं के विक्रय पूर्वानुमानों की समीक्षा की है तथा पूर्व की प्रवृत्ति के साथ इसकी तुलना की है। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी की विभिन्न श्रेणियों के विक्रय पूर्वानुमानों के समर्थन में प्रस्तुतिओं को भी संज्ञान में लिया है तथा की गई अवधारणाओं को युक्तियुक्त मानता है। विद्यमान विद्युत उत्पादन तथा नियोजित क्षमता अभिवृद्धि के आधार पर, यह संज्ञान में लिया गया है कि वर्ष 2008–09 में मप्र राज्य को विद्युत उपलब्धता की मात्रा अनुज्ञप्तिधारी के विक्रय पूर्वानुमान की पूर्ति किये जाने से कहीं अधिक है। अतः आयोग अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान के कांट–छांट किये जाने को उपयुक्त नहीं मानता। पारेषण एवं वितरण हानियों (टी एण्ड डी लॉसेस) पर विचार करने के उपरान्त भी, उपलब्ध विद्युत मात्रा उपभोक्ताओं की समस्त पूर्वानुमान आवश्यकताएं की आपूर्ति हेतु पर्याप्त है। अतः आयोग समस्त मीटरीकृत उपभोक्ताओं के विक्रय पूर्वानुमानों को अनुमोदन करता है।

अमीटरीकृत खपत

3.21 घरेलू श्रेणी की अमीटरीकृत खपत के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को विदित करा दिया है कि अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रारंभ होने से पूर्व ही शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को मीटरीकृत करने की योजना है तथा तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 में शहरी क्षेत्रों के घरेलू खण्ड में कोई बिना मीटर वाला उपभोक्ता नहीं होगा। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को मीटरीकरण संबंधी प्रस्तुत अद्यतन स्थिति के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय क्षेत्र के शहरी भागों में अभी भी काफी बड़ी संख्या में अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ता विद्यमान हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2008–09 में, यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस खण्ड के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत विक्रय का पूर्वानुमान नहीं किया गया है, आयोग इस टैरिफ आदेश में इन उपभोक्ताओं हेतु भी टैरिफ दर को विनिर्दिष्ट कर रहा है। इसके द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी से वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अवशेष शहरी घरेलू श्रेणी में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में विद्युत खपत को प्राक्कलित करने तथा आनुषंगिक इनकी बिलिंग किये जाने का अवसर प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

3.22 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु टैरिफ आदेश में अवधारित किया गया था कि घरेलू श्रेणी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग शहरी क्षेत्रों में 77 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह 38 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह के आधार पर की जावेगी। इसके स्थान पर, अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 में ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की खपत 30 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह की दर से आकलित की है।

3.23 अमीटरीकृत कृषि पम्पसेटों तथा घरेलू उपभोक्ताओं के और आधिक यथार्थवादी प्राक्कलन विकसित किये जाने के प्रयोजन से, आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को जारी किये गये आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के दोनों कृषि तथा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने वाले वितरण ट्रांसफार्मरों पर स्थापित कम से कम 100 मापयन्त्रों (मीटरों) के ऊर्जा खपत संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। अनुज्ञप्तिधारी ने उसके प्रचालन क्षेत्र के कुछ वृत्तों के वितरण ट्रांसफार्मर मापयन्त्रों (मीटरों) के कुछ नमूना ट्रांसफार्मर के वाचन प्रस्तुत किये है। तीन वृत्तों के वितरण ट्रांसफार्मर मापयन्त्रों द्वारा दर्शाई गई यूनिट खपत, जैसी कि वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई है, निम्नानुसार हैः

तालिका 71: माह अप्रैल 07 से माह जनवरी 08 तक की अवधि के वितरण ट्रांसफर्मर मापयन्त्र (मीटरिंग) आंकड़े

सं क्र	वृत्त	उपभोक्ताओं की संख्या	भार–अश्वशक्ति में	कुल खपत (दस माह हेतु)	प्रति माह प्रति उपभोक्ता औसत खपत
1.	इन्दौर (संचालन एवं संधारण)	1382	1193	932990	75.01
2.	झाबुआ	918	1459	218534	23.18
3.	धार	64	18170	91203	142.50
	योग	**2364**	**20822**	**1242727**	**52.27**

3.24 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का अवलोकन किये जाने पर पाया कि नमूने का क्षेत्र, आकार तथा अवधि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पर्याप्त नहीं है तथा नमूना परिणामों में भी पर्याप्त अन्तर हैं। ये आंकड़े शहरी–ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी पृथक्कृत नहीं करते, जो कि अध्ययन कराये जाने का मूल उद्देश्य है। एक लघु नमूना आकार हेतु, धार की औसत खपत 142.5 यूनिट आ रही है। झाबुआ वृत्त में अभिलिखित की गई औसत खपत काफी न्यून है तथा यह केवल 24 यूनिट ही पाई गई है। इन्दौर की औसत खपत, शहरी क्षेत्र में अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ता श्रेणी हेतु 77 यूनिट की बिलिंग की विद्यमान पद्धति के काफी समीप है। समग्र नमूने के अनुसार, औसत खपत 52.57 यूनिट दर्शायी गई है। अनुज्ञप्तिधारी ने किंचित मात्र आंकड़े ही प्रस्तुत किये है जो कि बिना किसी व्याख्यात्मक टीप के है जिसके कारण आंकड़ों में अन्तर का कारण स्पष्ट नहीं दर्शाया गया है। शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु किन्ही विशिष्ट आंकड़ों तथा नितान्त भिन्नताओं पर किसी विश्लेषण तथा टिप्पणियों के अभाव में, आयोग दिनांक 30 मार्च, 2007 को जारी उसके टैरिफ आदेश के अनुसार घरेलू श्रेणी के अमीटरीकृत शहरी उपभोक्ताओं को 77 यूनिट प्रतिमाह की बिलिंग के उपबन्धों को जारी रखे हुए है। उपरोक्त चर्चा के परिपेक्ष्य में, आयोग ग्रामीण क्षेत्रों के अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत 30 यूनिट खपत प्रति उपभोक्ता प्रति माह के प्राक्कलन को स्वीकार करता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी की इस श्रेणी हेतु, विक्रय संबंधी प्राक्कलन को दायर किये गये अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

3.25 कृषि श्रेणी के अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के संबंध मे, आयोग ने उसके वित्तीय वर्ष 2007–08 संबंधी आदेश में निर्देशित किया था कि उपभोक्ता की बिलिंग निम्न आधार पर की जावेगीः–

(ए) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 100 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजन हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी ; तथा

(बी) शहरी क्षेत्रों में अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजनों हेतु 150 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी।

3.26 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत कृषि श्रेणी में अमीटरीकृत खपत के प्राक्कलन का विश्लेषण किया तथा अनुज्ञप्तिधारी को इस श्रेणी में उसके खपत संबंधी प्राक्कलनों का आधार प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। अनुज्ञप्तिधारी ने तदनुसार अपना राजस्व मॉडल आयोग को प्रस्तुत किया है जो कि वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विक्रय तथा राजस्व पूर्वानुमान का आधार है, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे दायर किया गया है। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजस्व मॉडल का विश्लेषण किया तथा उसके द्वारा शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु, दोनों स्थाई तथा अस्थाई उपभोक्ताओं के अन्तर्गत, कृषि उपभोक्ताओं तथा संयोजित भार को चिन्हित किया गया। उपभोक्ताओं तथा संयोजित भार संबंधी जानकारी के आधार पर तथा उपरोक्त दर्शाये गये आकलन मानदण्डों के प्रयुक्त किये जाने पर, आयोग का विचार है कि इस श्रेणी से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के पूर्वानुमान औचित्यपूर्ण हैं तथा तदनुसार विक्रय पूर्वानुमानों को पुनरीक्षित दायर किये गये अनुसार अनुमोदित करता है।

3.27 यद्यपि आयोग द्वारा, अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को बिलिंग के प्रयोजन से उपरोक्त दर्शाये अनुसार निर्धारण मानदण्ड विकसित किये थे, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग के सुसंगत आंकड़े (प्रभावी रुप से कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों संबंधी) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ताकि अमीटरीकृत कृषि पम्प सेटों हेतु और अधिक सही प्राक्कलन विकसित किया जा सके। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है।

3.28 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के आधार पर आयोग के संज्ञान में निम्न बिन्दु आए हैंः

(i) जबतक कि विद्युत खपत आंकड़ें, वर्षा तथा भूमिगत जलस्तर के आंकड़ों के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाते, प्रस्तुत जानकारी निरर्थक होगी।

(ii) इसके अतिरिक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औसत खपत के अन्तर को आकलित किये जाने की दृष्टि से, शहरी–ग्रामीण उपभोक्ताओं का पृथक्करण किया जाना आवश्यक है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, उज्जैन क्षेत्र में औसत मासिक खपत 112.09 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के विरुद्ध इन्दौर क्षेत्र में यह 118.71 यूनिट प्रति अश्वशक्ति थी। कम्पनी हेतु समग्र रुप से, अनुज्ञप्तिधारी ने 113 यूनिट की औसत खपत होना दर्शाया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान, माह जनवरी 2008 तक इन्दौर क्षेत्र हेतु औसत खपत 96.98 यूनिट दर्शाई गई है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान उज्जैन क्षेत्र हेतु माह दिसम्बर 2007 तक खपत 119.21 यूनिट दर्शाई गई है। इसमें कुछ विसंगतियां भी हैं जिनके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं दिया गया है। धार वृत्त की औसत खपत इन्दौर वृत्त से अधिक है। इसी प्रकार उज्जैन क्षेत्र में, शाजापुर वृत्त की औसत खपत उज्जैन वृत्त की औसत खपत से कहीं अधिक है। झाबुआ वृत्त तथा खरगोन वृत्त में औसत खपत केवल क्रमशः 69.82 तथा 76.34 यूनिट ही दर्शाई गई है।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराई गई अपर्याप्त जानकारी के परिपेक्ष्य में आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु आयोग के वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश में अनुमोदित किये गये आधार के अनुरुप ही बिलिंग किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते है (*जैसा कि यह उपरोक्त पैरा 3.26 में उल्लेखित है*)।

3.29 उपरोक्त चर्चा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के विक्रय पूर्वानुमान निम्नानुसार अनुमोदित किये जाते हैः

तालिका 72: वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान

उपभोक्ता श्रेणी			विद्युत विक्रय मिलियन यूनिट में
निम्न दाब उपभोक्ता	एलवी 1	घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	1866.38
	एलवी 2	गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	470.20
	एलवी 3	जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	147.57
	एलवी 4	निम्न दाब औद्येगिक	434.50
	एलवी 5	कृषि उपभोक्ता	3805.54
		योग (निम्न दाब)	**6724.19**
उच्च दाब उपभोक्ता	एचवी 1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	316.29
	एचवी 2	कोयला खदानें	0.00
	एचवी 3.1	औद्योगिक	2185.44
	एचवी 3.2	गैर–औद्योगिक	199.25
	एचवी 4	मौसमी (सीजनल)	10.06

	एचवी 5.1	सार्वजनिक जल–प्रदाय	213.71
	एचवी 5.2	उच्च दाब सिंचाई	6.70
	एचवी 6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	0.00
	एचवी 7	छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	225.85
		कुल (उच्च दाब)	**3157.30**
योग निम्न दाब + उच्च दाब			**9881.49**

3.30 आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के अनुसार वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ अवधारण हेतु जारी विनियमों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचाराधीन वर्ष के दौरान विक्रय की गई वास्तविक विद्युत की मात्रा को, मानदण्डीय हानियों पर विचार करते हुए, समेकित किया जावेगा ताकि ऐसे वर्ष के दौरान अनुज्ञेय विद्युत मात्रा की गणना की जा सके।

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

3.31 राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2010–11 की अवधि हेतु वितरण हानियों के वार्षिक लक्ष्य प्रकाशित किये जा चुके हैं जिन्हें कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आवश्यकता की गणना मध्यप्रदेश शासन के वितरण हानियों संबंधी आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के आधार पर की गई है। अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 की अवधि बाबत, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु वितरण हानि 27.0 प्रतिशत मानी गई है।

तालिका 73 : मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)

वर्ष	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
वित्तीय वर्ष 2006–07	30.0%
वित्तीय वर्ष 2007–08	28.5%
वित्तीय वर्ष 2008–09	**27.0%**
वित्तीय वर्ष 2009–10	25.5%
वित्तीय वर्ष 2010–11	24.0%

3.32 पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र स्टेशनों की अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पृथक–पृथक की गई है। पश्चिम क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों हेतु, पूर्व आंकड़े (वित्तीय वर्ष 2007–08 के 44 सप्ताह, अर्थात् दिनांक 3 फरवरी, 2008 को समाप्त होने वाले सप्ताह पर्यन्त) को लिया गया है तथा 4.28% के औसत हानि स्तर का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र पारेषण लाईनों की हानियों हेतु, औसत हानि स्तर (वित्तीय वर्ष 2007–08 के 47 सप्ताह हेतु) 3.31% माना गया है।

3.33 आयोग द्वारा पारेषण बहुवर्षीय टैरिफ आदेशानुसार राज्यान्तरिक (इंटर–स्टेट) पारेषण हानियां 4.9 प्रतिशत मानी गई हैं।

3.34 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु निर्धारित हानि के लक्ष्यों के अनुसार ऊर्जा संतुलन की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई हैः

तालिका 74: वित्तीय वर्ष 08 हेतु सकल ऊर्जा आवश्यकता

स.क्र	विवरण	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
1	कुल विद्युत ऊर्जा का विक्रय (मिलियन यूनिट में)	9,881.49
2	वितरण हानि (% में)	27.00%
3	पारेषण – वितरण अर्न्तमुख पर (मिलियन यूनिट में)	13,536.29
4	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कं लिमिटेड की पारेषण हानि (% में)	4.90%
5	मध्यप्रदेश राज्य की सीमा पर	14,233.74
6	बाह्य हानियां (मिलियन यूनिट में)	239.12
7	**सकल ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)**	**14,472.86**

3.35 मध्यप्रदेश शासन ने अधिसूचना क्र 2088–एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा तीनों विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के विद्यमान उत्पादन क्षमता आवंटन को पुनरीक्षित कर दिया है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान संस्थापित की गई उत्पादक क्षमता को आवंटित कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान संस्थापित की जाने वाली प्रत्याशित क्षमता के एमपी ट्रेडको को आवंटन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

3.36 आयोग ने मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र 2088–एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु विद्यमान स्टेशनों से ऊर्जा के आवंटन तथा एमपी ट्रेडको को नवीन स्टेशनों की आवंटित क्षमताओं पर विचार किया है। आयोग ने मध्यप्रदेश शासन की उक्त अधिसूचना पर भी विचार किया है जिसमें उल्लेख है कि ऊर्जा घाटे की अवधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय करेंगे।

3.37 निम्न तालिका मप्र शासन की पूर्व अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 तथा मप्र शासन की अधिसूचना क्र 2088–एफआरएस–4–XIII–200 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को उत्पादन क्षमताओं का आवंटन प्रस्तुत करती हैः

तालिका 75ः पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को स्टेशन वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)

स्टेशन का नाम	मप्र शासन की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2007 के अनुसार आवंटन	मप्र शासन द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित आवंटन
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट)–राणा प्रताप तथा जवाहर सागर	37.94%	37.94%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हायडल)ः बरगी	30.44%	32.00%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट)ः गांधी सागर	30.44%	38.00%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट)ः पेंच	30.44%	38.00%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हायडल) बिरसिहंपुर	30.44%	31.00%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हायडल)ः बाण सागर संकुल (I, II, तथा III)	30.44%	32.00%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (इन्टरस्टेट)ः राजघाट	30.44%	39.00%
पूर्वी क्षेत्रः तालचेर एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	30.44%	33.00%
सरदार सरोवर परियोजना	30.44%	31.00%
पश्चिमी क्षेत्रः कोरबा एसटीपीसी (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) -I	30.44%	40.00%
संयुक्त उपक्रमः इन्दिरा सागर (8 x 125 मेगावॉट)	37.94%	36.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल)ः अमरकंटक संकुल	37.94%	47.00%
पश्चिमी क्षेत्रः विंध्याचल एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) - I	37.94%	38.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल)ः संजय गांधी संकुल	37.94%	37.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल)ः सतपुड़ा संकुल (चरण–II तथा चरण–III)	37.94%	48.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल)ः सतपुड़ा चरण–I (अन्तर्राज्यीय)	37.94%	48.00%
पूर्वी क्षेत्रः फरक्का एसटीपीएस	47.17%	32.00%
पश्चिमी क्षेत्रः विंध्याचल एसटीपीएस–II	47.17%	39.00%
पश्चिमी क्षेत्रः विंध्याचल एसटीपीएस–III, (यूनिट–I)	47.17%	32.00%
पश्चिमी क्षेत्रः काकरापार एपीएस (एटॉमिक पावर स्टेशन)	47.17%	32.00%
पश्चिमी क्षेत्रः गंधार जीपीपी (गैस पावर प्लांट)	47.17%	32.00%
पश्चिमी क्षेत्रः तारापुर एपीएस	47.17%	32.00%
पूर्वी क्षेत्रः कहलगांव एसटीपीएस	47.17%	32.00%
एमपीपीजीसीएल – एसएचः मढीखेड़ा	47.17%	30.00%
पश्चिमी क्षेत्रः कवास जीपीपी	47.17%	32.00%
ओंकारेश्वर एचपीएस (हायड्रो पावर स्टेशन)		30.00%
पश्चिमी क्षेत्रः विंध्याचल एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) III (यूनिट II)		32.00%
बाणसागर – IV (झिन्ना)		30.00%

मढ़ीखेढ़ा (यूनिट III)		30.00%
लैंको अमरकंटक		25.00%
भारित औसत	**37.21%**	**36.49%**

3.38 ओंकारेश्वर जल–विद्युत (हायडल) पावर स्टेशन को पूर्व में ट्रेडको के साथ रखा गया था क्योंकि इसे पिछले वर्ष के मध्य से प्रचालन में आना था। चूंकि यह संयंत्र वित्तीय वर्ष 2008–09 से पूर्ण रुप से उपलब्ध हो जावेगा, अतः इसे मप्र शासन की नवीन अधिसूचना के आधार पर इसे स्थाई आवंटन (फर्म एलोकेशन) के अन्तर्गत रखा गया है।

3.39 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु आवंटन का भारित औसत प्रत्येक स्टेशन से आवंटित अंशदान के अनुसार 36.49% है।

3.40 **द्विपक्षीय स्टेशनः–** आयोग ने समस्त द्विपक्षीय स्टेशनों (राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, पेंच, राजघाट तथा सारनी चरण-I) से उपलब्धता के संबंध में मप्र राज्य के अंशदान पर ही विचार किया है। आयोग ने मप्र जनको आदेश दिनांक 7 मार्च, 2006 में गाधी सागर, पेंच, राजघाट, सारनी चरण-I हेतु दरों का अवधारण किया है तथा केवल मप्र राज्य के अंशदान हेतु ही इन्हीं दरों पर विचार किया है। तथापि, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर हेतु किसी आंकड़े के अभाव में, आयोग ने जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर स्टेशन से विद्युत क्रय की लागत के अवधारण हेतु प्रावधिक तौर पर प्रति मेगावॉट आधार की उपलब्धता के साथ–साथ गांधी सागर को प्रयोज्य टैरिफ दर पर भी विचार किया है।

3.41 आयोग द्वारा संज्ञान कर लिया गया है कि द्विपक्षीय स्टेशनों हेतु ऊर्जा का पुनर्मिलान अभ्यास प्रगति पर है। अतः, वह अनुज्ञप्तिधारी को तत्संबंधी विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश देता है।

3.42 **केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनः–** वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्यमान केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से वार्षिक ऊर्जा उपलब्धता पर वित्तीय वर्ष 2006–07 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान (माह दिसम्बर, 2007 तक पश्चिमी क्षेत्र हेतु तथा माह नवम्बर, 2007 तक पूर्वी क्षेत्र हेतु) उपलब्धता के विश्लेषण पश्चात् विचार किया गया है। इन आंकड़ों का प्रयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान उपलब्धता के पूर्वानुमान हेतु किया गया है।

3.43 **एमपी जनको स्टेशनः–** जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, एमपी जनको स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धता को एमपी जनको के उत्पादन के मासिक पूर्वानुमान पर आधारित होना दर्शाया है।

3.44 आयोग ने एमपी जनको स्टेशन से कुल उपलब्धता के संबंध में उसके टैरिफ आदेश के अनुसार विचार किया है। तथापि, आयोग द्वारा एमपी जनको द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर मासिक उपलब्धता के विश्लेषण तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 की आवश्यकता के संबंध में अभ्यास भी किया गया है।

3.45 निम्न तालिका राज्य सीमा के बाहर स्थित स्टेशनों से एमपी जनको स्टेशनों हेतु, बाह्य हानियों तथा एक्सबस पर विचारोंपरांत मासिक उपलब्धता दर्शाती हैः

तालिका 76ः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, माहवार ऊर्जा आवश्यकता तथा उपलब्धता

(मिलियन यूनिट में)

माह	ऊर्जा उपलब्धता	राज्यान्तरिक वितरण कम्पनी क्रय	राज्यान्तरिक वितरण कम्पनी विक्रय	राज्य सीमा पर वितरण कम्पनी की आवश्यकता	कमी / आधिक्य
अप्रैल 2008	943.47	0.00	0.00	1029.93	(86.46)
मई 2008	956.57	0.00	0.00	1044.92	(88.35)
जून 2008	848.07	0.00	0.00	1059.09	(211.02)
जुलाई 2008	1080.65	0.00	0.00	1001.01	79.64
अगस्त 2008	1140.64	0.00	0.00	1047.84	92.81
सितम्बर 2008	1081.60	0.00	0.00	1051.28	30.33
अक्टूबर 2008	1302.91	0.00	0.00	1195.75	107.16
नवम्बर 2008	1259.53	26.55	0.00	1391.04	(104.96)
दिसम्बर 2008	1235.46	0.00	0.00	1436.48	(201.02)
जनवरी 2009	1205.30	0.00	0.00	1599.68	(394.38)
फरवरी 2009	1028.13	0.00	0.00	1323.36	(295.23)
मार्च 2009	1052.33	0.00	0.00	1053.39	(1.05)
योग	**13134.66**	**26.55**	**0.00**	**14233.74**	**(1072.53)**

3.46 जैसा कि उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी को अप्रैल से जून तथा दिसम्बर से मार्च के महीनों में 1382.48 मिलियन यूनिट लघु–अवधि ऊर्जा की उपाप्ति (प्रोक्यूरमेंट) करनी होगी तथा माह जुलाई से अक्टूबर तक उसके पास 309.94 मिलियन यूनिट का आधिक्य रहेगा।यह उपाप्ति उसे एमपी ट्रेडको से रु. 2.44 प्रति किलोवॉट ऑवर की औसत दर पर (राज्य सीमा पर अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना उपरान्त) निम्न तालिका में दर्शाई गई गणना के अनुसार करनी होगीः

तालिका 77ः वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु अवधि क्रय की दर

ट्रेडको स्टेशन	स्थाई लागत (करोड़ रू में)	पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ में)	परिवर्तनीय लागत (पैसे प्रति किलो वाट ऑवर)	मिलियन यूनिट (एक्सबस)	मिलियन यूनिट (राज्य सीमा पर)	कुल लागत (करोड़ रू में)	पैसे / किलो वाट आवर (राज्य सीमा पर)
कहलगांव एसटीपीएस चरण–II (3×500मेगावाट)	60.15	3.57	120.8	697.37	674.28	147.97	219.5

सीपत ताप विद्युत परियोजना, चरण–I (3×660 मेगावाट)	62.41	2.87	52.6	560.50	536.51	94.77	176.6
सीपत ताप विद्युत परियोजना, चरण–II (2×500 मेगावाट)	107.87	4.77	55.1	931.99	892.10	164.03	183.9
अमरकंटक (नवीन 210 मेगावाट)	194.62	0.00	101.0	1368.66	1368.66	332.85	243.2
दामोदर वैली कार्पोरेशन परियोजना एमटीपीएस तथा सीटीपीएस (500मेगावाट)	351.94	13.36	121.3	2606.98	2520.69	681.59	270.4
बिरसिंहपुर विस्तार (500मेगावाट)	511.00	0.00	101.0	3258.72	3258.72	840.13	257.8
योग	**1287.99**	**24.58**		**9424.22**	**9250.09**	**2,261.35**	**244.4**

3.47 चूंकि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य भर में एक समान टैरिफ दर लागू किये जानें का निर्णय लिया है, अतः किसी अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध किसी माह में आधिक्य ऊर्जा प्रथमतः मध्यप्रदेश के अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदान की जावेगी जिनके पास उक्त माह में विद्युत की कमी होगी । आयोग निर्देश देता है कि राज्य के भीतर अन्य वितरण कम्पनियों को आधिक्य ऊर्जा की विक्रय दर मासिक संकोषीय लागत (मन्थली पूल्ड कॉस्ट) होगी :

तालिका 78ः पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत

स.क्र.	माह	कुल स्थाई उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	करोड़ रूपये में *	रूपये प्रति किलोवॉट ऑवर
1	अप्रैल	943.47	175.28	1.86
2	मई	956.57	178.99	1.87
3	जून	848.07	158.78	1.87
4	जुलाई	1080.65	207.07	1.92
5	अगस्त	1140.64	211.81	1.86
6	सितम्बर	1081.60	193.71	1.79
7	अक्टूबर	1302.91	237.22	1.82
8	नवम्बर	1259.53	224.88	1.79
9	दिसम्बर	1235.46	224.79	1.82
10	जनवरी	1205.30	223.04	1.85
11	फरवरी	1028.13	185.19	1.80
12	मार्च	1052.33	194.07	1.84

** इसमें स्थाई लागत, परिवर्तनीय लागत, पीजीसीआईएल प्रभार, एमपी ट्रांसको तथा अन्य लागतें शामिल हैं*

3.48 अनुज्ञप्तिधारी के पास बची रहने वाली आधिक्य (ऊर्जा) जैसी कि यह मासिक उपलब्धता तथा आवश्यकता संबधी उपरोक्त तालिका में उपलब्धता तथा आवश्यकता संबधी उपरोक्त तालिका में देखी सकती है, राज्यान्तरिक व्यापार के उपरान्त बाहय व्यापार हेतु उपयोग की जावेगी तथा अर्जित राजस्व को विद्युत क्रय लागत के विरूद्ध समायोजित किया जावेगा। निम्न तालिका पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु आधिक्य ऊर्जा की सूचक लागत (Indicative Cost) दर्शाती है। तथापि, आयोग द्वारा यह संज्ञान कर लिया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी किसी आधिक्य ऊर्जा का विक्रय उक्त समय पर मांग तथा प्रदाय परिदृश्य पर निर्भर करते हुए उचित दर पर कर सकेगा। अतः, आधिक्य विद्युत ऊर्जा से अर्जित वास्तविक राजस्व का समाधान, वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन के दौरान किया जावेगा।

तालिका 79 : विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत

स.क्र.	माह	आधिक्य विद्युत ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल लागत (करोड़ रूपयें में)	रूपये प्रति किलोवाट ऑवर
1	अप्रैल	-	-	-
2	मई	-	-	-
3	जून	-	-	-
4	जुलाई	79.64	15.26	1.92
5	अगस्त	92.81	17.23	1.86
6	सितम्बर	30.33	5.43	1.79
7	अक्टूबर	107.16	19.51	1.82
8	नवम्बर	-	-	-
9	दिसम्बर	-	-	-
10	जनवरी	-	-	-
11	फरवरी	-	-	-
12	मार्च	-	-	-
योग		**309.94**	**57.44**	**1.85**

3.49 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु, वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर के दौरान आधिक्य विद्युत ऊर्जा के कारण विक्रय राज्यान्तरिक व्यापार के अंतर्गत 309.94 मिलियन यूनिट आंका गया है। आधिक्य विद्युत ऊर्जा के विक्रय से होने वाली आय को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय लागत के साथ समायोजित किया जावेगा ।

3.50 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्रारा प्राक्कलित तथा आयोग द्रारा प्राक्कलित स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 80: वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

स क्र	वित्तीय वर्ष 2008–09		
	स्टेशनों के नाम	विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित	जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें प्राक्कलित किया गया
1	केन्द्रीय क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)	4832	4588.92
2	केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र)	219	70.20
3	द्विपक्षीय कय	0	
4	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	1024	933.28
5	सरदार सरोवर	761	700.01
6	ओंकारेश्वर जल–विद्युत[4]		375.00
7	लैंको अमरकंटक		243.73
8	पवन विद्युत उत्पादन		16.00
9	कैप्टिव		3.96
10	एमपी जनको	5739	6442.67
11	एमपी ट्रेडको के माध्यम से विद्युत उपात्ति	1911	1382.475095
12	**योग**	**14486**	**14756.26**

3.51 **केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (पश्चिमी क्षेत्र):** मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार, विभेदक आवंटन (डिफरेंशियल एलोकेशन) के कारण अनज्ञप्तिधारी को उपलब्ध अंशदान में अभिवृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आयोग ने मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार आगामी वर्ष के दौरान विन्ध्याचल ताप–विद्युत स्टेशन के चरण–III की दोनों इकाईयों से स्थाई आवंटन (Firm Allocation) उपलब्धता को प्राक्कलित किये जाने के दौरान विचार किया है; जबकि, अनुज्ञप्तिधारी ने आगामी वर्ष के दौरान उपलब्धता को प्राक्कलित किये जाने के संबंध में स्थाई आवंटन बाबत केवल विन्ध्याचल, चरण तृतीय यूनिट–I पर ही विचार किया है। मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार सीपत चरण–I तथा II को एमपी ट्रेडको के साथ रखा गया है।

3.52 **केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (पूर्वी क्षेत्र):** अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा दायर की गई याचिका के अंतर्गत कहलगांव (चरण–II) पर विचार किया है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इस स्टेशन की क्षमता अब एमपी ट्रेडको के पास है।

3.53 **द्विपक्षीय विद्युत क्रय:** मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार दामोदर वैली कार्पोरेशन हेतु, इन क्षमताओं को एमपी ट्रेडको के साथ रखा गया है।

---

[4] विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अस्थाई आवंटन (**Infirm Allocation**) के अन्तर्गत विचार किया।

3.54 **ओंकारेश्वर जल–विद्युत स्टेशनः** आयोग ने ओंकारेश्वर जल–विद्युत स्टेशन से अनुज्ञप्तिधारी हेतु उपलब्धता को मप्र शासन की अधिसूचना में क्षमता आवंटन के अनुसार माना है।

3.55 **एमपी जनकोः** उपलब्धता में परिवर्तन, मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित क्षमता आवंटन के कारण हुआ है। आयोग ने अमरकंटक–विस्तार तथा बिरसिंहपुर–विस्तार से विद्युत प्राप्ति पर विचार किया है तथा इन स्टेशनों को एमपी ट्रेडको के साथ रखा गया है।

विद्युत क्रय लागतें

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन–पश्चिमी क्षेत्र

3.56 **पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशन [कोरबा, वीएसटीपीएस–I, वीएसटीपीएस–II, वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I तथा यूनिट– II), कवास तथा गन्धार]:** जैसा कि पूर्व में कहा गया है, विद्यमान स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धता पर अनुज्ञप्तिधारियों, द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार विचार किया गया है। आयोग ने भी इन स्टेशनों बाबत स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के इन स्टेशनों बाबत इनकी स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों के सत्यापन उपरांत इन्हें अनुमोदित कर दिया है। केएपीपी हेतु एकल भाग टैरिफ दर का भुगतान देय होगा तथा प्रावधिक टैरिफ दरों पर भारत शासन, अणुशक्ति विभाग के माह अक्टूबर 2006 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार माना गया है। टीएपीपी 3 तथा 4 हेतु, एकल भाग टैरिफ को जैसा कि वह माह नवम्बर 2007 तक के वास्तविक देयकों के अनुसार देय है, माना गया है।

3.57 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय स्टेशनों हेतु मध्यप्रदेश राज्य को अंशदान का आंवटन एनटीपीसी के देयकों के अनुसार दर्शाया गया था। आयोग ने मध्यप्रदेश राज्य आवंटन तथा परिणामस्वरुप पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी के अंशदान को शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2088 एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार माना है।

तालिका 81 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन

सरल क्रमांक	पश्चिमी क्षेत्र (केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–सीजीएस)	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु	
							उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	केएसटीपीएस	2100.00	21.38%	3432.42	89.84	40.00%	1373.0	**35.94**
2	वीएसटीपीएस–I	1260.00	33.34%	2763.77	100.78	38.00%	1050.2	**38.30**
3	वीएसटीपीएस–II	1000.00	30.12%	1981.59	121.21	39.00%	772.8	**47.27**

4	वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I तथा–II)	1000.00	22.34%	1469.64	118.61	32.00%	470.3	**37.96**
5	केजीपीएस	656.20	24.15%	830.90	58.9	32.00%	265.9	**18.85**
6	जीजीपीएस	657.39	20.64%	846.65	76.64	32.00%	270.9	**24.52**
7	केएपीपी	440.00	23.99%	475.26		32.00%	152.1	
8	टीएपीपी (3 तथा 4)	1080.00	19.52%	730.36		32.00%	233.7	

3.58 ईंधन लागत समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) प्रभारों को आयोग के पास माह नवम्बर 2007 तक के अद्यतन उपलब्ध देयकों के अनुसार लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के देयक हेतु औसत राशि को लिया गया है तथा इसमें 5.5%[5] की दर से वृद्धि की गई है जिसके अनुसार आगामी वर्ष के ईंधन लागत समायोजन प्रभार प्राप्त हुए हैं। अन्य प्रभार, जिनमें प्रोत्साहन तथा कर शामिल हैं, पर वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विचार नहीं किया गया है तथा इन पर तदनुसार इस वर्ष किये जाने वाले सत्यापन के दौरान विचार किया जावेगा।

3.59 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 82: पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

पश्चिमी क्षेत्र (सीजीएस)	वित्तीय वर्ष 08				
	परिवर्तनीय (रू/किलोवाट आवर)	ईंधन लागत समायोजन (एफपीए) प्रभार (रू/किलोवाट आवर)	कुल परिवर्तनीय प्रभार (करोड़ रु. में)	ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
केएसटीपीएस	0.47	0.08	**1373.0**	**76.0**	**112.0**
वीएसटीपीएस–I	0.76	0.24	**1050.2**	**104.3**	**142.6**
वीएसटीपीएस–II	0.73	0.22	**772.8**	**73.7**	**120.9**
वीएसटीपीएस–III (यूनिट– I एवं II)	0.95	0.01	**470.3**	**45.5**	**83.4**
केजीपीएस	1.03	1.52	**265.9**	**67.9**	**86.7**
जीजीपीएस	1.05	0.23	**270.9**	**34.7**	**58.9**
केएपीपी	2.04		**152.1**	**31.1**	**31.1**
टीएपीपी (3 तथा 4)	2.81		**233.7**	**65.8**	**65.8**
योग				**498.9**	**701.3**

** इनमें स्थाई प्रभार सम्मिलित हैं, जैसा कि उपरोक्त तालिका में उल्लेखित है।*

[5] सूचकांक दर, जैसा कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा याचिका प्रस्तुति में प्रयोग किया गया है।

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन–पूर्वी क्षेत्र

3.60 पूर्वी क्षेत्र में स्थित संयंत्रों की अनुज्ञेय लागतों के अवधारण हेतु, पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों हेतु अनुसरण किये जा रहे सिद्धांत को यहां पर भी अपनाया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इन संयंत्रों में अंशदान के संबंध में शासन की अधिसूचना क्रमांक 2088 एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार विचार किया गया है।

तालिका 83 : मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी								
स.कं	पूर्वी क्षेत्र सीजीएस	स्थापित क्षमता (मेगा वाट में)	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागतें (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	फरक्का	1600	0.91%	97.76	4.74	32.00%	313.	1.52
2	कहलगांव	840	0.89%	53.68	2.83	32.00%	17.2	0.91
3	तालचेर	1000	0.91%	65.89	3.62	33.00%	21.7	1.19
4	**योग**			**217.33**	**11.19**		**70.2**	**3.62**

3.61 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 84 : पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

वित्तीय वर्ष 2008–09					
पूर्वी क्षेत्र (सीजीएस)	परिवर्तनीय (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में)	ईंधन समायोजन प्रभार (एफपीए) (रूपये/किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल परिवर्तनीय प्रभार (करोड़ रु. में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
फरक्का	0.99	0.25	**31.28**	**3.86**	**5.37**
कहलगांव	1.09	0.23	**17.18**	**2.26**	**3.17**
तालचेर	0.41	0.26	**21.74**	**1.45**	**2.65**
योग			**70.20**	**7.57**	**11.19**

**उपरोक्त तालिका में उल्लेख किये गये अनुसार इनमें स्थाई प्रभार भी सम्मिलित है*

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव[6]

3.62 आयोग द्वारा अतिरिक्त पूंजीकरण तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उसके नवीनतम टैरिफ आदेशों द्वारा अनुमोदित अन्य लागतों के प्रभाव के संबंध में केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु वार्षिक स्थाई प्रभारों को अनुज्ञेय करते समय विचार किया गया है। चूंकि अतिरिक्त लागत का भुगतान पांच वार्षिक किस्तों में किया जाना है (जैसा कि इसका उल्लेख केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सुसंगत आदेशों के

[6] पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव पूर्व से ही केन्द्रीय उत्पादक स्थेशनों में स्थाई प्रभारों में सम्मिलित किया जा चुका है।

अन्तर्गत किया गया है); अतएव राज्य के सुसंगत अंशदान पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण लागत के पांचवे भाग को अनुज्ञेय किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग अन्य लागतों (वह लागत, जो कि सूचनाओं के प्रकाशन पर व्यय की गई है) का राज्यीय अंशदान जैसा कि इसे सुसंगत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है, को भी अनुज्ञेय करता है।

3.63 निम्न तालिका वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों के अनुज्ञेय किये गये स्थाई प्रभारों के योग की संक्षेपिका दर्शाती हैः–

तालिका 85ः अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव

संक्र	विद्युत उत्पादक स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य को आवंटन (मेगावाट में)	राज्य को आवंटन (% में)	वार्षिक स्थाई प्रभार (करोड़ रु. में)	अतिरिक्त पूंजीकरण (करोड़ रु. में)	अन्य प्रभार (करोड़ रु. में)	स्थाई प्रभार (राज्य का अंशदान) (करोड़ रु. में)
पश्चिमी क्षेत्र								
1.	पश्चिमी क्षेत्र केएसटीपीएस	2100	448.88	21.38%	411.86	42.10	0.03	89.84
2.	पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस–I	1260.00	420.12	33.34%	300.70	7.83		100.78
3.	पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस–II	1000.00	301.22	30.12%	400.40	9.82	0.03	121.21
4.	पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस–III	1000.00	223.40	22.34%	530.95			118.61
5.	पश्चिमी क्षेत्र, कवास जीपीपी	656.20	158.50	24.15%	243.80	0.17	0.03	58.90
6.	पश्चिमी क्षेत्र, कवास जीपीपी	657.39	135.70	20.64%	367.00	-5.61	0.03	75.53
7.	पश्चिमी क्षेत्र, काकरापार एपीएस	440.00	105.54	23.99%				0.00
8.	पश्चिमी क्षेत्र, तारापुर एपीएस	1080.00	210.78	19.52%				0.00
पूर्वी क्षेत्र								
1.	पूर्वी क्षेत्र – फरक्का एसटीपीएस	1600.00	14.56	0.91%	520.58	2.87		4.74
2.	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	840.00	7.48	0.89%	316.00	11.15	0.07	2.83
3.	पूर्वी क्षेत्र – तालचेर एसटीपीएस	1000.00	9.10	0.91%	397.30			3.62

इन्दिरा सागर (एनएचडीसी), सरदार सरोवर, लैंको अमरकंटक तथा ओंकारेश्वर परियोजनाएं

3.64 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, इन्दिरा सागर जल–विद्युत ऊर्जा संयंत्र हेतु प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग टैरिफ आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 के अनुसार अनुज्ञेय किये गये है। अतः वर्ष 2008–09 हेतु रु. 447.84 करोड़ का स्थाई प्रभार अनुज्ञेय किया गया है। इन्दिरा सागर हेतु परिवर्तनीय प्रभार कोरबा एसटीपीएस के अनुरुप अनुज्ञेय किये गये हैं अर्थात, रु. 0.47 प्रति किलोवाट की परिवर्तनीय लागत तथा रु. 0.08 प्रति किलोवाट ऑवर का ईंधन लागत समायोजन (एफपीए) जैसा कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में उल्लेखित है।

3.65 आयोग ने अवधि 2005–06 हेतु नर्मदा हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएचडीसी) द्वारा उनके देयकों के अन्तर्गत दावा की गई राशि को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) के आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 को इन्दिरा सागर हेतु, प्रभारों में किये गये पुनरीक्षण को अनुज्ञेय किये जाने हेतु माना है। आयोग ने प्रावधिक आदेश के अनुसार प्रस्तुत किये गये देयकों तथा केविनिआ के इन्दिरा सागर संबंधी टैरिफ आदेश उपरान्त एनएचडीसी द्वारा दावा की गई अंतिम राशि को माना है तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अंतिम 10 महीनों के अन्तर में से माह अप्रैल तथा मई 2005 की वास्तविक राशि को घटा कर अनुज्ञेय किया है क्योंकि विद्युत वितरण कम्पनियां दिनांक 1 जून, 2005 को संस्थापित की गई हैं। निम्न तालिका इन लागतों के विवरण दर्शाती है।

तालिका 86: वित्तीय वर्ष 2006 हेतु, इन्दिरा सागर परियोजना का लागत पुनरीक्षण

इन्दिरा सागर परियोजना – वित्तीय वर्ष 2006 हेतु, लागत का पुनरीक्षण (करोड़ रु. में)			
	केविनिआ आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 से पूर्व	केविनिआ आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 के उपरान्त	अनुज्ञेय किया गया अन्तर
2005–06	364.26	493.53	129.27
अप्रैल–2005	34.89	43.64	8.75
मई–2005	22.99	32.83	9.84
वर्ष 2005–06 के 10 माह हेतु दावा योग्य राशि	**306.38**	**417.06**	**110.68**

3.66 अनुज्ञेय की गई लागत को, आगे तीनों राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों को, वर्ष 2005–06 में तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु, अनुज्ञेय विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) (मिलियन यूनिट में) के अनुपात में आवंटित किया गया है जिसे कि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु उसके सत्यापन आदेश में अनुमोदित किया गया है। यह आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुसरण की गई अनुक्रिया के सुसंगत है।

3.67 निम्न तालिका प्रत्येक वितरण कम्पनी पर अतिरिक्त लागत अनुषंग (Additional Cost Incident) का विवरण दर्शाती है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, यह लागत लगभग रु. 42.36 करोड़ आती है।

तालिका 87: इन्दिरा सागर परियोजना हेतु अतिरिक्त अनुज्ञेय की गई लागत

विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटन			
	मध्य	पश्चिम	पूर्व
इन्दिरा सागर परियोजना – अनुज्ञेय किया गया लागत पुनरीक्षण (करोड़ रु. में)	32.73	42.36	35.59

3.68 **सरदार सरोवर:** वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके याचिका प्रस्तुतिकरण में सरदार सरोवर जल–विद्युत स्टेशन से विद्युत क्रय लागत की गणना रु. 1.03 प्रति किलोवॉट ऑवर की है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मानी गई विद्युत क्रय लागत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (नघाविप्रा) द्वारा वित्तीय वर्ष

2007–08 हेतु, वास्तविक प्रभारित किये गये देयकों के अनुसार है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि नघाविप्रा द्वारा टैरिफ अवधारण हेतु एक याचिका प्रावधिक दर रु. 2.00 प्रति किलोवॉट ऑवर के अनुमोदन हेतु दायर की गई है।

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में सरदार सरोवर हेतु रु. 275.27 करोड़ के वार्षिक स्थाई प्रभार अनुज्ञेय किये हैं। ये स्थाई प्रभार तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य राज्य को आवंटित क्षमता हेतु उनके अंशदान के अनुसार विभाजित किये गये हैं।

3.69 **लैंको–अमरकंटक तथा ओंकारेश्वरः** आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लैंको अमरकंटक हेतु, दायर की लागतों को यथावत अनुज्ञेय करता है। ओंकारेश्वर हेतु, आयोग ने एनएचडीसी द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों का विश्लेषण किया है तथा यह पाया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मानी गई लागतें न्यायोचित है। अतः आयोग इन लागतों को दायर किये गये अनुसार अनुज्ञेय करता है।

3.70 **गैर–पारम्परिक स्त्रोतः** पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पवन ऊर्जा से 41 मिलियन यूनिट की उपलब्धता हेतु याचिका दायर की है। आयोग ने पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं से यह संज्ञान में लिया है कि पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उपलब्ध नही है। अतः, आयोग ने इस पवन विद्युत कुल ऊर्जा उपलब्धता को इन दो विद्युत वितरण कम्पनियों को भी न्यूनतम क्रय दायित्व की आपूर्ति के प्रयोजन से आवंटित किया है। इस प्रकार, आयोग 16 मिलियन यूनिट पवन ऊर्जा की लागत को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को, 11 मिलियन यूनिट की लागत को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को तथा 14 मिलियन यूनिट की लागत को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित किया जाना अनुज्ञेय करता है।

न्यूनतम क्रय अहर्ताएंः आयोग द्वारा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु उनकी वार्षिक खपत (तृतीय–पक्ष विक्रय तथा स्वंय के उपयोग को सम्मिलित करते हुए) के 10% की दर से गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में, विद्युत की उपलब्धता के अध्यधीन, न्यूनतम क्रय आवश्यकता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गैर–पारम्परिक स्त्रोतों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से न्यूनतम क्रय आवश्यकता निम्न तालिका में दर्शाई गई हैः

तलिका 88ः गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत–न्यूनतम क्रय अहर्ताएं

गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	न्यूनतम क्रय अहर्ताएं
पवन विद्युत उत्पादन	5%
बायोमास	2%
अन्य	3%

3.71 **कैप्टिव विद्युत उत्पादनः** आयोग ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु एचईजी से उपलब्ध की गई कुल विद्युत हेतु 37.21% का अंशदान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई दर रु. 1.84 प्रति किलोवॉट ऑवर अनुसार अनुमादित किया है।

तलिका 89: अन्य स्त्रोतों हेतु अनुज्ञेय की गई लागत

		राज्य				पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का अंशदान				
क्र	अन्य स्त्रोत	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रु.में)	कुल प्रभार (करोड़ रु. में)	अंशदान (%)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	परिवर्तनीय (रु. प्रति किलोवॉट ऑवर)	कुल परिवर्तनीय प्रभार (करोड़ रु. में)	स्थाई लागत (करोड़ रु.में)	कुल प्रभार (करोड़ रु. में)
1.	इन्दिरा सागर	2592.44	477.84	621.43	36.00%	933.3	0.55	51.69	172.02	**223.72**
2.	सरदार सरोवर	2258.10	275.27	275.27	31.00%	700.0	0.00	0.00	85.33	**85.33**
3.	ओंकारेश्वर	1250.00	263.27	332.62	30.00%	375.0	0.55	20.81	78.98	**99.79**
4.	लैंको अमरकंटक	974.94	134.42	214.56	25.00%	243.7	0.82	20.03	33.61	**53.64**
5.	पवन विद्युत उत्पादन	41.00	0.00	14.64	-	16.00	3.57	5.71	-	**5.71**
6.	कैप्टिव	10.64	0.00	1.96	-	3.96	1.84	0.73	-	**0.73**

अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण प्रभार

3.72 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को भुगतान किये जाने वाले प्रभार, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु प्रभारों का मिश्रण हैं। विद्यमान स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत हेतु प्राक्कलन पर विचार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग की गई विधि के अनुसार किया गया है जो कि माह अप्रैल 2007 से माह दिसम्बर 2007 तक के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के वास्तविक देयकों पर आधारित है।

3.73 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2008–09 की टैरिफ अवधि हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का पूर्वानुमान किया है। तत्पश्चात्, इन प्रभारों को, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इनकी स्थाई क्षमता (Firm Capacity) के आधार पर, तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है। तथापि, आयोग का विचार है कि विद्युत वितरण कम्पनियों को उन स्टेशनों हेतु जिन्हें कि एमपी ट्रेडको से संलग्न किया गया है, के संबंध में अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतों से संबंधित भार डाला जाना अनुचित होगा। तदनुसार, आयोग ने इन स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को एमपी ट्रेडको को आवंटित कर दिया है। निम्न तालिका पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित प्रभारों के विवरण दर्शाती है:

तालिका 90: पीजीसीआईएल प्रभारों का आवंटन

कम्पनी का नाम	अंशदान मेगावाट में	पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रुपये में)
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1034.08	34.53
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1064.80	35.55

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1062.90	35.49
ट्रेडको	736.00	24.58
योग	**3897.78**	**130.15**

राज्यान्तरिक (इन्टरा स्टेट) पारेषण प्रभार

3.74 आयोग का मत है कि पारेषण प्रभारों को विद्युत क्रय लागतों में प्रति यूनिट प्रभार बतौर समाविष्ट किया जाना चाहिए तथा इसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में तन्तुपथ मद (Line Item) के रुप में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा इस लिये किया गया है क्योंकि ट्रांसको क्षमता को पूर्व से ही वितरण कम्पनियों को आवंटित किया जा चुका है तथा इस प्रकार कोई भी विद्युत मात्रा जिसे विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा क्रय किया जाता है, उसे अनिवार्य रूप से पारेषण प्रणाली में प्रवाहित किया जावेगा। पारेषण प्रभारों की अन्तर्स्थापना न केवल पूर्ण वसूली को अनुज्ञेय करेगी, वरन् वह विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा नेटवर्क के उपयोग पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त, आयोग का यह भी मत है कि एमपी ट्रेडको को कोई भी पारेषण लागत आंवटित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह एक लघु–अवधि क्रेता है तथा वह केवल वितरण कम्पनियों की ओर से कार्य सम्पादन कर रहा है ।

3.75 अतः, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत वितरण कम्पनी की विद्युत क्रय की लागत का अवधारण पारेषण प्रभार को शामिल किये जाने के बाद किया गया है जिसे कि निम्न तालिका में निदर्शित किया गया है :

तालिका 91: राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार

	मध्य	पश्चिम	पूर्व	विशेष आर्थिक क्षेत्र	योग
क्षमता (मेगावाट में)	2652	3092	2414	12	8170
राशि (करोड़ में)	218.28	254.49	198.69	0.99	672.45
राज्य सीमा पर उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	11288.24	13134.66	10200.36		
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपी ट्रांसको प्रभार (रुपये प्रति किलोवॉट ऑवर में)	0.19	0.19	0.19		

3.76 आयोग ने वर्ष 2006–07 में पारेषण सत्यापन हेतु रू. 74.47 करोड़ की अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय की है। इस लागत को विद्युत वितरण कम्पनियों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र की पारेषण क्षमता में आवंटित अंशदान के अनुसार, आवंटित किया गया है। अतः पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत क्रय लागत में रू 28.18 करोड़ के अतिरिक्त पारेषण प्रभार को अनुज्ञेय किया गया है।

तलिका 92 : राज्यान्तरिक पारेषण सत्यापन

	मध्य	पश्चिम	पूर्व	विशेष आर्थिक क्षेत्र	योग
क्षमता (मेगावाट में)	2107	2457	1919	10	6493
राशि (करोड़ में)	24.17	28.18	22.01	0.11	74.47

3.77 अपरोक्त की गई चर्चानुसार, मप्रविनिआ द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को अनुज्ञेय की गई विद्युत क्रय लागत निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 93 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन

सरल क्रमांक	स्टेशन		राज्य सीमा पर उपलब्धि (मिलियन यूनिट मे)	कुल लागत (करोड़ रूपये. मे)	रू. प्रति किलोवॉट आवर
1	केन्दीय उत्पादन स्टेशन पश्चिमी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र –कोरबा एसटीपीएस	1314.21	111.98	0.85
2		पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल एसटीपीएस–I	1005.28	142.59	1.42
3		पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल एसटीपीएस–II	739.74	120.92	1.63
4		पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	254.51	86.71	3.41
5		पश्चिमी क्षेत्र गंधार जीपीपी	259.33	58.86	2.27
6		पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	145.57	31.08	2.13
7		पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस	223.71	65.78	2.94
8		पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल एसटीपीएस-III	450.16	83.41	1.85
		उप–योग	**4392.51**	**701.33**	**1.60**
9	केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–पूर्व क्षेत्र	पूर्व क्षेत्र – फरक्का एसटीपीएस	30.25	5.37	1.78
10		पूर्व क्षेत्र – कहलगांव एसटीपीएस	16.61	3.17	1.91
11		पूर्व क्षेत्र – तालचेर एसटीपीएस	21.02	2.65	1.26
		उप–योग	**67.88**	**11.19**	**1.65**
12	**एमपी जनको**		**6442.67**	**943.34**	**1.46**
13	एनएचडीसी	इन्दिरा सागर	933.28	223.72	2.40
14	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सरदार सरोवर	670.05	85.33	1.27
15	एनएचडीसी	ओंकारेश्वर	375.00	99.79	2.66
16	लैंको	लैंको अमरकंटक	233.30	53.64	2.30
17	एनसीई	पवन विद्युत उत्पादन	16.00	5.71	3.57
18	कैप्टिव	एचईजी आदि	3.96	0.73	1.84
		उप–योग	**2231.59**	**468.92**	**2.10**
		कुल स्थाई उपलब्धता	**13134.66**	**2124.78**	**1.62**
19		वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य परस्पर क्रय	26.55	5.26	1.98
20		लघु–अवधि क्रय–एमपी ट्रेडको	1382.48	337.94	2.44
21		घटाएं: वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य परस्पर विक्रय	0.00	0.00	
22		घटाएं: राज्य से बाहर विद्युत विक्रय @ 4 पैसे प्रति किलोवॉट ऑवर की रियायत (मार्जिन) पर	309.94	58.68	1.89

23		शुद्ध क्रय	14233.74	2409.30	1.69
24		पीजीसीआईएल प्रभार		35.55	
25		एमपी ट्रांसको प्रभार		254.49	
26		वित्तीय वर्ष 2007 हेतु एमपी ट्रांसको का सत्यापन		28.18	
27		वित्तीय वर्ष 2006 हेतु इन्दिरा सागर परियोजना का लागत–पुनरीक्षण		42.36	
28		**अनुज्ञेय की गई विद्युत क्रय लागत**	**14233.74**	**2769.89**	**1.95**

नेटवर्क की लागतें

3.78 निम्न भागों में, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की पूंजीगत व्यय योजनाओं, परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण, अवमूल्यन का पूर्वानुमान, ब्याज तथा वित्त प्रभारों एवं पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी) का विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इन लागतों बाबत प्रस्तुतियों पर आयोग का निर्णय निम्न परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

3.79 अनुज्ञप्तिधारी द्रारा आयोग को प्रस्तुत पांच–वर्षीय निवेश योजना कतिपय सुधारों के साथ अपनाई गई है जिस पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि यह पूर्व वित्तीय वर्ष की प्रगति तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 की पुनरीक्षित पूंजीनिवेश की संभावनाओं पर आधारित है।

3.80 याचिका के अनुसार पुनरीक्षित निवेश योजना की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत हैः

तलिका 94 : प्रस्तुत की गई निवेश योजना

(राशि करोड़ रु. में)

योजना	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	27.97	30.07
जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	32.15	0.00
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	29.93	31.43
एक्सेलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	80.04	0.00
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)–प्रस्तावित	0.00	0.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	67.15	170.00
पीएफसी – कैपेसिटर बैंक	15.00	15.16
एडीबी (II)	181.00	189.00
अंशदान योजनाएं (कन्ट्रीब्यूटरी स्कीम)	25.00	30.00
योग (आरजीजीवीवाई को सम्मिलित कर)	**458.24**	**565.66**

3.81 अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि वर्तमान में वह एन्टरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) साल्यूशन के चिन्हीकरण तथा चयन में प्रक्रियाबद्ध है जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), बिलिंग तथा लेखांकन प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकेगा। इस परियोजना की लागत को वर्तमान में पूंजी निवेश योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है तथा अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग से अनुरोध किया है कि जैसे ही उसके द्वारा आयोग को वित्तीय विवरण उपलब्ध करा दिये जाते है, आयोग, इन पर विचार कर इन्हें अनुमोदन प्रदान करे।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई पूंजीकरण योजना

3.82 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूंजीकरण को दोनों वित्तीय वर्ष 2006–07 के समाप्तिपर्यन्त निर्माणाधीन मुख्य कार्यों तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के नवीन पूंजीकरण हेतु साधारण तौर पर 20% की दर से (अर्थात् सकल स्थाई परिसम्पतियों को अन्तरण) माना गया है जिसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि यह उसके अनुभव तथा तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है।

3.83 उपरोक्त अवधारण के आधार पर तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान परिसम्पत्ति श्रेणी–वार अभिवृद्धियों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2007 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पतियों में रु. 261.11 करोड़ की वृद्धि तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान रु. 331.58 करोड़ की वृद्धि का दावा किया है।

3.84 अनुज्ञप्तिधारी ने यह भी दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान प्रणाली में निम्न अभिवृद्धि / विस्तार कार्य किये जावेंगेः

तालिका 95 : नेटवर्क का भौतिक विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2006–07	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	494	924	269
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	721	4590	5204
निम्न दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	22	1115	1993
33 / 11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	66	74	6
पावर ट्रांसफार्मर – संख्या / एमवीए	61/245	74/287	6/24
वितरण ट्रांसफार्मर–संख्या / एमवीए	3383/323	4028/385	4276/408

पूंजीकरण व्यय तथा पूंजीकरण के संबंध में आयोग का विश्लेषण

3.85 वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अवधारण के संबंध में, पूंजीगत निवेशों की भूमिका उन्हीं कार्यो तक सीमित है जिन्हें कि वित्तीय वर्ष 2006–07 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 की अवधि के दौरान क्रियाशील किये जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत की स्थिति में, सकल स्थाई पारिसम्पत्तियां अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान आगे किया गया कोई पूंजीकरण जुड़ जाएगा। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान पूंजीकरण के विस्तार की सीमा से प्रभावित होते हैं। अतएव, मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय वर्ष 2007–08 के अभी तक के निष्पादन पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

3.86 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजीगत व्यय (केपैक्स) के संबंध में मार्ग दर्शन हेतु दिशा–निर्देश पुस्तिका "Guidelines for Capital Expenditure by the Licensees in MP" में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत, आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को पांच वर्षीय पूंजीगत निवेश योजना उनके आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2007 द्वारा अनुमोदित की है। अनुज्ञप्तिधारी के मुख्य कार्यों के पूर्ण किये जाने की प्रगति के रुप में आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदित पूंजीगत व्यय (केपैक्स) योजना में निहित योजनाओं की ऐसी प्रगति को प्रतिवेदित किये जाने के निर्देश दिये हैं। प्रत्येक योजना हेतु अनुमोदित किये गये पूंजीगत व्यय की राशि तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रगति जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, निम्नानुसार दर्शाई गई हैः

तालिका 96ः वित्तीय वर्ष 2007–08 में मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति

राशि करोड़ में

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08, अनुमोदित निवेश योजना के अनुसार	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह दिसम्बर 2007 तक की प्रतिवेदित प्रगति
सब ट्रांसमिशन (नार्मल) – एसटी (एन)	29.10	66.91
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	27.85	11.34
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	32.16	7.05
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	34.00	11.38
एशियन डेवलपेंट बैंक (एडीबी) - II	96.23	7.05
पावर फायनेंस कार्पोरेशन–केपेसिटर बैंक	10.61	4.11
योग	**229.95**	**107.84**

3.87 उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु माह दिसम्बर 2007 तक की वित्तीय प्रगति अनुमोदित पूंजीगत व्यय योजना की राशि के विरुद्ध लगभग 47% है। अनुज्ञप्तिधारी ने इस मद पर अच्छी प्रगति का होना साधारण तौर पर एसटी (एन) कार्यों बनाम अनुमोदित योजना पर किये गये अधिक

व्यय के कारण दर्शाया है। पृच्छा किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि अधिक व्यय मध्यप्रदेश शासन से पूंजीगत निवेश हेतु प्राप्त लगभग रु. 150 करोड़ की राशि के कारण है। तथापि, यहां यह ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है कि अनुज्ञप्तिधारी ने एसटी (एन) योजना पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय हेतु आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। यदि एसटी (एन) कार्यों पर विचार न किया जावे जो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति अन्य पूंजीगत व्यय योजनाओं (केपैक्स) पर अनुमोदित योजना का केवल 20% मात्र ही है।

तथापि, चूंकि अनुज्ञप्तिधारी ने एसटी (एन) योजना पर अनुमोदित राशि से अधिक व्यय की है, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को योजना के विवरण तैयार किये जाने के निर्देश देता है तथा आयोग से इस आदेश के जारी होने से तीन माह के भीतर, तत्काल अतिरिक्त कार्यो बाबत अनुमोदन प्राप्त करने का आग्रह करता है। इस अहर्ता की आपूर्ति न किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भविष्य में आयोग द्वारा इस योजना पर अवमूल्यन तथा ब्याज हेतु गणना न किये जाने का जोखिम उठाना होना।

3.88 उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति की अद्यतन स्थिति स्पष्ट दर्शाती है कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु पूंजीगत व्यय के संबंध में उल्लेखनीय रूप से पीछे रह गया है। यदि शेष बचे तीन माह हेतु, विद्यमान प्रगति की आनुपातिक गणना भी कर दी जावे, फिर भी उपलब्धियां लक्ष्यों से काफी कम रहेंगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक योजना के संबंध में वास्तविक कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रतिवेदन (कम्पलीशन रिपोर्ट) उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में अब तक पूर्ण किये गये कार्यों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से स्थाई परिसम्पत्तियों में अन्तरित किया गया है अथवा नहीं।

3.89 वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदाय किये अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्य रू.1677.77 करोड़ दर्शाते हैं जबकि अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन केवल रूपये 1553.35 करोड़ दर्शाया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में केवल रू. 124.42 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है। इस प्रदर्शन पर विचार करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान रु. 261 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान रु. 332 करोड़ की योजना, एक अति आशावादी विचार है। आयोग उपभोक्ताओं के संवर्धन हेतु कार्यवाही करते हुए यह सर्वोत्तम मानता है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ अवधारण हेतु, वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में कोई वृद्धि न की जावें। अंकेक्षित लेख के समर्थन से, वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान वास्तविक वृद्धि पर वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ अवधारण के समय विचार किया जावेगा। इससे अनुज्ञप्तिधारी को प्रोत्साहन प्राप्त होने की संभावना है जिससे लंबित मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने,

परियोजना के कार्य पूर्ण प्रतिवेदनों (कम्पलीशन रिपोर्ट) को संधारित करने तथा आयोग को इन्हें समयबद्ध रूप से इसकी प्रस्तुति सुनिश्चित करने में गति प्राप्त होगी।

3.90 आयोग इस बात पर जोर देने का इच्छुक है कि वह विद्युत वितरण क्षेत्र में सकेन्द्रित निवेश किये जाने हेतु, बहुत अधिक पक्ष में है। आयोग के मत में राज्य में विद्युत वितरण नेट वर्क में सुधार लाये जाने हेतु भारी पूंजी निवेश किये जाने की त्वरित आवश्यकता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के साथ–साथ राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी विद्युत वितरण नेटवर्क में प्राथमिकता के आधार पर पूंजी निवेश किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा पावर फायनेंस कार्पोरेशन आदि से वित्तीय पोषित एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी) तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में बड़ी पहल की जा सकती है। दुर्भाग्य से, प्राथमिकता के आधार पर ध्यान प्राप्त किये जाने के बावजूद, वितरण कंपनी की इस संबंध में प्रगति काफी निराशाजनक रही है तथा योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय में पूरा किये जाने के संबंध में पर्याप्त रूचि का अभाव प्रतीत होता है। जबकि यह स्थिति निरंतर उच्च वितरण हानियों की ओर अग्रसर हो रही है, इसी समय आयोग टैरिफ हेतु केवल उन्हीं निवेशों को अनुज्ञेय किये जाने बाबत ऐसा दृष्टिकोण अपनाये जाने हेतु विवश है जहां पर वितरण कंपनियों ने वास्तविक रूप से उनकी प्रस्तुतियों द्वारा इसका प्रदर्शन किया है। ऐसे समय में, सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जैसी कि ये वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे में प्रतिबिंबित की गई है, ही आयोग के पास केवल अभिलेखित तथा सत्यापित जानकारी है जो कि अनुज्ञप्तिधारी के परिसम्पत्ति के आधार को प्रदर्शित करती है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार को जैसे कि वे वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत में केवल सकल स्थाई सम्पत्ति पर लागू हों, को अनुज्ञेय करेगा।

प्रचालन तथा संधारण लागतें

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

3.91 अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में मानदण्डीय आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारकों (Determinants) को वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के पूर्वानुमान किये गये अन्तिम शेष का औसत माना गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी का दावा निम्नानुसार हैः

तालिका 97 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय

	प्रचालन तथा संधारण प्रभार	वित्तीय वर्ष 2008–09
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	2025214
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.90
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**13974**
बी	वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूर्व–भुगतान (प्रिपेड) स्थापित किये जाने वाले मीटरों की संख्या	0.00
	गुणांक – बी (लाख रूपये प्रति मीटर)	**0.50**
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – बी (लाख रूपये में)	**0.00**
सी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	6011
	गुणाक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.49
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – सी (लाख रूपये में)	**14967**
डी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	72465
	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर में)	17.00
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**12319**
ई	**ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)**	**5415**
	गुणाक – ई (लाख रूपये प्रति एमवीए)	1.62
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ई (लाख रूपये में)	**8773**
एफ	**मदें जो सूत्रों के अन्तर्गत नहीं आतीं [अर्थात्, मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी), टेक्स आदि (करोड़ रूपये में)]**	**0.00**
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**500.32**

3.92 उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी ने कर्मचारी टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु 72.67 करोड़ की राशि का दावा किया है जो कि प्रसुविधाओं की आवश्यकताओं पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी ने कुल रु. 572.98 करोड़ [रु. 500.32 करोड़ के मानदण्डीय व्यय + (धन) टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु रु. 72.67 करोड़] में से रु. 12.5 करोड़ की राशि व्यय पूंजीकरण हेतु घटाई है। अतएव अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रचालन एवं संधारण व्ययों हेतु रु. 560.48 करोड़ की राशि का दावा किया है।

प्रचालन एवं संधारण लागत हेतु आयोग का विश्लेषण

3.93 परिसम्पत्ति पूंजीकरण बाबत भाग में, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ अवधारण हेतु, वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान किसी परिसम्पत्ति को जोड़े जाने पर विचार न किये जाने के कारणों की व्याख्या की है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी को उसकी परिसम्पत्ति पूंजीकरण दर में सुधार लाये

जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को इसके लाभ केवल आगामी टैरिफ वर्षों में सत्यापन याचिकाओं पर विचारोपरांत ही उपलब्ध कराये जावेंगे। आयोग इसे उपभोक्ताओं के सर्वश्रेष्ठ हितों में उचित मानता है क्योंकि इसके कारण उपभोक्ता को, परिसम्पत्ति आधार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुपालन किये जाने द्वारा, जिसकी कार्यान्वित होने या न होने की अनुज्ञेय सीमा तक संभावना है, भविष्य में की जाने वाली अभिवृद्धि हेतु टैरिफ दर के माध्यम से भुगतान न करना होगा। अतः, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय केवल उच्च दाब लाईनों के सर्किट किलोमीटर हेतु, तथा दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में विद्यमान ट्रांसफार्मेशन क्षमता पर ही अवधारित किये गये हैं। ये आंकड़े अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदान किये गये हैं।

3.94 पूर्व उल्लेखित परिच्छेदों में चर्चित की गई आयोग की प्रक्रिया की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित की गई लाइनों तथा ट्रांसफार्मरों द्वारा और अधिक संपुष्टि होती है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 98 : नेटवर्क परिसम्पत्तियों की संस्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन

विवरण	माह मार्च 03 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2003–04 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान अभिवृद्धि का दावा	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अभिवृद्धि का दावा
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	10024	322	593	572	494	924	269
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	50452	599	1735	883	721	4590	5204
पावर ट्रांसफार्मर–एमवीए क्षमता	4341	355	403	132	245	287	24

3.95 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 हेतु प्राक्कलित की गई लाईनों तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता में वृद्धि पूर्व वर्ष में इन्हें वास्तविक रूप से जोड़ किये गये के अनुरूप नहीं है। वास्तव में, वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रगति की प्रस्तुति से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु आंकड़ों का किया गया पूर्वानुमान काफी अधिक है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 99 : वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों की संस्थापना संबंधी प्रगति

विवरण	याचिका में वित्तीय वर्ष 2007–08 में दावा की गई नेटवर्क अभिवृद्धि	कंपनी द्वारा संचालित की गई समस्त योजनाओं में माह दिसम्बर 2007 तक की वास्तविक प्रगति	प्रगति प्रतिशत में
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	970	46.45	4.8%
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	3644	165	4.5%
पावर ट्रांसफार्मर एमवीए क्षमता	58	3	5%

3.96 मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों के दो अन्य अवधारकों (determinants) यथा, मीटरीकृत उपभोक्ताओं तथा मीटरीकृत विक्रयों के संबंध में आयोग द्वारा सुसंगति संधारित किये जाने की दृष्टि से, वित्तीय वर्ष 2008–09 के अवधारण हेतु समरूप मार्ग अपनाया है ; अर्थात्, ये मानदण्ड वित्तीय वर्ष 2006–07 तथा 2008–09 के अन्त के अनुरूप रखे गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान, प्रचालन एवं संधारण लागत के अवधारण के प्रयोजन से किसी प्रकार की वृद्धियों पर विचार नहीं किया गया है। ये आंकड़े भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदान किये गये थे।

3.97 आयोग, तथापि, यहां पर यह जोर देना चाहता है कि यद्यपि वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अवधारण के प्रयोजन से, मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारक केवल वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की भांति माने गये हैं, वित्तीय वर्ष 2008–09 के अन्त में मानदण्डीय व्ययों की पुनर्गणना वित्तीय वर्ष 2007–08 में की गई वास्तविक अभिवृद्धियों के आधार पर की जावेगी। समायोजन पर, वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन के समय विचार किया जावेगा।

3.98 उपरोक्त तर्कों के आधार पर, आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय जिनकी वसूली वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु टैरिफ दरों के माध्यम से किया जाना है, निम्नानुसार हैं :

तालिका 100 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय

राशि करोड़ रूपये में

	प्रचालन तथा संधारण व्यय	वित्तीय वर्ष 2008–09
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	1924584
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.90
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**13280**
बी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	5684
	गुणांक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.49
	प्रचालन एवं संधारण – सी (लाख रूपये में)	**14152**
सी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमिटर में)	64214
	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर)	17.00
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**10916**
डी	ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)	5120.85
	गुणांक – ई (लाख रूपये/एमवीए में)	1.62

	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ई (लाख रूपये /एमवीए में)	8296
योग	(ए+बी+सी+डी) करोड़ रुपये में	466.44
ई	मदें जो सूत्रों के अंतर्गत नहीं आती [अर्थात, मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी), टैक्स आदि (करोड़ रूपये में)]	0.00
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई) शुद्ध पूंजीकरण)	466.44

3.99 आयोग के विनियमों में प्रावधान किया गया है कि टर्मिनल सुविधायें प्रचालन तथा संधारण व्ययों की मानदण्डीय राशि से अतिरिक्त प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान में, पेंशन न्यास के सृजन के अभाव में मप्र शासन के आदेश दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं का भुगतान एमपीपीटीसीएल द्वारा सम्पादित किया जा रहा है; अतः अनुज्ञप्तिधारी हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में किसी प्रकार के पृथक प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

अवमूल्यन

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति :

3.100 अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा रू. 1499.42 करोड़ रूपये की सकल स्थाई परिसम्पत्तियां उत्तराधिकार में अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र (Opening Balance Sheet) के अनुसार प्राप्त की गई हैं जो कि मध्यप्रदेश शासन की किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना के अध्यधीन परिवर्तनीय हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में क्रमशः रु. 53.93 करोड़ तथा रु. 124.42 करोड़ की अभिवृद्धि दर्ज हुई है। दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार रु. 989.80 करोड़ है।

3.101 अनुज्ञप्तिधारी ने अवमूल्यन की गणना सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की अवमूल्यन–योग्य परिसम्पत्तियों की प्रारंभिक शेष राशि पर अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार की गई है। वह प्रतिशत, जिस हेतु प्रत्येक उप–श्रेणी में परिसम्पत्तियां अवमूल्यित हो गई हैं, की दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में गणना की गई है तथा इसका प्राक्कलन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वर्ष 1985–86 से वर्ष 2004–05 के वर्ष–वार परिसम्पत्ति वृद्धि आंकड़ों (Year wise asset addition data) के आधार पर किया गया है। इस प्रकार प्राप्त की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों (प्रारंभिक शेष) के प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 101 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का प्रतिशत

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
भूमि तथा भूमि अधिकार	0%	0%
भवन तथा सिविल कार्य	1%	1%
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	26%	26%
अन्य सिविल कार्य	13%	13%
संयंत्र तथा मशीनरी :–		
ट्रांसफार्मर	*60%*	*60%*
बैटरियां	*97%*	*97%*
स्विच गियर नियंत्रण तथा सुरक्षा	*43%*	*43%*
अन्य	*45%*	*45%*
लाईनें तथा केबल नेटवर्क, आदि :		
मीटर	*23%*	*23%*
अन्य	*70%*	*70%*
वाहन	100%	100%
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	72%	72%
अन्य उपकरण	34%	34%
अन्य कोई मदें	0%	0%

इसके अतिरिक्त, तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति वृद्धि पर अवमूल्यन की गणना ऐसे प्रत्येक वर्ष में प्रक्षेपित (प्राजेक्टेड) पूंजीकरण, जैसा कि इसे इस आदेश के पूंजीगत व्यय संबंधी भाग में प्रस्तुत किया गया है के आधार पर की गई है। अनुज्ञप्तिधारी की याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के प्रक्षेपित पूंजीकरण को भिन्न–भिन्न परिसम्पत्ति श्रेणियों में अवमूल्यन को भारित किये जाने के प्रयोजन से उनके द्वारा किस प्रकार इसे विभाजित किया गया है। अवमूल्यन का दावा भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना एसओ 265 (ई) दिनांक 27 मार्च, 1994 के आधार पर किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग की इन्हीं दरों पर विचार करने हेतु अनुरोध किया है क्योंकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखे तैयार किये जाने में इन्हीं दरों का प्रयोग किया जा रहा है।

3.102 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक वर्ष हेतु अवमूल्यन का दावा सकल स्थाई सम्पत्तियो के प्रारंभिक शेष पर उक्त वर्ष हेतु किया गया है तथा उक्त वर्ष में जोड़ी गई परिसम्पत्तियों पर किसी अवमूल्यन का दावा नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु किये गये अवमूल्यन का दावा निम्नानुसार है :

तालिका 102 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया अवमूल्यन का दावा

राशि करोड़ रूपये में

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.00	0.00
भवन तथा सिविल कार्य	0.92	1.11
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.16	0.16
अन्य सिविल कार्य	-0.33	0.06
संयंत्र तथा मशीनरी :–		
ट्रांसफार्मर	17.80	24.37
बैटरियां	0.00	0.00
संसूचना उपकरण	2.14	2.96
अन्य	0.16	0.53
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि :		
मीटर	33.04	34.71
अन्य	20.74	30.97
वाहन	0.00	0.00
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.07	0.07
अन्य उपकरण	0.43	0.43
अन्य कोई मदें	0.00	0.40
योग	**75.13**	**95.77**

3.103 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये अवमूल्यन को प्रत्येक गतिविधि में लगाई गई परिसम्पत्तियों के चिन्हीकरण के आधार पर चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य भी आवंटित कर दिया गया है ।

अवमूल्यन के दावों के संबंध में आयोग का विश्लेषण :

3.104 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी के अवमूल्यन संबंधी दावों का विश्लेषण किया है तथा आयोग के आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को परिसम्पत्ति–वार अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश दिये है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 31.05.2005 की स्थिति में परिसम्पत्ति–वार अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों के विवरण प्रस्तुत कर दिये गये है। इस प्रयोजन से, अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 1956 से वित्तीय वर्ष 1984 तक जोड़ी गई परिसम्पत्तियों को वित्तीय वर्ष 1984 हेतु अवशेष दर्शाया है तथा अधिसूचित अन्तरण योजना के अनुसार दिनांक 31.05.2005 हेतु अवशेष की गणना वर्षवार प्रत्येक श्रेणी की परिसम्पत्तियों तथा अवमूल्यन–योग्य परिसम्पत्तियों को जोड़कर की है। अवमूल्यन–योग्य परिसम्पत्ति प्रतिशत जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 31.05.2005 की स्थिति में प्रस्तुत किया है, लगभग 63% है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 के

दौरान अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति में क्रमशः रु. 53.90 करोड़ तथा रु. 124.42 करोड़ राशि की परिसम्पत्ति वृद्धि का दावा किया गया है जिसकी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये क्रमशः वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अंकेक्षित लेखे से संपुष्टि कर दी गई है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये दावे तथा अंकेक्षित आय–व्यय विवरण पत्र के अनुसार,, इस अभिवृद्धि को स्वीकार कर लिया है।

3.105 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 हेतु किये गये पूर्वानुमानों पर विचार न किये जाने बाबत काफी विस्तारपूर्वक इसका अध्ययन किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये काफी अतिरंजित (inflated) प्रतीत होते हैं तथा पूर्व की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं हैं। पूर्व में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त दोनों भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्ति पूंजीकरण बजट अनुमानों से काफी कम रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु भी, इनके यथावत रहने की पूर्ण संभावना है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अवमूल्यन में वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु प्राप्त किये गये अवमूल्यन से विशेष अन्तर न होने की संभावना काफी क्षीण है। अतः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, आयोग ने अवमूल्यन की गणना दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में विद्यमान परिसम्पत्तियों के अन्तिम शेष पर की है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु किसी भी प्रकार की प्रक्षेपित परिसम्पत्ति वृद्धियों पर विचार नहीं किया है। आयोग अनुज्ञेय राशि का सत्यापन वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के उपलब्ध होने पर करेगा बशर्ते वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण आयोग द्वारा संरचित केपैक्स गाईड लाईन्स के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं का एक भाग बने।

3.106 प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा इसका विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों में विभाजन, जिस पर आयोग द्वारा अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन से विचार किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 103 : दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों में विभाजन

(राशि करोड़ रूपये में)

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	वित्तीय वर्ष 2006–07
भूमि तथा भूमि अधिकार	4.96
भवन तथा सिविल कार्य	30.90
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्कस)	6.55
अन्य सिविल कार्य	2.95
संयंत्र तथा मशीनरी	537.23
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि :	1083.38
वाहन	5.19
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	1.95
अन्य उपकरण	4.67

अन्य कोई मदें	0.00
योग	**1677.78**

3.107 धारा 61 के अंतर्गत आयोग के विनियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि अवमूल्यन की गणना, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा निर्धारित की गई दरों पर जैसा कि वे समय–समय पर पुनरीक्षित की गई है, की जानी चाहिए। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रस्तुत की गई याचिका में, अवमूल्यन की गणना, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना एस.ओ (ई) दिनांक 29 मार्च, 1994 के अनुसार की गई है जो कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दरों से काफी भिन्न है। आयोग इन दरों को मान्य नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना विनियमों का उल्लंघन करना होगा। आगे, यह भी कि, जब तक फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर) अथवा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अवमूल्यन दरों में संशोधन नहीं कर देते, आयोग के विनियमों की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अतएव, आयोग द्वारा अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों की अवमूल्यन दर की पुनर्गणना, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दरों का प्रयोग करते हुए, वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की स्थिति में कर दी गई है (जैसा कि आयोग द्वारा यह विनियमों में अपनाई गई है)।

3.108 आयोग द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 को जारी अन्तरण योजना के एक भाग के रूप में अधिसूचित परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन की गणना वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु जोड़ी गई परिसम्पत्तियों हेतु पृथक–पृथक की गई है। दिनांक 1 जून, 2005 की स्थिति में, अधिसूचित विद्यमान परिसम्पत्तियों की प्रत्येक श्रेणी हेतु आयोग द्वारा ऐसी परिसंपत्ति श्रेणी हेतु अवमूल्यन उस सीमा तक प्रदान किया गया है जिससे कि प्रत्येक वर्ष में दिनांक 31 मार्च की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि इसके अर्जन की वास्तविक (Historical) लागत के 90 प्रतिशत से अधिक न होगी।

3.109 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञेय अवमूल्यन निम्नानुसार दर्शाया गया है :

तालिका 104 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों में विभाजन

(राशि करोड़ रूपये में)

परिसम्पत्ति वर्ग	वित्तीय वर्ष 2008–09
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.00
भवन तथा सिविल कार्य	0.55
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्कस)	0.09
अन्य सिविल कार्य	0.05
संयंत्र तथा मशीनरी	9.92
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि	25.25
वाहन	0.00

फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.03
अन्य उपकरण	0.21
अन्य कोई मदें	0.00
योग	**36.11**

3.110 चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य अनुज्ञेय अवमूल्यन के पृथक्करण के संबंध में, आयोग का दृष्टिकोण तथा अन्तिम निर्णय इस आदेश के सुसंगत भाग में सम्मिलित किया गया है।

ब्याज तथा वित्त प्रभार

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

3.111 ब्याज तथा वित्त प्रभारों में सम्मिलित हैं, दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार परियोजना विशिष्ट ऋणों पर ब्याज (पश्चातवर्ती वर्षों में अनुसूचित अदायगी घटाकर) एवं पश्चातवर्ती वर्षों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत निवेश योजना के अनुसार नवीन ऋणों के आहरण, उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज प्रभार, कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज प्रभार तथा ऋण–प्रदायकर्ता संस्थाओं द्वारा वित्त एकत्रीकरण की लागत। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, नवीन पूंजीगत व्यय के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक समुपयुक्त (मैचिंग) वित्तीय योजना प्रस्तुत की गई है जिसमें ऋणों के आहरण, पूंजी अन्तःक्षेपण (इक्विटी इनफ्यूजन) तथा उपभोक्ता अंशदान सम्मिलित हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुछ योजनाओं का आंशिक वित्तीय प्रबन्धन ''अगठबंधित कोष (United Funds)'' से किया गया है, अर्थात, जहां कहीं वित्त का कोई वचनबद्ध स्त्रोत उपलब्ध नहीं है।

3.112 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका जिस पर ब्याज की गणना हेतु विचार किया गया है, निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 105: दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका

राशि करोड़ रूपये में

योजना	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
(एनडी) नार्मल डेवलपमेंट	27.97	30.07
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	32.15	0.00
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	29.93	31.43
एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	80.04	0.00
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	0.00	0.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीआई)	67.15	170.00
पावर फायनेंस कार्पोरेशन–केपेसिटर बैंक	15.00	15.16
एडीबी – II	181.00	189.00

अंशदान योजनाएं (कन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स)	25.00	30.00
योग	**458.24**	**565.66**

3.113 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु ब्याज दायित्व की गणना को प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष राशियों की औसत राशि को माना गया है। पूर्वानुमान की गई मूलधन की अदायगी हेतु, अन्तिम शेष राशियों का अवधारण, प्रारंभिक शेष राशियों के समायोजन द्वारा किया गया है।

3.114 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र (बैलेंस शीट), के अनुसार उसे आवंटित किये गये ऋणों की निबंधन तथा शर्तें [जैसे कि ब्याज दर, अदायगी का निबंधन, तथा ऋण स्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड), आदि] तत्संबंधी ऋण अनुबधों तथा राज्य सरकार द्वारा दर्शाई गई शर्तों के अनुसार हैं। नवीन ऋणों की निबंधन तथा शर्तों पर विचार ऋण प्रदाय संस्था के साथ उसके द्वारा किये गये ऋण अनुबंध के अनुसार किया गया है। अगठबंधित कोष (अनटाईड फंड्स) के संबंध में, तथापि निबंधन एवं शर्तें अवधारित (assumed) की गई हैं। नवीन ऋणों हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचार की गईं ब्याज लागत की गणना बाबत निबंधन तथा शर्तें निम्न तालिका में दी गई हैं :

तालिका 106 : दायर की गई याचिका के अनुसार ऋणों की निबंधन तथा शर्तें

स्त्रोत	ब्याज दर (प्रतिशत)	ऋण स्थगन अवधि	वार्षिक किश्तों की संख्या
राज्य शासन ऋण	10.50%	0	7
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) ऋण	10.75%	3	8
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण	9.25%	5	10
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ऋण	10.50%	5	15
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) ऋण	8.20%	5	10
पीएफसी–कैपेसिटर बैंक्स	10.50%	3	12
पूंजीगत व्यय (अगठबंधित) हेतु अन्य बाजार ऋणों की प्राप्ति	10.50%	3	7

3.115 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, वित्त तथा बैंक प्रभारों के एकत्रीकरण की लागत रू.3 करोड़ प्राक्कलित की गई है तथा वित्त वर्ष 2008–09 हेतु भी समरूप राशि मानी गई है। तथापि, इस राशि की गणना हेतु कोई आधार प्रदान नहीं किया गया है। प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज की गणना, प्रक्षेपित की गई 6% प्रतिभूति राशि पर, जो कि अनुमोदित प्रतिभूति राशि के महीनों तथा उपभोक्ता की विभिन्न श्रेणियों पर औसत मासिक प्राक्कलित राजस्व पर आधारित है, की गयी है।

3.116 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी याचिका में ब्याज लागत के पूंजीकरण के आधार के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये गणना पत्रकों (वर्किंग शीट्स) के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूंजीगत व्यय के पोषण हेतु उपयोग किये गये विद्यमान तथा नवीन ऋणों की ब्याज लागत के 50% को पूंजीकृत किया गया ब्याज मान लिया गया है। पूंजीकृत किये गये व्यय के संबंध में

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध इस मद की कीमत में प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष 2008–09 तक 4% की दर से वृद्धि कर दी गई है।

3.117 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्यमान तथा नवीन ऋणों हेतु ब्याज लागत की गणना उपरोक्त दर्शाई गई निबंन्धन तथा शर्त के आधार पर की है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई ब्याज लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 107 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

ब्याज तथा वित्त प्रभार (आईएफसी)	वित्त वर्ष 2008–09	वित्त वर्ष 2009–10
नवीन दीर्घ–अवधि ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	**26.75**	**36.74**
राज्य शासन के ऋण	5.85	4.95
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) ऋण	6.97	10.69
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण	0.45	0.45
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ऋण	11.25	18.41
जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	2.24	2.24
विद्यमान दीर्घ–अवधि ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	**22.49**	**19.42**
पीएफसी ऋण	5.85	4.49
आरईसी ऋण	5.73	5.38
एडीबी ऋण	5.68	5.52
म.प्र. शासन ऋण	5.24	4.02
मप्रराविमं के विद्यमान सामान्य (जनरिक) ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	**41.50**	**35.57**
गैर अनुसूचित ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	**139.05**	**199.46**
पूंजीगत व्यय हेतु बाजार से ऋण प्राप्तियां	51.09	84.46
अन्य ब्याज तथा वित्त प्रभार	**27.69**	**30.20**
वित्त एकत्रीकरण की लागत तथा बैंक प्रभार	3.00	3.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	24.69	27.20
दाण्डिक ब्याज प्रभार	0.00	0.00
पट्टों का भाड़ा (लीज रेंटल्स)	0.00	0.00
विद्युत क्रय में विलंबित भुगतान हेतु दाण्डिक प्रभार		
सकल ब्याज तथा वित्त प्रभार	**169.52**	**206.38**
घटायें : पूंजीकृत किये गये ब्याज तथा ऋण प्रभार	70.92	88.09
शुद्ध ब्याज तथा वित्त प्रभार	**98.58**	**118.30**

ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण

3.118 दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत संबंधी विनियम केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय करते हैं जिन्हें कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से लिया गया है तथा जिनके संबद्ध मुख्य कार्य पूर्ण कर उपयोग हेतु प्रारंभ किये जा चुके हैं।

3.119 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को अर्द्ध–वार्षिक लेखे संधारित किये जाने तथा इन्हें अंकेक्षित करा आयोग को प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभी तक केवल वार्षिक लेखे ही उपलब्ध कराये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये अन्तिम लेखे वित्तीय वर्ष 2006–07 से संबंधित हैं जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 30 सितम्बर 2007 को समाप्त होने वाली अर्द्ध–वार्षिकी अवधि हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने संबंधी माह दिसम्बर 2007 तक का प्रतिवेदन उपलब्ध कर दिया है परन्तु इससे यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि पूर्ण किये गये कार्यों को पूंजीकृत किया गया है अथवा नहीं। अतएव, आयोग केवल वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्तिम अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध पूंजीकरण (सकल स्थाई परिसंपत्तियों) के बारे में ही आश्वस्त है। इसके अलावा, पूर्व में निर्माणाधीन कार्यों के पूंजीकरण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का प्रदर्शन देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि काफी न्यून है।

3.120 समस्त निर्माणाधीन ऐसे कार्यों हेतु, ऋण के वित्त प्रबंधन से संबंधित ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आई.डी.सी.) माना जाता है जिसे कि पूंजीकृत किया जावेगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जावेगा। ऐसी ब्याज लागत के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से पास थ्रू (Pass through) किये जाने पर विचार नहीं किया जाता है। इसके पीछे विचार यह है कि उपभोक्ता से केवल उन संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज के वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका कि उपभोक्ता उपयोग कर रहा है। निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों का उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माण के अन्तर्गत वहन की गई ब्याज लागत निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का एक भाग बन जाती है, अतः इसे टैरिफ के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जा रहा है।

3.121 आयोग के संज्ञान में है कि अनुज्ञप्तिधारी कुछ मुख्य कार्य वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्ण कर लेगा जिन्हें कि पूंजीकृत कर परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावेगा। तथापि, जैसा कि पूंजीकरण संबंधी भाग में स्पष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी का परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में प्रदर्शन पूर्ण रूप से किये गये प्रक्षेपणों को नकारता है जो कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये किये गये हैं। अतः, आयोग वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09

हेतु संभावित पूंजीकरण पर विचार करना बुद्धिमतापूर्ण नहीं मानता परंतु वह केवल उसी दशा में ऐसी परिसम्पत्तियों को आरोपणीय ब्याज व्ययों पर विचार करेगा जब ऐसी परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावे। यह अनुज्ञप्तिधारी को, इस प्रकार से, कार्यों को पूर्ण किये जाने में गति लाये जाने तथा परिसम्पत्तियों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के त्वरित तथा दक्ष अन्तरण को सुनिश्चित किये जाने बाबत उसकी लेखांकन प्रक्रियाओं में सुधार लाये जाने को प्रोत्साहित करेगा। इसी के साथ–साथ, यह अनुज्ञप्तिधारी के लिये उसका अर्द्ध–वार्षिकी लेखा संधारित किये जाने तथा आयोग को इसकी प्रस्तुति किये जाने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा।

3.122 अतः आयोग की वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, उसी मार्ग के अनुसरण में ही अभिरूचि है जो उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ आदेशों में अपनाया गया था जिससे कि राजस्व लेखे को प्रभारणीय ब्याज के लागत की गणना की जा सके। इसमें ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) जैसा कि वह वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध है, का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) में आवंटन किया जाना सन्निहित है। इसे निम्न विधि द्वारा किया गया है :

(अ) वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल योग की गणना कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के योग से आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर की जाती है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का पोषण वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्त में वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश अनुसार इसे सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को आवंटित पूंजी के साथ जोड़ कर विचार किया गया है।

(स) सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल जोड़ के शेष को ऋण के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था द्वारा किया गया माना गया है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्त में वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश अनुसार इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित कुल ऋण के साथ जोड़ा गया है।

(द) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण से घटाया गया है। अदायगी राशियों की गणना वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कुल अनुसूचित अदायगी राशियों की आनुपातिक दर के रूप में गई है। वास्तविक अदायगी की राशियों को माना नहीं गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रमुख त्रुटियां की गई हैं।

आवंटन राशि निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 108ः वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेशानुसार ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (जीएफए) को आवंटन

स क्र	विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई है	464.96
2.	ऋण जिन्हें सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किया गया है (वर्ष 2005–06 के दौरान माने गये शुद्ध आनुपातिक अनुसूचित भुगतान)	160.82

तालिका 109 : वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबंद्ध ऋण की गणना

स.क्र	विवरण (आयोग को प्रस्तुत किये गये अंकेक्षित आय–व्यय विवरण के अनुसार)	राशि (करोड़ रूपये में)
1	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन	124.42
2	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान	22.51
3	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में शुद्ध परिवर्धन	101.91
4	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन का 30 प्रतिशत जिसे पूंजी (इक्विटी) द्वारा पोषित किया गया माना गया है	30.57
5	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शेष परिवर्धन–ऋण के माध्यम से पोषित किया गया	71.34
6	वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुसार ऋण जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित किया गया है **(उपरोक्त तालिका 108 से)**	160.82
7	ऋण अदायगी	18.48
8	**दिनांक 31 मार्च 07 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण (5+6+7)**	**213.67**

3.123 ब्याज लागत को केवल उन्हीं ऋणों पर अनुज्ञेय किया जा सकता है जो कि आवंटन के अनुसार चिन्हित किये जा सकते हैं, जैसा कि ये पूर्ण किये गये कार्यों (सकल स्थाई परिसम्पत्तियों) के साथ संबद्ध हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार की गई की पहचान के अभाव में, ऐसे ऋण पर ब्याज दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में समस्त ऋणों के भारित औसत ब्याज पर अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु गणना की गई भारित औसत ब्याज दर 11.66 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इसका अवधारण केवल अनुसूचित अदायगियों पर ही किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान वास्तविक ब्याज तथा प्रमुख त्रुटियों (डिफाल्टस) पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन हेतु, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ऋण पर प्रकल्पित (नोशनल) ब्याज दर पर विचार किया गया है (7.72% की दर से जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु दर्शाया गया है) जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण पर ऋण स्थगन (मोरेटेरियम) विधान लागू है क्योंकि विलंब काल के उपरांत उसे ब्याज का भुगतान करना होगा। 11.66 प्रतिशत की यह भारित औसत ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित सार्वजनिक ऋण प्रदाय अधिकार (पीएलआर) दर 12.25 प्रतिशत से कम होने के कारण उक्त दर पर ही अनुज्ञेय की गई है। तत्पश्चात्, भारित औसत ब्याज दर को चिन्हित किये गये ऋणों पर लागू किया गया है जो कि उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार पूर्ण किये गये कार्य से

संबद्ध है जिससे वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से की जाने वाली अनुज्ञेय ब्याज लागत को अनुज्ञेय किया जा सके। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 110 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों से संबद्ध ऋण	213.67
भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	11.66%
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	**24.92**

3.124 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्त एकत्रीकरण तथा बैंक प्रभार की लागत को रूपये 3.00 करोड़ प्राक्कलित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भी समरुप राशि को माना गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी गणना का आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, आयोग वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान मुख्य कार्यों के सम्पादन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को नवीन ऋणों को आहरित करने बाबत निरूत्साहित के पक्ष नहीं है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, वित्त एकत्रीकरण लागत हेतु रू.3.00 करोड़ की राशि को अनुज्ञेय करता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्नानुसार हैं :

तालिका 111 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	24.92
अनुज्ञेय किये गये वित्त प्रभार	3.00
सम्पर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	**27.92**

अधिक कार्यकारी पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

3.125 चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु ब्याज की लागत की गणना कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकता की 12.75% की दर से आयोग द्वारा वितरण टैरिफ के अवधारण संबंधी विनियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई है। सामग्री की आवश्यकता के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी ने सामान्य रुप से दो माह के पूर्वानुमान की गई सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की 1% की दर से गणना की है तथा इस राशि का विभाजन चक्रण तथा खुदरा

विक्रय गतिविधि के मध्य सामान्यतः एक समान किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 12.75% की ब्याज दर की गणना किये जाने पर किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी ने यह उल्लेख भी किया है कि उनके द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि को उनके वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंकेक्षित लेख से अपनाया गया है।

3.126 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई गणना निम्न तालिका में दर्शाया गई हैः

तालिका 112 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

स क्र	विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु वार्षिक सामग्री (इन्वेंटरी) आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	1.60
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	41.7
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी	**43.3**
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.75
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**5.52**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	1.60
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां	552.30
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	239.9
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	424.10
	कुल कार्यकारी पूंजी	**(110.0)**
	ब्याज दर	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**0.00**

आयोग का विश्लेषण

3.127 खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु, आयोग द्वारा वार्षिक सामग्री (इन्वेंटरी) आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की मीटरिंग परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य की एक प्रतिशत की दर से मानी गई है (जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी सकल स्थाई परिसम्पत्ति अनुसूची में रु. 333.47 करोड़ दर्शाई गई है)। इस प्रकार मीटरिंग सामग्री की दो माह की आवश्यकता की गणना रू. 0.56 करोड़ (333.47 का 1% दो माह हेतु आनुपातिक किया गया) के रूप में होंगी। वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार वित्तीय

वर्ष 2006–07 की अन्त की स्थिति में सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) का शेष मूल्य रू. 1344.30 करोड़ होगा। इस मूल्य के एक प्रतिशत की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार रू. 2.24 करोड़ होगी। इसे चक्रण गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता (Inventory Requirement) माना गया है। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञेय राशि हेतु कार्यकारी पूंजी के अन्य तत्वों के मूल्यों की पुनर्गणना इस आदेश के सुसंगत भाग में की गई है।

3.128 आयोग के विनियम अनुज्ञप्तिधारी को कार्यकारी पूंजीगत ब्याज भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य ऋण प्रदाय दर (Prime Landing Rate-PLR) के मानदण्ड 2 प्रतिशत जोड़कर की सीमा के अन्तर्गत अनुज्ञेय करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य ऋण प्रदाय दर वर्तमान में 12.25% है। अतः, आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुसार, कार्यकारी पूंजीगत ऋण हेतु ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14.25% है। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका 113 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

स क्र	विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	2.24
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	38.87
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण	41.11
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	14.25%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण	**5.86**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.56
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां *	587.98
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का 1/12 वां भाग	207.27
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप **	567.10
	कुल कार्यकारी पूंजी	(185.83)
	ब्याज दर	14.25%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज –खुदरा विक्रय गतिविधि	**0.00**

* इस आदेश के सुसंगत भाग में दर्शाई गई वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार गणना की गई।

** गण्ना अगले भाग में दर्शायेनुसार

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

3.129 अनुज्ञप्तिधारी की याचिका में उल्लेख किया गया है कि भुगतान योग्य ब्याज के प्रयोजन हेतु, उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि की गणना को सीधे वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंकेक्षित लेखे से लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी ने किसी उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप वृद्धि पर विचार नहीं किया है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी की चालू नस्तियों के सूक्ष्म परीक्षण (जो कि आयोग को प्रस्तुत की गईं) से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप की गणना कृषि उपभोक्ताओं की 3 (तीन) माह की औसत मांग तथा अन्य उपभोक्ताओं हेतु 1.5 (डेढ़) माह की औसत मांग मान कर की है। चालू नस्तियों से भी यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु औसत प्रतिभूति निक्षेप की गणना वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 की पूर्वानुमान की गई उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप की औसत के अनुसार की गई है।

3.130 प्रतिभूति निक्षेप पर भुगतान योग्य ब्याज की गणना उक्त कुल प्रतिभूति निक्षेप के पूर्वानुमान अनुसार की गई है जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत विनियम के अनुसार पात्रता रखता है, अर्थात, 6% की दर से। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, ब्याज का दावा पूर्वानुमान किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के अनुसार किया गया है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका 114 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (सीएसडी) पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 2008–09
वित्तीय वर्ष 2007–08 पूर्वानुमान किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	398.85
वित्तीय वर्ष 2008–09 पूर्वानुमान किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	424.07
गणना के प्रयोजन से उपयोग किया गया औसत उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	411.46
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप ब्याज प्रभार पर 6% की दर से	**24.69**

आयोग का विश्लेषण

3.131 उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि के अवधारण के प्रयोजन से, आयोग द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप की गणना मप्रविनिआ विनियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई (जो कि कृषि उपभोक्ताओं हेतु प्रतिभूति निक्षेप का प्रावधान 3 माह की औसत मांग के अनुसार तथा अन्य उपभोक्ताओं हेतु औसत मांग का डेढ़ गुना का प्रावधान करते हैं)। आयोग ने उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि का अवधारण वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, इन वर्षो के टैरिफ राजस्व के प्रयोग द्वारा किया है। तदोपरांत, औसत उपभोक्ता

प्रतिभूति निक्षेप पर इन दो वर्षों हेतु 6% की दर से ब्याज अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 115 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 2008–09
वित्तीय वर्ष 2007–08 राजस्वों हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप*	498.27
वित्तीय वर्ष 2008–09 राजस्वों हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप **	567.01
ब्याज गणना हेतु औसत उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	532.27
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर 6% की दर से ब्याज प्रभार	**34.03**

* विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार (वित्तीय वर्ष 2007–08) जैसा कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी याचिकाओं में प्राक्कलित किया गया है
** वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

3.132 अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिलाभ का दावा पूंजी पर 14% की दर से पूंजी के पूर्वानुमान पर किया है जिसे कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों पर उपयोग किया जावेगा। पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु, अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्वानुमान की गई परिसम्पत्तियों का कुल पूंजीकरण अवधारित किया है तथा उस तत्व की गणना की है जिसे कि परिपोषित पूंजी से पूंजीकृत किया जाना प्रस्तावित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुल पूर्वानुमान किये गये पूंजीकरण से उपभोक्ता के अंशदान के भाग को घटाया नहीं गया है। पूर्वानुमान किये गये पूंजी पूंजीकरण की तत्पश्चात 30% मानदण्डीय स्तर से तुलना की गई है जिससे कि उस पूंजी पूंजीकरण (Equity Capitalization) राशि का अवधारण होता है जो कि पूंजी पर प्रतिलाभ की अहर्ता रखता है। विस्तृत गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 116 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसका दावा किया गया

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अ. वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियों, उपभोक्ता के अंशदान की सकल राशि	1938.9
ब. पूंजी (इक्विटी) का प्रारंभिक शेष	704.2
ब 1. निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण	331.6
स. पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	70.0
स1. मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (ब1 का 30%)	99.5
द. मानदण्डीय (स–स1) राशि से आधिक्य/कम अतिरिक्त पूंजी	(29.5)
पूंजी जो प्रतिलाभ की अहर्ता रखती है (ब+स/2 अथवा ब+स1/2, इनमें से जो भी कम हो)	739.2
पूंजी पर प्रतिलाभ; अहर्ता रखने वाली राशि से 14% अधिक दर पर	**103.5**

पूंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में आयोग का विश्लेषण

3.133 ब्याज तथा वित्त प्रभारों संबंधी भाग स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी को पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2006–07 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी में परिणित होती है। इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता हेतु, अनुज्ञेय किये गये पूंजी पर प्रतिलाभ का अवधारण, तत्पश्चात्, आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई 14% दर के अनुसार चिन्हित की गई कुल पूंजी पर जैसा कि इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित किया गया है, को प्रयोज्य कर किया जाता है। आयोग को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 की अवधि के दौरान, परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रयोजन हेतु, वितरण व्यापार में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया जावेगा, जिससे कि पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों को आवंटित की गई पूंजी (इक्विटी) की राशि में अभिवृद्धि होगी। यदि इसे अंकेक्षित लेखे के समर्थन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो भविष्य में इसे अनुज्ञप्तिधारी की सत्यापन याचिकाओं में अनज्ञेय किया जा सकेगा।

तालिका 117 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ

(राशि करोड़ रूपये में)

स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 2008–09
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका पूंजी के माध्यम से वित्तीय पोषण चिन्हित किया गया है, में 30% की अभिवृद्धि **(तालिका 109: वित्तीय वर्ष 2006–07 की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यो से संबंद्ध ऋण की गणना, से उद्धरित)**	30.57
दिनांक 31 मार्च, 06 की स्थिति में, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित की गई पूंजी का अन्तिम शेष	464.96
दिनांक 31 मार्च, 07 की स्थिति में, कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित किया गया है	495.53
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ, 14% की दर से	**69.37**

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें

3.134 उपरोक्त चर्चित व्ययों के तत्वों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें सम्मिलित हैं डूबन्त ऋण, अन्य विविध व्यय, कोई पूर्व अवधि व्यय/आकलन (क्रेडिट्स) तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनका विश्लेषण निम्न अनुच्छेदों में किया गया है:

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

3.135 अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में टैरिफ से पूर्वानुमान किये गये राजस्व का डूबन्त ऋणों संबंधी 1% प्रावधान (जो कि आयोग के विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुज्ञेय अपलेखन राशि है)

अनुज्ञप्तिधारी की अहर्ताओं की आपूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु इसके स्थान पर डूबन्त ऋणों के प्रावधान हेतु पूर्वानुमान की गणना विक्रय राजस्वों के 1.5% की दर से की है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई यह राशि रु. 57.40 करोड़ है।

3.136 आयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, डूबन्त ऋणों को विनियमों के उपबन्धों के अनुसार कुल पूर्वानुमान किये गये विक्रय राजस्वों के 1% की दर के अध्यधीन अनुज्ञेय करेगा। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, डूबन्त ऋणों का वास्तविक उपलेखन, जैसा कि यह अंकेक्षित लेखे में (जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे आयोग को उपलब्ध कराया जावेगा) उपलब्ध है, की वित्तीय वर्ष 2008–09 के वास्तविक राजस्व के 1% की दर की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तथा आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत अनुज्ञेय किये गये (वित्तीय वर्ष 2008–09 की पूर्वानुमान राजस्व राशि का 1%) से इसकी तुलना की जावेगी। वित्तीय वर्ष 2008–09 का सत्यापन करते समय, अन्तर की राशियों का समायोजन किया जावेगा। निम्न तालिका वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु डूबन्त ऋणों का, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इनका दावा किया गया है तथा जिन्हें कि आयोग द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है, से संबंधित राशियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 118 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
जिसका दावा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया है	57.40
वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार विक्रय राजस्व का 1%	35.28
जिसे आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया	**35.28**

टीपः विक्रय राजस्व की गणना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु इस आदेश द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार की गई है।

अन्य विविध व्यय

3.137 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विविध व्यय की राशि का पूर्व अवधि आकलनों/विकलनों (Prior period debits/credits), पूर्व अपलेखित की गई हानियां आदि को सम्मिलित कर, दावा किया गया है। इस राशि की गणना वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु रू.1.10 करोड़ की गई है। आयोग इस राशि को वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में शामिल किये जाने हेतु स्वीकार करता है।

अन्य आय (गैर–टैरिफ)

3.138 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु इस मद से रू. 76.30 करोड़ की आमदनी का पूर्वानुमान किया गया है जिसमें सम्मिलित है, मीटर भाड़ा, उपभोक्ताओं से विविध प्रभार, ऋणों पर ब्याज तथा स्टाफ को अग्रिम राशि प्रदाय की जाना। ऋणों पर ब्याज तथा स्टाफ को प्रदाय अग्रिम राशि को चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य 76 : 24 के अनुपात में विभाजित किया गया है जबकि अन्य समस्त मदें पूर्ण रूप से खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत रखी गयी हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09

हेतु, मीटर भाड़े की गणना, आयोग द्वारा सुसंगत विनियमों में प्रत्येक श्रेणी हेतु उक्त ऋणों में प्राक्कलित किये गये उपभोक्ताओं बाबत विनिर्दिष्ट किये गये भाड़ों पर आधारित की है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका चक्रण प्रभारों से किसी आय को, चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय के भाग के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है।

3.139 विद्युत की चोरी से वसूली के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंकेक्षित लेखे इस मद के विरूद्ध रु. 30.90 करोड़ राशि को प्रदर्शित करते हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में किसी भी राशि का पूर्वानुमान नहीं किया गया है। आयोग, तथापि, यह समझता है कि विद्युत चोरी, जो वर्ष 2008–09 में होगी, से किसी वसूली को प्राक्कलित किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा। अतएव आयोग इस शीर्ष के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी की वास्तविक आय पर विचार, वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान की गई वसूलियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, सत्यापन के समय करेगा।

इसके अतिरिक्त, आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्वानुमान किये गये ऋणों तथा अग्रिमों के संबंध में, इसे अन्य आय के रूप में अनुज्ञेय करता है। तथापि, चक्रण प्रभारों से आय के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार, वास्तविक राजस्व की प्राप्ति रूपये 0.63 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भी, चक्रण प्रभारों से आय हेतु, समराशि को सम्मिलित किया जाता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की चक्रण प्रभारों से वास्तविक आय का समायोजन खुली पहुंच उपभोक्ताओं की संख्या पर निर्भर, सत्यापन के समय किया जावेगा। इस समायोजन के अतिरिक्त, अन्य आय से संबंधित समस्त मदों को, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये दावे के अनुसार अनुज्ञेय किया जाता है।

3.140 इस प्रकार, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि जिसे वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अन्य आय माना गया है, निम्नानुसार होगीः

तालिका 119 : चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	0.83
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई*	**1.46**

* इसमें रु. 0.63 की राशि 3 चक्रण प्रभारों से आय के रुप में सम्मिलित है, जैसा कि इसे पूर्व में स्पष्ट किया गया है।

तालिका 120 : खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	75.46
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई	**75.46**

अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण

3.141 आयोग द्वारा धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 26 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित विनियमों में उल्लेखित है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जावेगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि हेतु, चक्रण (वितरण) गतिविधि हेतु, तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें कि चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल विद्युत वितरण व्ययों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण का उद्देश्य चक्रण प्रभारों को संस्थापित करना है जिनकी वसूली खुली पहुंच उपभोक्ताओं से की जावेगी।

3.142 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के विनियमों का प्रतिपालन उस सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु इसे दायर किया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दो वितरण केन्द्रों के अन्तर्गत अध्ययन किये जाने संबंधी दावा किया गया है जिससे कि लागतों के अनुपात का, जैसे कि चक्रण गतिविधि से संबंद्ध, प्रचालन तथा संधारण का अवधारण किया जा सके। अन्य लागत मदों के संबंध में, उनके द्वारा आवंटन अनुपातो का प्रयोग उस सीमा तक किये जाने का दावा किया गया है कि व्ययों का चिन्हीकरण प्रभावी रुप से एक गतिविधि अथवा किसी अन्य से किया जा सके।

3.143 आयोग पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधि को अधिरोपित किये जाने वाले व्ययों के पृथक–पृथक अवधारण किये जाने संबंधी प्रयासों की सराहना करता है। एक प्रतिनिधि आंकड़ा समूह के अभाव में, आयोग आवंटन अनुपातों का प्रयोग, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा व्ययों के पृथक्करण हेतु अपनाये गये के अनुरूप किये जाने का इच्छुक नहीं है। तथापि, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को उसके वितरण केन्द्रों, क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों आदि के एक प्रतिनिधि नमूने का गहन अध्ययन किये जाने बाबत निर्देशित करता है जिससे कि प्रत्येक व्यय मद (विद्युत क्रय को छोड़कर) के आवंटन अनुपात को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्कृत किया जाना विकसित किया जा सके। इस अध्ययन के परिणाम आयोग को टैरिफ आदेश जारी होने के छः माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिये। तथापि, यह एक अस्थाई स्थानापन्न व्यवस्था है। आयोग चाहता है कि अनुज्ञप्तिधारी चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय को अलग–अलग व्यय भारित किये जाने का पूर्ण लेखांकन पृथक्करण का उत्तरदायित्व स्वयं संभाले। अनुज्ञप्तिधारी को इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर इस गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु संभावित समय–सीमा को दर्शाते हुए आयोग से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

3.144 अतः इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय

(बी) अवमूल्यन

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज

(डी) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि के लिये

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(एफ) अन्य विविध व्यय

(जी) घटायें : आय, जिसकी पूर्व भाग में गणना की गई है।

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(एच) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये

(आई) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज

(जे) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(के) घटायें : आय, जिसकी पूर्व भाग में गणना की गई है।

3.145 उपरोक्त दर्शायेनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 121 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित राशि (करोड़ रूपये में)
(ए) विद्युत क्रय व्यय	2487.22
(बी) पारेषण प्रभार (एमपी ट्रांसको)	282.67
चक्रण गतिविधि :	
संचालन तथा संधारण व्यय	466.44
अवमूल्यन	36.11
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	27.92
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	5.86
पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)	69.37

अन्य व्यय	1.10
घटायें : अन्य आय	1.46
(सी) *उप–योग – वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुमोदित की गई चक्रण सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता*	***605.34***
खुदरा विक्रय गतिविधि	
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	0.00
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	35.28
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	31.96
घटायें : अन्य आय	75.46
(डी) *उप–योग–वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित की गई खुदरा समग्र राजस्व आवश्यकता*	***(8.22)***
महायोग– वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी+डी)	**3367.01**

विद्युत वितरण कम्पनियों तथा जनरेटिंग कम्पनी का अवधि माह जून 2005 से मार्च 2006 तक के सत्यापन का उपचारण

3.146 आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2008 द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों का अवधि माह जून 2005 से मार्च 2006 तक के वित्तीय लाभ तथा हानि का अवधारण किया गया। आदेश में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया था कि आयोग द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, निर्धारित की गई राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में उपभोक्ताओं को अन्तरण हेतु किया जावेगा।

3.147 इस आदेश के माध्यम से, आयोग द्वारा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 118.27 करोड़ की राशि के लाभ का अवधारण किया गया है। ऋणात्मक होने के कारण इस राशि को वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से तदनुसार जोड़ दिया जावेगा।

3.148 वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी पर आयोग के एमपी जनको का सत्यापन संबंधी इस आदेश से उद्भूत प्रभाव की चर्चा इस आदेश की **''तालिका 60: एमपी जनको की अतिरिक्त लागत को विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य आवंटन''** में की जा चुकी है। इस तालिका के अनुसार, एमपी जनको की अतिरिक्त लागत, जिसे पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से वसूल किया जाना अनुज्ञेय किया गया है, रु. 41.77 करोड़ है। इस राशि को

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में उपभोक्ताओं से वसूली हेतु जोड़ा जावेगा।

विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व अन्तर

3.149 आयोग द्वारा विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व की गणना वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर की गई है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु राजस्व के अन्तर की गणना, अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह जून 05 से माह जून 06 तक की अवधि हेतु एमपी जनको तथा मप्र की विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण राजस्व अन्तर/(आधिक्य) की अनुज्ञेय की गई वसूली (जैसा कि इस पर पूर्व भाग में चर्चा की गई है) के प्रयोग द्वारा की गई है। विद्यमान टैरिफ दरों पर विक्रय राजस्वों तथा राजस्व अन्तर निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं। राजस्व–अन्तर, जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया है, को यहां त्वरित संदर्भ हेतु उद्धरित किया जाता है :

तालिका 122 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर,

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया	जैसा कि इस की गणना आयोग द्वारा की गई #
विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व राशि	3314.04	3418.72
घटायेः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (अन्य आय का सकल योग)	3719.0	3367.01
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व (अन्तर)	(405.0)	51.71
अवधि माह जून 05 से मार्च 06 तक, एमपी जनको के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	---	(41.77)
अवधि माह जून 05 से मार्च 06 तक, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	(163.10)*	(118.27)
वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	(318.40)**	----
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्यमान टैरिफ दरों पर कुल राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	**(886.50)**	**(108.33)**

* दायर किये गये रु. 382.50 करोड़ के राजस्व अन्तर के प्रत्युत्सर्जन (अमारटाईजेशन) के कारण प्रभाव

** दायर किये गये रु. 825.30 करोड़ के राजस्व अन्तर के प्रत्युत्सर्जन (अमारटाईजेशन) के कारण प्रभाव

चालू टैरिफ दरों पर गणना किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप, कार्यकारी पूंजी तथा डूबन्त ऋण

3.150 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू. 886.50 करोड़ की प्रक्षेपित राशि का अन्तर पाटने हेतु आंशिक रूप से टैरिफ दर में वृद्धि तथा दक्षता में अभिवृद्धि द्वारा तथा आंशिक रूप से विनियामक परिसम्पत्ति के सृजन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तथापि, पुनरीक्षित अन्तर, जैसी कि आयोग द्वारा इसकी पुनर्गणना विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार की गई है, रु. 108.33 करोड़ है जैसा कि इसका उपरोक्तनुसार, अवधारण किया गया है। अतएव, आयोग द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये कुल राजस्व अन्तर की आपूर्ति हेतु टैरिफ प्रस्तावों में उपयुक्त संशोधन किये गये हैं तथा इस हेतु किसी विनियामक परिसम्पत्ति (Regulatory Asset) के सृजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

3.151 पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्याशित राजस्व निम्नानुसार हैं:

तालिका 123 : **पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व**

(राशि करोड़ रूपये में)

	विवरण	राशि
	राजस्व अन्तर, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया	886.50
ए.	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित दरों पर प्रत्याशित राजस्व	3527.88
बी.	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (**अन्य आय का सकल योग**)	3367.01
सी = ए–बी	वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से अधिक राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	160.87
डी.	अवधि जून 2005 से मार्च 2006 तक एमपी जनको के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	(41.77)
ई.	अवधि जून 2005 से मार्च 2006 तक मध्यप्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	(118.27)
सी+डी+ई	**वित्तीय वर्ष 2008–09 की टैरिफ दरों के अनुसार कुल राजस्व (अन्तर)/आधिक्य**	**0.83**

3.152 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास मामूली सा अन्तर छूट गया है। तथापि, यह राज्य में एक समान टैरिफ दरें रखे जाने के परिणामस्वरूप है। चूंकि छूटा हुआ राजस्व अन्तर बहुत ही मामूली है, इसकी समीक्षा वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन के दौरान की जावेगी।

3.153 वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित दरों के अनुसार (जिन्हें इस आदेश की टैरिफ अनुसूची में दर्शाया गया है) आयोग द्वारा उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व की गणना निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 124 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व

उपभोक्ता श्रेणी	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व (करोड़ रूपये में)
निम्न दाब		
घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	1866.38	623.44
गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	470.20	254.26
जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	147.57	52.02
निम्न दाब औद्येगिक	434.50	203.56
कृषि उपभोक्ता	3805.54	1008.95
योग (निम्न दाब)	**6724.19**	**2142.23**
उच्च दाब		
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	316.29	147.07
कोयला खदाने (कोल माईन्स)	0.00	0.00
औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक	2384.69	1086.29
मौसमी (सीजनल)	10.06	7.37
उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	220.41	72.34
टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	0.00	0.00
छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	225.85	72.58
योग (उच्च दाब)	**3157.30**	**1385.65**
महायोग (निम्न दाब+उच्च दाब)	**9881.49**	**3527.88**

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र
विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल
(सेन्ट्रल डिस्कॉम)

ए–4 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सेंट्रल डिस्काम) की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका

4.1 वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल विक्रय 7,134 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किये गये हैं। निम्न दाब श्रेणी हेतु विक्रय 4,851 यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 68%) तथा उच्चदाब श्रेणी में 2,283 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 32% प्रतिशत) प्राक्कलित किये गये हैं।

तालिका 125 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय

उपभोक्ता श्रेणी			वित्तीय वर्ष 08 हेतु विद्युत विक्रय मिलियन यूनिट में
निम्न दाब उपभोक्ता	एलवी 1	घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	2098
	एलवी 2	गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	501
	एलवी 3	जल प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	130
	एलवी 4	निम्न दाब औद्येगिक	243
	एलवी 5	कृषि उपभोक्ता	1880
		योग (निम्न दाब)	**4851**
उच्च दाब उपभोक्ता	एचवी 1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	724
	एचवी 2	कोयला खदानें (कोलमाईन्स)	38
	एचवी 3	औद्योगिक	1023
		गैर औद्योगिक	221
	एचवी 4	मौसमी (सीजनल)	2
	एचवी 5	उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	97
	एचवी 6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	163
	एचवी 7	छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	15
		कुल (उच्च दाब)	**2283**
निम्न दाब + उच्च दाब का योग			**7134**

4.2 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुल विक्रय का पूर्वानुमान 7,134 मिलियन यूनिट किया गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों (जो लगभग 6513 मिलियन यूनिट है) से 9.54% अधिक है। अनुज्ञप्तिधारी के इस पूर्वानुमान में, 1,588 मिलियन यूनिट के अमीटरीकृत कृषि विक्रय तथा घरेलू उपभोक्ताओं के अमीटरीकृत 84 मिलियन यूनिट शामिल है।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

4.3 एमपी ट्रेडको तथा तीनों वितरण कंपनियों के मध्य प्रचलित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि वह सुसंगत प्रपत्रों में (पूर्व में उल्लेखित टैरिफ विनियमों के अनुसार) स्टेशनवार उत्पादन उपलब्धता की अद्यतन जानकारी सम्पूर्ण तथा स्वतंत्र रूप से प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह जानकारी उसके द्वारा मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल), मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) तथा मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (एमपी ट्रेडको) के साथ किये गये परस्पर वार्तालाप के आधार पर प्रदान की गई है। इस संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा भी किया गया है कि उसके द्वारा मप्रविनिआ [विद्युत तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया] विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी–19 (I) वर्ष 2006) की धारा 18 से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है जिसमें कहा गया है कि

''वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–कालीन मांग तथा प्रदाय उपलब्धता संबंधी निर्धारण, किसी एक अथवा समस्त संबंधितों से जिसमें राज्य सेक्टर उत्पादन कंपनियों, वितरण कंपनियों, निजी वितरण अनुप्तिधारियों, केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण कंपनियों/क्षेत्रीय विद्युत मण्डल राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी सम्मिलित है से परामर्श द्वारा, करेगा।''

4.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा किया गया है कि उसके द्वारा प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों से अस्थाई (Tentative) रूप से अपनाई गई जानकारी का प्रयोग विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु, राजस्व आवश्यकता की प्राप्ति हेतु, किया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय को जाने वाली विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाये जाने को अनुरोध किया है। अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को उन्हें अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया यदि ऐसी जानकारी एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध करा दी जाती है।

4.5 अनुज्ञप्तिधारी ने क्षमता का प्रतिशत आवंटन (अर्थात् 32.52 प्रतिशत) शासन की अधिसूचना दिनांक 18.10.2006 के अनुसार माना है। मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी ने निम्न मदों की गणना के विवरण उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार प्रस्तुत किये हैं :

- समस्त स्त्रोतों से मासिक उपलब्ध विद्युत ऊर्जा
- उत्पादकों को देय वार्षिक स्थाई प्रभार
- उत्पादकों को प्रोत्साहनों, आयकर, शुल्कों आदि के कारण किये जाने वाले अनुमानित भुगतान ; तथा
- भुगतान किये जाने वाले अनुमानित अन्तर्राज्यीयपारेषण प्रभार

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन

4.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी) के साथ उनके द्वारा की गई चर्चा के आधार पर किया गया है। एमपी जनको से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता एमपी जनको द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत उत्पादन के मासिक पूर्वानुमानों पर आधारित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (एनटीपीसी, एनपीसी) से उपलब्धता संबंधी जानकारी याचिका तैयार करते समय तथा दायर करने के समय तक उपलब्ध नहीं थी। उपलब्धता के आकलन हेतु, पूर्व के दो वर्षों तथा चालू वर्ष 2007–08 के प्रथम छः माहों के ''वास्तविक उत्पादन'' का प्रयोग किया गया है।

4.7 वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा 2009–10 में समयोत्तर नवीन क्रियाशील होने वाले स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धि पर भी विचार किया गया है। मप्र शासन की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 तथा आयोग के खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश दिनांक 30 मार्च, 2007 के अनुसार ऐसे अपेक्षाकृत नवीन स्टेशनों से विद्युत की उपलब्धि को एमपी ट्रेडको को आवंटित कर दिया गया है जिनसे अनुज्ञप्तिधारी विद्युत की अध्याप्ति थोक विद्युत प्रदाय दर पर उसी दशा में करेगा यदि विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता समाप्त हो जाने पर, किसी प्रकार की पूर्ति योग्य मांग बचती है। ऐसे स्टेशनों हेतु उपलब्धता का पूर्वानुमान 80% के मानदण्डीय संयंत्र भार कारक (प्लांट लोड फेक्टर–पीएलएफ) तथा कोयला एवं गैस आधारित स्टेशनों हेतु (यदि यह लागू हो) क्रमशः 7% तथा 3% की सहायक खपत (आक्सीलियरी कन्सम्पशन) पर किया गया है।

4.8 मढीखेड़ा यूनिट III तथा ओंकारेश्वर जल–विद्युत स्टेशन से उपलब्धता आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश दिनांक 30 मार्च, 2007 के अनुसार अनुमोदित की गई है तथा इसी आंकड़े को पूर्वानुमान अवधि, अर्थात, वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु माना गया है।

4.9 निम्न तालिका प्रत्येक स्त्रोत से वार्षिक उपलब्धता को दर्शाती है जबकि मासिक उपलब्धता याचिका के प्रपत्र एफ1–2 (एक अतिरिक्त प्रपत्र में) में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 126 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि

स.क्र	स्त्रोतवार उपलब्धि (मिलियन यूनिट में)	राज्य हेतु (मिलियन यूनिट में)	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु (मिलियन यूनिट में)
I.	**केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन**		
1.	एनटीपीसी – कोरबा	3,232	1,535
2.	एनटीपीसी – विंध्याचल I	2,833	805
3.	एनटीपीसी – विंध्याचल II	2,314	325
4.	एनटीपीसी – विंध्याचल III (यूनिट 1)	728	102

5.	एनटीपीसी – कवास	564	66
6.	एनटीपीसी – गंधार	824	100
7.	केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	483	68
8.	टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन)	823	116
9.	फरक्का + तालचेर + कहलगांव	507	94
	केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन – योग	**12,308**	**3,211**
II.	**अन्य स्त्रोत**		
1.	एनएचडीसी–(नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन)–इन्दिरा सागर	2,700	877
2.	सरदार सरोवर	2,500	1,187
3.	अन्य I (पवन तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	-	-
4.	अन्य II (लघु–अवधि क्रय)	-	-
5.	अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू.आई)	-	-
	अन्य योग	**5,199**	**2,064**
ए.	**महायोग**	**17,508**	**5,276**
I.	**एमपी जनको–ताप विद्युत**		
1.	अमरकंटक टीपीएस – चचई – पीएच 1 तथा 2	1,122	364
2.	सतपुड़ा टीपीएस – सारणी – पीएच 1 तथा 2	7,018	2,197
3.	संजय गांधी टीपीएस – बिरसिंहपुर पीएच 1 तथा 2	5,081	1,651
	ताप विद्युत का योग	**13221**	**4,213**
II.	**एमपी जनको – जल विद्युत**		
1.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन – गांधी सागर	171	81
2.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन राणा प्रताप सागर	-	-
3.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन –जवाहर सागर	-	-
4.	पेंच टीएचपीएस	208	99
5.	बाण सागर टोंस एचपीएस (I, II तथा III)	1,094	520
6.	बाण सागर टोंस एचपीएस – बाणसागर IV	79	38
7.	बिरसिंहपुर एचपीएस	45	21
8.	बरगी एचपीएस	503	239
9.	राजघाट एचपीएस	45	21
10.	माताटीला एचपीएस	-	-
11.	मढ़ी खेड़ा एचपीएस	49	7
12.	मिनी–माइक्रो एचपीएस	-	-
ए.	**जल–विद्युत योग**	**2,193**	**1,025**
बी.	**एमपी जनको उत्पादन योग**	**15,414**	**5,238**

सी.	कुल विद्युत उपलब्धि (ए+बी)	**32,922**	**10,514**
डी.	एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय @ बीएसटी	**5,345**	**1,591**
ई.	कुल विद्युत उपलब्धता (सी+डी)	**38,267**	**12,105**

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन

4.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एमपी जनको की स्थाई लागतें तथा परिवर्तनीय लागतें एमपी जनको हेतु आयोग के बहुवर्षीय (वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2008–09) टैरिफ आदेश से अपनाई गई हैं। विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों हेतु, स्थाई लागतें (Fixed Costs) केंन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के तत्संबंधी स्टेशनों हेतु आदेशों के अनुसार तथा परिवर्तनीय लागतें (Variable Costs) वर्तमान में लागू ईंधन मूल्य समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) को सम्मिलित कर माह जुलाई, 2007 के देयक के अनुसार अपनाई गई हैं।

4.11 केन्द्रीय क्षेत्र के नवीन स्टेशनों से विद्युत क्रय की लागत को गणना हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न विधि अपनाई गई है :

(ए) विंध्याचल–III हेतु, परिवर्तनीय लागत को मा. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा उनके टैरिफ आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2007 द्वारा वर्ष 2008–09 तक अनुमोदित को अपनाया गया है।

(बी) सीपत I तथा बढ़ एसटीपीएस हेतु परिवर्तनीय लागत नेशनल थर्मल पावर स्टेशन (एनटीपीसी) द्वारा आधार वर्ष हेतु सूचित प्रावधिक टैरिफ दर के अनुसार है जिसमें वर्ष 2009–10 तक 5.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की गई है। अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि केविनिआ की अधिसूचना दिनांक 24 सितम्बर, 2007 के अनुसार केविनिआ द्वारा अधिसूचित घरेलू कोयला आधारित बोलियों हेतु ऊर्जा प्रभार तत्व की 7.66% अभिवृद्धि दर (Escalation Rate) अधिक प्रतीत होती है। अतएव ऊर्जा प्रभार तत्व में युक्तियुक्त रुप से 5.5% प्रतिवर्ष की दर से अभिवृद्धि की गई है जो कि आयातित कोयला हेतु बारलो जोंकर इन्डेक्स औसत वृद्धि दर है।

(सी) सीपत–II, ओंकारेश्वर जल विद्युत स्टेशन, कहलगांव चरण–II हेतु, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत मा.केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) की वर्ष 2008–09 तक प्रावधिक टैरिफ हेतु दायर की गई याचिका के अनुसार है।

(डी) एमपी जनको, बिरसिंहपुर विस्तार हेतु, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत मप्रविनिआ के समक्ष दायर की गई वर्ष 2008–09 तक प्रावधिक टैरिफ याचिका के अनुसार है। अमरकंटक (नवीन) तथा सतपुड़ा विस्तार हेतु, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट एमपी ट्रेडको से की गई चर्चानुसार बिरसिंहपुर विस्तार हेतु प्रावधिक टैरिफ याचिका के अनुरुप मानी गई है।

(ई) दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी), मढीखेड़ा यूनिट III, लैंको अमरकंटक, पीटीसी–धीरुजन तथा पीटीसी–टोरंट (गैस) हेतु स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट एमपी ट्रेडको द्वारा प्रदाय की गई लागत के अनुरुप है।

4.12 अन्य नवीन स्टेशनों बाबत, स्थाई तथा परिवर्तनीय ण्लागतें ट्रेडको से की गई चर्चा के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं। निम्न तालिका विद्युत क्रय लागत के अवधारण हेतु विचार किये गये प्रत्येक स्टेशन की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों की संक्षेपिका दर्शाती है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्थाई लागत के अंशदान को समग्र राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन हेतु माना गया है।

तालिका 127 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें

	स्त्रोत / स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2008–09		
		स्थाई लागत –राज्य (करोड़ रूपये में)	स्थाई लागत –मध्य क्षेविविकं (करोड़ रूपये में)	परिवर्तनीय लागत (रूपये / किलो वॉट आवर में)
I	**केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन**			
1.	एनटीपीसी – कोरबा	88.03	41.81	0.63
2.	एनटीपीसी – विंध्याचल I	93.58	26.02	1.36
3.	एनटीपीसी – विंध्याचल II	120.61	16.93	1.24
4.	एनटीपीसी – विंध्याचल III (यूनिट–1)	59.31	8.33	0.95
5.	एनटीपीसी – कवास	54.51	6.2	4.29
6.	एनटीपीसी – गंधार	70.12	7.98	1.64
7.	केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	-	-	2.05
8.	टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन)	-	-	2.66
9.	फरक्का + तालचेर + कहलगांव	16.31	3.78	1.09
	केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन – योग	**502.46**	**111.04**	**1.11**
II	**अन्य स्त्रोत**			
1.	एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	580.42	188.6	0.18
2.	सरदार सरोवर	-	-	1.03
3.	अन्य 1 (पवन एवं कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	-	-	-
4.	अन्य 2 (लघु–अवधि क्रय)	-	-	-
5.	अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू.आई)	-	-	-
	अन्य योग	**580.42**	**188.6**	**0.67**
ए	**महायोग**	**1,082.88**	**299.64**	**0.94**
I.	एमपी जनको–ताप विद्युत			

1.	अमरकंटक टीपीएस – चचई – पीएच 1 तथा 2	51.2	16.64	1.17
2.	सतपुड़ा टीपीएस – सारणी – पीएच 1 तथा 2	186.86	58.08	1.31
3.	संजय गांधी टीपीएस, बिरसिंहपुर पीएच 1 तथा 2	300.49	97.64	1
	ताप विद्युत का योग	**538.55**	**172.36**	**1.18**
II.	**एमपी जनको – जल विद्युत**			
1.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन – गांधी सागर	11.37	5.4	-
2.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन राणा प्रताप सागर	-	-	-
3.	केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन –जवाहर सागर	-	-	-
4.	पेंच टीएचपीएस	12.05	5.72	-
5.	बाण सागर टोंस एचपीएस (I, II तथा III)	69.16	32.85	-
6.	बाण सागर टोंस एचपीएस – बाणसागर IV	15.16	7.2	-
7.	बिरसिंहपुर एचपीएस	2.57	1.22	-
8.	बरगी एचपीएस	9.93	4.72	-
9.	राजघाट एचपीएस	5.03	2.39	-
10.	माताटीला एचपीएस	-	-	-
11.	मढ़ी खेड़ा एचपीएस	9.94	1.4	-
12.	मिनी–माइक्रो एचपीएस	**-**	**-**	-
	जल–विद्युत योग	**135.21**	**60.89**	-
बी.	**एमपी जनको उत्पादन योग**	**673.76**	**233.25**	**0.95**
सी.	**कुल विद्युत उपलब्धि (ए+बी)**	**1,756.64**	**532.89**	**0.94**
डी.	**एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय**		**386.11**	
ई.	**कुल विद्युत उपलब्धता (सी+डी)**		**919**	

विद्युत क्रय लागत के अन्य तत्वों का आकलन

4.13 विद्युत क्रय लागत के अन्य तत्व, जैसे कि, प्रोत्साहन, अप्रोत्साहन, आय–कर, विद्युत शुल्क तथा उपकर आदि तथा प्रति यूनिट विविध प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2007–08 (माह जुलाई, 2007 तक) की वास्तविक लागत के स्तर के अनुरुप माना गया हैं। इन लागत तत्वों का पूर्वानुमान परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट की गणना के अनुरुप किया गया है तथा इन्हें विद्युत उत्पादन की परिवर्तनीय लागत में सम्मिलित किया गया है जैसा कि इन्हें प्रत्येक वैयक्तिक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, स्टेशन–वार लागत विवरणों में प्रदर्शित किया गया है।

अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतें

4.14 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को प्रक्षेपित अवधि (वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10) हेतु दो भागों में विभाजित किया गया हैः

(अ) अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत जो कि विद्यमान क्षमताओं से सम्बद्ध है – जैसा कि इसे प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित किया गया है।

(ब) अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत जो अपेक्षाकृत नवीन तथा उदीयमान क्षमताओं से सम्बद्ध है – एमपी ट्रेडको को आवंटित।

4.15 इस प्रकार के विभाजन का कारण अपेक्षाकृत नवीन क्षमताओं की लागत को एमपी ट्रेडको को आवंटित करना था क्योंकि एमपी ट्रेडको विद्युत वितरण कम्पनियों को थोक विद्युत प्रदाय दर पर विद्युत वितरण कम्पनी की अपूर्ण मांग की सीमा तक विद्युत प्रदाय करेगी जिस समय उनकी विद्यमान क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। अतः सम्पूर्ण पारेषण क्षमता जिसे कि पूर्वानुमान अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किया जा सकेगा अथवा नहीं किया जा सकेगा, की लागत का भुगतान टाले जाने हेतु, इस प्रकार का विभाजन किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मप्रविनिआ के सिद्धान्तों को उद्धरित किया है जिसके अनुसार पारेषण प्रभार का आवंटन उत्पादन क्षमताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

4.16 अनुज्ञप्तिधारी ने कुल पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) पारेषण प्रभारों का आवंटन प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया है जिन्हें पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र स्टेशनों तथा सरदार सरोवर परियोजना (जो कि पीजीसीआईएल नेटवर्क से संयोजित है) से प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, भारित औसत क्षमता तथा आवंटन प्रतिशत से व्यूत्पादित (derived) किया गया है।

तालिका 128: विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रु. में) (जैसे कि ये दायर किये गये)

विद्युत वितरण कम्पनी	आवंटन %	वित्तीय वर्ष 2005–06	वित्तीय वर्ष 2006–07	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
मप्र मध्य क्षेविविक.लि	32.14%	37	38	42	42	42
मप्र पश्चिम क्षेविविक.लि	37.98%	44	44	49	49	50
मप्र पूर्व क्षेविविक.लि	29.60%	34	35	38	39	39
योग		**116**	**117**	**130**	**130**	**130**

4.17 अपेक्षाकृत नवीन तथा उदीयमान क्षमताओं हेतु पारेषण प्रभारों का पूर्वानुमान सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर किया गया है। रु. करोड़ प्रति मेगावाट के रुप में लक्ष्य को वित्तीय वर्ष 2006–07 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर व्युत्पादित किया गया है। यह लक्ष्य भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) प्रभारों की शुद्ध गणना के रुप में है। केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धियों पर आधारित तथा व्युत्पादित लक्ष्यों के आधार पर एमपी ट्रेडको भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार निम्नानुसार हैं जिन्हें कि थोक विद्युत प्रदाय दर में सम्मिलित किया गया है तथा जिन पर एमपी ट्रेडको विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत का विक्रय कर सकेंगी, यदि विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत क्रय किये जाने की आवश्यकता हो।

तालिका 129: एमपी ट्रेडको हेतु पीजीसीआईएल प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)

एमपी ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
अपेक्षकृत नवीन तथा उदीयमान केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों हेतु पीजीसीआईएल प्रभार	40	45	54

4.18 पूर्वानुमान अवधि के दौरान, राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों (एमपी ट्रांसको प्रभारों) को प्राक्कलित किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी ने पीजीसीआईएल प्रभारों का पूर्वानुमान किये जाने हेतु प्रयोग की गई विधि को ही अपनाया गया है। प्रभारों के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्वानुमान अवधि हेतु, वार्षिक पारेषण प्रभारों में प्रोत्साहन, आयकर तथा विशेष लाभ (बेनीफिट) तत्व को भी समायोजित किया है। विद्यमान उत्पादन क्षमताओं से संयोजित एमपी ट्रांसको प्रभार जो कि प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान योग्य हैं निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका 130: विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)

वार्षिक मप्र ट्रासमिशन कं लि प्रभार (करोड़ रु. में) जैसे कि ये निम्न द्वारा भुगतान योग्य हैं:	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
मप्र मध्य क्षेविविक.लि	209.42	181.45	181.45
मप्र पश्चिम क्षेविविक.लि	229.97	199.26	199.26
मप्र पूर्व क्षेविविक.लि	265.33	229.89	229.89
योग	**704.72**	**610.60**	**610.60**

4.19 एमपीपीटीसीएल प्रभार, जो कि अपेक्षाकृत नवीन तथा उदीयमान उत्पादन क्षमताओं से संबद्ध हैं तथा जैसे कि ये एमपी ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य हैं, निम्नानुसार हैं जिन्हें कि थोक विद्युत प्रदाय दर में सम्मिलित कर लिया गया है जिस पर एमपी ट्रेडको विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत का विक्रय कर सकेगी यदि विद्युत वितरण कम्पनियों को इसकी आवश्यकता हो।

तालिका 131: एमपी ट्रेडको हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (जैसे कि ये दायर किये गये)

मप्र ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य एमपीपीटीसीएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
एमपीपीटीसीएल द्वारा भुगतान योग्य वार्षिक प्रभार एमपीपीटीसीएल प्रभार	133	212	261

गुण–दोष क्रमानुसार प्रेषण (मैरिट आर्डर डिस्पैच)

4.20 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मसिक आधार पर गुण–दोष क्रमानुसार प्रेषण के अनुसरण को विभिन्न स्त्रोतों की परिवर्तनशील लागतों के आधार पर मासिक उपलब्धता के साथ मासिक ऊर्जा की आवश्यकता के साथ मिलान कर अपनाया गया है। अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि जबकि लागतों का मासिक अवधारण

लागत के वार्षिक उपलब्धता पर उन्नत प्राक्कलन प्रदान करना है, परन्तु, दैनिक शीर्ष आवश्यकताऐं तथा वास्तविक तथा प्राक्कलन मध्य अन्तर के आधार पर वास्तविक लागत आगे टल जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी ने आगे निवेदन किया है कि अन्तरों को नियमित आधार पर प्रस्तावित लागत समायोजन सूत्र (फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट–एफसीए फार्मूला) के अनुसार अन्तरित कर दिया जावेगा जो कि निम्न दर्शाई राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपबंधों कंडिका 5.3 (ज) (4) तथा कंडिका 8.2.1 (1) के अनुरूप हैः

''विगत लागतों के बोझ से भावी उपभोक्ताओं को बचाने के लिये अनियंत्रण योग लागतों को तेजी से वसूल किया जाना चाहिए। अनियंत्रण योग लागतों (सीमित नहीं) में शामिल है–ईंधन लागत, मुद्रा स्फिति के कारण लागत, कर एवं उपकर विपरीत प्राकृतिक घटनाओं के मामले में हाइड्रो–थर्मल मिश्रण समेत विद्युत क्रय यूनिट लागतों में भिन्नता''

एवं

''सभी विद्युत क्रय लागतों को वैध समझा जाना आवश्यक है जब तक कि यह स्थापित न कर दिया जाये कि मेरिट आदेश सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है और अनुचित दरों पर विद्युत का क्रय किया गया है।''

4.21 अनुज्ञप्तिधारी ने दावा किया है कि ऊर्जा की मासिक आवश्यकता अनुज्ञप्तिधारी के स्वंय के पूर्वानुमान तथा अन्य विद्युत वितरण कम्पनियों के अस्थाई प्राक्कलन पर आधारित है। अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि केवल आयोग के पास ही विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा नियोजित कुल ऊर्जा आवश्यकता संबंधी जानकारी उपलब्ध है।

आयोग का विश्लेषण

विक्रय का पूर्वानुमान

मीटरीकृत खपत

4.22 आयोग ने समस्त मीटरीकृत उपभोक्ताओं के विक्रय पूर्वानुमानों की समीक्षा की है तथा पूर्व की प्रवृत्ति के साथ इसकी तुलना की है। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी की विभिन्न श्रेणियों के विक्रय पूर्वानुमानों के समर्थन में प्रस्तुतिओं को भी संज्ञान में लिया है तथा की गई अवधारणाओं को युक्तियुक्त मानता है। विद्यमान विद्युत उत्पादन तथा नियोजित क्षमता अभिवृद्धि के आधार पर, यह संज्ञान में लिया गया है कि वर्ष 2008–09 में मप्र राज्य को विद्युत उपलब्धता की मात्रा अनुज्ञप्तिधारी के विक्रय पूर्वानुमान की पूर्ति किये जाने से कहीं अधिक है। अतः आयोग अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान के कांट–छांट किये जाने को उपयुक्त नहीं मानता। पारेषण एवं वितरण हानियों (टी एण्ड डी लॉसेस) पर विचार करने के उपरान्त भी, उपलब्ध

विद्युत मात्रा उपभोक्ताओं की समस्त पूर्वानुमान आवश्यकताएं की आपूर्ति हेतु पर्याप्त है। अतः आयोग समस्त मीटरीकृत उपभोक्ताओं के विक्रय पूर्वानुमानों को अनुमोदन करता है।

अमीटरीकृत खपत

4.23 घरेलू श्रेणी की अमीटरीकृत खपत के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को विदित करा दिया है कि अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रारंभ होने से पूर्व ही शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को मीटरीकृत करने की योजना है तथा तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 में शहरी क्षेत्रों के घरेलू खण्ड में कोई बिना मीटर वाला उपभोक्ता नहीं होगा। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत याचिका में, अनुज्ञप्तिधारी ने उपभोक्ताओं के इस भाग द्वारा लगभग 13 मिलियन यूनिट की खपत किया जाना दर्शाया है, जो आयोग को स्वीकार्य नहीं है। तथापि, आयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, शहरी अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं हेतु एक टैरिफ दर विनिर्दिष्ट कर रहा है ताकि अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान उसे उसके प्रदाय क्षेत्र में अवशेष शहरी घरेलू अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की खपत को प्राक्कलित करने तथा तदनुसार बिलिंग किये जाने का अवसर प्रदान किया गया जाए।

4.24 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु टैरिफ आदेश में अवधारित किया गया था कि घरेलू श्रेणी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग शहरी क्षेत्रों में 77 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह 38 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह के आधार पर की जावेगी। इसके स्थान पर, अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 में ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की खपत 30 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह की दर से आकलित की है।

4.25 अमीटरीकृत कृषि पम्पसेटों तथा घरेलू उपभोक्ताओं के और आधिक यथार्थवादी प्राक्कलन विकसित किये जाने के प्रयोजन से, आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को जारी किये गये आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के दोनों कृषि तथा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने वाले वितरण ट्रांसफार्मरों पर स्थापित कम से कम 100 मापयन्त्रों (मीटरों) के ऊर्जा खपत संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। अनुज्ञप्तिधारी ने उसके प्रचालन क्षेत्र के कुछ वृत्तों के वितरण ट्रांसफार्मर मापयन्त्रों (मीटरों) के कुछ नमूना ट्रांसफार्मर के वाचन प्रस्तुत किये है।

4.26 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत किये गये आंकड़े से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने आंकड़े बिना किसी व्याख्यात्मक टिप्पणी के प्रस्तुत किये है तथा वृहद अन्तर हेतु कारण भी स्पष्ट नहीं हैं। प्रस्तुत किये गये आंकड़े शहरी–ग्रामीण उपभोक्ताओं का पृथक्करण भी नहीं करते जो कि अध्ययन कराये जाने का मुख्य उद्देश्य है।

4.27 आगे आयोग द्वारा यह भी पाया गया है कि होशंगाबाद, गुना तथा भिण्ड वृत्तों के संबंध में पूर्ण वर्ष के आंकड़ें प्रदान नहीं किये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी ने औसत खपत प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति प्रस्तुत नहीं की है। नमूना परिणामों में भी काफी अन्तर हैं। संचालन तथा संधारण वृत्त ग्वालियर में औसत खपत 29.4 यूनिट प्रति अश्वशक्ति दर्शाई गई है जबकि अधिकतम औसत खपत सीहोर वृत्त में दर्शाई गई है जो कि 175.12 यूनिट है तथा यह भोपाल वृत्त की औसत खपत से काफी अधिक दर्शाई गई है। आयोग द्वारा औसत खपत प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता की गणना की गई है जिससे कि पूरा परिदृश्य बदल गया है। 338 यूनिटों की अधिकतम औसत खपत संचालन तथा संधारण वृत्त ग्वालियर में पाई गई परन्तु नमूने का आकार काफी लघु था जिसके अन्तर्गत केवल दो ही उपभोक्ता लिए गये थे। अगली अधिकतम खपत भिण्ड वृत्त में 247 यूनिट अभिलिखित की गई थी। 59.27 यूनिटों की न्यूनतम औसत खपत संचालन तथा संधारण वृत्त, भोपाल में पाई गई। समग्र रुप से औसत खपत 77.77 यूनिट प्रति उपभोक्ता अभिलिखित की गई।

4.28 शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट आंकड़ों के अभाव में तथा काफी वृहद अन्तर पर विश्लेषण तथा टिप्पणियों के अभाव में, आयोग टैरिफ आदेश दिनांक 30 मार्च, 2007 के शहरी क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को 77 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह के आधार पर बिलिंग किये जाने संबंधी उपबन्धों को जारी रखे हुए है। तथापि, आयोग अनुज्ञप्तिधारी के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू अमीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु अनुज्ञप्तिधारी के 30 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह के खपत के प्राक्कलन को स्वीकार करता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुज्ञप्तिधारी के विक्रय संबंधी प्राक्कलन को याचिका में दायर किये गये अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

4.29 कृषि श्रेणी के अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के संबंध मे, आयोग ने उसके वित्तीय वर्ष 2007–08 संबंधी आदेश में निर्देशित किया था कि उपभोक्ता की बिलिंग निम्न आधार पर की जावेगीः–

(ए) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 100 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजन हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी ; तथा

(बी) शहरी क्षेत्रों में अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजनों हेतु 150 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी।

4.30 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत कृषि श्रेणी में अमीटरीकृत खपत के प्राक्कलन का विश्लेषण किया तथा अनुज्ञप्तिधारी को इस श्रेणी में उसके खपत संबंधी प्राक्कलनों का आधार प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। अनुज्ञप्तिधारी ने तदनुसार अपना राजस्व मॉडल आयोग को प्रस्तुत किया है जो कि वित्तीय वर्ष 2008–09

हेतु विक्रय तथा राजस्व पूर्वानुमान का आधार है जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे दायर किया गया है। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजस्व मॉडल का विश्लेषण किया तथा उसके द्वारा शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु, दोनों स्थाई तथा अस्थाई उपभोक्ताओं के अन्तर्गत, कृषि उपभोक्ताओं तथा संयोजित भार को चिन्हित किया गया। उपभोक्ताओं तथा संयोजित भार संबंधी जानकारी के आधार पर तथा उपरोक्त दर्शाये गये आकलन मानदण्डों के प्रयुक्त किये जाने पर, आयोग का विचार है कि इस श्रेणी से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के पूर्वानुमान औचित्यपूर्ण हैं तथा तदनुसार विक्रय पूर्वानुमानों को पुनरीक्षित दायर किये गये अनुसार अनुमोदित करता है।

4.31 यद्यपि आयोग द्वारा, अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को बिलिंग के प्रयोजन से उपरोक्त दर्शाया अनुसार निर्धारण मानदण्ड विकसित किये थे, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग के सुसंगत आंकड़े (प्रभावी रुप से कृषि वितरण ट्रांसफार्मर संबंधी) प्रस्तुत किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के अवलोकन द्वारा निर्देश दिये गये ताकि अमीटरीकृत कृषि पम्प सेटों हेतु और अधिक सही प्राक्कलन विकसित किया जा सके।

4.32 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अवलोकन द्वारा यह पाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्ण वर्ष हेतु गुना, मुरैना तथा भिण्ड वृत्तों के आंकड़े प्रदाय नहीं किये गये है। अनुज्ञप्तिधारी ने चालू वित्तीय वर्ष हेतु भी कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आयोग द्वारा पाया गया है कि नमूने हेतु औसत खपत समग्र रुप से 205.37 यूनिट प्रति माह प्रति अश्वशक्ति उन वृत्तों हेतु दर्शाई गई है जिनके पूर्ण वित्तीय वर्ष 2006–07 के आंकड़े उपलब्ध थे। आंकड़े शहरी क्षेत्र, अर्थात् भोपाल शहर वृत्त तथा संचालन एवं संधारण वृत्त में न्यून खपत क्रमशः 113 यूनिट तथा 146 यूनिट खपत दर्शाते हैं जबकि सीहोर वृत्त में औसत खपत 290.45 यूनिट है। यद्यपि गुना, मुरैना तथा भिण्ड से संबंधित आंकड़े रबी मौसम के हैं परन्तु इनमें औसत खपत क्रमशः 57, 42 तथा 99 यूनिट पाई गई है।

4.33 आयोग का मत है कि जब तक खपत के आंकड़ों की वर्षा तथा भूजल आंकड़ों द्वारा संपुष्टि नहीं कर दी जाती है तब तक यह जानकारी अधिक सार्थक सिद्ध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, शहरी–ग्रामीण उपभोक्ताओं का पृथक्करण भी चाहा गया था। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत अपर्याप्त जानकारी को दृष्टिगत करते हुए, आयोग निर्देश देता है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अनुमोदित टैरिफ आदेश के अनुरुप ही की जाए *(जैसा कि उपरोक्त पैरा 4.29 में उल्लेखित है)*।

4.34 उपरोक्त चर्चा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के विक्रय पूर्वानुमान निम्नानुसार अनुमोदित किये जाते हैः

तालिका 132: वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान

उपभोक्ता श्रेणी			विद्युत विक्रय मिलियन यूनिट में
निम्न दाब उपभोक्ता	एलवी 1	घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	2084.21
	एलवी 2	गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	500.78
	एलवी 3	जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	129.56
	एलवी 4	निम्न दाब औद्येगिक	242.93
	एलवी 5	कृषि उपभोक्ता	1879.85
		योग (निम्न दाब)	**4837.33**
उच्च दाब उपभोक्ता	एचवी 1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	724.10
	एचवी 2	कोयला खदानें	38.00
	एचवी 3.1	औद्योगिक	1042.48
	एचवी 3.2	गैर–औद्योगिक	202.11
	एचवी 4	मौसमी (सीजनल)	1.90
	एचवी 5	सार्वजनिक जल–प्रदाय	96.75
	एचवी 6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	162.81
	एचवी 7	छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	15.00
		कुल (उच्च दाब)	2283.15
		योग निम्न दाब + उच्च दाब	**7120.49**

4.35 आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के अनुसार वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ अवधारण हेतु जारी विनियमों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचाराधीन वर्ष के दौरान विक्रय की गई वास्तविक विद्युत की मात्रा को, मानदण्डीय हानियों पर विचार करते हुए, समेकित किया जावेगा ताकि ऐसे वर्ष के दौरान अनुज्ञेय विद्युत मात्रा की गणना की जा सके।

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

4.36 राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2010–11 की अवधि हेतु वितरण हानियों के वार्षिक लक्ष्य प्रकाशित किये जा चुके हैं जिन्हें कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आवश्यकता की गणना मध्यप्रदेश शासन के वितरण हानियों संबंधी आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के आधार पर की गई है। अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 की अवधि बाबत, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु वितरण हानि 37.0 प्रतिशत मानी गई है।

तालिका 133 : मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)

वर्ष	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
वित्तीय वर्ष 2006–07	43%
वित्तीय वर्ष 2007–08	40%
वित्तीय वर्ष 2008–09	**37%**
वित्तीय वर्ष 2009–10	34%
वित्तीय वर्ष 2010–11	31%

4.37 पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र स्टेशनों की अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पृथक–पृथक की गई है। पश्चिम क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों हेतु, पूर्व आंकड़े (वित्तीय वर्ष 2007–08 के 44 सप्ताह, अर्थात् दिनांक 3 फरवरी, 2008 को समाप्त होने वाले सप्ताह पर्यन्त) को लिया गया है तथा 4.28% के औसत हानि स्तर का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र पारेषण लाईनों की हानियों हेतु, औसत हानि स्तर (वित्तीय वर्ष 2007–08 के 47 सप्ताह हेतु) 3.31% माना गया है।

4.38 आयोग द्वारा पारेषण बहुवर्षीय टैरिफ आदेशानुसार राज्यान्तरिक (इंटर–स्टेट) पारेषण हानियां 4.9 प्रतिशत मानी गई हैं।

4.39 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु निर्धारित हानि के लक्ष्यों के अनुसार ऊर्जा संतुलन की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई हैः

तालिका 134: वित्तीय वर्ष 08 हेतु सकल ऊर्जा आवश्यकता

स.क्र	विवरण	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
1	कुल विद्युत ऊर्जा का विक्रय (मिलियन यूनिट में)	7,120.49
2	वितरण हानि (% में)	37.00%
3	पारेषण – वितरण अर्न्तमुख पर (मिलियन यूनिट में)	11,302.37
4	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कं लिमिटेड की पारेषण हानि (% में)	4.90%
5	मध्यप्रदेश राज्य की सीमा पर	11,884.72
6	बाह्य हानियां (मिलियन यूनिट में)	211.42
7	**सकल ऊर्जा आवश्यकता**	**12,096.86**

4.40 मध्यप्रदेश शासन ने अधिसूचना क्र 2088–एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा तीनों विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के विद्यमान उत्पादन क्षमता आवंटन को पुनरीक्षित कर दिया है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान संस्थापित की गई उत्पादक क्षमता को आवंटित कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान संस्थापित की जाने वाली प्रत्याशित क्षमता के एमपी ट्रेडको को आवंटन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

4.41 आयोग ने मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र 2088–एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु विद्यमान स्टेशनों से ऊर्जा के आवंटन तथा एमपी ट्रेडको को नवीन स्टेशनों की आवंटित क्षमताओं पर विचार किया है। आयोग ने मध्यप्रदेश शासन की उक्त अधिसूचना पर भी विचार किया है जिसमें उल्लेख है कि ऊर्जा घाटे की अवधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय करेंगे।

4.42 निम्न तालिका मप्र शासन की पूर्व अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 तथा मप्र शासन की अधिसूचना क्र 2088–एफआरएस–4–XIII–200 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को उत्पादन क्षमताओं का आवंटन प्रस्तुत करती हैः

तालिका 135: पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को स्टेशन वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)

स्टेशन का नाम	मप्र शासन की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2007 के अनुसार आवंटन	मप्र शासन द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित आवंटन
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट)–राणा प्रताप तथा जवाहर सागर	32.49%	32.49%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हायडल): बरगी	47.49%	47.00%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट): गांधी सागर	47.49%	34.00%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट): पेंच	47.49%	40.00%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हायडल) बिरसिंहपुर	47.49%	47.00%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हायडल): बाण सागर संकुल (I, II, तथा III	47.49%	48.00%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (ईन्टरस्टेट): राजघाट	47.49%	31.00%
पूर्वी क्षेत्रः तालचेर एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	47.49%	21.00%
सरदार सरोवर परियोजना	47.49%	48.50%
पश्चिमी क्षेत्रः कोरबा एसटीपीसी (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	47.49%	36.00%
संयुक्त उपक्रमः इन्दिरा सागर (8 x 125 मेगावॉट)	32.49%	26.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल): अमरकंटक संकुल	32.49%	31.00%
पश्चिमी क्षेत्रः विंध्याचल एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) - I	32.49%	36.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल): संजय गांधी संकुल	32.49%	41.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल): सतपुड़ा संकुल (चरण–II तथा चरण–III)	32.49%	31.00%
एमपीपीजीसीएल–एसटी (स्टेट थर्मल): सतपुड़ा चरण–I (अन्तर्राज्यीय)	32.49	31.00%
पूर्वी क्षेत्रः फरक्का एसटीपीएस	14.04%	20.00%
पश्चिमी क्षेत्रः विंध्याचल एसटीपीएस–II	14.04%	23.00%
पश्चिमी क्षेत्रः विंध्याचल एसटीपीएस–III, (यूनिट–I)	14.04%	20.00%
पश्चिमी क्षेत्रः काकरापार एपीएस (एटॉमिक पावर स्टेशन)	14.04%	20.00%

पश्चिमी क्षेत्रः गंधार जीपीपी (गैस पावर प्लांट)	14.04%	20.00%
पश्चिमी क्षेत्रः तारापुर एपीएस	14.04%	20.00%
पूर्वी क्षेत्रः कहलगांव एसटीपीएस	14.04%	20.00%
एमपीपीजीसीएल – एसएचः मढीखेड़ा	14.04%	22.00%
पश्चिमी क्षेत्रः कवास जीपीपी	14.04%	20.00%
ओंकारेश्वर एचपीएस (हायड्रो पावर स्टेशन)		22.00%
पश्चिमी क्षेत्रः विंध्याचल एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)–III (यूनिट II)		20.00%
बाणसागर – IV (झिन्ना)		22.00%
मढ़ीखेढ़ा (यूनिट III)		22.00%
लैंको अमरकंटक		26.00%
भारित औसत		**32.74**%

4.43 ओंकारेश्वर जल–विद्युत (हायडल) पावर स्टेशन को पूर्व में ट्रेडको के साथ रखा गया था क्योंकि इसे पिछले वर्ष के मध्य से प्रचालन में आना था। चूंकि यह संयंत्र वित्तीय वर्ष 2008–09 से पूर्ण रुप से उपलब्ध हो जावेगा, अतः इसे मप्र शासन की नवीन अधिसूचना के आधार पर इसे स्थाई आवंटन (फर्म एलोकेशन) के अन्तर्गत रखा गया है।

4.44 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु आवंटन का भारित औसत प्रत्येक स्टेशन से आवंटित अंशदान के अनुसार 32.74% है।

4.45 **द्विपक्षीय स्टेशनः**– आयोग ने समस्त द्विपक्षीय स्टेशनों (राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, पेंच, राजघाट तथा सारनी चरण-I) से उपलब्धता के संबंध में मप्र राज्य के अंशदान पर ही विचार किया है। आयोग ने मप्र जनको आदेश दिनांक 7 मार्च, 2006 में गाधी सागर, पेंच, राजघाट, सारनी चरण-I हेतु दरों का अवधारण किया है तथा केवल मप्र राज्य के अंशदान हेतु ही इन्हीं दरों पर विचार किया है। तथापि, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर हेतु किसी आंकड़े के अभाव में, आयोग ने जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर स्टेशन से विद्युत क्रय की लागत के अवधारण हेतु प्रावधिक तौर पर प्रति मेगावॉट आधार की उपलब्धता के साथ–साथ गांधी सागर को प्रयोज्य टैरिफ दर पर भी विचार किया है।

4.46 आयोग द्वारा संज्ञान कर लिया गया है कि द्विपक्षीय स्टेशनों हेतु ऊर्जा का पुनर्मिलान अभ्यास प्रगति पर है। अतः, वह अनुज्ञप्तिधारी को तत्संबंधी विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश देता है।

4.47 **केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनः**– वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्यमान केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से वार्षिक ऊर्जा उपलब्धता पर वित्तीय वर्ष 2006–07 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान (माह दिसम्बर, 2007 तक पश्चिमी क्षेत्र हेतु तथा माह नवम्बर, 2007 तक पूर्वी क्षेत्र हेतु) उपलब्धता के विश्लेषण पश्चात् विचार किया

गया है। इन आंकड़ों का प्रयोग वित्तीय वर्ष 2008—09 के दौरान उपलब्धता के पूर्वानुमान हेतु किया गया है।

4.48 **एमपी जनको स्टेशनः—** जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2008—09 हेतु, एमपी जनको स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धता को एमपी जनको के उत्पादन के मासिक पूर्वानुमान पर आधारित होना दर्शाया है।

4.49 आयोग ने एमपी जनको स्टेशन से कुल उपलब्धता के संबंध में उसके टैरिफ आदेश के अनुसार विचार किया है। तथापि, आयोग द्वारा एमपी जनको द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर मासिक उपलब्धता के विश्लेषण तथा वित्तीय वर्ष 2008—09 की आवश्यकता के संबंध में अभ्यास भी किया गया है।

4.50 निम्न तालिका राज्य सीमा के बाहर स्थित स्टेशनों से एमपी जनको स्टेशनों हेतु, बाह्य हानियों तथा एक्सबस पर विचारोंपरांत मासिक उपलब्धता दर्शाती हैः

तालिका 136ः वित्तीय वर्ष 2008—09 हेतु, माहवार ऊर्जा आवश्यकता तथा उपलब्धता

(मिलियन यूनिट में)

माह	ऊर्जा उपलब्धता	राज्यान्तरिक वितरण कम्पनी क्रय	राज्यान्तरिक वितरण कम्पनी विक्रय	राज्य सीमा पर वितरण कम्पनी की आवश्यकता	कमी/आधिक्य
अप्रैल 2008	763.82	0.00	0.00	902.43	(138.61)
मई 2008	767.39	0.00	0.00	889.05	(121.65)
जून 2008	701.19	0.00	0.00	864.22	(163.04)
जुलाई 2008	959.72	0.00	0.00	856.63	103.09
अगस्त 2008	1045.07	0.00	0.00	891.73	153.34
सितम्बर 2008	982.53	0.00	0.00	909.82	72.71
अक्टूबर 2008	1146.64	0.00	0.00	1031.01	115.63
नवम्बर 2008	1112.09	8.20	0.00	1152.72	(32.43)
दिसम्बर 2008	1068.21	0.00	0.00	1178.01	(109.80)
जनवरी 2009	1027.23	0.00	0.00	1171.95	(144.72)
फरवरी 2009	851.94	0.00	0.00	1039.94	(187.99)
मार्च 2009	862.38	0.00	0.00	997.20	(134.81)
योग	**11288.24**	**8.20**	0.00	**11884.72**	**(588.28)**

4.51 जैसा कि उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी को अप्रैल से जून तथा दिसम्बर से मार्च के महीनों में 1033.06 मिलियन यूनिट लघु—अवधि ऊर्जा की उपाप्ति (प्रोक्यूरमेंट) करनी होगी तथा माह जुलाई से अक्टूबर तक उसके पास 444.78 मिलियन यूनिट का आधिक्य रहेगा।यह उपाप्ति

उसे एमपी ट्रेडको से रु. 2.44 प्रति किलोवॉट ऑवर की औसत दर पर (राज्य सीमा पर अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना उपरान्त) निम्न तालिका में दर्शाई गई गणना के अनुसार करनी होगीः

तालिका 137ः वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु अवधि क्रय की दर

ट्रेडको स्टेशन	स्थाई लागत (करोड़ रु में)	पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ में)	परिवर्तनीय लागत (पैसे प्रति किलो वाट ऑवर)	मिलियन यूनिट (एक्सबस)	मिलियन यूनिट (राज्य सीमा पर)	कुल लागत (करोड़ रु में)	पैसे/किलो वाट आवर (राज्य सीमा पर)
कहलगांव एसटीपीएस चरण–II (3×500मेगावाट)	60.15	3.57	120.8	697.37	674.28	147.97	**219.5**
सीपत ताप विद्युत परियोजना, चरण–I (3×660 मेगावाट)	62.41	2.87	52.6	560.50	536.51	94.77	**176.6**
सीपत ताप विद्युत परियोजना, चरण–II (2×500 मेगावाट)	107.87	4.77	55.1	931.99	892.10	164.03	**183.9**
अमरकंटक (नवीन 210 मेगावाट)	194.62	0.00	101.0	1368.66	1368.66	332.85	**243.2**
दामोदर वैली कार्पोरेशन परियोजना एमटीपीएस तथा सीटीपीएस (500मेगावाट)	351.94	13.36	121.3	2606.98	2520.69	681.59	**270.4**
बिरसिंहपुर विस्तार (500मेगावाट)	511.00	0.00	101.0	3258.72	3258.72	840.13	**257.8**
योग	**1287.99**	**24.58**		**9424.22**	**9250. 97**	**2,261.34**	**244.4**

4.52 चूंकि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य भर में एक समान टैरिफ दर लागू किये जानें का निर्णय लिया है, अतः किसी अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध किसी माह में आधिक्य ऊर्जा प्रथमतः मध्यप्रदेश के अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदान की जावेगी जिनके पास उक्त माह में विद्युत की कमी होगी । आयोग निर्देश देता है कि राज्य के भीतर अन्य वितरण कम्पनियों को आधिक्य ऊर्जा की विक्रय दर मासिक संकोषीय लागत (मन्थली पूल्ड कॉस्ट) होगी :

तालिका 138ः मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत

स.क्र.	माह	कुल स्थाई उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	करोड़ रूपये में *	रूपये प्रति किलोवॉट ऑवर
1	अप्रैल	763.82	136.85	1.79
2	मई	767.39	138.84	1.81
3	जून	701.19	126.65	1.81
4	जुलाई	959.72	175.01	1.82
5	अगस्त	1045.07	182.42	1.75
6	सितम्बर	982.53	164.63	1.68
7	अक्टूबर	1146.64	197.46	1.72

8	नवम्बर	1112.09	188.63	1.70
9	दिसम्बर	1068.21	186.18	1.74
10	जनवरी	1027.23	182.97	1.78
11	फरवरी	851.94	148.29	1.74
12	मार्च	862.38	154.44	1.79

** इसमें स्थाई लागत, परिवर्तनीय लागत, पीजीसीआईएल प्रभार, एमपी ट्रांसको तथा अन्य लागतें शामिल हैं*

4.53 अनुज्ञप्तिधारी के पास बची रहने वाली आधिक्य (ऊर्जा) जैसी कि यह मासिक उपलब्धता तथा आवश्यकता संबधी उपरोक्त तालिका में उपलब्धता तथा आवश्यकता संबधी उपरोक्त तालिका में देखी सकती है, राज्यान्तरिक व्यापार के उपरान्त बाह्य व्यापार हेतु उपयोग की जावेगी तथा अर्जित राजस्व को विद्युत क्रय लागत के विरूद्ध समायोजित किया जावेगा। निम्न तालिका मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु आधिक्य ऊर्जा की सूचक लागत (Indicative Cost) दर्शाती है। तथापि, आयोग द्वारा यह संज्ञान कर लिया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी किसी आधिक्य ऊर्जा का विक्रय उक्त समय पर मांग तथा प्रदाय परिदृश्य पर निर्भर करते हुए उचित दर पर कर सकेगा। अतः, आधिक्य विद्युत ऊर्जा से अर्जित वास्तविक राजस्व का समाधान, वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन के दौरान किया जावेगा।

तालिका 139 : विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत

स.क्र.	माह	आधिक्य विद्युत ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल लागत (करोड़ रूपयें में)	रूपये प्रति किलोवाट ऑवर
1	अप्रैल	-	-	-
2	मई	-	-	-
3	जून	-	-	-
4	जुलाई	103.09	18.80	1.82
5	अगस्त	153.34	26.77	1.75
6	सितम्बर	72.71	12.18	1.68
7	अक्टूबर	115.63	19.91	1.72
8	नवम्बर	-	-	-
9	दिसम्बर	-	-	-
10	जनवरी	-	-	-
11	फरवरी	-	-	-
12	मार्च	-	-	-
योग		**444.78**	**77.66**	**1.75**

4.54 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु, वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर के दौरान आधिक्य विद्युत ऊर्जा के कारण विक्रय राज्यान्तरिक व्यापार के अंतर्गत 444.78 मिलियन यूनिट

आंका गया है। आधिक्य विद्युत ऊर्जा के विक्रय से होने वाली आय को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय लागत के साथ समायोजित किया जावेगा ।

4.55 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित तथा आयोग द्वारा प्राक्कलित स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 140: वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

स क्र	वित्तीय वर्ष 2008–09		
	स्टेशनों के नाम	विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित	जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें प्राक्कलित किया गया
1	केन्द्रीय क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)	3117	3556.96
2	केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र)	94	44.13
3	द्विपक्षीय क्रय		
4	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	877	674.04
5	सरदार सरोवर	1187	1095.18
6	ओंकारेश्वर जल–विद्युत [7]		275.00
7	लैंको अमरकंटक		253.48
8	पवन विद्युत उत्पादन		11.00
9	कैप्टिव		3.61
10	एमपी जनको	5238	5586.26
11	एमपी ट्रेडको के माध्यम से विद्युत उपात्ति	1591	1033.06
12	**योग**	**12104**	**12532.72**

4.56 **केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (पश्चिमी क्षेत्र):** मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार, विभेदक आवंटन (डिफरेंशियल एलोकेशन) के कारण अनज्ञप्तिधारी को उपलब्ध अंशदान में अभिवृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आयोग ने मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार आगामी वर्ष के दौरान विन्ध्याचल ताप–विद्युत स्टेशन के चरण–III की दोनों इकाईयों से स्थाई आवंटन (Firm Allocation) उपलब्धता को प्राक्कलित किये

[7] विद्युत वितरण कम्परी द्वारा अस्थाई आवंटन **(Interim Allocation)** के अन्तर्गत विचार किया गया।

जाने के दौरान विचार किया है; जबकि, अनुज्ञप्तिधारी ने आगामी वर्ष के दौरान उपलब्धता को प्राक्कलित किये जाने के संबंध में स्थाई आवंटन बाबत केवल विन्ध्याचल, चरण तृतीय यूनिट–I पर ही विचार किया है। मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार सीपत चरण–I तथा II को एमपी ट्रेडको के साथ रखा गया है।

4.57 **केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (पूर्वी क्षेत्र):** अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा दायर की गई याचिका के अंतर्गत कहलगांव (चरण–II) पर विचार किया है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इस स्टेशन की क्षमता अब एमपी ट्रेडको के पास है।

4.58 **द्विपक्षीय विद्युत क्रयः** मप्र शासन की अधिसूचना के अनुसार दामोदर वैली कार्पोरेशन हेतु, इन क्षमताओं को एमपी ट्रेडको के साथ रखा गया है।

4.59 **ओंकारेश्वर जल–विद्युत स्टेशनः** आयोग ने ओंकारेश्वर जल–विद्युत स्टेशन से अनुज्ञप्तिधारी हेतु उपलब्धता को मप्र शासन की अधिसूचना में क्षमता आवंटन के अनुसार माना है।

विद्युत क्रय लागतें

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन–पश्चिमी क्षेत्र

4.60 **पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशन [कोरबा, वीएसटीपीएस–I, वीएसटीपीएस–II, वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I तथा यूनिट– II), कवास तथा गन्धार]:** जैसा कि पूर्व में कहा गया है, विद्यमान स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धता पर अनुज्ञप्तिधारियों, द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार विचार किया गया है। आयोग ने भी इन स्टेशनों बाबत स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के इन स्टेशनों बाबत इनकी स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों के सत्यापन उपरांत इन्हें अनुमोदित कर दिया है। केएपीपी हेतु एकल भाग टैरिफ दर का भुगतान देय होगा तथा प्रावधिक टैरिफ दरों पर भारत शासन, अणुशक्ति विभाग के माह अक्टूबर 2006 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार माना गया है। टीएपीपी 3 तथा 4 हेतु, एकल भाग टैरिफ को जैसा कि वह माह नवम्बर 2007 तक के वास्तविक देयकों के अनुसार देय है, माना गया है।

4.61 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय स्टेशनों हेतु मध्यप्रदेश राज्य को अंशदान का आंवटन एनटीपीसी के देयकों के अनुसार दर्शाया गया था। आयोग ने मध्यप्रदेश राज्य आवंटन तथा परिणाम–स्वरुप पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी के अंशदान को शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2088 एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार माना है।

तालिका 141 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन

सरल क्रमांक	पश्चिमी क्षेत्र (केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–सीजीएस)	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु	
							उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	केएसटीपीएस	2100.00	21.38%	3432.42	89.84	36.00%	1235.7	**32.34**
2	वीएसटीपीएस–I	1260.00	33.34%	2763.77	100.78	36.00%	995.0	**36.28**
3	वीएसटीपीएस–II	1000.00	30.12%	1981.59	121.21	23.00%	455.8	**27.88**
4	वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I तथा–II)	1000.00	22.345%	1469.64	118.61	20.00%	293.9	**23.72**
5	केजीपीएस	656.20	24.15%	830.90	58.9	20.00%	166.2	**11.78**
6	जीजीपीएस	657.39	20.64%	846.65	76.64	20.00%	169.3	**15.33**
7	केएपीपी	440.00	23.99%	475.26		20.00%	95.1	
8	टीएपीपी (3 तथा 4)	1080.00	19.52%	730.36		20.00%	146.1	

4.62 ईधन लागत समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) प्रभारों को आयोग के पास माह नवम्बर 2007 तक के अद्यतन उपलब्ध देयकों के अनुसार लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के देयक हेतु औसत राशि को लिया गया है तथा इसमें 5.5%[8] की दर से वृद्धि की गई है जिसके अनुसार आगामी वर्ष के ईंधन लागत समायोजन प्रभार प्राप्त हुए हैं। अन्य प्रभार, जिनमें प्रोत्साहन तथा कर शामिल हैं, पर वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विचार नहीं किया गया है तथा इन पर तदनुसार इस वर्ष किये जाने वाले सत्यापन के दौरान विचार किया जावेगा।

4.63 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 142: पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

पश्चिमी क्षेत्र (सीजीएस)	वित्तीय वर्ष 08				
	परिवर्तनीय (रू/किलोवाट आवर)	ईंधन लागत समायोजन (एफपीए) प्रभार (रू/किलोवाट आवर)	कुल परिवर्तनीय प्रभार (करोड़ रु. में)	ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में)
केएसटीपीएस	0.47	0.08	**1235.7**	**68.4**	**100.8**
वीएसटीपीएस–I	0.76	0.24	**995.0**	**98.8**	**135.1**
वीएसटीपीएस–II	0.73	0.22	**455.8**	**43.4**	**71.3**

8 सूचकांक दर, जैसा कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा याचिका प्रस्तुति में प्रयोग किया गया है।

वीएसटीपीएस–III (यूनिट– I एवं II)	0.95	0.01	**293.9**	**28.4**	**52.1**
केजीपीएस	1.03	1.52	**166.2**	**42.4**	**54.2**
जीजीपीएस	1.05	0.23	**169.3**	**21.7**	**36.8**
केएपीपी	2.04		**95.1**	**19.4**	**19.4**
टीएपीपी (3 तथा 4)	2.81		**146.1**	**41.1**	**41.1**
योग			**3557.0**	**363.7**	**510.8**

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन–पूर्वी क्षेत्र

4.64 पूर्वी क्षेत्र में स्थित संयंत्रों की अनुज्ञेय लागतों के अवधारण हेतु, पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों हेतु अनुसरण किये जा रहे सिद्धांत को यहां पर भी अपनाया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इन संयंत्रों में अंशदान के संबंध में शासन की अधिसूचना क्रमांक 2088 एफआरएस–4–XIII–2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुसार विचार किया गया है।

तालिका 143 : मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (पूर्वी क्षेत्र) से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी								
स.कं	पूर्वी क्षेत्र सीजीएस	स्थापित क्षमता (मेगा वाट में)	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागतें (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	फरक्का	1600	0.91%	97.76	4.74	20.00%	19.6	**0.95**
2	कहलगांव	840	0.89%	53.68	2.83	20.00%	10.7	**0.57**
3	तालचेर	1000	0.91%	65.89	3.62	21.00%	13.8	**0.76**
4	योग			**217.33**	**11.19**		**44.1**	**2.27**

4.65 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 144 : पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

वित्तीय वर्ष 2008–09					
पूर्वी क्षेत्र (सीजीएस)	परिवर्तनीय (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में)	ईंधन समायोजन प्रभार (एफपीए) (रूपये / किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल परिवर्तनीय प्रभार (करोड़ रु. में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
फरक्का	0.99	0.25	**19.55**	**2.41**	**3.36**
कहलगांव	1.09	0.23	**10.74**	**1.41**	**1.98**
तालचेर	0.41	0.26	**13.84**	**0.93**	**1.68**
योग			**44.13**	**4.75**	**7.02**

******उपरोक्त तालिका में उल्लेख किये गये अनुसार स्थाई प्रभार भी सम्मिलित हैं*

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव[9]

4.66 आयोग द्वारा अतिरिक्त पूंजीकरण तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उसके नवीनतम टैरिफ आदेशों द्वारा अनुमोदित अन्य लागतों के प्रभाव के संबंध में केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु वार्षिक स्थाई प्रभारों को अनुज्ञेय करते समय विचार किया गया है। चूंकि अतिरिक्त लागत का भुगतान पांच वार्षिक किस्तों में किया जाना है (जैसा कि इसका उल्लेख केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सुसंगत आदेशों के अन्तर्गत किया गया है); अतएव राज्य के सुसंगत अंशदान पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण लागत के पांचवे भाग को अनुज्ञेय किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग अन्य लागतों (वह लागत, जो कि सूचनाओं के प्रकाशन पर व्यय की गई है) का राज्यीय अंशदान जैसा कि इसे सुसंगत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है, को भी अनुज्ञेय करता है।

4.67 निम्न तालिका वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों के अनुज्ञेय किये गये स्थाई प्रभारों के योग की संक्षेपिका दर्शाती हैः–

तालिका 145ः अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव

संक्र	विद्युत उत्पादक स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य को आवंटन (मेगावाट में)	राज्य को आवंटन (% में)	वार्षिक स्थाई प्रभार (करोड़ रु. में)	अतिरिक्त पूंजीकरण (करोड़ रु. में)	अन्य प्रभार (करोड़ रु. में)	स्थाई प्रभार (राज्य का अंशदान) (करोड़ रु. में)
पश्चिमी क्षेत्र								
1.	पश्चिमी क्षेत्र केएसटीपीएस	2100	448.88	21.38%	411.86	42.10	0.03	89.84
2.	पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस–I	1260.00	420.12	33.34%	300.70	7.83		100.78
3.	पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस–II	1000.00	301.22	30.12%	400.40	9.82	0.03	121.21
4.	पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस–III	1000.00	223.40	22.34%	530.95			118.61
5.	पश्चिमी क्षेत्र, कवास जीपीपी	656.20	158.50	24.15%	243.80	0.17	0.03	58.90
6.	पश्चिमी क्षेत्र, कवास जीपीपी	657.39	135.70	20.64%	367.00	-5.61	0.03	75.53
7.	पश्चिमी क्षेत्र, काकरापार एपीएस	440.00	105.54	23.99%				0.00
8.	पश्चिमी क्षेत्र, तारापुर एपीएस	1080.00	210.78	19.52%				0.00
पूर्वी क्षेत्र								
1.	पूर्वी क्षेत्र – फरक्का एसटीपीएस	1600.00	14.56	0.91%	520.58	2.87		4.74
2.	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	840.00	7.48	0.89%	316.00	11.15	0.07	2.83
3.	पूर्वी क्षेत्र – तालचेर एसटीपीएस	1000.00	9.10	0.91%	397.30			3.62

[9] मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव पूर्व से ही केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों में स्थाई प्रभारों में सम्मिलित किया जा चुका है

इन्दिरा सागर (एनएचडीसी), सरदार सरोवर, लैंको अमरकंटक तथा ओंकारेश्वर परियोजनाएं

4.68 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, इन्दिरा सागर जल–विद्युत ऊर्जा संयंत्र हेतु प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग टैरिफ आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 के अनुसार अनुज्ञेय किये गये है। अतः वर्ष 2008–09 हेतु रु. 447.84 करोड़ का स्थाई प्रभार अनुज्ञेय किया गया है। इन्दिरा सागर हेतु परिवर्तनीय प्रभार कोरबा एसटीपीएस के अनुरुप अनुज्ञेय किये गये हैं अर्थात, रु. 0.47 प्रति किलोवाट की परिवर्तनीय लागत तथा रु. 0.08 प्रति किलोवाट ऑवर का ईंधन लागत समायोजन (एफपीए) जैसा कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में उल्लेखित है।

4.69 आयोग ने अवधि 2005–06 हेतु नर्मदा हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएचडीसी) द्वारा उनके देयकों के अन्तर्गत दावा की गई राशि को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) के आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 को इन्दिरा सागर हेतु, प्रभारों में किये गये पुनरीक्षण को अनुज्ञेय किये जाने हेतु माना है। आयोग ने प्रावधिक आदेश के अनुसार प्रस्तुत किये गये देयकों तथा केविनिआ के इन्दिरा सागर संबंधी टैरिफ आदेश उपरान्त एनएचडीसी द्वारा दावा की गई अंतिम राशि को माना है तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अंतिम 10 महीनों के अन्तर में से माह अप्रैल तथा मई 2005 की वास्तविक राशि को घटा कर अनुज्ञेय किया है क्योंकि विद्युत वितरण कम्पनियां दिनांक 1 जून, 2005 को संस्थापित की गई हैं। निम्न तालिका इन लागतों के विवरण दर्शाती है।

तालिका 146: वित्तीय वर्ष 2006 हेतु, इन्दिरा सागर परियोजना का लागत पुनरीक्षण

इन्दिरा सागर परियोजना – वित्तीय वर्ष 2006 हेतु, लागत का पुनरीक्षण (करोड़ रु. में)			
	केविनिआ आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 से पूर्व	केविनिआ आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2007 के उपरान्त	अनुज्ञेय किया गया अन्तर
2005–06	364.26	493.53	129.27
अप्रैल–2005	34.89	43.64	8.75
मई–2005	22.99	32.83	9.84
वर्ष 2005–06 के 10 माह हेतु दावा योग्य राशि	**306.38**	**417.06**	**110.68**

4.70 अनुज्ञेय की गई लागत को, आगे तीनों राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों को, वर्ष 2005–06 में तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु, अनुज्ञेय विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) (मिलियन यूनिट में) के अनुपात में आवंटित किया गया है जिसे कि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु उसके सत्यापन आदेश में अनुमोदित किया गया है। यह आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुसरण की गई अनुक्रिया के सुसंगत है।

4.71 निम्न तालिका प्रत्येक वितरण कम्पनी पर अतिरिक्त लागत अनुषंग (Additional Cost Incident) का विवरण दर्शाती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, यह लागत लगभग रु. 32.73 करोड़ आती है।

तालिका 147: इन्दिरा सागर परियोजना हेतु अतिरिक्त अनुज्ञेय की गई लागत

विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटन			
	मध्य	पश्चिम	पूर्व
इन्दिरा सागर परियोजना – अनुज्ञेय किया गया लागत पुनरीक्षण (करोड़ रु. में)	32.73	42.36	35.59

4.72 **सरदार सरोवर:** वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके याचिका प्रस्तुतिकरण में सरदार सरोवर जल–विद्युत स्टेशन से विद्युत क्रय लागत की गणना रु. 1.03 प्रति किलोवॉट ऑवर की है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मानी गई विद्युत क्रय लागत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (नघाविप्रा) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, वास्तविक प्रभारित किये गये देयकों के अनुसार है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि नघाविप्रा द्वारा टैरिफ अवधारण हेतु एक याचिका प्रावधिक दर रु. 2.00 प्रति किलोवॉट ऑवर के अनुमोदन हेतु दायर की गई है।

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में सरदार सरोवर हेतु रु. 275.27 करोड़ के वार्षिक स्थाई प्रभार अनुज्ञेय किये हैं। ये स्थाई प्रभार तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य राज्य को आवंटित क्षमता हेतु उनके अंशदान के अनुसार विभाजित किये गये हैं।

4.73 **लैंको–अमरकंटक तथा ओंकारेश्वर:** आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लैंको अमरकंटक हेतु, दायर की लागतों को यथावत अनुज्ञेय करता है। ओंकारेश्वर हेतु, आयोग ने एनएचडीसी द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों का विश्लेषण किया है तथा यह पाया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मानी गई लागतें न्यायोचित है। अतः आयोग इन लागतों को दायर किये गये अनुसार अनुज्ञेय करता है।

4.74 **गैर–पारम्परिक स्त्रोत:** पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पवन ऊर्जा से 41 मिलियन यूनिट की उपलब्धता हेतु याचिका दायर की है। आयोग ने पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं से यह संज्ञान में लिया है कि पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उपलब्ध नही है। अतः, आयोग ने इस पवन विद्युत कुल ऊर्जा उपलब्धता को इन दो विद्युत वितरण कम्पनियों को भी न्यूनतम क्रय दायित्व की आपूर्ति के प्रयोजन से आवंटित किया है। इस प्रकार, आयोग 16 मिलियन यूनिट पवन ऊर्जा की लागत को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को, 11 मिलियन यूनिट की लागत को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को तथा 14 मिलियन यूनिट की लागत को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित किया जाना अनुज्ञेय करता है।

न्यूनतम क्रय अहर्ताएं: आयोग द्वारा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु उनकी वार्षिक खपत (तृतीय–पक्ष विक्रय तथा स्वंय के उपयोग को सम्मिलित करते हुए) के 10% की दर से गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में, विद्युत की उपलब्धता के अध्यधीन, न्यूनतम क्रय आवश्यकता का लक्ष्य निर्धारित किया गया

है। गैर–पारम्परिक स्त्रोतों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से न्यूनतम क्रय आवश्यकता निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तलिका 148: गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत–न्यूनतम क्रय अहर्ताएं

गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	न्यूनतम क्रय अहर्ताएं
पवन विद्युत उत्पादन	5%
बायोमास	2%
अन्य	3%

4.75 **कैप्टिव विद्युत उत्पादन:** आयोग ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु एचईजी से उपलब्ध की गई कुल विद्युत हेतु 33.96% का अंशदान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई दर रु. 1.84 प्रति किलोवॉट ऑवर अनुसार अनुमादित किया है।

तलिका 149: अन्य स्त्रोतों हेतु अनुज्ञेय की गई लागत

		राज्य				मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का अंशदान				
स क्र	अन्य स्त्रोत	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रु. में)	कुल प्रभार (करोड़ रु. में)	अंशदान (%)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	परिवर्तनीय (रु. प्रति किलोवॉट ऑवर)	कुल परिवर्तनीय प्रभार (करोड़ रु. में)	स्थाई लागत (करोड़ रु. में)	कुल प्रभार (करोड़ रु.में)
1.	इन्दिरा सागर	2592.44	477.84	621.43	26.00%	674.0	0.55	37.3	124.24	161.57
2.	सरदार सरोवर	2258.10	275.27	275.27	48.50%	1095.2	0.00	0.0	133.51	133.51
3.	ओंकारेश्वर	1250.00	263.27	332.62	22.00%	275.0	0.55	15.3	57.92	73.18
4.	लैंको अमरकंटक	974.94	134.42	214.56	26.00%	253.5	0.82	20.8	34.95	55.79
5.	पवन विद्युत उत्पादन	41.00	0.00	14.64	-	11.00	3.57	3.9	-	3.93
6.	कैप्टिव	10.64	0.00	1.96	-	3.61	1.84	0.7	-	0.67

अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण प्रभार

4.76 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को भुगतान किये जाने वाले प्रभार, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु प्रभारों का मिश्रण हैं। विद्यमान स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत हेतु प्राक्कलन पर विचार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग की गई विधि के अनुसार किया गया है जो कि माह अप्रैल 2007 से माह दिसम्बर 2007 तक के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के वास्तविक देयकों पर आधारित है।

4.77 आयोग ने वित्तीय 2008–09 की टैरिफ अवधि हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का पूर्वानुमान किया है। तत्पश्चात्, इन प्रभारों को, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इनकी स्थाई क्षमता (Firm Capacity) के आधार पर, तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है। तथापि, आयोग

का विचार है कि विद्युत वितरण कम्पनियों को उन स्टेशनों हेतु जिन्हें कि एमपी ट्रेडको से संलग्न किया गया है, के संबंध में अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतों से संबंधित भार डाला जाना अनुचित होगा। तदनुसार, आयोग ने इन स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को एमपी ट्रेडको को आवंटित कर दिया है। निम्न तालिका मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित प्रभारों के विवरण दर्शाती है:

तालिका 150: पीजीसीआईएल प्रभारों का आवंटन

कम्पनी का नाम	अंशदान मेगावाट में	पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रुपये में)
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1034.08	34.53
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1064.80	35.55
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1062.90	35.49
ट्रेडको	736.00	24.58
योग	**3897.78**	**130.15**

राज्यान्तरिक (इन्टरा स्टेट) पारेषण प्रभार

4.78 आयोग का मत है कि पारेषण प्रभारों को विद्युत क्रय लागतों में प्रति यूनिट प्रभार बतौर समाविष्ट किया जाना चाहिए तथा इसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में तन्तुपथ मद (Line Item) के रुप में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा इस लिये किया गया है क्योंकि ट्रांसको क्षमता को पूर्व से ही वितरण कम्पनियों को आवंटित किया जा चुका है तथा इस प्रकार कोई भी विद्युत मात्रा जिसे विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा क्रय किया जाता है, उसे अनिवार्य रूप से पारेषण प्रणाली में प्रवाहित किया जावेगा। पारेषण प्रभारों की अन्तर्स्थापना न केवल पूर्ण वसूली को अनुज्ञेय करेगी, वरन् वह विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा नेटवर्क के उपयोग के अनुसार भी इसे अनुज्ञेय करेगी। इसके अतिरिक्त, आयोग का यह भी मत है कि एमपी ट्रेडको को कोई भी पारेषण लागत आंवटित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह एक लघु–अवधि क्रेता है तथा वह केवल वितरण कम्पनियों की ओर से कार्य सम्पादन कर रहा है।

4.79 अतः, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत वितरण कम्पनी की विद्युत क्रय की लागत का अवधारण पारेषण प्रभार को शामिल किये जाने के बाद किया गया है जिसे कि निम्न तालिका में निदर्शित किया गया है :

तालिका 151: राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार

	मध्य	पश्चिम	पूर्व	विशेष आर्थिक क्षेत्र	योग
क्षमता (मेगावाट में)	2652	3092	2414	12	8170
राशि (करोड़ में)	218.28	254.49	198.69	0.99	672.45
राज्य सीमा पर उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	11288.24	13134.66	10200.36		
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपी ट्रांसको प्रभार (रुपये प्रति किलोवॉट आवर में)	0.19	0.19	0.19		

4.80 आयोग ने वर्ष 2006–07 में पारेषण सत्यापन हेतु रू. 74.47 करोड़ की अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय की है। इस लागत को विद्युत वितरण कम्पनियों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र की पारेषण क्षमता में आवंटित अंशदान के अनुसार, आवंटित किया गया है। अतः मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत क्रय लागत में रू 24.17 करोड़ के अतिरिक्त पारेषण प्रभार को अनुज्ञेय किया गया है।

तलिका 152 : राज्यान्तरिक पारेषण सत्यापन

	मध्य	पश्चिम	पूर्व	विशेष आर्थिक क्षेत्र	योग
क्षमता (मेगावाट में)	2107	2457	1919	10	6493
राशि (करोड़ में)	24.17	28.18	22.01	0.11	74.47

4.81 अपरोक्त की गई चर्चानुसार मप्रविनिआ द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को अनुज्ञेय की गई विद्युत क्रय लागत निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 153 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन

सरल क्रमांक	स्टेशन		राज्य सीमा पर उपलब्धि (मिलियन यूनिट मे)	कुल लागत (करोड़ रूपये. मे)	रू. प्रति किलोवॉट आवर
1	केन्दीय उत्पादन स्टेशन पश्चिमी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र –कोरबा एसटीपीएस	1182.79	100.79	0.85
2		पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल एसटीपीएस–I	952.37	135.08	1.42
3		पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल एसटीपीएस–II	436.26	71.31	1.63
4		पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	159.07	54.19	3.41
5		पश्चिमी क्षेत्र गंधार जीपीपी	162.08	36.79	2.27
6		पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	90.98	19.42	2.13
7		पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस	139.82	41.11	2.94
8		पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल एसटीपीएस-III	281.35	52.13	1.85
		उप–योग	**3404.72**	**510.83**	**1.50**
9	केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–पूर्व क्षेत्र	पूर्व क्षेत्र – फरक्का एसटीपीएस	18.91	3.36	1.78
10		पूर्व क्षेत्र – कहलगांव एसटीपीएस	10.38	1.98	1.91
11		पूर्व क्षेत्र – तालचेर एसटीपीएस	13.38	1.68	1.26
		उप–योग	**42.66**	**7.02**	**1.65**
12	**एमपी जनको**		**5586.26**	**783.07**	**1.40**
13	एनएचडीसी	इन्दिरा सागर	674.04	161.57	2.40
14	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सरदार सरोवर	1048.31	133.51	1.27

15	एनएचडीसी	ओंकारेश्वर	275.00	73.18	2.66
16	लैंको	लैंको अमरकंटक	242.63	55.79	2.30
17	एनसीई	पवन विद्युत उत्पादन	11.00	3.93	3.57
18	कैप्टिव	एचईजी आदि	3.61	0.67	1.84
		उप–योग	**2254.59**	**428.63**	**1.90**
		कुल स्थाई उपलब्धता	**11288.24**	**1729.56**	**1.53**
19		वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य परस्पर क्रय	8.20	1.63	1.98
20		लघु–अवधि क्रय–एमपी ट्रेडको	1033.06	252.53	2.44
21		घटाएंः वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य परस्पर विक्रय	0.00	0.00	
22		घटाएंः राज्य से बाहर विद्युत विक्रय @ 4 पैसे प्रति किलोवॉट ऑवर की रियायत (मार्जिन) पर	444.78	79.44	1.79
23		शुद्ध क्रय	11884.72	1904.27	1.60
24		पीजीसीआईएल प्रभार		34.53	
25		एमपी ट्रांसको प्रभार		218.28	
26		वित्तीय वर्ष 2007 हेतु एमपी ट्रांसको का सत्यापन		24.17	
27		वित्तीय वर्ष 2006 हेतु इन्दिरा सागर परियोजना का लागत–पुनरीक्षण		32.73	
28		**अनुज्ञेय की गई विद्युत क्रय लागत**	**11884.72**	**2213.97**	**1.86**

नेटवर्क की लागतें

4.82 निम्न भागों में, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की पूंजीगत व्यय योजनाओं, परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण, अवमूल्यन का पूर्वानुमान, ब्याज तथा वित्त प्रभारों एवं पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी) का विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इन लागतों बाबत प्रस्तुतियों पर आयोग का निर्णय निम्न परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

4.83 अनुज्ञप्तिधारी द्रारा आयोग को प्रस्तुत पांच–वर्षीय निवेश योजना कतिपय सुधारों के साथ अपनाई गई है जिस पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि यह पूर्व वित्तीय वर्ष की प्रगति तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 की पुनरीक्षित पूंजीनिवेश की संभावनाओं पर आधारित है।

4.84 याचिका के अनुसार पुनरीक्षित निवेश योजना की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत हैः

तलिका 154 : प्रस्तुत की गई निवेश योजना

(राशि करोड़ रु. में)

योजना	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
एन.डी. (नार्मल डेवलपमेंट)	12.00	10.00
जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	3.00	0.00
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	69.30	25.00
पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट (पीएसआई)	0.00	0.00
एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	17.28	0.00
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	5.00	0.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	60.00	216.00
प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना (पीएमजीवाय)	0.00	0.00
एडीबी–II (एडीबी द्वारा वित्त पोषित योजना का द्वितीय चरण)	15.00	270.60
कृषि मार्गदर्शक (नवीन) (एग्रीकल्चर पायलट न्यू)	2.35	0.00
टीएससी / एससीपी (नवीन)	3.00	0.00
योग (आरजीजीवीवाई को सम्मिलित कर)	**186.93**	**522.10**

4.85 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि निवेश योजना, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित व्यवसाय योजना के एक भाग के रुप में प्रस्तुत किया गया है, में कतिपय सुधार किये गये हैं।

- वित्तीय वर्ष 2007–08 में उल्लेखित आहरण राशियां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आहरित वास्तविक प्राप्ति–योग्य लक्ष्यों के अनुसार है।
- प्रस्तावित नवीन एडीबी योजना का चरणबद्ध पुनरीक्षण एशियन डेवलपमेंट बैंक को प्रस्तुत किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर आधारित है।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पूंजी निवेशों का चरणबद्ध पुनरीक्षण, विभिन्न वृत्त स्तर की योजनाओं के अनुमोदन की अद्यतन स्थिति पर आधारित है।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई पूंजीकरण योजना

4.86 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसे मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 मई 2005 द्वारा जारी प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के आधार पर उत्तराधिकार में रू.461 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्य (सीडब्लूआईपी) प्राप्त हुये हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रावधिक लेखे के अनुसार, निर्माणाधीन मुख्य कार्यों में रू.78.44 करोड़ की अभिवृद्धि हुई है। तथापि, रू.78.44 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। पूर्वानुमान अवधि हेतु, पूंजीकरण को निम्नानुसार माना गया है :

- दिनांक 31.03.2006 के प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार प्रारंभिक निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का पूंजीकरण आगामी पांच वर्षों में बराबर–बराबर किये जाने का अनुमान है।
- प्रतिवर्ष नवीन पूंजी निवेश 5 वर्षों में पूंजीकृत हो जाना अनुमानित किया गया है।
- जबकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पूंजीनिवेश, निवेश योजना में किये गये के अंतर्गत होना बताये गये हैं, परिसम्पत्तियां तथा तत्संबंधी दायित्व बहुवर्षीय टैरिफ प्रक्षेपित राशियों हेतु माने गये हैं। योजना की निबंधन तथा शर्तों के अनुसार, परिसम्पत्तियां तथा दायित्व राज्य शासन के स्वामित्व में रहेंगे।
- व्ययों का पूंजीकरण वार्षिक कर्मचारी तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का 4 प्रतिशत माना गया है।

4.87 अनुज्ञप्तिधारी ने यह भी दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान उनके द्वारा प्रणाली में निम्न अभिवृद्धि/विस्तार कार्य किया जावेगा:

तालिका 155 : नेटवर्क का भौतिक विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2006–07	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	118	369	255
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	956	4687	13018
निम्न दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	808	1100	1296
33/11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	11	29	22
पावर ट्रांसफार्मर – संख्या/एमवीए	29/135	59/269	36/197
वितरण ट्रांसफार्मर–संख्या/एमवीए	**3156/223**	**8788/564**	**28742/1813**

पूंजीकरण व्यय तथा पूंजीकरण के संबंध में आयोग का विश्लेषण

4.88 वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अवधारण के संबंध में, पूंजीगत निवेशों की भूमिका उन्हीं कार्यो तक सीमित है जिन्हें कि वित्तीय वर्ष 2006–07 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 की अवधि के दौरान क्रियाशील किये जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत की स्थिति में, सकल स्थाई पारिसम्पत्तियां अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान आगे

किया गया कोई पूंजीकरण जुड़ जाएगा। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान पूंजीकरण के विस्तार की सीमा से प्रभावित होते हैं। अतएव, मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय वर्ष 2007–08 के अभी तक के निष्पादन पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

4.89 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजीगत व्यय (केपैक्स) के संबंध में मार्ग दर्शन हेतु दिशा–निर्देश पुस्तिका "Guidelines for Capital Expenditure by the Licensees in MP" में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत, आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को पांच वर्षीय पूंजीगत निवेश योजना उनके आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2007 द्वारा अनुमोदित की है। अनुज्ञप्तिधारी के मुख्य कार्यों के पूर्ण किये जाने की प्रगति के रुप में आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदित पूंजीगत व्यय (केपैक्स) योजना में निहित योजनाओं की ऐसी प्रगति को प्रतिवेदित किये जाने के निर्देश दिये हैं। प्रत्येक योजना हेतु अनुमोदित किये गये पूंजीगत व्यय की राशि तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रगति जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, निम्नानुसार दर्शाई गई हैः

तालिका 156ः वित्तीय वर्ष 2007–08 में मुख्य कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति

राशि करोड़ में

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08, अनुमोदित निवेश योजना के अनुसार	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह दिसम्बर 2007 तक की प्रतिवेदित प्रगति
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	26.75	15.09
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	19.21	0.00
सब ट्रांसमिशन (नार्मल) – एसटी (एन)	32.25	17.28
पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट (पीएसआई)	3.12	0.00
एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	0.00	11.14
एशियन डेवलपेंट बैंक (एडीबी)	0.00	0.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	**250.39**	**11.84**
प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना (पीएमजीवाय)	0.00	0.00
एडीबी–II (एडीबी द्वारा वित्त पोषित योजना का द्वितीय चरण)	0.00	**7.43**
योग	**331.71**	**63.95**

4.90 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2007–08 के प्रारंभिक नौ माह में अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय प्रगति उसकी अनुमोदित पूंजीगत व्यय (केपैक्स) योजना का लगभग 19% मात्र है। उपरोक्त

दर्शाई गई प्रगति से यह स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्तर्गत आयोग द्वारा व्यावसायिक योजना के एक भाग के रुप में अनुमोदित पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय रुप से कमी हो गई है। अद्यतन प्राप्त की गई प्रगति को शेष बचे हुए तीन माह के लिये यदि आनुपातिक भी किया जावे तो उपलब्धियां लक्ष्यों से काफी पीछे रहेंगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक योजना के संबंध में वास्तविक कार्य समाप्त किये जाने संबंधी प्रतिवेदन से उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति की अभिपुष्टि करने में असमर्थ रहा है। अतएव वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान अभी तक पूर्ण किये गये कार्यों के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि निर्माणाधीन मुख्य कार्यों को स्थाई परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत, अन्तरित कर दिया गया है अथवा नहीं।

4.91 वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदाय किये अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्य रू. 1342.70 करोड़ दर्शाते हैं जबकि अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन केवल रूपये 1303.08 करोड़ दर्शाया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में केवल रू. 39.62 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान अति न्यून पूंजीकरण दर तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान लक्ष्यों के विरुद्ध अत्यन्त अल्प प्रगति को दृष्टिगत करते हुए, वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ अवधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान उपभोक्ता के सर्वोत्तम हित में वित्तीय वर्ष 2007–08 में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में किसी वृद्धि पर विचार किया जाना उचित नहीं समझता है। अंकेक्षित लेखे द्वारा समर्थित वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान की गई वास्तविक वृद्धियों पर, वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ अवधारण के समय विचार किया जावेगा। इससे अनुज्ञप्तिधारी को प्रोत्साहन प्राप्त होने की संभावना है जिससे लंबित मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने, परियोजना के कार्य पूर्ण प्रतिवेदनों (कम्पलीशन रिपोर्ट) को संधारित करने तथा आयोग को इन्हें समयबद्ध रूप से इसकी प्रस्तुति सुनिश्चित करने में गति प्राप्त होगी।

4.92 आयोग इस बात पर जोर देने का इच्छुक है कि वह विद्युत वितरण क्षेत्र में सकेन्द्रित निवेश किये जाने हेतु, बहुत अधिक पक्ष में है। आयोग के मत में राज्य में विद्युत वितरण नेट वर्क में सुधार लाये जाने हेतु भारी पूंजी निवेश किये जाने की त्वरित आवश्यकता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के साथ–साथ राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी विद्युत वितरण नेटवर्क में प्राथमिकता के आधार पर पूंजी निवेश किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा पावर फायनेंस कार्पोरेशन आदि से वित्तीय पोषित एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी) तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में बड़ी पहल की जा सकती है। दुर्भाग्य से, प्राथमिकता के आधार पर ध्यान प्राप्त किये जाने के बावजूद, वितरण कंपनी की इस संबंध में प्रगति काफी निराशाजनक रही है तथा योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय में पूरा किये जाने के संबंध में पर्याप्त रूचि का अभाव प्रतीत होता है। जबकि यह स्थिति निरंतर उच्च वितरण हानियों की ओर अग्रसर हो रही है, इसी समय आयोग टैरिफ हेतु केवल उन्हीं निवेशों

को अनुज्ञेय किये जाने बाबत ऐसा दृष्टिकोण अपनाये जाने हेतु विवश है जहां पर वितरण कंपनियों ने वास्तविक रूप से उनकी प्रस्तुतियों द्वारा इसका प्रदर्शन किया है। ऐसे समय में, सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जैसी कि ये वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे में प्रतिबिंबित की गई है, ही आयोग के पास केवल अभिलेखित तथा सत्यापित जानकारी है जो कि अनुज्ञप्तिधारी के परिसम्पत्ति के आधार को प्रदर्शित करती है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार को जैसे कि वे वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत में केवल सकल स्थाई सम्पत्ति पर लागू हों, को अनुज्ञेय करेगा।

प्रचालन तथा संधारण लागतें

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

4.93 अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में मानदण्डीय आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारकों (Determinants) को वित्तीय वर्ष 2008–09 में पूर्वानुमान की गई अन्तिम शेष राशियों के अनुसार माना गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी का दावा निम्नानुसार हैः

तालिका 157 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय

	प्रचालन तथा संधारण प्रभार	वित्तीय वर्ष 2008–09
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	2043826
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.90
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**14102.40**
बी	वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूर्व–भुगतान (प्रिपेड) स्थापित किये जाने वाले मीटरों की संख्या	0.00
	गुणांक – बी (लाख रूपये प्रति मीटर)	**0.50**
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – बी (लाख रूपये में)	**0.00**
सी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	5418.72
	गुणाक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.49
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – सी (लाख रूपये में)	**13492.62**
डी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	82651.20
	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर में)	17.00
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**14050.70**
ई	**ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)**	**4015.50**

	गुणाक – ई (लाख रूपये प्रति एमवीए)	1.62
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ई (लाख रूपये में)	**6505.11**
	कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**550.16**
***एफ**	मदें जो सूत्रों के अन्तर्गत नहीं आतीं **[**अर्थात्, मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी), टेक्स आदि (करोड़ रूपये में)**]**	**0.62**
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**550.78**

* इसमें रु. 68.68 करोड़ की टर्मितल प्रसूविधाओं की राशि सम्मिलित है

प्रचालन एवं संधारण लागत हेतु आयोग का विश्लेषण

4.94 परिसम्पत्ति पूंजीकरण बाबत भाग में, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ अवधारण हेतु, वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान किसी परिसम्पत्ति को जोड़े जाने पर विचार न किये जाने के कारणों की व्याख्या की है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी को उसकी परिसम्पत्ति पूंजीकरण दर में सुधार लाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को इसके लाभ केवल आगामी टैरिफ वर्षों में सत्यापन याचिकाओं पर विचारोपरांत ही उपलब्ध कराये जावेंगे। आयोग इसे उपभोक्ताओं के सर्वश्रेष्ठ हितों में उचित मानता है क्योंकि इसके कारण उपभोक्ता को, परिसम्पत्ति आधार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुपालन किये जाने द्वारा, जिसकी कार्यान्वित होने या न होने की अनुज्ञेय सीमा तक संभावना है, भविष्य में की जाने वाली अभिवृद्धि हेतु टैरिफ दर के माध्यम से भुगतान न करना होगा। अतः, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय केवल उच्च दाब लाईनों के सर्किट किलोमीटर हेतु, तथा दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में विद्यमान ट्रांसफार्मेशन क्षमता पर ही अवधारित किये हैं। ये आंकड़े अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदान किये गये हैं।

4.95 पूर्व उल्लेख परिच्छेदों में चर्चित की गई आयोग की प्रक्रिया की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित की गई लाइनों तथा ट्रांसफार्मरों द्वारा और अधिक संपुष्टि होती है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 158 : नेटवर्क परिसम्पत्तियों की संस्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन

विवरण	माह मार्च 03 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2003–04 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान अभिवृद्धि का दावा	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अभिवृद्धि का दावा
उच्च दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	61021	444	1368	421	1074	5056	13273
पावर ट्रांसफार्मर–एमवीए क्षमता	3005	220	316	249	223	564	1813

4.96 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 हेतु प्राक्कलित की गई लाईनों तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता में वृद्धि पूर्व वर्ष में इन्हें वास्तविक रूप से जोड़ किये गये के अनुरूप नहीं है। वास्तव में, वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रगति की प्रस्तुति से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु आंकड़ों का किया गया पूर्वानुमान काफी अधिक है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 159 : वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों की संस्थापना संबंधी प्रगति

विवरण	याचिका में वित्तीय वर्ष 2007–08 में दावा की गई नेटवर्क अभिवृद्धि	कंपनी द्वारा संचालित की गई समस्त योजनाओं में माह दिसम्बर 2007 तक की वास्तविक प्रगति	प्रगति प्रतिशत में
उच्च दाब लाईन (सर्किट कि.मी)	5056	723	14%
पावर ट्रांसफार्मर एमवीए क्षमता	564	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

4.97 मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों के दो अन्य अवधारकों (determinants) यथा, मीटरीकृत उपभोक्ताओं तथा मीटरीकृत विक्रयों के संबंध में आयोग द्वारा सुसंगति संधारित किये जाने की दृष्टि से, वित्तीय वर्ष 2008–09 के अवधारण हेतु समरूप मार्ग अपनाया है ; अर्थात्, ये मानदण्ड वित्तीय वर्ष 2006–07 तथा 2008–09 के अन्त के अनुरूप रखे गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान प्रचालन एवं संधारण लागत के अवधारण के प्रयोजन से किसी प्रकार की वृद्धियों पर विचार नहीं किया गया है। ये आंकड़े भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदान किये गये थे।

4.98 आयोग, तथापि, यहां पर यह जोर देना चाहता है कि यद्यपि वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अवधारण के प्रयोजन से, मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारक केवल वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की भांति माने गये हैं, वित्तीय वर्ष 2008–09 के अन्त में मानदण्डीय व्ययों की पुनर्गणना वित्तीय वर्ष 2008–09 में की गई वास्तविक अभिवृद्धियों के आधार पर की जावेगी। समायोजन पर, वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन के समय विचार किया जावेगा।

4.99 उपरोक्त तर्कों के आधार पर, आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय जिनकी वसूली वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु टैरिफ दरों के माध्यम से किया जाना है, निम्नानुसार हैं :

तालिका 160 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय

राशि करोड़ रूपये में

	प्रचालन तथा संधारण व्यय	वित्तीय वर्ष 2008–09
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	1501327
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये / '000 उपभोक्ता)	6.90
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**10359**

बी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	4084
	गुणांक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.49
	प्रचालन एवं संधारण – सी (लाख रूपये में)	**10168**
सी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	64323
	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर)	17.00
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**10935**
डी	ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)	3550
	गुणांक – ई (लाख रूपये/एमवीए में)	1.62
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ई (लाख रूपये /एमवीए में)	**5751**
योग	**(ए+बी+सी+डी) करोड़ रुपये में**	**372.13**
ई	**मदें जो सूत्रों के अंतर्गत नहीं आती [अर्थात, मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी), टैक्स आदि (करोड़ रूपये में)]**	**0.62**
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई) शुद्ध पूंजीकरण)	**372.75**

4.100 आयोग के विनियमों में प्रावधान किया गया है कि टर्मिनल सुविधायें प्रचालन तथा संधारण व्ययों की मानदण्डीय राशि से अतिरिक्त प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान में, पेंशन न्यास के सृजन के अभाव में मप्र शासन के आदेश दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं का भुगतान एमपीपीटीसीएल द्वारा सम्पादित किया जा रहा है; अतः अनुज्ञप्तिधारी हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में किसी प्रकार के पृथक प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

अवमूल्यन

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति :

4.101 अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा रू. 1281 करोड़ रूपये की सकल स्थाई परिसम्पत्तियां उत्तराधिकार में अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र (Opening Balance Sheet) के अनुसार प्राप्त की गई हैं जो कि मध्यप्रदेश शासन की किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना के अध्यधीन परिवर्तनीय हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में क्रमशः रु. 22.08 करोड़ तथा रु. 39.62 करोड़ की अभिवृद्धि दर्ज हुई है। दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार रु. 995.78 करोड़ है।

4.102 अनुज्ञप्तिधारी ने दावा किया है कि उसके द्वारा अवमूल्यन की गणना सकल खण्ड (ग्रास ब्लॉक) मे से अवमूल्यित परिसम्पत्तियां पूर्ण रुप से घटा कर की है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी ने दिनांक 31.05.2005 की

स्थिति में अवमूल्यित तथा अवमूल्यन योग्य का प्रतिशत प्रस्तुत नहीं किया है, जैसा कि इसे अन्य दो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। न केवल अनुज्ञप्तिधारी की याचिका वरन साथ में संलग्न किये गये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी प्रपत्र भी कोई परिसम्पत्ति श्रेणी–वार अवमूल्यन नहीं दर्शाते हैं। अनुज्ञप्तिधाारी ने वर्ष के दौरान केवल अवमूल्यन के सकल मूल्य का दावा ही प्रस्तुत किया है। अनुज्ञप्तिधारी ने आगे यह भी दावा किया है कि उसके द्वारा अवमूल्यन को भारत शासन, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना एसओ, क्रमांक 265 (ई) दिनांक 27 मार्च, 1994 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रभारित किया गया है। तथापि, चूंकि अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा अवमूल्यन की गणना प्रस्तुत नहीं की है, अतः याचिका से यह स्पष्ट नहीं है कि उनके द्वारा दावा की गई राशि किस प्रकार प्राप्त की गई।

4.103 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु दावा किया गया अवमूल्य निम्नानुसार दर्शाया गया हैः

तालिका 161ः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया अवमूल्यन

राशि करोड़ रूपये में

परिसम्मपत्ति श्रेणी*	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09
योग	81.91	96.02

* याचिका में परिसम्पत्ति श्रेणी–वार विभाजन प्रदान नहीं किया गया है

4.104 अनुज्ञप्तिधारी ने अवमूल्यन की गणना, चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु, पृथक–पृथक से नहीं की है, तथा उसके द्वारा अवमूल्यन का दावा केवल चक्रण व्यापार हेतु ही किया गया है।

अवमूल्यन के दावों के संबंध में आयोग का विश्लेषण :

4.105 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी के अवमूल्यन संबंधी दावों का विश्लेषण किया है तथा आयोग के आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को परिसम्पत्ति–वार अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश दिये है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 31.05.2005 की स्थिति में परिसम्पत्ति–वार अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों के विवरण प्रस्तुत कर दिये गये है। इस प्रयोजन से, अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 1956 से वित्तीय वर्ष 1984 तक जोड़ी गई परिसम्पत्तियों को वित्तीय वर्ष 1984 हेतु अवशेष दर्शाया है तथा अधिसूचित अन्तरण योजना के अनुसार दिनांक 31.05.2005 हेतु अवशेष की गणना वर्षवार प्रत्येक श्रेणी की परिसम्पत्तियों तथा अवमूल्यन–योग्य परिसम्पत्तियों को जोड़कर की है। अवमूल्यन–योग्य परिसम्पत्ति प्रतिशत जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 31.05.2005 की स्थिति में प्रस्तुत किया है, लगभग 63% है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति में क्रमशः रु. 22.07 करोड़ तथा रु. 39.62 करोड़ राशि की परिसम्पत्ति वृद्धि का दावा किया गया है जिसकी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये क्रमशः वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अंकेक्षित लेखे से संपुष्टि कर दी गई है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2005–06

तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये दावे तथा अंकेक्षित आय–व्यय विवरण पत्र के अनुसार, इस अभिवृद्धि को स्वीकार कर लिया है।

4.106 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 हेतु किये गये पूर्वानुमानों पर विचार न किये जाने बाबत् काफी विस्तारपूर्वक इसका अध्ययन किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये काफी अतिरंजित (inflated) प्रतीत होते हैं तथा पूर्व की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं हैं। पूर्व में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त दोनों भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्ति पूंजीकरण बजट अनुमानों से काफी कम रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु भी, इनके यथावत रहने की पूर्ण संभावना है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अवमूल्यन में वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु प्राप्त किये गये अवमूल्यन से विशेष अन्तर न होने की संभावना काफी क्षीण है। अतः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, आयोग द्वारा अवमूल्यन की गणना दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में विद्यमान परिसम्पत्तियों के अन्तिम शेष पर की है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु किसी भी प्रकार की प्रक्षेपित परिसम्पत्ति वृद्धियों पर विचार नहीं किया गया है। आयोग अनुज्ञेय राशि का सत्यापन वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के उपलब्ध होने पर करेगा बशर्ते वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण आयोग द्वारा संरचित केपैक्स गाईड लाईन्स के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं का एक भाग बने।

4.107 प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा इसका विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों में विभाजन, जिस पर आयोग द्वारा अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन से विचार किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 162 : दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन

(राशि करोड़ रूपये में)

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	वित्तीय वर्ष 2006–07
भूमि तथा भूमि अधिकार	3.78
भवन तथा सिविल कार्य	16.76
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्कस)	3.61
अन्य सिविल कार्य	0.89
संयंत्र तथा मशीनरी	446.06
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि :	861.64
वाहन	3.34
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	1.54
अन्य उपकरण	4.96
अन्य कोई मदें	0.00
योग	**1342.57**

4.108 धारा 61 के अंतर्गत आयोग के विनियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि अवमूल्यन की गणना, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा निर्धारित की गई दरों पर जैसा कि वे समय–समय पर पुनरीक्षित की गई है, की जानी चाहिए। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रस्तुत की गई याचिका में, अवमूल्यन की गणना, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना एस.ओ (ई) दिनांक 29 मार्च, 1994 के अनुसार की गई है जो कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दरों से काफी भिन्न है। आयोग इन दरों को मान्य नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना विनियमों का उल्लंघन करना होगा। आगे, यह भी कि, जब तक फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर) अथवा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अवमूल्यन दरों में संशोधन नहीं कर देते, आयोग के विनियमों की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अतएव, आयोग द्वारा अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों की अवमूल्यन दर की पुनर्गणना, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दरों का प्रयोग करते हुए, वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की स्थिति में कर दी गई है (जैसा कि आयोग द्वारा यह विनियमों में अपनाई गई है)।

4.109 आयोग द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 को जारी अन्तरण योजना के एक भाग के रूप में अधिसूचित परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन की गणना वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु जोड़ी गई परिसम्पत्तियों हेतु पृथक–पृथक की गई है। दिनांक 1 जून, 2005 की स्थिति में, अधिसूचित विद्यमान परिसम्पत्तियों की प्रत्येक श्रेणी हेतु आयोग द्वारा ऐसी परिसंपत्ति श्रेणी हेतु अवमूल्यन उस सीमा तक प्रदान किया गया है जिससे कि प्रत्येक वर्ष में दिनांक 31 मार्च की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि इसके अर्जन की वास्तविक (Historical) लागत के 90 प्रतिशत से अधिक न होगी।

4.110 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञेय अवमूल्यन निम्नानुसार दर्शाया गया है :

तालिका 163 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन

(राशि करोड़ रूपये में)

परिसम्पत्ति वर्ग	वित्तीय वर्ष 2008–09
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.01
भवन तथा सिविल कार्य	0.30
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्कस)	0.07
अन्य सिविल कार्य	0.01
संयंत्र तथा मशीनरी	4.96
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि	22.43
वाहन	0.00
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.02
अन्य उपकरण	0.25
अन्य कोई मदें	0.00
योग	**28.06**

4.111 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के माह जून 2005 से मार्च 2006 तक के वास्तविक अवमूल्यन की गणना रु. 47.65 करोड़ आती है। आयोग द्वारा, कथित सत्यापन अवधि हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी रु. 46.83 करोड़ की राशि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अवमूल्यन संबंधी भारित औसत पर अनुज्ञेय की गई थी। ऐसा इस लिये किया गया था क्योंकि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग को सत्यापन के समय अवमूल्यित तथा अवमूल्यिन योग्य परिसम्पत्तियों के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः इस रु. 0.82 करोड़ की राशि के समायोजन हेतु, आयोग मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को इस राशि को वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से वसूल किये जाने बाबत अनुज्ञेय करता है। अतएव, **वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को अनुज्ञेय की गई अवमूल्यन राशि रु. 28.88 करोड़ है** (अर्थात उपरोक्त तालिका से रु. 28.06 करोड़ तथा अवधि जून 2005 से मार्च 2006 हेतु रु. 0.82 करोड़ का अन्तर)।

4.112 चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य अनुज्ञेय अवमूल्यन के पृथक्करण के संबंध में, आयोग का दृष्टिकोण तथा अन्तिम निर्णय इस आदेश के सुसंगत भाग में सम्मिलित किया गया है।

ब्याज तथा वित्त प्रभार

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

4.113 ब्याज तथा वित्त प्रभारों में सम्मिलित हैं, दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार परियोजना विशिष्ट ऋणों पर ब्याज (पश्चातवर्ती वर्षों में अनुसूचित अदायगी घटाकर) एवं पश्चातवर्ती वर्षों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत निवेश योजना के अनुसार नवीन ऋणों के आहरण, उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज प्रभार, कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज प्रभार तथा ऋण–प्रदायकर्ता संस्थाओं द्वारा वित्त एकत्रीकरण की लागत। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, नवीन पूंजीगत व्यय के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक समुपयुक्त (मैचिंग) वित्तीय योजना प्रस्तुत की गई है जिसमें ऋणों के आहरण, पूंजी अन्तःक्षेपण (इक्विटी इनफ्यूजन) तथा उपभोक्ता अंशदान सम्मिलित हैं।

4.114 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुछ योजनाओं का आंशिक वित्तीय पारेषण 'अगठबंधित कोष (Untied Funds)' के माध्यम से किया जाना दर्शाया गया है (यदि कोई वचनबद्ध निवेश उपलब्ध न हों)। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय प्रबंन्धन योजना, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्वानुमान किये गये निर्माण के दौरान ब्याज (इन्टरेस्ट डयूरिंग कन्स्ट्रक्शन–आईडीसी) के व्ययों के वित्तीय प्रबंन्धन हेतु किसी स्त्रोत की पहचान नहीं करती।

4.115 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका जिस पर ब्याज की गणना हेतु विचार किया गया है, निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 164: दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका

राशि करोड़ रूपये में

योजना	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
नार्मल डेवलपमेंट (सामान्य विकास) – एनडी	12.00	10.00
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	3.00	0.00
सब–ट्रांसमिशन–नार्मल (उप पारेषण–सामान्य) एसटी (एन)	69.30	25.00
पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट (पीएसआई)	0.00	0.00
एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	17.28	0.00
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	5.00	0.00
आरजीजीवीवाई (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना)	60.00	216.60
पीएमजीवाई (प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना)	0.00	0.00
एडीबी–II (एडीबी वित्तीय परिपोषित योजना का द्वितीय चरण)	15.00	270.50
कृषि मार्गदर्शक (नवीन) (एग्रीकल्चर पायलट–न्यू)	**2.35**	**0.00**
टीएससी/एससीपी (नवीन)	**3.00**	**0.00**
योग	**186.93**	**522.10**

4.116 ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई याचिका में उल्लेख किया गया है किः

(अ) स्त्रोतवार ऋणों (रु. 220 करोड़) तथा सामान्य ऋणों (रु. 316 करोड़) को जिन्हें दिनांक 30.05.2005 के प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र के माध्यम से उत्तराधिकार में प्राप्त किया गया है, पर ब्याज की गणना वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 की तत्संबंधी बकाया राशियों तथा ब्याज भुगतान अनुसूचियों के अनुसार की गई है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में आहरित किये जाने वाले नवीन ऋणों पर ब्याज का पूर्वानुमान ऋण अदायगी तथा ब्याज भुगतान की तत्संबंधी निबंधन तथा शर्तों के अनुसार किया गया है।

(स) निवेश योजना पर आधारित/आहरित किये जाने वाले प्रस्तावित नवीन ऋणों का पूर्वानुमान निम्न दर्शाई गई निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार किया गया हैः

तालिका 165 : दायर की गई याचिका के अनुसार ऋणों की निबंधन तथा शर्तें

स्त्रोत	ब्याज दर (प्रतिशत)	ऋण स्थगन अवधि	वार्षिक किश्तों की संख्या
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) ऋण	9.25	2	8
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण	8.25	3	10
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ऋण	10.50	5	15

जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) ऋण	8.20	5	15
पूंजीगत व्यय (अगठबंधित) हेतु अन्य बाजार ऋणों की प्राप्ति	10.50	1	7

4.117 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, वित्त एवं बैंक प्रभारों के एकत्रीकरण हेतु लागत का पूर्वानुमान इन ऋणों पर सकल ब्याज लागत के 2% की दर से किया गया है (अर्थात, दिनांक 31 मई, 2005 के बाद आहरित किये गये ऋण)। इस अवधारणा हेतु कोई आधार भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिभूति निक्षेप (सेक्यूरिटी डिपाजिट) पर देय ब्याज की गणना कुल प्रतिभूति निक्षेप को प्रक्षेपित कर की गई है जिसकी कि अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत विनियम के अनुसार पात्रता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कृषि उपभोक्ताओं हेतु, तीन माह की औसत मांग तथा अन्य उपभेक्ताओं हेतु, डेढ़ माह की औसत मांग हेतु प्रतिभूति निक्षेप पर विचार किया गया है तथा इस जमा राशि पर भुगतान योग्य ब्याज दर 6 प्रतिशत मानी गई है।

4.118 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उसकी याचिका में, वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान विचारित किये गये समस्त ऋणों की ब्याज लागत के 40% की दर से ब्याज पूंजीकरण पर विचार किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी याचिका में इस अवधारणा बाबत कोई कारण नहीं दर्शाये गये हैं।

4.119 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्यमान तथा नवीन ऋणों हेतु ब्याज लागत की गणना उपरोक्त दर्शाये गए निबंन्धन तथा शर्तों के आधार पर की है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई ब्याज लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 166 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	चालू वर्ष	बहुवर्षीय टैरिफ अवधि	
	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
विद्यमान ऋण	**56.67**	**50.32**	**44.51**
पीएफसी (पावर फायनेंस कार्पोरेशन) ऋण	4.45	3.02	2.19
आरईसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) ऋण	7.63	7.23	6.80
एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) ऋण	5.36	5.25	5.09
एपीडीआरपी–नाबार्ड ऋण	4.45	3.83	3.23
मप्राविमं से सामान्य ऋण (जनरिक लोन)	34.79	31.00	27.20
नवीन ऋण	**8.40**	**29.15**	**65.83**
भारत शासन ऋण	0.23	0.45	0.43
पीएफसी ऋण	4.13	5.07	4.90
आरईसी ऋण	0.00	0.00	0.00
एडीबी ऋण	2.02	12.59	32.11
जेबीआईसी (जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन) ऋण	0.12	0.19	0.05
पूंजीगत व्यय हेतु अन्य बाजार ऋण	1.91	10.84	28.34

योग	**65.08**	**79.48**	**110.34**
परियोजना ऋणों पर वित्त तथा बैंक प्रभारों के एकत्रीकरण की लागत	**0.17**	**0.58**	**1.32**

4.120 दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत संबंधी विनियम केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय करते हैं जिन्हें कि समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से लिया गया है तथा जिनसे संबद्ध मुख्य कार्य पूर्ण कर उपयोग हेतु प्रारंभ किये जा चुके हैं।

4.121 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को अर्द्ध–वार्षिक लेखे संधारित किये जाने तथा इन्हें अंकेक्षित करा आयोग को प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभी तक केवल वार्षिक लेखे ही उपलब्ध कराये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये अन्तिम लेखे वित्तीय वर्ष 05–06 से संबंधित है जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 30 सितम्बर 06 को समाप्त होने वाली अर्द्ध–वार्षिकी अवधि हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने संबंधी माह अक्टूबर 06 तक का प्रतिवेदन उपलब्ध कर दिया है परन्तु इससे यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि पूर्ण किये गये कार्यों को पूंजीकृत किया गया है अथवा नहीं। अतएव, आयोग केवल वित्तीय वर्ष 05–06 के अन्तिम अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध पूंजीकरण (सकल स्थाई परिसंपत्तियों) के बारे में ही अश्वस्त है। इसके अलावा, पूर्व में निर्माणाधीन कार्यों के पूंजीकरण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का प्रदर्शन देखते हुए, वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि काफी न्यून है।

4.122 समस्त निर्माणाधीन ऐसे कार्यों हेतु ऋण के वित्त प्रबंधन से संबंधित ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आई.डी.सी.) माना जाता है जिसे कि पूंजीकृत किया जावेगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जावेगा। ऐसी ब्याज लागत के संबंध में इसे समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से पास–थ्रू (Pass through) किये जाने पर विचार नहीं किया जाता है। इसके पीछे विचार यह है कि उपभोक्ता से केवल उन संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज के वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका कि उपभोक्ता उपयोग कर रहा है। निर्माणाधीन परिसम्पत्तियां उपभोक्ताओं के उपयोग की नहीं हैं तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माण के अन्तर्गत वहन की गई ब्याज लागत निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का एक भाग बन जाती है अतः इन्हें टैरिफ के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जा रहा है।

4.123 आयोग को यह जानकारी है कि अनुज्ञप्तिधारी कुछ मुख्य कार्य वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्ण कर लेगा जिन्हें कि पूंजीकृत कर परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावेगा। तथापि, जैसा कि पूंजीकरण संबंधी भाग में स्पष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी का परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में प्रदर्शन पूर्ण रूप से किये गये प्रक्षेपणों को नकारता है जो कि उसके द्वारा वित्तीय

वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये किये गये हैं। अतः, आयोग वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु संभावित पूंजीकरण पर विचार करना बुद्धिमतापूर्ण नहीं मानता परंतु वह केवल उसी दशा में ऐसी परिसम्पत्तियों को आरोपणीय ब्याज व्ययों पर विचार करेगा जब ऐसी परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावे। यह अनुज्ञप्तिधारी को, इस प्रकार से, कार्यों को पूर्ण किये जाने में गति लाये जाने तथा परिसम्पत्तियों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के त्वरित तथा दक्ष अन्तरण को सुनिश्चित किये जाने बाबत उसकी लेखांकन प्रक्रियाओं में गति लाये जाने को प्रोत्साहित करेगा। इसी के साथ–साथ, यह अनुज्ञप्तिधारी के लिये उसका अर्द्ध–वार्षिकी लेखा संधारित किये जाने तथा आयोग को इसकी प्रस्तुति किये जाने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा।

4.124 अतः आयोग की वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, उसी मार्ग के अनुसरण में ही अभिरूचि है जो उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ आदेशों में अपनाया गया था जिससे कि राजस्व लेखे को प्रभारणीय ब्याज के लागत की गणना की जा सके। इसमें ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) जैसा कि वह वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध है, का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) में आवंटन किया जाना सन्निहित है। इसे निम्न विधि द्वारा किया गया है :

(अ) वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल योग की गणना कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के योग से आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर की जाती है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का पोषण वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्त में वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश अनुसार इसे सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को आवंटित पूंजी के साथ जोड़ कर विचार किया गया है।

(स) सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल जोड़ के शेष को ऋण के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था द्वारा किया गया माना गया है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्त में वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश अनुसार इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित कुल ऋण के साथ जोड़ा गया है।

(द) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण से घटाया गया है। अदायगी राशियों की गणना वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कुल अनुसूचित अदायगी राशियों की आनुपातिक दर के रूप में गई है। वास्तविक अदायगी की राशियों को माना नहीं गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रमुख त्रुटियां की गई हैं।

4.125 इसे निम्न विधि द्वारा किया गया है :

तालिका 167 : वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेशानुसार ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (जीएफए) को आवंटन

स क्र	विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई है	320.96
2.	ऋण जिन्हें सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किया गया है (वर्ष 2005–06 के दौरान माने गये शुद्ध आनुपातिक अनुसूचित भुगतान)	80.62

तालिका 168 : वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबंद्ध ऋण की गणना

स.क्र	विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
1	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन	39.62
2	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान	10.84
3	वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में शुद्ध परिवर्धन	28.79
4	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन का 30 प्रतिशत जिसे पूंजी (इक्विटी) द्वारा पोषित किया गया माना गया है	8.64
5	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शेष परिवर्धन–ऋण के माध्यम से पोषित किया गया	20.15
6	वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुसार ऋण जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित किया गया है **(उपरोक्त तालिका 167 से)**	80.62
7	ऋण अदायगी	10.26
8	**दिनांक 31 मार्च 07 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण (5+6+7)**	**90.51**

4.126 ब्याज लागत को केवल उन्हीं ऋणों पर अनुज्ञेय किया जा सकता है जो कि आवंटन के अनुसार चिन्हित किये जा सकते हैं, जैसा कि ये पूर्ण किये गये कार्यों (सकल स्थाई परिसम्पत्तियों) के साथ संबद्ध हैं। ऐसे ऋण पर ब्याज दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में समस्त ऋणों के भारित औसत ब्याज पर अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु भारित औसत ब्याज दर 12.10 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इसका अवधारण केवल अनुसूचित अदायगियों पर ही किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान वास्तविक ब्याज तथा प्रमुख चूंकों (डिफाल्टस) पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन हेतु, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ऋण पर प्रकल्पित (नोशनल) ब्याज दर पर विचार किया गया है जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण पर ऋण स्थगन (मोरेटेरियम) विधान लागू है क्योंकि विलंब काल के उपरांत उसे ब्याज का भुगतान करना होगा। 12.10 प्रतिशत की यह भारित औसत ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित सार्वजनिक ऋण प्रदाय अधिकार (पीएलआर) दर 12.25 प्रतिशत से कम होने के कारण उक्त दर पर ही अनुज्ञेय की गई है। तत्पश्चात्, भारित औसत ब्याज दर को चिन्हित किये गये ऋणों पर लागू किया गया है जो कि उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार पूर्ण किये गये कार्य से संबद्ध है जिससे वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सम्पूर्ण

राजस्व आवश्यकता के माध्यम से की जाने वाली अनुज्ञेय ब्याज लागत को अनुज्ञेय किया जा सके। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 169 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों से संबद्ध ऋण	90.51
भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.10%
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	**10.95**

4.127 वित्तीय वर्ष के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्त एकत्रीकरण की लागत तथा बैंक प्रभार प्रक्षेपित विद्यमान व्यय किये जाने वाले ऋणों की ब्याज लागत के 2% की दर से प्राक्कलित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी गणना रू. 0.58 करोड़ की गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी अवधारणा हेतु कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, आयोग वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान मुख्य कार्यों के सम्पादन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को नवीन ऋणों को आहरित करने बाबत निरूत्साहित करने के पक्ष में नहीं है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु वित्त एकत्रीकरण लागत हेतु रू. 0.58 करोड़ की राशि को अनुज्ञेय करता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्नानुसार हैं :

तालिका 170 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	10.95
अनुज्ञेय किये गये वित्त प्रभार	0.58
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	**11.53**

कार्यकारी पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

4.128 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज लागत की गणना चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु पृथक–पृथक से की गई है जिसे कि आयोग के वितरण टैरिफ के अवधारण के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया गया है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी ने कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर चक्रण गतिविधि हेतु 12.75% की दर से तथा खुदरा गतिविधि हेतु 12.50% मानी है। अनुज्ञप्तिधारी ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उपरोक्त हेतु भिन्न–भिन्न दरें क्यों मानी गई है।

4.129 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के संबंध में एक विलक्षण तत्व जिसका यहां उल्लेख किया जाना उचित होगा, जो है अनुज्ञप्तिधारी के ''उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप'' के प्रति उसकी गणना में किसी राशि का नहीं लिया जाना। ऐसा स्पष्ट रुप से संभव नहीं है क्योंकि अनुज्ञप्तिधारी का प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र दिनांक 31 मई, 2005 उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के प्रति रु, 278 करोड़ की राशि दर्शाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी लगभग 20 लाख उपभोक्ताओं के वृहद आधार को अपनी सेवाएं प्रदान करता है।

4.130 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई हैः

तालिका 171 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

स क्र	विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु वार्षिक सामग्री (इन्वेंटरी) आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	2.50
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	45.90
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी	**48.39**
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**6.17**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.00
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां	432.34
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	179.65
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी	**252.69**
	ब्याज दर	12.50%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**31.59**

आयोग का विश्लेषण

4.131 खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु, आयोग द्वारा वार्षिक सामग्री (इन्वेंटरी) आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त की मीटरिंग परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य की एक प्रतिशत की दर से मानी गई है (जो कि

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी सकल स्थाई परिसम्पत्ति अनुसूची में रु. 212.25 करोड़ दर्शाई गई है)। इस प्रकार मीटरिंग सामग्री की दो माह की आवश्यकता की गणना रू. 0..35 करोड़ (212.25 का 1% दो माह हेतु आनुपातिक किया गया) के रूप में होंगी। सकल स्थाई परिसम्पत्ति अनुसूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–07 की अन्त की स्थिति में सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) का शेष मूल्य रू. 1130.45 करोड़ होगा। इस मूल्य के एक प्रतिशत की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार रू. 1.88 करोड़ होगी। इसे चक्रण गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता (Inventory Requirement) माना गया है। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञेय राशि हेतु कार्यकारी पूंजी के अन्य तत्वों के मूल्यों की पुनर्गणना इस आदेश के सुसंगत भाग में की गई है।

4.132 आयोग के विनियम अनुज्ञप्तिधारी को कार्यकारी पूंजीगत ब्याज भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य ऋण प्रदाय दर (Prime Landing Rate-PLR) के मानदण्ड 2 प्रतिशत जोड़कर की सीमा के अन्तर्गत अनुज्ञेय करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य ऋण प्रदाय दर वर्तमान में 12.25% है। अतः, आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुसार, कार्यकारी पूंजीगत ऋण हेतु ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14.25% है। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका 172 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

स क्र	विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	1.88
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	31.06
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण	32.94
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	14.25%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण	**4.69**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.35
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां *	448.92
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का 1/12 वां भाग	164.29
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप **	397.94
	कुल कार्यकारी पूंजी	(112.87)
	ब्याज दर	14.25%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज –खुदरा विक्रय गतिविधि	**0.00**

** इस आदेश के सुसंगत भाग में दर्शाई गई वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार गणना की गई।*

*** गणना अगले भाग में दर्शायेनुसार*

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

4.133 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08, वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप हेतु किसी राशि को प्रदर्शित नहीं किया गया है। तदनुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप हेतु भी किसी राशि का दावा नहीं किया गया है।

आयोग का विश्लेषण

4.134 आयोग का मत है कि अनुज्ञप्तिधारी ने उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि पर किसी प्रकार का विचार न करके त्रुटि की है। अनुज्ञप्तिधारी लगभग 20 लाख उपभोक्ता आधार को विद्युत सेवाएं प्रदान कर रहा है, अतः वह इन उपभोक्ताओं से प्रतिभूति निक्षेप की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 मई, 2005 का प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र भी उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप हेतु रु. 278 करोड़ की राशि प्रदर्शित करता है।

4.135 उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि के अवधारण के प्रयोजन से, आयोग द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप की गणना मप्रविनिआ विनियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई (जो कि कृषि उपभोक्ताओं हेतु प्रतिभूति निक्षेप का प्रावधान 3 माह की औसत मांग के अनुसार तथा अन्य उपभोक्ताओं हेतु औसत मांग का डेढ़ गुना का प्रावधान करते हैं)। आयोग ने उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि का अवधारण वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, इन वर्षो के टैरिफ राजस्व के प्रयोग द्वारा किया है। तदोपरांत, औसत उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर इन दो वर्षों हेतु 6% की दर से ब्याज अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका 173 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 2008–09
वित्तीय वर्ष 2007–08 राजस्वों हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप*	351.56
वित्तीय वर्ष 2008–09 राजस्वों हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप**	397.94
ब्याज गणना हेतु औसत उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	374.75
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर 6% की दर से ब्याज प्रभार	**22.49**

* विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार (वित्तीय वर्ष 2007–08) जैसा कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी याचिकाओं में प्राक्कलित किया गया है

** वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

4.136 अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिलाभ का दावा पूंजी पर 14% की दर से पूंजी के पूर्वानुमान पर किया है जिसे कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों पर उपयोग किया जावेगा। पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु, अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान पूर्वानुमान की गई परिसम्पत्तियों का कुल पूंजीकरण अवधारित किया है तथा उस तत्व की गणना की है जिसे कि परिपोषित पूंजी से पूंजीकृत किया जाना प्रस्तावित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुल पूर्वानुमान किये गये पूंजीकरण से उपभोक्ता के अंशदान के भाग को घटाया नहीं गया है। पूर्वानुमान किये गये पूंजी पूंजीकरण की तत्पश्चात 30% मानदण्डीय स्तर से तुलना की गई है जिससे कि उस पूंजी पूंजीकरण (Equity Capitalization) राशि का अवधारण होता है जा किे पूंजी पर प्रतिलाभ की अहर्ता रखता है। विस्तृत गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई हैः

तालिका 174 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसका दावा किया गया

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अ. वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियों, उपभोक्ता के अंशदान की सकल राशि	1779.20
ब. पूंजी (इक्विटी) का प्रारंभिक शेष	445.63
ब 1. निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण	225.94
स. पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	27.40
स1. मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (ब1 का 30%)	67.78
द. मानदण्डीय (स–स1) राशि से आधिक्य/कम अतिरिक्त पूंजी	(40.38)
पूंजी जो प्रतिलाभ की अहर्ता रखती है (ब+स/2 अथवा ब+स1/2, इनमें से जो भी कम हो)	459.33
पूंजी पर प्रतिलाभ; अहर्ता रखने वाली राशि से 14% अधिक दर पर	**64.31**

पूंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में आयोग का विश्लेषण

4.137 ब्याज तथा वित्त प्रभारों संबंधी भाग स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी को पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2006–07 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी में परिणित होती है। इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता हेतु, अनुज्ञेय किये गये पूंजी पर प्रतिलाभ का अवधारण, तत्पश्चात्, आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई 14% दर के अनुसार चिन्हित की गई कुल पूंजी पर जैसा कि इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित किया गया है, को प्रयोज्य कर किया जाता है। आयोग को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 की अवधि के दौरान, परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रयोजन हेतु, वितरण व्यापार में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया जावेगा, जिससे कि पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों को आवंटित की गई पूंजी (इक्विटी) की राशि में अभिवृद्धि होगी। यदि इसे अंकेक्षित लेखे के

समर्थन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो भविष्य में इसे अनुज्ञप्तिधारी की सत्यापन याचिकाओं में अनज्ञेय किया जा सकेगा।

तालिका 175 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ

(राशि करोड़ रूपये में)

स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 2008–09
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका पूंजी के माध्यम से वित्तीय पोषण चिन्हित किया गया है, में 30% की अभिवृद्धि **(तालिका 168ः वित्तीय वर्ष 2006–07 की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यो से संबंद्ध ऋण की गणना, से उद्धारित)**	8.64
दिनांक 31 मार्च, 06 की स्थिति में, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित की गई पूंजी का अन्तिम शेष	320.96
दिनांक 31 मार्च, 07 की स्थिति में, कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित किया गया है	329.59
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ, 14% की दर से	**46.14**

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें

4.138 उपरोक्त चर्चित व्ययों के तत्वों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें सम्मिलित हैं डूबन्त ऋण, अन्य विविध व्यय, कोई पूर्व अवधि व्यय/आकलन (क्रेडिट्स) तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनका विश्लेषण निम्न परिच्छेदों में किया गया हैः

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

4.139 अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 के प्रारुप वित्तीय विवरण के अनुसार, विद्युत विक्रय से राजस्व की राशि रु. 1,871 करोड़ के विरुद्ध डूबन्त ऋणों हेतु उनका प्रावधान रु. 134.3 करोड़ है, अर्थात यह कुल राशि का 7.2% किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका में आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा बकाया राशियों की वसूली हेतु पूर्ण निश्च्छल किये गये प्रयासों के कारण, बहुवर्षीय अवधि हेतु कुल राजस्व राशि की 2.5% राशि का उच्चतर प्रतिशत डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों हेतु अनुज्ञेय किया जाना चाहिए। तदनुसार, अनुज्ञप्तिधारी ने डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों हेतु रु. 65.48 करोड़ की राशि का दावा किया है जो कि वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत विक्रय से राजस्व पूर्वानुमान की गई राशि का 2.5% है।

4.140 जहां तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007 में डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों हेतु किये गये कुल राजस्व राशि का 7.2% की दर से दावे का प्रश्न है, आयोग यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि यह मात्र एक

प्रावधान है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस मद के विरुद्ध किसी भी राशि का वास्तविक रुप से अपलेखन नहीं किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु भी अनुज्ञप्तिधारी ने किसी भी राशि का डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों हेतु किसी भी राशि का अपलेखन नहीं किया गया है (वित्तीय वर्ष 2005–06 क सत्यापन हेतु, की गई सुनवाई में अनुज्ञप्तिधारी के प्रस्तुतिकरण के अनुसार उद्धरित)।

4.141 आयोग के टैरिफ अवधारण संबंधी विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है किसी भी निर्दिष्ट किये गये वित्तीय वर्ष में डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों हेतु अधिकतम अपलेखन राजस्व विक्रय के अधिकतम 1% की दर के अध्यधीन अनुज्ञेय किया जावेगा। यह प्रावधान अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधियों के साथ किये गये विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त विनियमों को अन्तिम रुप देते समय किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व वित्तीय वर्षों में डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों हेतु वास्तविक रुप से किसी भी राशि का अपलेखन नहीं किया है, आयोग वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञप्तिधारी के डूबन्त ऋणों हेतु विद्युत विक्रय से राजस्व के 2.5% निर्धारित किये जाने संबंधी प्रावधान पर विचार नहीं कर सकता। आयोग, अतएव, अनुज्ञप्तिधारी को संदिग्ध तथा डूबन्त ऋणों हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित विद्युत विक्रय से राजस्व के केवल 1% की दर से अनुज्ञेय करता है। निम्न तालिका, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु डूबन्त ऋणों हेतु दावा की गई राशि तथा वह राशि जिसे कि आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, दर्शाती हैः

तालिका 176 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
जिसका दावा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया है	65.48
वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार विक्रय राजस्व का 1%	26.94
जिसे आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया	**26.94**

टीपः विक्रय राजस्व की गणना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु इस आदेश द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार की गई है।

4.142 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु डूबन्त ऋणों हेतु वास्तविक अपलेखन को, जैसा कि वह अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध है (जब इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग का उपलब्ध कर दिया जावेगा) वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु वास्तविक राजस्व के 1% की दर से अधिकतम अनुज्ञेय की जाने वाली राशि तथा आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय की गई राशि (वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पूर्वानुमान किये गये राजस्वों के 1% की दर से) से तुलना की जावेगी। इनके अन्तर को वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन के समय समायोजित किया जावेगा।

अन्य विविध व्यय

4.143 वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत अन्य किसी व्यय का पूर्वानुमान नहीं किया गया है। इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है।

अन्य आय

4.144 अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु रू. 37.60 करोड़ की राशि का दावा किया है। इस राशि में, अन्य राशियों के साथ उपभोक्ताओं से मीटर भाड़े की वसूली, विद्युत चोरी से वसूली तथा विविध प्रभार शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन प्रभारों तथा वसूलियों से आय के पूर्वानुमान के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, प्रावधिक लेखे के अंतर्गत साधारण रूप से देय मद की राशि में अभिवृद्धि कारक (Escalation Factor) के प्रयोग द्वारा, जो विभिन्न मदों हेतु 8% से 10% की सीमा के अन्तर्गत है, अभिवृद्धि की है।

4.145 आयोग अनुज्ञप्तिधारी के अन्य आय संबंधी समस्त तत्वों के पूर्वानुमान को, अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से कुल अन्य आय की राशि को घटाये जाने बाबत, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस बारे में दावा किया गया है, स्वीकार करता है।

4.146 अनुज्ञप्तिधारी ने चक्रण गतिविधि से किसी आय पर विचार नहीं किया है जिसे आयोग स्वीकार करता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, चक्रण प्रभारों से अनुज्ञप्तिधारी की वास्तविक आय, खुली पहुंच उपभोक्ताओं की संख्या पर निर्भर, का समायोजन सत्यापन के समय किया जावेगा। इन तर्कों के आधार पर, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुज्ञेय की गई राशि निम्नानुसार हैः

तालिका 177 : चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	7.75
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई*	**7.75**

तालिका 178 : खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	29.85
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई	**29.85**

अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण

4.147 आयोग द्वारा धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 26 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित विनियमों में उल्लेखित है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जावेगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि हेतु, चक्रण (वितरण) गतिविधि हेतु, तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें कि चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल विद्युत वितरण व्ययों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण का उद्देश्य चक्रण प्रभारों को संस्थापित करना है जिनकी वसूली खुली पहुंच उपभोक्ताओं से की जावेगी।

4.148 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के विनियमों का प्रतिपालन उस सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु इसे दायर किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केवल कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज, डूबन्त ऋणों हेतु प्रावधान, तथा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज को खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत माना है। अन्य समस्त मदें पूर्णरूपेण चक्रण गतिविधि का भाग मानी गई हैं।

4.149 विद्यमान टैरिफ अभ्यास हेतु, आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागतों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य आवंटित किये जाने संबंधी विधि को स्वीकार करता है। तथापि, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को उसके वितरण केन्द्रों, क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों आदि के एक प्रतिनिधि नमूने का गहन अध्ययन किये जाने बाबत निर्देशित करता है जिससे कि प्रत्येक व्यय मद (विद्युत क्रय को छोड़कर) के आवंटन अनुपात को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्कृत किया जाना विकसित किया जा सके। इस अध्ययन के परिणाम आयोग को टैरिफ आदेश जारी होने के छः माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिये। तथापि, यह एक अस्थाई स्थानापन्न व्यवस्था है। आयोग चाहता है कि अनुज्ञप्तिधारी चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय को अलग–अलग व्यय भारित किये जाने का पूर्ण लेखांकन पृथक्करण का उत्तरदायित्व स्वयं संभाले। अनुज्ञप्तिधारी को इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर इस गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु संभावित समय–सीमा को दर्शाते हुए आयोग से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

4.150 अतः इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय

(बी) अवमूल्यन

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज

(डी) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि के लिये

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(एफ) अन्य विविध व्यय

(जी) घटायें : आय, जिसकी पूर्व भाग में गणना की गई है।

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(एच) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये

(आई) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज

(जे) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(के) घटायें : आय, जिसकी पूर्व भाग में गणना की गई है।

4.151 उपरोक्त दर्शायेनुसार, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 179 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता

विवरण	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित राशि (करोड़ रूपये में)
(ए) विद्युत क्रय व्यय	1971.52
(बी) पारेषण प्रभार (एमपी ट्रांसको)	242.44
चक्रण गतिविधि :	
संचालन तथा संधारण व्यय	372.75
अवमूल्यन	28.88
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	11.53
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	4.69
पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)	46.14
अन्य व्यय	0.00
घटायें : अन्य आय	7.75
(सी) *उप–योग – वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, अनुमोदित की गई चक्रण सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता*	***456.24***
खुदरा विक्रय गतिविधि	

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	0.00
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	26.94
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	22.49
घटायें : अन्य आय	29.85
(डी) *उप–योग–वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित की गई खुदरा समग्र राजस्व आवश्यकता*	***19.58***
महायोग– वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी+डी)	**2689.79**

विद्युत वितरण कम्पनियों तथा जनरेटिंग कम्पनी का अवधि माह जून 2005 से मार्च 2006 तक के सत्यापन का उपचारण

4.152 आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2008 द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों का अवधि माह जून 2005 से मार्च 2006 तक के वित्तीय लाभ तथा हानि का अवधारण किया गया। आदेश में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया था कि आयोग द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, निर्धारित की गई राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में उपभोक्ताओं को अन्तरण हेतु किया जावेगा।

4.153 इस आदेश के माध्यम से, आयोग द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 31.69 करोड़ की राशि के लाभ का अवधारण किया गया है। धनात्मक होने के कारण इस राशि को वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से तदनुसार घटा दिया जावेगा।

4.154 वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी पर आयोग के एमपी जनको का सत्यापन संबंधी इस आदेश से उद्भूत प्रभाव की चर्चा इस आदेश की ''**तालिका 60: एमपी जनको की अतिरिक्त लागत को विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य आवंटन**'' में की जा चुकी है। इस तालिका के अनुसार, एमपी जनको की अतिरिक्त लागत, जिसे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से वसूल किया जाना अनुज्ञेय किया गया है, रु. 35.10 करोड़ है। इस राशि को तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में उपभोक्ताओं से वसूली हेतु जोड़ा जावेगा।

विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व अन्तर

4.155 आयोग द्वारा विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व की गणना वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर की गई है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु राजस्व के अन्तर की गणना, अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह जून 05 से माह जून 06 तक की अवधि हेतु

एमपी जनको तथा मप्र की विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण राजस्व अन्तर/(आधिक्य) की अनुज्ञेय की गई वसूली (जैसा कि इस पर पूर्व भाग में चर्चा की गई है) के प्रयोग द्वारा की गई है। विद्यमान टैरिफ दरों पर विक्रय राजस्वों तथा राजस्व अन्तर निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं। राजस्व–अन्तर, जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया है, को यहां त्वरित संदर्भ हेतु उद्धरित किया जाता है :

तालिका 180 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर,

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया	जैसा कि इस की गणना आयोग द्वारा की गई #
विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व राशि	2594.05	2634.06
घटायें: वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (अन्य आय का सकल योग)	3003.59	2689.79
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व (अन्तर)	(409.54)	(55.73)
अवधि माह जून 05 से मार्च 06 तक, एमपी जनको के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	--	(35.10)
अवधि माह जून 05 से मार्च 06 तक, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	(236.95)*	31.69
वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	(330.67)**	----
वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्यमान टैरिफ दरों पर कुल राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	**(977.16)**	**(59.14)**

* दायर किये गये रु. 524.09 करोड़ के राजस्व अन्तर के प्रत्युत्सर्जन (अमारटाईजेशन) के कारण प्रभाव

** दायर किये गये रु. 854.27 करोड़ के राजस्व अन्तर के प्रत्युत्सर्जन (अमारटाईजेशन) के कारण प्रभाव

चालू टैरिफ दरों पर गणना किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप, कार्यकारी पूंजी तथा डूबन्त ऋण

4.156 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू. 997.16 करोड़ की प्रक्षेपित राशि का अन्तर पाटने हेतु आंशिक रूप से टैरिफ दर में वृद्धि तथा दक्षता में अभिवृद्धि द्वारा तथा आंशिक रूप से विनियामक परिसम्पत्ति के सृजन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तथापि, पुनरीक्षित अन्तर, जैसी कि आयोग द्वारा इसकी पुनर्गणना विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार की गई है, रु. 59.14 करोड़ है जैसा कि इसका उपरोक्तनुसार, अवधारण किया गया है। अतएव, आयोग द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये कुल राजस्व अन्तर की आपूर्ति हेतु टैरिफ प्रस्तावों में उपयुक्त संशोधन

किये गये हैं तथा इस हेतु किसी विनियामक परिसम्पत्ति (Regulatory Asset) के सृजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

4.157 पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्याशित राजस्व निम्नानुसार हैं:

तालिका 181 : पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व

(राशि करोड़ रूपये में)

	विवरण	राशि
	राजस्व अन्तर, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया	977.16
ए.	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित दरों पर प्रत्याशित राजस्व	2694.06
बी.	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता **(अन्य आय का सकल योग)**	2689.79
सी = ए–बी	वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से अधिक राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	4.27
डी.	अवधि जून 2005 से मार्च 2006 तक एमपी जनको के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	(35.10)
ई.	अवधि जून 2005 से मार्च 2006 तक मध्यप्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	31.69
सी+डी+ई	**वित्तीय वर्ष 2008–09 की टैरिफ दरों के अनुसार कुल राजस्व (अन्तर)/आधिक्य**	**0.86**

4.158 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास मामूली सा अन्तर छूट गया है। तथापि, यह राज्य में एक समान टैरिफ दरें रखे जाने के परिणामस्वरूप है। चूंकि छूटा हुआ राजस्व अन्तर बहुत ही मामूली है, इसकी समीक्षा वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन के दौरान की जावेगी।

4.159 वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित दरों के अनुसार (जिन्हें इस आदेश की टैरिफ अनुसूची में दर्शाया गया है) आयोग द्वारा उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व की गणना निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 182 : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व

उपभोक्ता श्रेणी	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व (करोड़ रूपये में)
निम्न दाब		
घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	2084.21	707.37
गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	500.78	271.13
जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	129.56	45.36
निम्न दाब औद्योगिक	242.93	108.74
कृषि उपभोक्ता	1879.85	489.45
योग (निम्न दाब)	**4837.33**	**1622.05**
उच्च दाब		

रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	724.10	336.71
कोयला खदाने (कोल माईन्स)	38.00	21.80
औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक	1244.59	600.41
मौसमी (सीजनल)	1.90	1.79
उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	96.75	34.10
टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	162.81	69.10
छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	15.00	8.11
योग (उच्च दाब)	2283.15	**1072.01**
महायोग (निम्न दाब+उच्च दाब)	**7120.49**	**2694.06**

सार्वजनिक आपत्तियां तथा याचिकाओं पर टिप्पणियां

ए–5 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारी की याचिका पर टिप्पणियां

भूमिका

5.1 वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु तीन विद्युत वितरण कंपनियों, अर्थात् मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) तथा केवल वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु टैरिफ प्रस्ताव को दायर किये जाने उपरांत इनकी मुख्य विशेषताएं समाचार पत्रों में वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु खुदरा टैरिफ के अवधारण हेतु प्रकाशित की गई थीं। आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दायर किये गये टैरिफ प्रस्तावों पर पणधारकों (स्टेक–होल्डर्स) की प्रतिक्रिया चाही गई थी जिस हेतु समस्त वितरण कंपनियों हेतु अन्तिम तिथि 19.12.2007 निर्धारित की गई थी। आयोग ने प्रत्येक वितरण कंपनी हेतु बड़ी संख्या में टिप्पणियां/आपत्तियां प्राप्त कीं। आयोग ने सुनवाई तिथि तक प्राप्त की गई समस्त टिप्पणियों पर विचार किया है। व्यक्तियों तथा संस्थाओं जिनके द्वारा टिप्पणियां/आपत्तियां प्रस्तुत की गईं, के विवरण परिशिष्ट–2 में दिये गये हैं। आयोग द्वारा पणधारकों से प्राप्त की गई टिप्पणियों पर विद्युत वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया भी जाननी चाही थी।

सरल क्रमांक	वितरण कंपनी का नाम	प्राप्त की गई के अंतर्गत	टिप्पणियों की संख्या निर्धारित तिथि के बाद
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	32	02
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	84	03
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	12	08

5.2 आयोग द्वारा भोपाल स्थित मुख्यालय सभागार में निर्धारित तिथि को निम्न अनुसूची के अनुसार जनसुनवाई आयोजित की गई :

स. क्रमांक	कंपनी का नाम	जन–सुनवाई की तिथि
1	जनरेशन कम्पनी तथा ट्रांसमिशन कम्पनी	05.02.2008
2	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर	06.02.2008
3	(अ) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन्दौर (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर)	07.02.2008
	(ब) कृषि उपभोक्ताओं हेतु	08.02.2008
4	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल	11.02.2008
5.	केवल गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु	*12.02.2008

*दिनांक 12.02.2008 को निर्धारित की गई जन–सुनवाई राज्य शासन द्वारा अवकाश घोषित किये जाने के कारण आयोजित नहीं की जा सकी थी । अतः इसका पुनर्निधारण किया जाकर, दिनांक 18.2.2008 को आयोजित की गई ।

5.3 आयोग द्वारा समस्त उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व हेतु गैर–सरकारी संस्थाओं को टैरिफ अवधारण प्रक्रिया में भाग लेने तथा उनकी टिप्पणियां/सुझाव लिये जाने बाबत् पृथक तिथि निर्धारित की गई थी ।

5.4 आयोग ने विभिन्न पणधारकों द्वारा उठाये गये मुद्दों तथा उनकी आशंकाओं पर ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है। मुख्य प्रतिक्रियाएं, उन्हें सम्मिलित कर जिन्हें जन सुनवाई के दौरान उठाया गया था, को उनकी टीपों/आपत्तियों को श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है तथा इनकी संक्षेपिका इस अध्याय में प्रस्तुत की गई है।

विषय क्रमांक 1 : ईंधन अधिभार समायोजन (फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट)

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.5 कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि टैरिफ आदेश नवीन ईंधन लागत समायोजन (फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट–एफ.सी.ए.) सूत्र पर विचार नहीं कर सकता है। विनियम 2006 के अंतर्गत कण्डिका क्रमांक 1.29 अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से सम्पर्क किये जाने हेतु अनुमति देती है यदि ईंधन प्रभार की अनुमति विद्युत उत्पादक कंपनी को प्रदान की जाती हो।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.6 अनुज्ञप्तिधारी का प्रस्ताव राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कण्डिका 5.3 (एच) (4) के अनुरूप है। प्रतिवादियों द्वारा इंगित किया गया है कि विनियम 2006 (आरजी – 27 (1), वर्ष 2006) की कण्डिका 1.29 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से ऐसे सूत्र (फारमूला) हेतु सम्पर्क किये जाने की अनुमति देते हैं जो निम्नानुसार है :

''जैसा कि अधिनियम 62 (4) में प्रावधान किया गया है, आयोग द्वारा ऊर्जा अधिभार सूत्र निर्दिष्ट किया जा सकता है तथा टैरिफ को विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार प्रभारित की जाने की अनुमति दी जावेगी......''

5.7 अतः राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा विनियमों के उपरोक्त अनुबंधों के अनुरूप, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ईंधन प्रभार समायोजन की गणना किये जाने संबंधी सूत्र आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

5.8 आयोग वितरण कंपनियों के दृष्टिकोण से सहमत है। आयोग इस संबंध में ईंधन लागत समयोजन (एफ.सी.ए.) सूत्र पर राष्ट्रीय टैरिफ नीति तथा आयोग द्वारा तैयार किये गये विनियमों के परिपेक्ष्य में विचार करेगा।

विषय क्रमांक 2 : टी.ओ.डी. (टाईम ऑफ डे) टैरिफ में परिवर्तन

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.9 कुछ प्रतिवादियों द्वारा अभ्यावेदन किया गया कि मप्र राज्य में जल विद्युत में वृद्धि होने के साथ शीर्ष–बाह्य (ऑफ–पीक) तथा शीर्ष–मांग के अंतर में वृद्धि होना अवश्यंभावी है। अतः शीर्ष–बाह्य विद्युत के प्रयोक्ताओं को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा टीओडी (टाईम ऑफ डे) टैरिफ में परिवर्तन तथा शीर्ष–बाह्य छूट में 15% तक वृद्धि किये जाने बाबत अनुरोध किया गया।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.10 प्रतिवादियों की शीर्ष–बाह्य तथा शीर्ष–मांग में बढ़ते हुए अन्तर की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों द्वारा लद्यु–अवधि विद्युत क्रय के संबंध में विचार नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों को विश्वास है कि प्रदाय किया गया शीर्ष–बाह्य पर्याप्त है तथा उनके द्वारा इसमें वृद्धि किये जाने संबंधी सुझाव पर असहमति व्यक्त की गई।

आयोग का दृष्टिकोण

5.11 आयोग द्वारा समय–दिवस अधिभार (टाईम ऑफ डे सरचार्ज) चार घंटे हेतु (सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक) निर्धारित किया गया है तथा छूट 8 घंटे हेतु (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस को प्रातः 6 बजे तक) निर्धारित की गई है। आयोग प्रस्तावित की गई छूट की दर बढ़ाये जाने में कोई औचित्य नहीं पा रहा है ।

विषय क्रमांक 3 : रेलवे में वोल्टेज पर छूट

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.12 रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा तर्क दिया गया कि रेलवे विभाग 132 केवी अथवा 220 केवी पर कर्षण हेतु विद्युत आहरित करता है। इन वोल्टेजों पर पारेषण हानियां नगण्य होती हैं। अतएव उनके

द्वारा कर्षण विद्युत प्रदाय पर, जेवीवीएनएल के अनुरूप आयोग से ऊर्जा लागत तथा स्थाई प्रभारों पर 2.5% वोल्टेज छूट प्रदान किये जाने हेतु विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.13 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि रेलवे कर्षण हेतु लागू टैरिफ दरें सम वोल्टेज स्तर पर अन्य उपभोक्ताओं हेतु प्रयोज्य दरों से कम हैं। अतः इससे आगे और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना न ही औचित्यपूर्ण है तथा न ही स्वीकार–योग्य है ।

आयोग का दृष्टिकोण

5.14 आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के विचारों से सहमत हैं। आयोग द्वारा आपत्तिकर्ता के एकल–भाग टैरिफ लागू किये जाने संबंधी अनुरोध को, मय ऐसी नवीन परियोजनाओं को नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु पांच वर्षों की अवधि हेतु 10 प्रतिशत छूट के साथ संयोजन तिथि से स्वीकार किया जा चुका है ।

विषय क्रमांक 4 : रेलवे में आधिक्य मांग प्रभार

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.15 रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया कि रेलवे को आधिक्य अधिकतम मांग (मैक्सीमम डिमांड–एम.डी.) प्रभारों से, एकल भाग टैरिफ का लागू किये जाने द्वारा (बिना किसी अधिकतम मांग प्रभारों के द्वारा) छूट प्रदान की जावे ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.16 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित किये गये आधिक्य मांग प्रभार, वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्यमान टैरिफ दर पर भी लागू होते हैं । रेलवे कर्षण के प्रकरण में, अधिकतम मांग संविदा मांग से 110 प्रतिशत से अधिक तक होने पर अ–मांग प्रभार (नो डिमाण्ड चार्जेज) अधिरोपित किये जावेंगे। अतः, रेलवे कर्षण के भार के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए, 10 प्रतिशत की छूट पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है ।

आयोग का दृष्टिकोण

5.17 आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के विचारों से सहमत है। तथापि, आयोग ने विचारोपरांत अधिकतम मांग की सीमा पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट, संविदा मांग (120 प्रतिशत पर), आधिक्य मांग प्रभारों को अधिरोपित किये जाने के प्रयोजन से, प्रदान की है ।

विषय क्रमांक 5 : उच्च दाब उपभोक्ताओं तथा निम्न दाब उद्योगों हेतु टैरिफ में अभिवृद्धि की जाना

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.18 एक प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गई कि उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु किये जाने वाली लघु अभिवृद्धि को भी वापिस लिया जावे तथा निम्न दाब उद्योगों हेतु टैरिफ में वृद्धि को औद्योगिक क्षेत्र के हित में अनुज्ञेय न किया जावे।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.19 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यक्त किया गया कि उनके द्वारा राष्ट्रीय टैरिफ नीति के दिशा–निर्देशों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है ताकि प्रति–सहायतानुदान को वर्ष 2010–11 के अन्त तक औसत विद्युत प्रदाय की लागत का +/– 20% तक लाया जा सके । इस संबंध में, आयोग द्वारा प्रति– सहायतानुदान मार्गदर्शिका पर विचार किया जाना चाहिए ।

आयोग का दृष्टिकोण

5.20 आयोग ने दोनों आपत्तिकर्ता तथा वितरण कंपनियों के दृष्टिकोण पर विचार किया है तथा खुदरा टैरिफ का अवधारण करते समय प्रति– सहायतानुदान मार्गदर्शिका पर विचार करते हुए उचित कार्यवाही की है ।

विषय क्रमांक 6 : बिलिंग मांग पर स्थाई प्रभार, संविदा मांग के प्रतिशत के रूप में

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.21 कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि बिलिंग मांग को, संविदा मांग का 85% अथवा वास्तविक, इनमें से जो भी अधिक हो, रखा जा सकता है । उद्योग तथा गैर–घरेलू उपभोक्ताओं, जैसे कि दूरसंचार (टेलीकॉम) कम्पनियों तथा शापिंग माल हेतु मांग में 15% का लचीलापन विभिन्न कारकों, जैसे कि मांग में उतार–चढ़ाव, उच्चावच (फलक्टूयेटिंग) मांग के समायोजन हेतु पर्याप्त हैं । उच्चावच मांग के विभिन्न कारक मांग में उतार–चढ़ाव, उत्पादन–मिश्र में परिवर्तन, संधारण अनुसूचियां, वातानुकुलन भारों पर मौसमी प्रभाव आदि हैं । विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आधिक्य मांग पर अर्थदण्ड को दुगुना किये जाने तथा आनुपातिक यूनिटों पर अर्थ–दण्ड को अधिरोपित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को निरस्त किया जावे ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.22 संविदा मांग वह उच्चतर सीमा हैं, जहां तक वह (उपभोक्ता) संविदा का उल्लंघन किये बिना विद्युत का आहरण कर सकता है । बिलिंग, तथापि, संविदा मांग के वास्तविक अथवा किसी निश्चित प्रतिशत पर आधारित होनी चाहिए । अतः, विद्युत वितरण कम्पनी ने बिलिंग मांग को संविदा मांग का 90% अथवा अभिलिखित मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, पर प्रस्तावित किया है । इसका आशय यह है कि वह संविदा मांग, जिस हेतु अनुबंध निष्पादित किया जाता है, यथासंभव वास्तविक आहरण के निकटतम होनी चाहिए । यहां यह स्मरण दिलाया जाना आवश्यक है कि माननीय आयोग द्वारा उनके प्रारंभ में जारी किये गये टैरिफ आदेश में न्यूनतम बिलिंग मांग को संविदा मांग का 75% रखा जाना अनुज्ञेय किया गया था तथा वर्ष 2006–07 के टैरिफ आदेश में स्थाई प्रभारों की बिलिंग मांग केवल संविदा मांग पर अनुज्ञेय की गई थी । आयोग द्वारा प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश में बिलिंग हेतु न्यूनतम संविदा मांग को संविदा मांग का 90% अनुज्ञेय किया गया था ।

आयोग का दृष्टिकोण

5.23 न्यूनतम बिलिंग मांग का संविदा मांग के प्रतिशत के रूप में परिवर्तन किये जाने का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2006–07 तक 75% से 100% की सीमा के अन्तर्गत रहा है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोग द्वारा प्रतिवादियों व याचिकाकर्ताओं से विस्तृत विचार–विमर्श तथा विचारों के समन्वयन द्वारा, इस सीमा को बढ़ाकर 90% कर दिया गया । आयोग का विचार है कि किसी भी उपबंध में बारंबार परिवर्तन किये जाने पर, इसे पुनः पुनरीक्षण किये जाने हेतु उपभोक्ताओं को उद्वेलित कर सकता है । अतः विद्यमान उपबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है । आयोग द्वारा दोनों आपत्तिकर्ताओं तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है तथा संविदा मांग के वास्तविक मांग से अधिक होने पर, अर्थदण्ड संबंधी प्रावधान के संबंध में उचित कार्यवाही की है।

*विषय क्रमांक 7 : भार कारक रियायत (**Load Factor Concession**)*

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.24 कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि भारकारक रियायतों की पद्धति को यथावत् जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा अनुकूलतम उपयोगिता किये जाने को बढ़ावा मिलेगा तथा उपभोक्ता को क्षमता के अनुकूलतम उपयोग द्वारा टैरिफ दर में कमी किये जाने हेतु, अभिप्रेरित किया जा सकेगा। वास्तविक तौर पर 90% भारकारक से अधिक खपत पर, प्रोत्साहन में और

अधिक वृद्धि की जावे। इसके द्वारा, उत्पादक तथा पारेषण प्रणाली को भी क्षमता उपयोगिता किये जाने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। एक प्रतिवादी द्वारा सुझाव दिया गया कि 80% से कम भार–कारक होने पर प्रोत्साहन दिया जाना निरर्थक है, क्योंकि इससे वितरण कम्पनी को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता, परन्तु यह उपभोक्ताओं के लिये लाभकारी हो सकता है । अतः अनुशंसा की गई कि भार कारक प्रोत्साहन 80% तथा इससे अधिक पर प्रदान किया जावे ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.25 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भार कारक प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2006–07–08 के पूर्व टैरिफ आदेश के अनुसार जारी रखा जाना प्रस्तावित किया गया है । माननीय आयोग ऐसा दृष्टिकोण अपना सकता है जैसा कि वह उचित समझे । तथापि, सैद्धान्तिक रूप से, भार–कारक रियायत उसी दशा में दी जानी चाहिये जबकि उपभोक्ता का भार–कारक, वार्षिक आधार पर विचार किये गये अनुसार ताप ऊर्जा संयंत्रों के समग्र संयंत्र भार–कारक (प्लांट लोड फेक्टर) से अधिक हो । एक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सुझाव दिया गया कि रियायतें/प्रोत्साहन उच्च दाब उपभोक्ता, निम्न दाव उद्योग तथा निम्न दाब गैर–घरेलू उपभोक्ता प्रति–अनुदान के 120% के आसपास लाये जाने तक जारी रखे जा सकते हैं ।

आयोग का दृष्टिकोण

5.26 भार–कारक रियायतों को उपभोक्ता श्रेणियों की संख्या कम किये जाने के समय लागू किया गया था तथा यही टैरिफ संरचना जारी रखे जाने की आवश्यकता है । बारंबार परिवर्तन किये जाने से विनियामक अनिश्चितता उत्पन्न होगी । तथापि, आयोग अधिकांश प्रतिवादियों द्वारा दिये गये सुझावों से सहमत है तथा आयोग द्वारा 80% से अधिक भार–कारक पर भार–कारक रियायत संबंधी एक अन्य स्लैब प्रदान किया गया है।

*विषय क्रमांक 8 : ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (**Power Factor Incentives**)*

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.27 कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि वे समस्त उपभोक्ता जो 90% से 98% के बीच कहीं भी ऊर्जा कारक बनाये रखते हैं, उन्हें 90% से अधिक ऊर्जा कारक पर प्रत्येक 1% अभिवृद्धि पर 0.5% रियायत दी जानी चाहिए तथा यह रियायत ऊर्जा प्रभार के साथ–साथ स्थाई प्रभार पर भी दी जानी चाहिए । वे उपभोक्ता जो 99% अथवा 100% का भार–कारक संधारित करते हैं, उन्हें

प्रत्येक प्रतिशत सुधार पर, 98% से अधिक भार–कारक पर प्रत्येक प्रतिशत सुधार पर अतिरिक्त 2% का प्रोत्साहन प्रदान किया जावे ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

5.28 निवेदन है कि ऊर्जा–कारक में किया गया कोई भी सुधार केवीए की अधिकतम मांग में कमी के रूप में परिणित होता है। इस प्रकार, उपभोक्ता को बिलिंग मांग में लाभ की प्राप्ति होती है। अतएव, इससे अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, परिवर्तनों की संख्या न्यूनतम रखे जाने हेतु हमारे द्वारा कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं किया गया है। इस विषय पर निवेदन है कि ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार एमपी ट्रांसको विद्युत वितरण कंपनियों से 98% ऊर्जा–कारक अथवा इससे अधिक पर ऊर्जा के आहरण हेतु आग्रह करती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए, ऊर्जा कारक पर प्रोत्साहन ऊर्जा कारक के 0.98 तथा इससे अधिक होने पर ही, अनुज्ञेय किया जावे।

आयोग का दृष्टिकोण :

5.29 प्रथमतः, ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अथवा प्रोत्साहन की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। विद्युत प्रवाह (करंट) का आहरण 'इकाई' ऊर्जा कारक पर अनुकूलतम होता है। अतएव आदर्श रूप से, ऊर्जा–कारक का मान इकाई होना चाहिए जो कि उपभोक्ता हेतु भी सहायक है तथा इसके साथ–साथ यह केवीए संविदा मांग को कम करता है तथा तदनुसार मांग प्रभारों को भी। उदाहरणतया, ऊर्जा–कारक को उच्चतर स्तर पर रखा जाना आदेशात्मक (Mandatory) होना चाहिए। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में, ऊर्जा–कारक में सुधार हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाना वांछित होगा।

5.30 उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, 95% से अधिक के मान पर, प्रोत्साहन प्रदान किया जाना काफी अच्छा है। ऐसे उपभोक्ता ऊर्जा प्रभारों में अधिकतम 5% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। उच्च दाब प्रकरणों में, प्रोत्साहन की सीमा 95% से घटाकर 90% किये जाने में कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में, पिछले टैरिफ आदेश में किये गये प्रावधान में कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है।

विषय क्रमांक 9 : शापिंग माल हेतु उच्च दाब टैरिफ

पणधारकों द्वारा उठाया गया मृद्दा

5.31 कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस टैरिफ में शापिंग माल हेतु एकल बिन्दु उच्च दाब विद्युत प्रदाय को अनुज्ञेय किया जावे । तकनीकी रूप से, एक ही परिसर में कई ट्रांसफार्मरों को

स्थापित किया जाना तथा पृथक से मीटरीकृत किया जाना संभव न होगा । हमारे विचार में एकल संयोजन किये जाने की पद्धति ही आदर्श है । इस संबंध में दो या तीन विकल्प विद्यमान हैं, जिन पर विचार किया जा सकता है :

(अ) मॉल के स्वामी को अनुज्ञप्ति/फ्रेन्चाईज की मंजूरी देना ।

(ब) मॉल स्थित समस्त पक्ष अपना–अपना पंजीकरण 'समिति (सोसाइटी)' के रूप में करा सकते हैं तथा समिति को एकल संयोजन प्रदान किया जा सकता है। क्षेत्र का उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बिलिंग का पर्यवेक्षण तथा शिकायतें, यदि कोई हों तो निराकरण हेतु इन्हें प्राप्त कर सकता है। ऐसी समितियों हेतु विशेष टैरिफ दर प्रकल्पित की जाए।

5.32 एक प्रतिवादी द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे प्रकरण में प्रयोज्य दर 3.2 (i), (अर्थात् गैर–औद्योगिक –11 केवी उपभोक्ता) होनी चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.33 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि शॉपिंग माल हेतु जिसके द्वारा भी एकल उच्च दाब संयोजन हेतु आवेदन दिया जाता है, को मॉल की सीमा के अन्तर्गत वैयक्तिक गैर–घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के प्रयोजन हेतु फ्रेंचाईजी माना जाना चाहिए । मॉल हेतु पृथक टैरिफ दर का निर्धारण किये जाने से अनुज्ञप्तिधारियों तथा शॉपिंग मॉल के स्वामियों की व्यवहारिक समस्याओं का निदान हो जावेगा । तथापि, अनुरोध है कि माननीय आयोग माल में स्थित उसके वैयक्तिक उपभोक्ताओं को प्रभारित की जाने वाली टैरिफ दर को निर्दिष्ट करें, जिस हेतु मॉल द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत छूट प्राप्त की गई है।

आयोग का दृष्टिकोण

5.34 मध्यप्रदेश राज्य में भी शॉपिंग माल की अवधारणा प्रवर्तित हो चुकी है तथा विभिन्न पणधारकों से ऐसे शापिंग मॉल हेतु एक वृहद् बिन्दु पर विद्युत प्रदाय के समस्त संभव उपायों तथा बिलिंग पर सार्वजनिक सुनवाईयों के दौरान काफी विस्तृत रूप से चर्चा भी हो चुकी है । इस विशिष्ट विषय पर टिप्पणियां तथा सुझाव पृथक से बुलाए गये थे जिन पर आयोग द्वारा कानूनी ढांचे के संदर्भ में तथा अन्य राज्यों में प्रचलित पद्धति के परिपेक्ष्य में भी विचार किया गया ।

5.35 उपरोक्त चर्चा के परिपेक्ष्य में, शॉपिंग माल हेतु पृथक टैरिफ दर लागू की जा चुकी है ।

विषय क्रमांक 10 : विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु अस्थाई संयोजन

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.36 कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ताओं को अस्थाई विद्युत प्रदाय केवल विद्यमान संयोजन से ही अनुज्ञेय किया जाना चाहिए । उपभोक्ताओं को अस्थाई आधार पर अस्थाई संयोजन का लाभ प्राप्त करने की इच्छा को उनकी अस्थाई विद्युत की आवश्यकता के समतुल्य मांग को बढ़ाये जाने हेतु की जानी चाहिए । ''अस्थाई विद्युत'' अवधि के दौरान, मांग प्रभार निम्न पद्धति के अनुसार अधिरोपित किये जाने चाहिए :

i) संविदा मांग +अस्थाई मांग=बिल मांग
ii) सामान्य मांग प्रभारों की वसूली संविदा मांग के अन्तर्गत ही सीमित की जानी चाहिए ।
iii) अस्थाई दर हेतु अतिरिक्त मांग को मानक टैरिफ दर के डेढ़ गुना दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए ।
iv) ऊर्जा प्रभारों की वसूली सामान्य दरों के अनुसार ही की जानी चाहिए ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.37 *यदि विद्यमान स्थाई उपभोक्ताओं को अस्थाई विद्युत प्रदाय की आवश्यकता है तो इसे विद्यमान मीटरीकरण व्यवस्था से अस्थाई टैरिफ दर के अनुसार अनुज्ञेय किया जाना चाहिए । विद्युत प्रदाय के स्थाई तथा अस्थाई स्वरूप के प्रभारों की गणना की विधि को टैरिफ आदेश में परिभाषित किया जाना चाहिए । इस विधि के अनुसार अस्थाई विद्युत प्रदाय के उपयोग द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा । विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उनकी याचिका में इन प्रभारों की गणना की विधि प्रस्तावित की गई है, जिस पर कृपया विचार किया जावे । ऐसी व्यवस्था को इसलिये भी आवश्यक माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़े उद्योगों के कैप्टिव पावर संयंत्रों में उनकी विद्युत आवश्यकता के एक अंश की आपूर्ति हेतु विद्यमान है तथा उन्हें अस्थाई विद्युत प्रदाय की आवश्यकता विद्युत अवरोध (शट–डाऊन) अथवा विद्युत व्यवस्था भंग (ब्रेक–डाऊन) के समय होती है ।*

5.38 एक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सुझाव दिया गया कि अस्थाई संयोजन की अवधि के दौरान, पूर्व वित्तीय वर्ष की मांग को स्थाई संयोजन के विरूद्ध अधिकतम मांग (मैक्सीमम डिमाण्ड–एमडी) माना जाए तथा अवशेष मांग को अस्थाई संयोजन के विरूद्ध माना जाए । अस्थाई संयोजन की मांग तथा खपत को कुल अधिकतम मांग में से आनुपातिक किया जावे तथा उच्च दाब अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु बिलिंग के प्रयोजन से खपत को अभिलिखित किया जाए ।

आयोग का दृष्टिकोण

5.39 समस्त पणधारकों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा सुझाव दिया गया है कि उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु अस्थाई संयोजन व्यवस्था मय मीटरिंग के उनके स्थाई संयोजन हेतु विद्यमान व्यवस्था से की जावे । आयोग का मत है कि अस्थाई संयोजन केवल अस्थाई प्रकृति के कार्यों हेतु प्रदान किये जाते हैं, जैसे कि भवन निर्माण की गतिविधि, औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उनकी इकाईयों की संस्थापना, उपकरणों की स्थापना आदि, हेतु। आयोग ने प्रतिवादियों तथा याचिकाकर्ताओं के विचारों का संज्ञान कर लिया है तथा इस संबंध में टैरिफ आदेश में तदनुसार प्रावधान किये गये हैं ।

विषय क्रमांक 11 : वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग के आधार पर कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.40 कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण विस्तृत रूप से किया जावे तथा किसी भी कृषि उपभोक्ता की बिलिंग, बिना किसी वैयक्तिक अथवा संयुक्त मीटर के, न की जावे जबकि कुछ अन्य उपभोक्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि वितरण ट्रांसफार्मर के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग किया जाना एक उचित सिद्धान्त न होगा क्योंकि वितरण ट्रांसफार्मर मीटर के माध्यम से किसी वैयक्तिक कृषक की वास्तविक खपत का निर्धारण नहीं किया जा सकता । इस मुद्दे पर एक अन्य सुझाव यह भी दिया गया कि पंचायत अथवा गैर–शासकीय संस्था के नाम से एक एकल उच्च दाब संयोजन प्रदान किया जावे तथा उन्हें समस्त समस्याओं का निराकरण किये जाने हेतु कहा जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

5.41 प्रस्तावित है कि कृषि मीटरिंग के संबंध में एक अन्तरिम समाधान, जैसा कि इसे चर्चा–पत्र में दर्शाया गया है, उन वितरण ट्रांसफार्मरों हेतु लागू किया जावे जिनमें केवल 100% कृषक उपभोक्ता ही विद्यमान हों । वितरण ट्रांसफार्मर पर की गई गणना का बिल उपभोक्ताओं द्वारा उनके स्वीकृत भार के अनुपात में वहन किया जाना चाहिए । ऐसे प्रकरण में, जहां वितरण मीटर किसी भी अवसर पर त्रुटियुक्त अथवा जला हुआ पाया जाता है, वहां बिलिंग का आधार अनुमानित खपत के आधार पर लागू किया जावे ।

आयोग का दृष्टिकोण :

5.42 उद्योगों के पणधारकों द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर मीटरों के आधार पर कृषि उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किये जाने संबंधी विचार पर सहमति व्यक्त की गई है । पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का सुझाव है कि यह केवल ऐसे ट्रांसफार्मरों हेतु लागू किया जाए जिन से 100% कृषि उपभोक्ता जुड़े हों । पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा बिलिंग की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखे जाने का सुझाव दिया गया । हालांकि, कृषि उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि उपरोक्त अवधारणा से बिलकुल सहमत नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में, आयोग ने कृषि उपभोक्ताओं हेतु, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर से बिलिंग किये जाने संबंधी विकल्प में, सामान्य टैरिफ दर में उल्लेखनीय छूट प्रदान कर, इसे जारी रखने का निर्णय लिया है । वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण को प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से समस्त कृषि उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ दर एच्छिक रहेगी ।

विषय क्रमांक 12 : ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.43 प्रतिवेदकों द्वारा सुझाव दिया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों के पास ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किये जाने संबंधी शक्तियां नहीं हैं तथा ये क्षेत्र शासन की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.44 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई ।

आयोग का दृष्टिकोण

5.45 आयोग का मत है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 6 के परिपालन में विद्यमान प्रणाली (म.प्र. शासन की अधिसूचना अनुसार) जारी रखी जावेगी ।

विषय क्रमांक 13 : रेलवे तथा कोयला खदानों के संबंध में टैरिफ दर

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.46 रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) तथा कोयला खदानों की टैरिफ दर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। चूंकि ये दो अलग–अलग श्रेणियां हैं, अतः इनका विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यों पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ेगा ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.47 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है

आयोग का दृष्टिकोण

5.48 इस विषय पर, आयोग द्वारा प्रति–सहायतानुदान मार्गदर्शिका (क्रॉस सबसिडी रोडमैप) का अनुसरण किया गया है ।

विषय क्रमांक 14 : आईडिया सैलुलर जैसे उपभोक्ताओं हेतु एक पृथक टैरिफ दर का निर्धारण किया जाना जो अपने स्वयं के व्यय पर वितरण प्रणाली का विस्तार करते हैं ।

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.49 ऐसे कुछ उपभोक्तागण हैं जो कि विद्युत वितरण नेटवर्क का विस्तार प्रदाय बिन्दु को संयोजित किये जाने हेतु करते हैं । चूंकि ऐसी कुछ स्थाई परिसम्पत्तियों की लागत ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जाती है, अतः ऐसे उपभोक्ताओं हेतु एक पृथक श्रेणी निर्धारित की जावे ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.50 चूंकि यह सुझाव जन–सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया था, अतः अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह प्रतिक्रिया दी गई कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 तथा 46 के उपबंधों के अनुसार, इस प्रकार के व्यय उपभोक्ताओं द्वारा ही वहन करने होते हैं । न केवल विचाराधीन उपभोक्ताओं, वरन समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के साथ भी समकक्ष व्यवहार किया जाता है । अतः, मोबाईल सेवा प्रदायकर्ताओं को पृथक रूप से व्यवहारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है

आयोग का दृष्टिकोण

5.51 आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के विचारों से सहमत है ।

विषय क्रमांक 15 : एचवी–3 श्रेणी में समस्त वोल्टेज स्तरों पर एक समान मांग प्रभार

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.52 उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 132 केवी के उपभोक्ताओं की दरें कम होनी चाहिए क्योंकि इससे प्रणाली में सुधार होगा तथा हानि में कमी आएगी । स्थाई प्रभारों में की गई कोई भी अभिवृद्धि न्यून भार कारक उपभोक्ताओं को विपरीतात्मक प्रभावित करती है, अतएव स्थाई प्रभारों में अभिवृद्धि किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

5.53 एचवी–3 श्रेणी में कोई भी टैरिफ अभिवृद्धि, निम्न कारणों से न्यायोचित नहीं है :

(i) प्रति–अनुदान संबंधी मार्गदर्शिका के अनुसार, टैरिफ दर में कमी की जानी चाहिए ।

(ii) 33 केवी तथा 132 केवी पर विद्युत प्रदाय की लागत न्यून होती है ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.54 विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर केवल मांग प्रभारों की तुलना किया जाना उपयुक्त न होगा । प्रभावी टैरिफ दर, जिसमें मांग तथा ऊर्जा प्रभार (भार–कारक प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) भी सम्मिलित हैं, की तुलना विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर की जानी चाहिए ।

आयोग का दृष्टिकोण

5.55 आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण से सहमत है। मांग प्रभारों को कुल खपत तथा भार कारक (लोड फेक्टर) से संबद्ध कर देखा जाना चाहिए। निम्न मांग प्रभार उच्चतर ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि की ओर इंगित करते हैं। तथापि, टैरिफ दर को आयोग द्वारा अधिसूचित प्रति–सहायतानुदान में कमी किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका के साथ संबद्ध किया जाना चाहिए ।

विषय क्रमांक 16 : आधिक्य मांग प्रभार

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा :

5.56 कुछ प्रतिवेदकों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के टैरिफ प्रस्ताव पर यह उल्लेख करते हुए आपत्ति ली गई कि चूंकि मापयंत्र में अभिलिखित की गई अधिकतम मांग में, वोल्टेज में उतार–चढ़ाव के कारण भी, वृद्धि दर्ज हो जाती है, अतएव आधिक्य मांग प्रभारों में अभिवृद्धि न की जावे । यहां पर, यह भी सुझाव दिया जाता है कि ऊर्जा पर आधिक्य मांग प्रभार अधिरोपित न किये जावें ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.57 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि आधिक्य मांग प्रभार, अस्थाई संयोजनों हेतु अधिरोपित किये जा रहे प्रभारों से अधिक होनी चाहिए ।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने दोनों आपत्तिकर्ताओं तथा वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण पर विचार किया है तथा इस विषय पर उपयुक्त कार्यवाही की है ।

विषय क्रमांक 17 : मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ दरें

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा :

5.58 आयोग के याचिका क्रमांक 47/07 दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 के अन्तर्गत आदेश को आगामी टैरिफ आदेश के अन्तर्गत भी प्रभावशील किया जावे । मौसमी उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधनों तथा शर्तों (डी) तथा (ई)को निरस्त किया जावे ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.59 आपत्तिकर्ता का प्रस्ताव शर्तों (डी) तथा (ई) को निरस्त किये जाने संबंधी को छोड़कर, स्वीकार्य है बशर्ते मप्रविनिआ द्वारा निम्न स्पष्टीकरण दिये जावें ताकि टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न रहे :

(अ) यह कि यदि मौसम की अवधि दो वित्तीय वर्षों के अन्तर्गत विस्तारित हो तो क्या दोनों वित्तीय वर्षों हेतु एक ही टैरिफ दर प्रयोज्य होगी ?

(ब) यह कि यदि एक ही वित्तीय वर्ष में किसी उपभोक्ता का 'मौसम' दो भागों में विभक्त है तो क्या ऐसा उपभोक्ता एचवी–4/एलवी–4 मौसमी टैरिफ प्रयोज्य किये जाने हेतु उसका विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा, अथवा नहीं ?

आयोग का दृष्टिकोण

5.60 आयोग ने दोनों आपत्तिकर्ताओं तथा याचिकाकर्ताओं के दृष्टिकोण पर विचार किया है तथा टैरिफ अवधारण के समय समुचित कार्यवाही की है ।

विषय क्रमांक 18 : कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म) के संबंध में श्रेणी परिवर्तन

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.61 चूंकि कुक्कुट पालन प्राथमिक रूप से कृषि क्षेत्र पर आधारित है, अतः इसकी श्रेणी एलवी–4 (औद्योगिक) के स्थान पर एलवी–5 (सिंचाई) के अन्तर्गत होनी चाहिए जैसा कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के टैरिफ आदेश के अन्तर्गत यह श्रेणी एलवी–5.2 थी ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

5.62 आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित अनुसार टैरिफ दर में परिवर्तन किये जाने बाबत् मप्रविनिआ के पास निर्णय लिये जाने की शक्तियां हैं। कम्पनी को सिंचाई संबंधी जल का उपयोग मानव, पशुओं तथा

कुक्कुट हेतु किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु कुक्कुट पालन में जल का उपयोग सफाई हेतु किया जाता है जो कि सिंचाई गतिविधि से भिन्न है

आयोग का दृष्टिकोण

5.63 आयोग ने आपत्तिकर्ता के दृष्टिकोण पर विचार किया है तथा खुदरा टैरिफ के अवधारण के समय इस बाबत् समुचित कार्यवाही की है ।

विषय क्रमांक 19 : कृषि उपभोक्ताओं संबंधी विषय

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

(i) रबी मौसम के दौरान विद्युत प्रदाय 4 घंटे तक ही सीमित रहता है, जिसके साथ–साथ बारंबार गैर–अनुसूचित भार–अवरोध भी मौजूद रहता है ।

(ii) बिगड़े हुए ट्रांसफार्मरों को बदले जाने की कोई समय–सीमा नहीं होती । इसे सामान्य तौर पर बदलने में एक माह का समय लगता है, जिससे कि किसानों की उपज विपरीत रूप से प्रभावित होती है ।

(iii) कृषि पम्प सेट भी विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं जो कि अपर्याप्त वोल्टेज प्रदाय के कारण जल जाते हैं । अक्सर यह भी पाया जाता है कि तीन फेजों में से एक फेज सदैव मन्द रहता है तथा यह विद्युत उपकरणों को विपरीतात्मक रूप से प्रभावित करता है।

(iv) कृषकों की भुगतान क्षमता काफी न्यून है तथा वे और टैरिफ दर में और अधिक वृद्धि को वहन करने में सक्षम नहीं हैं ।

5.64 आपत्तिकर्ता ने कृषि उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ दर में वृद्धि न किये जाने का अनुरोध किया है ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.65 माननीय आयोग द्वारा टैरिफ नीति के अनुरूप प्रति–सहायतानुदान (क्रॉस–सबसिडी) को कम किये जाने हेतु प्रति– सहायतानुदान मार्गदर्शिका विनिर्दिष्ट की गई है । कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की लागत का 80% तक प्रभारित किया जाता है, जबकि वर्तमान में वे 61% स्तर पर हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

5.66 आयोग ने खुदरा टैरिफ दर का अवधारण करते समय यथासंभव प्रति– सहायतानुदान मार्गदर्शिका का अनुसरण किया है ।

विषय क्रमांक 20 : प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शासकीय शालाओं को घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत लाये जाने बाबत् विचारार्थ विषय सूची

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.67 एक प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शालाओं को गैर–आवासीय अथवा वाणिज्यिक श्रेणी के अन्तर्गत माना जाता है । इन शालाओं में, किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं चलाई जाती हैं । अतः, इन्हें घरेलू टैरिफ अथवा इससे कम की श्रेणी में लाये जाने पर विचार किया जाये ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.68 टैरिफ दर का निर्धारण किया जाना मप्रविनिआ के क्षेत्राधिकार का विषय है, अतः विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं किया गया है ।

आयोग का दृष्टिकोण

5.69 आयोग द्वारा आपत्तिकर्ता के दृष्टिकोण पर विचार किया गया तथा राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शालाओं हेतु पृथक टैरिफ दर प्रदान कर दी गई है।

विषय क्रमांक 21 : नर्सिंग होम के संबंध में श्रेणी परिवर्तन

पणधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.70 वर्तमान में 100 लघु नर्सिंग होम राज्य शासन के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ये न्यून दरें वसूल कर रहे हैं । ऐसे समस्त नर्सिंग होम्स को एलवी–1 श्रेणी के अन्तर्गत लाये जाने पर विचार किया जावे ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.71 नर्सिंग होम, निजी क्लानिक तथा निजी अस्पतालों को घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत विचार करने का कोई औचित्य नहीं है । ये सभी संस्थान वाणिज्यिक आधार पर चलाए जाते हैं, चाहे ये शहरी क्षेत्र में हो स्थित हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्र में स्थाई प्रभार शहरी क्षेत्र से कम दर पर प्रस्तावित किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

5.72 आपत्तिकर्ता तथा याचिकाकर्ताओं की सुनवाई उपरान्त, आयोग 100 बिस्तर नर्सिंग होम्स, निजी क्लीनिक तथा निजी अस्पतालों को घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत विचार किये जाने में कोई औचित्य नहीं पा रहा है । आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस विषय पर निर्णय लिया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 में श्रेणी में किये गये परिवर्तन को पिछले वर्ष ही वापस ले लिया गया था । विद्यमान उपबंधों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

विषय क्रमांक 22 : थोक आवासीय प्रयोक्ताओं (बल्क रेसीडेन्शीयल यूजर्स) की टैरिफ संरचना की समीक्षा

5.73 उपश्रेणी 6.2 हेतु स्थाई प्रभार उपश्रेणी 6.1 का लगभग पांचवा भाग है । टैरिफ उपश्रेणी 6.2 के ऊर्जा प्रभार उपश्रेणी 6.1 से भी कम हैं । एकल बिन्दु का लाभ उठाने वाले उच्च दाब थोक आवासीय प्रयोक्ता को टैरिफ श्रेणी 6.2 के अन्तर्गत सहकारी समूह गृह निर्माण समिति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है । प्रतिवादी ने श्रेणी 6.1 को श्रेणी 6.2 के समकक्ष बनाये जाने हेतु अनुरोध किया है ।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

5.74 टैरिफ दर का निर्धारण मप्रविनिआ के क्षेत्राधिकार का विषय है, अतः विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है ।

आयोग का दृष्टिकोण

5.75 टैरिफ अनुसूची एचवी–6 को दो भागों, अर्थात् 6.1 तथा 6.2 में वर्गीकृत किया गया है । टैरिफ श्रेणी 6.1 औद्योगिक अथवा अन्य कोई टाऊनशिप (उदाहरणतया, विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं) आवासीय कालोनियों (उद्योगों, अस्पताल, एमइएस के टाऊनशिप तथा सीमान्त ग्राम) को घरेलू प्रयोजन हेतु लागू है । श्रेणी 6.2 के अन्तर्गत टैरिफ दर कम है तथा यह **भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समूह गृह निर्माण समितियों** को प्रयोज्य है । तथापि, आयोग द्वारा क्रमशः अग्रिम भुगतान तथा ऊर्जा कारक में सुधार हेतु कुछ छूटें तथा प्रोत्साहन अवश्य प्रदान किये गये हैं ।

खुदरा टैरिफ का रुपांकन (डिजाइन)

ए–6 : खुदरा टैरिफ का रूपांकन (डिजाइन)

कानूनी स्थिति

6.1 आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को अधिसूचित विनियमों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु तीन वितरण कंपनियों हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता अवधारित की है। विद्युत उत्पादक कंपनी, पारेषण कंपनी तथा वितरण कंपनियों हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, खुदरा टैरिफ के माध्यम से प्रभारों की वसूली का प्राथमिक आधार निर्मित करती है।

6.2 आयोग द्वारा पृथक से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45 (2) के अंतर्गत विनियम जारी किये गये हैं जो कि विद्युत प्रदाय हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारों के निर्धारण की विधियां तथा सिद्धांत विनिर्दिष्ट करते हैं।

6.3 इसके अतिरिक्त उपभोक्ता श्रेणीवार टैरिफ दरों के अवधारण में, आयोग ने भारत सरकार द्वारा 6 जून, 2006 को अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया है ।

टैरिफ अवधारण हेतु आयोग की कार्य पद्धति

एक–समान बनाम विभेदित खुदरा टैरिफ दरें (**Uniform vs Differantial Retail Tarriffs**)

6.4 राज्य शासन से परामर्श द्वारा आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि एक–समान खुदरा प्रदाय टैरिफ पद्धति वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भी जारी रखी जाये।

6.5 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007, जो विद्यमान विद्युत उत्पादक क्षमता के तीन वितरण कंपनियों के मध्य पुनरीक्षित आवंटन से संबंधित है, द्वारा वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के संबंध में पूर्व वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2007–08) हेतु एक–समान टैरिफ दर, को न्यूनाधिक एक संतुलित राजस्व आय बनाम अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता द्वारा संभव बनाया गया है । वित्तीय वर्ष 2007–08 की अनुमोदित टैरिफ दरों का प्रयोग करते हुए गणना की गई राजस्व राशि को वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से तुलना किये जाने पर तीन कम्पनियों के मध्य असमान राजस्व अन्तरों/आधिक्यों की ओर उद्भूत होते हैं जैसा कि इसे पूर्व में इस आदेश के सुसंगत भाग में दर्शाया गया है । अतः, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, राज्य भर में एक समान टैरिफ दरों को लागू किये जाने के संबंध में, म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2008 को जारी अधिसूचना के अनुसार

वितरण कम्पनियों के मध्य उत्पादन क्षमताओं को पुनः आवंटित कर दिया गया है, जिससे कि विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत क्रय लागतों का पुनर्संतुलन किया जा सके । इसके द्वारा तीनों वितरण कम्पनियों हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की आय बनाम वित्तीय वर्ष 2008–09 की अनुमोदित टैरिफ दरों पर न्यूनाधिक संतुलित राजस्व आय बनाम वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की उपलब्धि के संतुलन को संभव बनाती है, जिससे कि राज्य भर में एक समान टैरिफ दरें सुनिश्चित की गई हैं ।

6.6 तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह नोट किया जावे कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित हानि स्तरों को कम किये जाने तथा निर्धारण प्रचालन मानदण्डों के लक्ष्यों पर आधारित है।

विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता

6.7 टैरिफ दरों के निर्धारण में, आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की इस अहर्ता पर यथोचित विचार किया गया है कि उपभोक्ता टैरिफ दरों में विद्युत प्रदाय की लागत प्रतिबिंबित होनी चाहिये। राष्ट्रीय टैरिफ नीति में यह बाध्यकारी किया गया है कि ''वर्ष 2010–2011 तक टैरिफ दरें औसत विद्युत प्रदाय की लागत के +/– 20% के अंतर्गत होनी चाहिये।'' निम्न तालिका आयोग द्वारा अवधारित वित्तीय वर्ष 2006–07 के टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार (Cost coverage) के मुकाबले में पुनरीक्षित टैरिफ दरों को प्रदर्शित करती है :

तालिका 183 : टैरिफ दर बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन

श्रेणी/उपश्रेणी	औसत वसूली, विद्युत प्रदाय की औसत लागत के प्रतिशत के रूप में		
	वित्तीय वर्ष 2007–08 (टैरिफ आदेश 30.03.07 के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2008–09 (दिनांक 6 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित प्रति–सहायतानुदान में कमी लाये जाने संबंधी मार्गदर्शिका के अनुसार लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2008–09 (इस टैरिफ आदेश के अनुसार निष्पादन)
घरेलू	93%	93%	91%
गैर–घरेलू	152%	140%	146%
सार्वजनिक जल–प्रदाय संयंत्र	86%	90%	92%
पथ–प्रकाश	100%	100%	100%
निम्न दाब उद्योग	121%	121%	121%
कृषि (मीटरीकृत)	67%	67%	69%

कृषि (अमीटरीकृत)	61%	67%	71%
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	128%	126%	126%
कोयला खदानें (कोलमाईन्स)	149%	140%	146%
औद्योगिक	125%*	124%	125%
गैर–औद्योगिक	136%*	131%	136%
उच्च दाब सिंचाई तथा जल–प्रदाय संयंत्र	88%	90%	92%
थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसिडेंशियल यूजर्स)	97%	97%	97%
छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	80%	85%	92%

*** अनुमान पर आधारित**

6.8 आयोग ने इस प्रकार सुनिश्चित किया है कि प्रति–सहायतानुदान दायित्व, उन समस्त श्रेणियों हेतु जिनकी टैरिफ दरें विद्युत प्रदाय की औसत लागत का 120% हैं, वित्तीय वर्ष 2007–08 के स्तरों से कम हो गया है । इसी प्रकार, उन समस्त श्रेणियों हेतु टैरिफ दरों में जिनकी औसत टैरिफ दरें वित्तीय वर्ष 2007–08 स्तरों के अनुसार विद्युत प्रदाय की लागत का 80% से कम है, वृद्धि की गई है । यहां यह संज्ञान योग्य है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत रू. 3.69 प्रति यूनिट है जबकि वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अनुमोदित दर रू. 3.60 प्रति यूनिट थी। अतः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु यदि अनुमोदित टैरिफ दरों में वृद्धि नहीं भी की जाती है तो भी वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2007–08 स्तरों से कम होगा (विद्युत प्रदाय की औसत लागत में 9 पैसे यूनिट की वृद्धि के कारण) । इस कारण से, निर्विवाद रूप से उन श्रेणियों में भी कुछ के अन्तर्गत टैरिफ में अभिवृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है जिनमें वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु औसत वसूली वित्तीय वर्ष 2007–08 की विद्युत प्रदाय की औसत लागत का 120% से अधिक था । यद्यपि वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रति– सहायतानुदान स्तरों के लक्ष्य के निष्पादन के प्रति गंभीर प्रयास किये हैं, विद्युत वितरण कम्पनियों की लागत संरचना तथा उपभोक्ता मिश्र में पूर्ण रूप से परिवर्तनों के कारण कुछ श्रेणियों में वास्तविक उपलब्धि लक्ष्यों से विचलन का कारण बनी है । विचलन, जो कि अपरिहार्य हैं, अभी भी यह सुनिश्चित करते हैं कि वे श्रेणियां जिनमें औसत टैरिफ दर वित्तीय वर्ष 2007–08 में विद्युत प्रदाय की लागत का पूर्व से ही +/- 20% था, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भी यथावत कायम है (उदाहरणतया, घरेलू, निम्न दाब जल प्रदाय संयंत्र, थोक आवासीय, आदि)। इसी प्रकार, उन समस्त श्रेणियों हेतु जिनमें औसत टैरिफ दरें वित्तीय वर्ष

2007–08 में विद्युत प्रदाय की औसत लागत से 120% अधिक थीं, वित्तीय वर्ष 2007–08 स्तरों से नीचे आ गई हैं (उदाहरणतया निम्नदाब गैर–घरेलू, उच्च दाब गैर–औद्योगिक, कोयला खदानें, आदि) ।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को छूट

6.9 स्थाई प्रभारों का उद्देश्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सृजित की गई अधोसंरचना की लागत की वसूली किया जाना है। तथापि, इस तथ्य से अवगत होते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्तागण, शहरी उपभोक्ताओं के मुकाबले में अबाधित तथा विश्वसनीय विद्युत प्रदाय हेतु अलाभकारी परिस्थितियों को वहन करते हैं, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के स्थाई प्रभारों में छूट दी गई थी । इसे वित्तीय वर्ष 2008–09 में भी जारी रखा जावेगा ।

भार कारक (लोड फेक्टर) पर आधारित प्रोत्साहन योजना

6.10 आयोग द्वारा, पूर्व में जारी टैरिफ आदेश के अन्तर्गत उच्च दाब उपभोक्ताओं की निर्धारित श्रेणियों हेतु भार कारक आधारित टैरिफ प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से एक नवीन प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी । भार कारक प्रोत्साहनों की पूर्व योजना का स्थान नवीन भार–कारक प्रोत्साहन योजना द्वारा लिया गया है ।

6.11 नवीन योजना प्रारंभिक रूप से, भार–कारक आधारित टैरिफ प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से दावे की अर्हता हेतु 60% से घटाकर 50% ऊर्जा प्रभार आदि में छूटों को रेखाबद्ध किये जाने का अवसर प्रदान करती थी । नवीन योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि ऊर्जा प्रभारों पर उच्चतर छूट, उपभोक्ताओं को भार कारक की 50% से 60% की सीमा के अंतर्गत, प्रदान की जावेगी जिसके अनुसार भार कारकों के क्रमशः 61% से 70% तथा 71% से 80% स्लैबों में क्रमिक रूप से कमी की गई है। ऐसा 50% से 60% की सीमा के अंतर्गत आने वाले बड़ी संख्या के उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिलाये जाने की दृष्टि से अभिप्रायपूर्वक उनकी ऊर्जा खपत में वृद्धि करने तथा इनके भार–कारकों को बेहतर बनाये जाने हेतु किया गया था । इसके अतिरिक्त, इसी वर्ष सार्वजनिक सुनवाईयों के दौरान विभिन्न आपत्तिकर्ताओं के सुझावों को दृष्टिगत करते हुए, जो कि 80% से अधिक भार कारक वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं को अतिरिक्त रियायत दिये जाने से संबंधित थे, आयोग द्वारा, 80% भार कारक से अधिक संधारित करने पर भार कारक रियायत का एक अन्य स्लैब प्रदान किया गया है । इस

अतिरिक्त स्लैब के सृजन के कारण, समस्त पात्रता रखने वाले उपभोक्ताओं को समस्त ऊर्जा खपत पर 4% की अतिरिक्त रियायत प्रदान की जावेगी ।

निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु भार कारक (लोड फेक्टर) प्रोत्साहन

6.12 उपभोक्ताओं को ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने बाबत प्रोत्साहित किये जाने के प्रयोजन से, आयोग द्वारा ऊर्जा प्रभार में औसत मासिक भार–कारक के 90% से अधिक होने पर प्रत्येक 1% वृद्धि हेतु 1% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया गया था । चूंकि इस प्रावधान द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को हानियों में कमी किये जाने तथा वोल्टेज परिदृश्य को सुधार करने में सहायता मिलेगी, अतएव इस बावत यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2008–09 में भी चालू रखा जावेगा ।

वित्तीय वर्ष 2008–09 के खुदरा टैरिफ रूपांकन को अन्य प्रमुख विशेषताएं

वित्तीय वर्ष 2008–09 के खुदरा टैरिफ रूपांकन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैंः

रेलवे हेतु एकल–भाग टैरिफ

6.13 रेलवे विभाग द्वारा भारों के परिवर्तनीय स्वरूप के कारण उनकी अधिकतम मांग को नियंत्रण करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही थी । आयोग ने इस पहलू पर विचार कर तथा गहन विचार–विमर्श के उपरान्त, रेलवे कर्षण भारों हेतु एकल–भाग ऊर्जा–आधारित टैरिफ दर अधिरोपित करने का निर्णय लिया । मांग प्रभारों को हटा दिया गया है । वर्तमान में मांग प्रभार शून्य हैं । समवर्ती अधिकतम मांग (Simultaneous Maximum Demand) की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, अतः इसे समाप्त कर दिया गया है । रेलवे के संबंध में निम्न प्रावधान जारी रखे जावेंगे :

(i) राज्य में रेलवे नेटवर्क के द्रुत विद्युतीकरण तथा विस्तार हेतु, नवीन रेलवे कर्षण की ऐसी परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10% छूट संयोजन तिथि से पांच वर्षों की अवधि पर्यन्त प्रदान की जावेगी जिन हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों से विद्युत प्राप्ति हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान निष्पादित किये गये हैं ।

(ii) समर्पित संभारक संधारण प्रभार (Dedicated Feeder Maintenance Charges) प्रयोज्य नहीं होंगे। – रेलवे कर्षण के प्रकरण में अधिकतम मांग में संविदा मांग के 120% तक वृद्धि हो जाने तक (पूर्व में यह 110% थी) कोई भी मांग प्रभार अधिरोपित नहीं किये जावेंगे, तथा अधिकतम मांग संविदा मांग के **120%** से अधिक होने पर मांग प्रभार अधिरोपित किये जावेंगे तथा ऐसा करते समय विद्युत टैरिफ के अन्य उपबंध (जैसे कि, टैरिफ न्यूनतम प्रभार, आदि) उपरोक्त उल्लेखित आधिक्य मांग पर भी प्रयोज्य होंगे, जब तक इस हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान न किया गया हो ।

ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न दाब उद्योग हेतु स्थाई प्रभारों में कमी किया जाना तथा कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म) को निम्न दाब सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाना

6.14 ग्रामीण तथा शहरी उपभोक्ताओं को प्रभेदित किये जाने के उद्देश्य से, ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न दाब उद्योग हेतु स्थाई प्रभारों में कमी की जाना जारी रखा गया है । कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म्स) जिसे वित्तीय वर्ष 2006–07 में निम्न दाब कृषि–आधारित उद्योग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था, को अब विद्यमान निम्नदाब सिंचाई तथा पम्प उपश्रेणी के अन्तर्गत लाया गया है । इस नवीन श्रेणी की दरें मूल श्रेणी एलवी–5 की टैरिफ दरों से भिन्न हैं ।

एकल बिन्दु पर विद्युत प्राप्त करने वाले शॉपिंग मॉल्स हेतु नवीन उपभोक्ता श्रेणी का प्रारम्भ किया जाना

6.15 मध्य प्रदेश राज्य में भी शॉपिंग मॉल्स की अवधारणा प्रवर्तित की जा चुकी है तथा एक विपुल बिन्दु पर शॉपिंग मॉल्स को विद्युत प्रदाय तथा बिलिंग के सभी संभव उपायों पर विभिन्न पणधारकों के साथ जन–सुनवाईयों के दौरान विस्तृत चर्चा की गई तथा इस विशिष्ट मुद्दे पर दृष्टिकोण/सुझाव पृथक से आमंत्रित किये गये थे, जिन पर आयोग द्वारा कानूनी संरचना के साथ–साथ अन्य राज्यों में प्रचलित पद्धति के परिपेक्ष्य में भी विचार किया गया । उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत इस वर्ष शॉपिंग मॉल्स हेतु नवीन टैरिफ दर लागू की जा रही है ।

अग्रिम भुगतान पर छूट

6.16 अग्रिम भुगतान पर छूट 0.5% से बढ़ाकर 1% कर दी गई है, जिसके कारण अनुज्ञप्तिधारियों को एक ओर संग्रहण दक्षता में वृद्धि होगी तथा दूसरी ओर उपभोक्तागण भी इस छूट से लाभान्वित होंगे ।

*मांग पक्ष प्रबंधन (**Demand Side Management**) तथा ऊर्जा दक्षता उपायों (**Energy Efficiency Measures**) पर प्रोत्साहन*

6.17 उपभोक्ताओं द्वारा मांग–पक्ष प्रबंधन तथा ऊर्जा दक्षता उपायों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से, कुछ श्रेणियों जैसे कि, सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्रों, पथ–प्रकाश, आदि हेतु प्रोत्साहन/छूट दिये जाने का प्रावधान लागू किया गया है, जिनमें ऊर्जा दक्षता उपायों को प्रयोग में लाये जाने की पर्याप्त गुंजाईश है । इस वर्ष, कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरणों की संस्थापना पर भी प्रोत्साहनों में भी पर्याप्त वृद्धि की गई हैं ।

आयोग के दिशा–निर्देशों के परिपालन की स्थिति

ए 7 : आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थितिः

7.1 विद्युत क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य आम जन–जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है । आम जनता को लाभान्वित किये जाने हेतु अर्थ–व्यवस्था में बढ़ोतरी हेतु एक कार्यकुशल विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त विद्युत सेवा वहनीय दर पर प्रदान की जा सके। विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियमन तथा परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विद्युत नीति/टैरिफ नीति इस दिशा में की गई मुख्य पहल है। समय की मुख्य मांग, बदलते हुए परिदृश्य में तेजी से कार्यकुशलता लाना तथा नवीन प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन द्वारा कीमतों को कम करना तथा प्रचालन दक्षता में सुधार लाना है ।

7.2 आयोग स्वयं द्वारा जारी टैरिफ आदेशों में वितरण कम्पनियों को नवीन प्रेरणाओं से संबद्ध किये जाने हेतु निर्देशित करता रहा है । आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 तथा परिणामस्वरूप राष्ट्रीय नीति तथा टैरिफ नीति में प्रत्याशित वचनबद्धता की आपूर्ति हेतु दिशा–निर्देश भी जारी करता रहा है । इस अध्याय में पूर्व में जारी टैरिफ आदेश दिनांक 30 मार्च, 2007 के अन्तर्गत दिशा–निर्देशों के विरूद्ध राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निष्पादित परिपालन के स्तर की चर्चा की गई है ।

7.3 आयोग द्वारा उसके टैरिफ आदेश दिनांक 30.3.20007 के पैरा 7.5 में कई दिशा–निर्देश जारी किये थे। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिपालन की वस्तु–स्थिति तथा आयोग की अभ्युक्ति तथा जारी किये गये नवीन दिशा–निर्देश निम्नानुसार दर्शाये गये हैं :

(ए) **दिशा–निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 30.3.2007 का पैरा क्रमांक 7.5 (ए) – (विद्युत क्रय विनियमों पर प्रतिपालन सुनिश्चित किया जाना)** : कम्पनियों को कड़ाई से दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय अनुबंधों तथा लघु–अवधि विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से विद्युत क्रय विनियमों का अनुपालन करना चाहिए।

प्रतिवेदित वस्तुस्थिति :

(i) **पश्चिम क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी (एमपी ट्रेडको) पश्चिम क्षेविविकं की ओर से विद्युत का क्रय कर रही है। भविष्य में, पश्चिम क्षेविविकं को यदि स्वतंत्र रूप से विद्युत क्रय करने की आवश्यकता होगी तो माननीय आयोग द्वारा विनियमों के माध्यम से जारी किये गये दिशा–निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा ।

(ii) **मध्य क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु विद्युत क्रय एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा किया जा रहा है ।

(iii) **पूर्व क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि म.प्र. शासन की वित्तीय वर्ष 06 की अधिसूचना के अनुसार थोक विद्युत क्रय तथा थोक विद्युत प्रदाय एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा किया जा रहा है । तत्पश्चात, एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को (याचिकाकर्ता को सम्मिलित कर) विद्युत प्रदाय कर रही है । याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में ही एमपी ट्रेडको के साथ थोक विद्युत प्रदाय अनुबंध तथा एमपी ट्रांसकों के साथ पारेषण प्रदाय अनुबंध (टीएसए) निष्पादित किया जा चुका है ।

आयोग की अभ्युक्ति :

याचिका पर सुनवाईयों के दौरान आयोग को यह सूचित किया गया कि वर्तमान में विद्युत वितरण कम्पनियां आवश्यकता के परिशुद्ध आकलन हेतु तथा विद्युत क्रय से संबंधित विषयों पर पूर्णतया सुसज्जित नहीं हैं । वर्तमान में एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की ओर से इस गतिविधि का संचालन कर रही हैं । म.प्र. शासन ने राज्य विद्युत उत्पादक कम्पनी के साथ–साथ केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों की उत्पादन क्षमता को विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया है । तथापि, विद्युत का लघु–अवधि क्रय आवश्यकता पर निर्भर, एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी के माध्यम से किया जा रहा है। आयोग तथापि, विद्युत क्रय लागतों के संबंध में न्यायसंगत परीक्षण करेगा तथा इस बारे में आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के उपबंधों के अनुसार केवल युक्तियुक्त लागतों को ही टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं को अन्तरित किया जावेगा ।

नवीन दिशा–निर्देश :

- विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विनियमों की अहर्ताओं के अनुसार आवश्यकताओं के प्रतिपालन हेतु प्रयास किये जावें ।

(बी) **दिशा–निर्देशः टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2007 का पैरा 7.5 (बी)–(ऊर्जा अंकेक्षण का कार्यान्वयन)**ः स्वविवेक याचिकाओं की सुनवाईयों के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों से ज्ञात होता है कि इस विषय पर प्रगति काफी शिथिल है तथा ऊर्जा अंकेक्षण के परिणाम भी विश्वसनीय नहीं है। वितरण कंपनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि उचित स्थानों पर ऊर्जा अंकेक्षण मापयंत्र दिनांक 31.12.2007 तक संस्थापित कर दिये जावें तथा प्रतिपालन दिनांक 15 जनवरी, 2008 तक प्रस्तुत कर दिया जाये।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पश्चिम क्षेत्र विविकं** : दिनांक 30.9.2007 की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी ने ऊर्जा अंकेक्षण मापयंत्रों की संस्थापना के संबंध में निम्न वस्तु–स्थिति प्रतिवेदित की है :

संभारक (फीडर)	विद्यमान	मीटरीकृत
33 केवी	416	416
11 केवी	2700	2439

अवशेष 11 केवी मीटरों की संस्थापना हेतु व्यवस्थाएं की जा रही हैं ।

(ii) **मध्य क्षेत्र विविकं** : अनुज्ञप्तिधारी ने मध्य क्षेविविकं क्षेत्र के अन्तर्गत 33 तथा 11 केवी संभारकों पर 100 प्रतिशत मीटर तथा मीटर उपकरणों की संस्थापना किया जाना प्रतिवेदित किया है । ऊर्जा अंकेक्षण के प्रयोजन से समस्त नवीन फीडरों को उचित मीटरीकरण के उपरांत ही क्रियाशील किया जावेगा ।

(iii) **पूर्व क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी ने उनकी याचिका में प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में कार्य प्रगति पर है । तदोपरांत, विद्युत वितरण कम्पनी से प्राप्त प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :

वोल्टेज	संभारकों की संख्या	ऊर्जा अंकेक्षण बिन्दुओं की संख्या		
		संस्थापित किये गये मापयंत्रों की संख्या जो चालू हालत में हैं	त्रुटिपूर्ण	अमीटरीकृत / नवीन
33 केवी	313	1096	196	211
11 केवी	2100	1429	581	388

आयोग की अभ्युक्ति :

पश्चिम क्षेत्र विविकं को 11 केवी संभारकों पर अवशेष 261 ऊर्जा मापयंत्रों को संस्थापित किये जाने की आवश्यकता है । मध्य क्षेविविकं द्वारा प्रतिवेदित प्रतिपालन संतोषजनक है, क्योंकि उनके द्वारा समस्त 11 केवी तथा 33 केवी संभारकों पर मापयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। पूर्व क्षेत्र विविकं से संबंधित प्रगति संतोषजनक नहीं है ।

नवीन दिशा–निर्देश :

- पश्चिम क्षेत्र विविकं को अवशेष ऊर्जा अंकेक्षण मापयंत्रों की संस्थापना दिनांक 30 अप्रैल, 2008 तक पूर्ण किये जाने के संबंध में निर्देश दिये जाते हैं तथा तत्पश्चात् इनका प्रतिपालन 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदित करने के निर्देश दिये जाते हैं । पूर्व क्षेत्र विविकं को 33 केवी तथा 11 केवी

संभारकों पर समस्त वांछित ऊर्जा अंकेक्षण मापयंत्र संस्थापना के कार्य की गति बढ़ाये जाने तथा 30 जून 2008 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं तथा तत्पश्चात इनका परिपालन 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदित करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

(सी) **दिशा–निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2007 का पैरा 7.5 (सी) – (33/11 केवी उपकेन्द्रों तथा वैयक्तिक 11 केवी संभारकों का ऊर्जा अंकेक्षण)** : ऐसे संभागों में जहां राजस्व प्रबंधन साफ्टवेअर (आरएमएस) प्रारंभ किया जा चुका है, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को 33/11 केवी उपकेन्द्रों तथा वैयक्तिक 11 केवी संभारकों का ऊर्जा अंकेक्षण संबंधी कार्य प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं । वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इस संबंध में परिपालन के साथ–साथ ऐसे प्रतिवेदनों का प्रथम प्रतिपालन माह सितम्बर, 07 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए । वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ता सूचीकरण, संहिताकरण तथा सुसंगत बिलिंग साफ्टवेयर का कार्य प्रारंभ किये जाने की पहल की जानी चाहिए ताकि कार्य समाप्त किया जा सके तथा वह कंपनी के क्षेत्राधिकार में 33/11 केवी उपकेन्द्रवार तथा समस्त संभागों हेतु 11 केवी फीडरवार ऊर्जा अंकेक्षण गणना किये जाने की स्थिति में हो । इस संबंध में गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा आगामी टैरिफ अवधारण के समय की जावेगी ।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पश्चिम क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिवेदित किया है कि इन्दौर शहर के 11 केवी 196 संभारकों पर 100% मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं। मे. ओमनी अगाटे द्वारा प्रतिवेदनों को बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा उनके द्वारा दिनांक 8.10.07 को प्रस्तुत प्रथम प्रतिवेदन में 11 केवी संभारकों के पांच हानि संबंधी परिणाम संलग्न किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, 11 केवी संभारकों के 26 प्रतिवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण उनके सही होने की जांच हेतु किया जा रहा है । इन्दौर शहर के 33/11 उपकेन्द्रों का चयन सम्पूर्ण ऊर्जा लेखांकन माह दिसम्बर, 07 के अन्त तक किये जाने हेतु किया गया है। उपभोक्ता सूचीकरण तथा संहिताकरण का कार्य भी साथ–साथ जारी है। पांच 11 केवी संभारकों का उपभोक्ता सूचीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । छब्बीस 11 केवी संभारकों के सूचीकरण का सूक्ष्म परीक्षण प्रगति पर है ।

(ii) **मध्य क्षेत्र विविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जहां–जहां राजस्व प्रबंधन साफ्टवेयर प्रारंभ किया गया है, 33/11 केवी उपकेन्द्र तथा 11 केवी फीडरवार ऊर्जा अंकेक्षण भोपाल तथा ग्वालियर शहरों में जारी है ।

(iii) **पूर्व क्षेत्र विविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) कम्पनी क्षेत्र के समस्त 49 संभागों में प्रारंभ की जा चुकी है । वितरण ट्रांसफार्मरों से

उपभोक्ता सूचीकरण तथा आंकड़ों को अद्यतन किये जाने का कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त, 11 केवी संभारक तथा वितरण ट्रांसफार्मरों का ऊर्जा अंकेक्षण कार्य मे. सेक्योर मीटर्स को कम्पनी द्वारा चयनित छः शहरों में बाह्य स्त्रोतकरण (Outsourced) द्वारा आवंटित किया गया है ।

आयोग की अभ्युक्ति :

पश्चिम क्षेविविकं तथा मध्य क्षेविविकं के संबंध में प्रतिवेदित किये गये प्रयास सन्तोषजनक हैं । तथापि, विस्तृत ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन/परिणाम वास्तविक परिपालन स्तर को सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । पूर्व क्षेविविकं द्वारा प्रतिवेदित परिपालन संतोषजनक नहीं पाया गया ।

नवीन दिशा–निर्देश :

पश्चिम क्षेविविकं तथा मध्य क्षेविविकं को दो माह के भीतर विस्तृत ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन, परिणाम दर्शाते हुए, प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं । पूर्व क्षेविविकं को ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य पूर्ण तत्परता के साथ क्रियान्वित किये जाने की योजना तथा 6 शहरों के संभारकों के विस्तृत प्रतिवेदन, जहां यह कार्य बाह्य स्त्रोत को आवंटित किया गया है, एक माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।

(डी) **दिशा–निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 30.3.2007 का पैरा 7.5 (डी) – (हानियों का तकनीकी तथा गैर–तकनीकी पृथक्करण)** : आयोग द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति के दिशा–निर्देशों के अनुरूप इसका स्वविवेक से संज्ञान लिया था तथा तकनीकी तथा गैर–तकनीकी हानियों के पृथक्करण हेतु विशेषज्ञों की सहायता द्वारा अध्ययन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। यह अध्ययन पूर्ण किया जाकर प्रतिवेदन आयोग को माह मार्च, 2007 तक प्रस्तुत किया जाना है, जो कि अप्राप्त है। वितरण कंपनियों को अविलंब प्रतिवेदन प्रस्तुति सुनिश्चित किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पश्चिम क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रत्येक उज्जैन तथा इन्दौर क्षेत्र में एक–एक 11 केवी संभारकों पर हानियों के पृथक्करण हेतु एक मार्गदर्शक (पायलेट) अध्ययन किया गया है। संयोजित वितरण ट्रांसफार्मर तथा संबंद्ध सहायक उपकरणों के कारण तकनीकी हानियां भिन्न–भिन्न पाई गई हैं। इन्दौर शहर के चार 33/11 केवी उपकेन्द्रों की वोल्टेज–वार हानियों की जानकारी प्राप्त होने पर और अधिक संभारकों का चयन अध्ययन हेतु किया जावेगा ।

(ii) **मध्य क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिवेदित किया है कि मप्रविनिआ के दिशा–निर्देशों के अनुसार न्यूनतम एक संभारक की तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के पृथक्करण के अध्ययन का कार्य किया गया था तथा इस संदर्भ में एक प्रतिवेदन पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है । तथापि, याचिका के अन्तर्गत अध्ययन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(iii) **पूर्व क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिवेदित किया है कि आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है । तथापि, अध्ययन का संक्षिप्त विवरण याचिका के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

आयोग की अभ्युक्ति :

तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत परिपालन के अवलोकन से यह पाया गया है कि समस्त अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक मार्गदर्शक अध्ययन की पहल न्यूनतम एक संभारक के चयन द्वारा तकनीकी हानियों तथा गैर–तकनीकी हानियों के आकलन हेतु की गई है । तथापि, आयोग द्वारा आवश्यक तौर पर यह महसूस किया जाता है कि तकनीकी हानियों संबंधी गणना एक वृहद् नमूने के आकार पर तकनीकी तथा गैर–तकनीकी हानियों के पृथक्करण में बेहतर शुद्ध परिणामों की प्राप्ति हेतु अत्यावश्यक हैं।

नवीन दिशा–निर्देश :

- जहां–जहां वितरण ट्रांसफार्मर मापयंत्रों की संस्थापना तथा उपभोक्ता सूचीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को उन 11 केवी संभारकों की तकनीकी हानियों का प्राक्कलन प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं । प्रारंभिक चरण में, यह कार्य इन्दौर, भोपाल जबलपुर शहरों में केवल उन्हीं 11 केवी संभारकों हेतु, जिनमें वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं तथा उपभोक्ता सूचीकरण पूर्ण किया जा चुका है, हाथ में लिया जाए । अध्ययन किये जाने हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना आयोग के समक्ष, लक्ष्य/प्रतिवेदन की प्रस्तुतिकरण तिथि दर्शाते हुए, दो माह के भीतर प्रस्तुत की जावे ।

(ई) **दिशा–निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2007 का पैरा 7.5 (ई) – (वितरण हानियों में कमी की जाने संबंधी** : मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वर्ष 2010–11 तक हानियों में कमी किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका अधिसूचित की गई है। वितरण कंपनियों को अधिसूचना में दर्शाये गये मानदण्डीय हानि स्तरों को उपलब्ध कराये जाने बाबत, उचित ऊर्जा अंकेक्षणों को सुनिश्चित किये जाने, विद्युत चोरी को रोके जाने के संबंध में जांच में तीव्रता लाने तथा इसी प्रकार की वांछित कार्यवाहियों द्वारा सभी संभव प्रयास किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पश्चिम क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिवेदित किया है कि वे मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये स्तरों पर हानियों में कमी लाये जाने हेतु सभी संभव प्रयास किये जाने हेतु वचनबद्ध है । तकनीकी हानियों में कमी लाये जाने हेतु, वित्तीय स्त्रोतों की उपलब्धता की सीमाओं के अन्तर्गत नेटवर्क का उन्नयन किया जा रहा है । वाणिज्यिक हानियों में कमी लाये जाने हेतु, विद्युत की चोरी का पता लगाने हेतु तथा छद्म उपभोक्ताओं को बिलिंग परिधि में लाये जाने हेतु गहन जांच की जा रही है । माह जून 07 से माह अक्टूबर 07 तक नियमित सेवा संयोजनों के अतिरिक्त, लगभग 2.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को, बिलिंग परिधि के अन्तर्गत लाया गया है।

(ii) **मध्य क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी ने म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 28.12.06 द्वारा अधिसूचित वर्ष 2010–11 तक, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर हानियों में कमी लाये जाने हेतु लक्ष्यों/माईलस्टोन को निष्पादित कर लिया गया है । इसके विवरण निम्नानुसार हैं :

वर्ष	म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य	विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निष्पादित
2006–07	43.00 प्रतिशत	42.64 प्रतिशत
2007–08 (माह अगस्त, 07 तक)	40.00 प्रतिशत	40.18 प्रतिशत

(iii) **पूर्व क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ''इस विषय पर याचिका में चर्चा की जा चुकी है'' ।

आयोग की अभ्युक्ति :

आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों के विरूद्ध निष्पादन का स्तर निम्नानुसार पाया गया है :

वर्ष	मप्र शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
मध्य क्षेविविकं		
2006–07	43.00 प्रतिशत	42.64 प्रतिशत
2007–08 (माह अगस्त 07 तक)	40.00 प्रतिशत	40.18 प्रतिशत
पश्चिम क्षेविविकं		
2006–07	30.0 प्रतिशत	30.00 प्रतिशत
2007–08 (माह अगस्त 07 तक)	28.5 प्रतिशत	29 प्रतिशत

पूर्व क्षेविविकं		
2006–07	34.50 प्रतिशत	35.85 प्रतिशत
2007–08 (माह अगस्त 07 तक)	32.50 प्रतिशत	35.07 प्रतिशत

नवीन दिशा–निर्देश :

आयोग तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को हानियों में कमी लाये जाने संबंधी प्रयासों में और वृद्धि लाये जाने हेतु निर्देश देता है ।

तकनीकी हानियों में कमी लाये जाने हेतु निम्न प्रयास करने होंगे :

(ए) संवाहक (कण्डक्टर) क्षमता में वृद्धि द्वारा

(बी) भार केन्द्र पर उपकेन्द्र का पुनर्स्थापना द्वारा

(सी) नवीन उपकेन्द्र की संस्थापना द्वारा

(डी) संभारक के विभाजन द्वारा

(ई) कैपेसिटरों की संस्थापना द्वारा

(एफ) सेवा लाईनों को ट्विन 3½ कोर केबल द्वारा बदले जाने द्वारा

(जी) दक्ष वितरण ट्रांसफार्मरों के प्रयोग द्वारा

(एच) शुद्ध मापयंत्रों तथा मापयंत्र उपकरणों के उपयोग द्वारा

(आई) लाईनों, उपकेन्द्र के उचित संधारण द्वारा

(जे) उच्च दाब प्रणाली (एचवीडीएस) अथवा निम्न दाब रहित प्रणाली द्वारा

वाणिज्यिक हानियों में कमी लाये जाने बाबत, निम्न कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :

(ए) गैर–कार्यरत मापयंत्रों पर उचित कार्यवाही

(बी) सक्षमता से कम पर कार्यरत मापयंत्रों पर उचित कार्यवाही

(सी) गलत मानदण्डों के मापयंत्र लगाये जाने पर उचित कार्यवाही

(डी) मापयंत्र जिनका वाचन नहीं किया गया अथवा गलत पढ़े गये हों, पर उचित कार्यवाही द्वारा

(ई) गुणांक (एमएफ) अथवा टैरिफ की त्रुटियुक्त प्रयोज्यता पर

(एफ) संयोजन जिनकी बिलिंग नहीं की गई है

(जी) मापयंत्र (मीटर)/मापयंत्रण (मीटरिंग) में छेड़छाड़ द्वारा विद्युत की चोरी किये जाने पर उचित कार्यवाही

(एच) अमीटरीकृत संयोजन पर उचित कार्यवाही

(आई) प्रत्यक्ष चोरी पर उचित कार्यवाही

(जे) वाचन आंकड़ों के गलत पंचिंग किये जाने पर

(के) अमीटरीकृत संयोजन से खपत का गलत आकलन किये जाने पर

तकनीकी हानि में कमी लाये जाने हेतु पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होगी । विद्युत वितरण कम्पनियों को पूंजीगत व्यय का दक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा । योजना को बनाने, निधि के एकत्रीकरण तथा निर्धारित समय–अवधि में निर्माण कार्यों का पूर्वानुमान करने से संबंधित गतिविधियों हेतु गहन अनुवीक्षण की आवश्यकता होगी, जिसे कि सुनिश्चित करना होगा । तकनीकी हानियों को कम किये जाने के संबंध में, अतिरिक्त पूंजीगत व्यय आवश्यकताएं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा सकती हैं । **आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को पूंजीगत व्यय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के निष्पादन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश देता है ।**

इसी प्रकार गैर–तकनीकी हानियों में कमी लाये जाने हेतु केन्द्रीकृत कार्य योजना के निष्पादन की आवश्यकता होती है। विद्युत वितरण कम्पनी को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु वांछनीय कार्यवाही के कुछ बिन्दु निम्नानुसार हैं :

(i) संयोजनों की जांच हेतु प्रयासों में वृद्धि की जाना तथा चोरी के प्रकरणों को समुचित न्यायालयों में दोषियों के विरूद्ध प्रकरण कायम करना तथा इनका अनुसरण करना ताकि विद्युत की चोरी को निरूत्साहित किया जा सके

(ii) नवीन मापयंत्र प्रौद्योगिकी को अपनाना/त्रुटियुक्त मापयंत्रों को तत्परता से बदला जाना ।

(iii) नवीन संयोजनों को स्वीकृत किये जाने के प्रयासों में अभिवृद्धि करना/अनाधिकृत संयोजनों को नियमित करना ।

(iv) उच्च हानि के क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा गैर–तकनीकी हानियों में कमी लाये जाने हेतु आगे की कार्यवाही करना।

(v) विद्युत चोरी से ग्रसित क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम – एचवीडीएस) योजना का वृहद् रूप से कार्यान्वयन करना ।

(vi) उच्च मूल्य के देयक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की खपत का अनुवीक्षण करना ।

(vii) विद्युत की चोरी के परिणामों से उपभोक्ताओं को जागरूक बनाये जाने हेतु वृहद् प्रचार–प्रसार अभियान प्रारम्भ करना ।

(viii) शुद्ध बिलिंग को सुनिश्चित किये जाने हेतु, उपयुक्त बिलिंग साफ्टवेअर का क्रियान्वयन करना ।

(ix) तत्काल बिलिंग (स्पॉट बिलिंग) का लागू करना ।

(x) जहां–जहां यह संभव हो, आरमर्ड केबल्स का प्रयोग करना,

(xi) पंजीकृत समूह सहकारी समितियों को एकल बिन्दु संयोजन प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(xii) फ्रेंचाईजी, आदि को प्रोत्साहन देना, आदि ।

हानियों का विद्यमान उच्चतर स्तर मुख्य चिन्ता का विषय रहा है । अन्य राज्यों की कुछ विद्युत वितरण कम्पनियां तो समग्र हानियों में उल्लेखनीय कमी, 22 प्रतिशत के स्तर तक, लाये जाने में सफल रही हैं । हमारे राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को भी ऐसे उदाहरणों का अनुकरण करने के कड़े प्रयास करने होंगे । यद्यपि, आयोग सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु हानियों में कमी लाये जाने संबंधी मानदण्ड, म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों की विस्तार सीमा के अन्तर्गत अनुज्ञेय कर रहा है, परन्तु वह सच्चे मन से यह चाहता है कि विद्युत वितरण कम्पनियां इस कारण से हानि न उठायें तथा वे लक्ष्यों को पार करने में सक्षम हों ।

(एफ) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2007 का पैरा 7.5 (एफ) – सुदूर मीटरीकरण (रिमोट मीटरिंग) : आयोग द्वारा पूर्व में वितरण कंपनियों को उच्च क्षमतावान (हाई वेल्यू) उपभोक्ताओं, विशेषतया उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु सुदूर मापयंत्र लगाये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे। यद्यपि इस संबंध में कुछ कार्य किया जा चुका है परंतु काफी बड़ी संख्या में उच्च दाब उपभोक्ताओं को अभी तक सुदूर मापयंत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। आयोग द्वारा वितरण कंपनियों को समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को सुदूर मापयंत्रण का क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने तथा आगामी टैरिफ याचिका प्रस्तुति में परिपालन प्रतिवेदित किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं। आयोग वितरण कंपनियों को पथ–प्रदर्शक योजनाओं में पूर्व–भुगतान (प्रि–पेड) मापयंत्रों के सहयोजन से सुदूर मापयंत्रण की संभावना का पता लगाये जाने तथा इसके परिणामों से अवगत कराये जाने हेतु भी निर्देशित करता है।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पश्चिम क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 1230 की संख्या वाले अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल सेवा हेतु वैश्विक प्रणाली (ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाईल – जीएसएम) आधारित स्वचालित मापयंत्र वाचन (ऑटोमैटिक मीटर रीडिंग – एएमआर) प्रणाली 626 उपभोक्ताओं को प्रदान की जा चुकी है तथा अवशेष 604 उपभोक्ताओं हेतु, उपकरणों की उपाप्ति (प्रोक्यूरमेंट) की जा चुकी है तथा इन्हें स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है । (वित्तीय वर्ष 2007–08 में दिनांक 24.10.07 तक 178 जीएसएम आधारित प्रणालियां प्रदान की जा चुकी है)। अवशेष कार्य माह जनवरी 08 तक पूर्ण होने की आशा है । वित्तीय संकट के कारण, पश्चिम क्षेविविकं पूर्व प्रतिवेदित भुगतान मापयंत्रों (प्री–पेड मीटर्स) की उपाप्ति नहीं कर रही है ।

(ii) **मध्य क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिवेदित किया है कि सुदूर मीटरीकरण प्रणाली हेतु एक परियोजना 839 उच्च–दाब उपभोक्ताओं, 2995 निम्न–दाब वाले उच्च क्षमतावान उपभोक्ताओं (25 अश्वशक्ति तथा इससे अधिक) तथा 4560 निम्न–दाब अति–आवश्यक सेवाओं वाले उपभोक्ताओं (जल–प्रदाय संयंत्र, पुलिस थाने, अस्पताल, बैंक आदि) हेतु एडीबी II योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई है । उपरोक्त परियोजना हेतु रू. 14.4 करोड़ राशि की निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा चुकी है तथा इसे दिनांक 24.11.07 को खोला जाना निर्धारित किया गया है ।

(iii) **पूर्व क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिवेदित किया है कि दिशा–निर्देश का ''परिपालन किया जा चुका है'' ।

आयोग की अभ्युक्ति :

पश्चिम क्षेविविकं में सुदूर मीटरीकरण की प्रगति संतोषजनक है। मध्य क्षेविविकं. को सुदूर मीटरीकरण के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में गति बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पूर्व क्षेविविकं द्वारा विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

नवीन दिशा–निर्देश :

- **पश्चिम क्षेविविकं** को इस आदेश के दो माह के भीतर सुदूर मीटरीकरण के कार्यान्वयन से संबंधित क्षेत्र को प्राप्त लाभों के संबंध में प्रतिवेदित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।

- **मध्य क्षेविविकं** को सुदूर मीटरीकरण के कार्यान्वयन में और अधिक गति लाये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं तथा इस आदेश के जारी होने के दो माह के भीतर कार्य की अद्यतन स्थिति बाबत अवगत कराने हेतु निर्देश दिये जाते हैं ।

- **पूर्व क्षेविविकं** को अद्यतन प्रगति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी को सुदूर मीटरीकरण के कार्यान्वयन में और अधिक गति लाये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं तथा इस आदेश के जारी होने के दो माह के भीतर कार्य की अद्यतन स्थिति बाबत अवगत कराने हेतु निर्देश दिये जाते हैं ।

(जी) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 30.3.2007 को पैरा 7.5 (जी) – उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम–एचवीडीएस) का क्रियान्वयन** : राष्ट्रीय टैरिफ नीति में एक दिशा–निर्देश वितरण कंपनियों की उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) क्रियान्वित किये

जाने से संबंधित है ताकि विद्युत की चोरी को रोके जाने, वोल्टेज में सुधार लाये जाने तथा विद्युत प्रदाय में विश्वसनीयता लाया जाना संभव हो सके। कुछ योजनाओं में कुछ कार्य को सम्मिलित किया जा चुका है जैसा कि वितरण कंपनियों द्वारा उनकी याचिका में दर्शाया गया है। आयोग एचवीडीसी के क्रियान्वयन का विस्तार किये जाने हेतु निर्देश देता है ताकि तकनीकी हानियों में कमी लाई जा सके, विद्युत चोरी पर रोक लगाई जा सके तथा उपभोक्ता छोर पर वोल्टेज स्तरों में सुधार लाया जा सके। कंपनियों द्वारा आगामी याचिका की प्रस्तुति में परिणामों के विवरण की प्रस्तुति द्वारा प्रतिपालन प्रतिवेदित किया जावे।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पश्चिम क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्वीकृत योजना के विरूद्ध 25 केवीए के 333, 5 केवीए के 479 तथा 10 केवीए के 3534 ट्रांसफार्मर दिनांक 31.3.2007 तक प्रदान किये जा चुके हैं । **माह अप्रैल 07 से सितम्बर 07 तक, 25 केवीए के 66, 10 केवीए के 100 ट्रांसफार्मर, उच्च–दाब वोल्टेज योजना (एचवीडीएस) के अन्तर्गत संस्थापित किये जा चुके हैं । लगभग 1300 की संख्या में लघु क्षमता के ट्रांसफार्मर माह मार्च 08 तक एचवीडीएस योजना के अन्तर्गत संस्थापित किये जाने की योजना है, जिन हेतु ठेकेदारों को कार्यादेश प्रसारित किये जा चुके हैं** । उपरोक्त उल्लेखित कार्य जिला इन्दौर, उज्जैन, मन्दसौर में कराये गये हैं अथवा कराये जा रहे हैं। खण्डवा, बुरहानपुर, धार तथा देवास जिलों से संबंधित योजनाएं एडीबी के अनुमोदनार्थ विचाराधीन हैं, जिन हेतु वित्तीय वचनबद्धता रू. 130 करोड़ की है।

(ii) **मध्य क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मप्र मध्यक्षेविविकं लिमिटेड द्वारा अभी तक एचवीडीएस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु भोपाल शहर, ग्वालियर शहर, अम्बाह तथा मुरैना नगरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण सहायता के एडीबी (II) के ट्रेंके (Tranche) IV के अन्तर्गत कार्यान्वयन की पहल की जा चुकी है। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत एक निविदा (रू. 52.14 करोड़ राशि की) जारी की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जावेंगे :

1.	वितरण ट्रांसफार्मरों की संस्थापना (16 केवीए, 25 केवीए, 63 केवीए तथा 100 केवीए)	3206 नग
2.	निम्न–दाब लाईन को 11 केवी लाईन में परिवर्तन करना	184.63 कि.मी.
3.	नवीन 22 केवी लाईनों की स्थापना	48.55 कि.मी.

इस निविदा को खोले जाने की निर्धारित तिथि 19.11.07 है ।

(iii) **पूर्व क्षेविविकं :** अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कम्पनी द्वारा रू. 542 करोड़ की योजनाएं जबलपुर (संचालन तथा संधारण) नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा तथा सतना वृत्तों हेतु तैयार की गई हैं, जिनमें अधिकांश उच्च हानियों वाले कृषि उपभोक्ता विद्यमान हैं । ये योजनाएं एशियन डेवलपमेंट बैंक को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। एचवीडीएस कार्य हेतु चयनित क्षेत्रों में बोलियां टर्न की आधार पर आमंत्रित की जा चुकी हैं ।

आयोग की अभ्युक्ति :

पश्चिम क्षेविविकं द्वारा एचवीडीएस योजना के कार्यान्वयन में प्रोत्साहन योग्य प्रगति का प्रदर्शन किया गया है। तथापि, मध्य तथा पूर्व क्षेविविकं द्वारा कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। दोनों मध्य तथा पूर्व क्षेविवि कम्पनियां निविदा प्रक्रिया के दौर में चल रही हैं।

नवीन दिशा–निर्देश :

आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को वर्ष के दौरान निष्पादित प्रगति को आगामी टैरिफ याचिका की प्रस्तृति के समय संक्षिप्त विवरण दर्शाते हुए, निम्न प्रपत्र में आंकड़ों के साथ प्रतिवेदित किये जाने हेतु निर्देशित करता हैः

कार्य का विवरण (केवल एचवीडीएस)	अनुमोदित योजनाओं के अनुसार प्रावधान	माह सितम्बर 07 से अगस्त 08 के मध्य पूर्ण किये गये कार्य
निम्नदाब क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों की संस्थापना (संख्या)		
निम्न दाब लाईनों का 11 केवी लाईनों में परिवर्तन (किमी)		
नवीन 11 केवी लाईनों की संस्थापना (किमी)		

(एच) **दिशा–निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2007 का पैरा 7.5 (एच)–तात्कालिक बिलिंग व्यवस्था (स्पॉट बिलिंग) –** आयोग द्वारा पूर्व में वितरण कंपनियों को प्रथम चरण में बड़े नगरों में तात्कालिक बिलिंग व्यवस्था (स्पॅाट बिलिंग) प्रारंभ किये जाने तथा राज्य में शनैः–शनैः अन्य स्थानों पर इसके उपयोग का विस्तार किये जाने बाबत निर्देश जारी किये थे। आयोग की जानकारी में यह बात लाई गई है कि भोपाल शहर में यह कार्य सीमित ढंग से हाल ही में प्रारंभ किया जा चुका है तथा प्राप्त परिणाम काफी उत्साहवर्धक हैं। आयोग वितरण कंपनियों को एक वर्ष की अवधि के भीतर समस्त जिला मुख्यालय नगरों में तात्कालिक बिलिंग व्यवस्था क्रियान्वित किये जाने तथा प्रतिपालन प्रतिवेदित किये जाने बाबत निर्देशित करता है। यह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि कम्प्यूटर सहायता प्राप्त उपकरणों के प्रयोग के माध्यम से तात्कालिक बिलिंग

व्यवस्था इस प्रकार क्रियान्वित की जावे कि यह बिलिंग प्रणालियों के साथ भलीभांति एकीकृत रहे। तात्कालिक बिलिंग व्यवस्था का उपयोग बाद में कंपनी के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पश्चिम क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इन्दौर शहर में तात्कालिक बिलिंग (स्पॉट बिलिंग) को प्रारंभ किये जाने हेतु, निविदाएं खोली जा चुकी है तथा प्रकरण में प्रक्रिया जारी है । तात्कालिक बिलिंग व्यवस्था चरणबद्ध रूप से माह दिसम्बर, 07 तक प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रतिक्रिया के अध्ययन उपरान्त, योजना का विस्तार कम्पनी के अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

(ii) **मध्य क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भोपाल शहर में तात्कालिक बिलिंग (स्पॉट बिलिंग) का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है । ग्वालियर शहर में तात्कालिक बिलिंग हेतु निविदा प्रक्रिया जारी है। गुना, राजगढ़, विदिशा तथा होशंगाबाद में तात्कालिक बिलिंग कार्य वर्ष 2008–09 में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष नगरों में यह कार्य वर्ष 2009–10 में प्रारंभ किया जावेगा ।

(iii) **पूर्व क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिवेदित किया है कि एक पथ–प्रदर्शक (पॉयलेट) योजना बालाघाट नगर में प्रारंभ की गई थी, जिसके परिणाम उत्साहप्रद नहीं थे ।

आयोग की अभ्युक्ति

यद्यपि मध्य क्षेविविकं ने पहल द्वारा भोपाल शहर में तात्कालिक बिलिंग का कार्यान्वयन किया गया है, अन्य दो विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रियाएं उत्साहप्रद नहीं हैं । पूर्व क्षेविविकं ने यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है कि पथ–प्रदर्शक योजना के अन्तर्गत परिणाम उत्साहप्रद क्यों नहीं पाये गये हैं ?

नवीन दिशा–निर्देश :

आयोग समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश देता है कि तात्कालिक बिलिंग प्रणाली को प्रारंभ किये जाने से पूर्व समस्त अधोसंरचना विकास तथा क्षमता–निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए । किसी आधार को तैयार किये बिना, तात्कालिक बिलिंग का कार्य सदैव कठिन होगा । सर्वोत्तम बिलिंग पद्धति होने के कारण, ''तात्कालिक बिलिंग'' का वृहद् रूप से अन्य स्थानों पर कार्यान्वयन किया जा रहा है । अतः इस पद्धति द्वारा कम्पनी के राजस्व–चक्र मूल्यों की अभिवृद्धि में सहायता मिलेगी ।

आयोग पूर्व क्षेत्र विविकं को इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर प्रतिक्रिया, उनके विस्तृत विश्लेषण सहित, जिन्हें कि बालाघाट नगर में तात्कालिक बिलिंग मुद्दों के संबंध में अनुभव किया गया है, प्रस्तुत किये जाने के निर्देश देता है ।

आयोग आगे समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को तात्कालिक बिलिंग का क्रियान्वयन द्रुत गति से पहल किये जाने हेतु निर्देशित करता है तथा प्रगति के संबंध में आगामी टैरिफ याचिका के प्रस्तुतीकरण के समय प्रतिवेदित किये जाने के निर्देश देता है ।

(आई) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2007 का पैरा 7.5 (आई) (पूर्ण परिसम्पति पंजियों का साधारण) : आयोग वितरण कंपनियों को उनकी परिसम्पत्ति पंजियां विस्तृत रूप से तैयार किये जाने बाबत निर्देशित करता है।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पश्चिम क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कम्पनी की परिसम्पति पंजियां माह मार्च, 2007 तक की अद्यतन की जा चुकी है ।

(ii) **मध्य क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मध्य क्षेत्र विविकं क्षेत्रवार तथा वर्षवार परिसम्पति पंजियां माननीय आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार संधारित की जा रही हैं । वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 हेतु परिसम्पत्ति पंजियां अद्यतन की जा चुकी है ।

(iii) **पूर्व क्षेविविकं** : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कार्य प्रगति पर है ।

आयोग की अभ्युक्ति :

पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विविकं द्वारा प्रतिवेदित प्रगति संतोषजनक है। विषय अन्तर्गत पूर्व क्षेविविकं की प्रगति संतोषजनक नहीं है ।

नवीन दिशा–निर्देश :

आयोग तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को परिसम्पत्ति पंजियां वांछित विधि द्वारा संधारित किये जाने तथा इन्हें समयबद्ध रूप से अद्यतन किये जाने के निर्देश देता है ।

(जे) दिशा–निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2007 का पैरा 7.5 (जे)–फ्रेन्चाईजी – वितरण कंपनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में किये गये प्रावधान अनुसार

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु उपयुक्त पहल करें तथा आगामी याचिका के प्रस्तुतिकरण में इसकी प्रगति प्रतिवेदित करें।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पश्चिम क्षेविविकं :** अनुज्ञप्तिधारी ने निम्नानुसार प्रतिवेदित किया है :

– माह नवम्बर 06 से इनपुट आधारित फ्रेन्चाईजी 7 पंचायतों को प्रदान की गई, जिससे रतलाम जिले के 11 ग्राम लाभांवित हुए हैं ।

– माह नवम्बर/दिसम्बर 06 से इनपुट आधारित फ्रेन्चाईजी देवास जिले के तीन वितरण केन्द्रों को प्रदान की गई ।

– उज्जैन शहर तथा देवास शहन हेतु, फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

– पश्चिम क्षेविविकं के संचालक मण्डल द्वारा शाजापुर, रतलाम, बड़वानी जिले हेतु, समग्र रूप से, निविदा बुलाये जाने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया जा चुका है, जिस हेतु अग्रिम प्रक्रिया जारी है।

(ii) **मध्य क्षेविविकं :** अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वह क्षेत्र जहां राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रागांग्रावियो) स्वीकृत है, कार्य प्रगति पर है। फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं तथा निविदा को अन्तिम किये जाने का कार्य प्रगति पर है । वर्तमान में रागांग्रावियो योजना अशोक नगर तथा गुना जिलों हेतु स्वीकृत की गई है ।

(iii) **पूर्व क्षेविविकं :** अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया वितरण केन्द्र स्तर पर फ्रेन्चाईजी योजना का क्रियान्वयन किया जा चुका है तथा वृत्त स्तर पर इसकी योजना तैयार की गई है।

आयोग की अभ्युक्ति :

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की प्रगति में तेजी लाये जाने की आवश्यका है। पूर्व क्षेविविकं को एक माह के भीतर विस्तृत प्रगति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।

नवीन दिशा–निर्देश

विद्युत वितरण कम्पनियों को ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) की नियुक्ति में शीघ्र पहल किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं, जैसा कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में अपेक्षा की गई है तथा आगामी टैरिफ याचिका में इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत नवीन दिशा–निर्देश :

I. <u>वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु प्रथम देयक के साथ नवीन टैरिफ से संबंधित टैरिफ कार्ड जारी करना:</u> विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु टैरिफ आदेश के अनुसार विभिन्न श्रेणियों हेतु टैरिफ का विवरण दर्शाते हुए टैरिफ कार्ड समस्त उपभोक्ताओं को इस टैरिफ के बाद जारी प्रथम देयक के साथ जारी करें । इस संबंध में परिपालन **30 जून, 2008** तक प्रतिवेदित किया जावे ।

II. <u>केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्र (सेंट्रल काल सेंटर), भोपाल में मध्य क्षेत्र विविकं द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा का प्रारंभ किया जाना तथा इन्टरनेट के माध्यम से शिकायतों की अद्यतन स्थिति का पता लगाये जाने बाबत</u> : मध्य क्षेविविकं को केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्र, भोपाल में ऑनलाईन पंजीकरण तथा भोपाल शहर के उपभोक्ताओं हेतु शिकायतों की अद्यतन स्थिति का पता लगाये जाने हेतु **इन्टरनेट सुविधा** दो माह के भीतर प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं । इस संबंध में परिपालन **30 जून, 2008** तक प्रतिवेदित किया जावे ।

III. <u>कम्पनी के समस्त अधिकारियों/पदाधिकारियों को विनियमों तथा उनमें किये गये पुनरीक्षण/संशोधन को प्रसारित करना</u> : आयोग द्वारा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आयोग द्वारा जारी किये गये विनियमों तथा पुनरीक्षण/संशोधनों को कम्पनी के समस्त अधिकारियों/पदाधिकारियों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें तथा वे जारी किये गये विनियमों तथा पुनरीक्षण/संशोधनों को कम्पनी के समस्त अधिकारियों/पदाधिकारियों को प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करें तथा उन्हें विनियमों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विनियमों का परिपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु भी निर्देश दें।

IV. <u>अनुपालन मानदण्डों को प्रदर्शित किया जाना</u> : तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अनुपालन मानदण्डों से संबंधित विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुपालन के मानदण्डों को समस्त उपभोक्ता सेवा संबंधी कार्यालयों में, शहरी तथा ग्रामीण वितरण केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए, प्रदर्शित करें । परिपालन आगामी टैरिफ संबंधी याचिका के साथ प्रस्तुत किया जावे ।

V. <u>विद्युत अधिनियम, 2003 तथा विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के विद्युत चोरी तथा विद्युत के अनधिकृत उपयोग संबंधी उपबंधों के संबंध में जागरूकता का प्रचार–प्रसार करना</u> : समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत अधिनियम, 2003 तथा विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के विद्युत चोरी तथा विद्युत के अनधिकृत उपयोग से संबंधित सुसंगत उपबंधों का प्रदर्शन समस्त उपभोक्ता

सेवा संबंधी कार्यालयों में, शहरी तथा ग्रामीण वितरण केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए, करें । इसका परिपालन दिनांक 30 सितम्बर, 2008 तक प्रतिवेदित किया जावे ।

VI. <u>सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों को हिन्दी भाषा में दायर किया जाना</u> : समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे भविष्य में सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) तथा टैरिफ प्रस्तावों के साथ–साथ सत्यापन याचिकाएं भी दोनों अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में दायर करें ।

VII. <u>मांग पक्ष प्रबंधन के अन्तर्गत ऊर्जा बचत उपकरणों की संस्थापना हेतु सामान्य टैरिफ दर में प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में वृहद् प्रचार–प्रसार किये जाने बाबत :</u> वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को मांग–पक्ष प्रबंधन के अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरणों की संस्थापना हेतु सामान्य टैरिफ दर में प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु वृदह् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी वैबसाईट पर प्रदत्त कराये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी भी प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है

VIII. <u>वितरण ट्रांसफार्मर मापयंत्रों का ऊर्जा खपत संबंधी अभिलेखन :</u>

अमीटरीकृत उपभोक्ताओं से संबंधित अधिक शुद्ध प्राक्कलन विकसित किये जाने की दृष्टि से, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों कृषि तथा धरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को, विद्युत प्रदाय कर रहे बड़ी संख्या में वितरण ट्रांसफामरों पर संस्थापित वितरण ट्रांसफार्मर मापयंत्रों के ऊर्जा खपत संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं । आयोग महसूस करता है कि जब तक विद्युत खपत के आंकड़े वर्षा तथा भू–जल स्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाते, प्रस्तुत की गई जानकारी सार्थक नहीं होगी । प्रस्तुत जानकारी दोनों शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पृथक–पृथक दी जानी चाहिए।

टैरिफ अनुसूचियाँ

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

निम्नदाब (लो टेंशन–एलटी) उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ अनुसूची

अनुक्रमणिका

टैरिफ अनुसूचियां	पृष्ठ
एलवी–1 घरेलू	2
एलवी–2 गैर–घरेलू	5
एलवी–3.1 सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र	8
एलवी–3.2 पथ–प्रकाश	8
एलवी–4 निम्नदाब औद्योगिक	10
4.1 गैर–मौसमी (नॉन–सीजनल)	10
4.2 मौसमी (सीजनल)	10
एलवी–5 कृषि संबंधी एवं कृषि संबंध के अतिरिक्त	14
5.1 कृषि संबंधी	14
5.2 कृषि संबंध के अतिरिक्त	14
निम्न दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें।	18

———————

टैरिफ अनुसूचियां

<u>निम्नदाब (लो टेंशन–एलटी) उपभोक्ताओं हेतु अनुसूचियां</u>

<u>टैरिफ अनुसूची–एलवी–1</u>

<u>घरेलू :–</u>

<u>प्रयोज्यता :–</u>

यह टैरिफ दर केवल आवासीय उपयोग के लिये बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत धर्मशालाएं, विद्यार्थियों अथवा कार्यशील महिलाओं (वर्किंग वीमेन) हेतु छात्रावास, वृद्धावस्था आवास गृह (ओल्ड एज हाउसेज), सुधारालय (रेसक्यू हाऊस) तथा अनाथालय, पूजा स्थल, धार्मिक संस्थाएं, तथा शासकीय अस्पताल व शासकीय चिकित्सा देखभाल सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए भी शामिल होंगे।

टीप : किसी व्यावसायिक गतिविधि हेतु, संविदा मांग के 10 प्रतिशत से अधिक विद्युत प्रयोग करने वाले उपभोक्ता, व्यावसायिक गतिविधि हेतु निर्धारित की जाने वाली खपत के अनुसार उचित गैर–घरेलू टैरिफ दरों के अनुसार प्रभारित किये जायेंगे।

ऊर्जा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों हेतु टैरिफ दरें :

इस उप–श्रेणी हेतु टैरिफ दरें चालू मासिक खपत पर निम्न तालिका के अनुसार आधारित होंगी :

(ए) **ऊर्जा प्रभार**– वास्तविक खपत हेतु

सरल क्र.	मासिक खपत हेतु स्लैब	समस्त खपत किये गये यूनिटों हेतु, बिना किसी दूरबीनीय (टेलस्कोपिक) लाभ के (पैसे/यूनिट)	न्यूनतम प्रभार (रूपये प्रति संयोजन प्रति माह)
1	30 यूनिट तक	265	30
2	31 से 50 यूनिट तक	270	
3	51 से 100 यूनिट तक	305	
4	100 यूनिट से अधिक	350	
5	स्वयं के गृह निर्माण हेतु (अधिकतम एक वर्ष हेतु), सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोह हेतु अस्थाई संयोजन	400	350
6	बिना मीटर वाले संयोजन (शहरी क्षेत्र में)	77 यूनिट हेतु, 305 पैसे प्रति यूनिट की दर से	कुछ नहीं
7	बिना मीटर वाले संयोजन (विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में)	30 यूनिट हेतु, 265 पैसे प्रति यूनिट की दर से	कुछ नहीं

8	झुग्गी–झोपड़ी समूह हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा, जब तक व्यक्तिगत मीटर नही लगाये जाते है।	245	कुछ नहीं

(बी) **स्थाई प्रभार** : ऊर्जा प्रभार के अतिरिक्त यह प्रभार प्रति माह निम्न तालिका के अनुसार वसूली योग्य होगा। यह प्रभार अस्थाई/बिना मीटर वाले संयोजनों हेतु भी लागू होगा। यह प्रभार 30 यूनिट प्रतिमाह तक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं तथा वितरण ट्रांसफार्मर के माध्यम से विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं हेतु लागू नहीं होगा।

मासिक खपत के स्लैब	**शहरी क्षेत्रों में विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ता हेतु स्थाई प्रभार**	**विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ता हेतु स्थाई प्रभार**
30 यूनिट तक	शून्य	शून्य
31 से 50 यूनिट तक	रू. 5 प्रति संयोजन	रू. 2 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट तक	रू. 10 प्रति संयोजन	रू. 5 प्रति संयोजन
100 यूनिट से अधिक	अधिकृत भार पर, प्रति आधा किलोवाट पर रूपये 20 की दर से	अधिकृत भार पर, प्रति आधा किलोवाट पर रूपये 10 की दर से
स्वयं के गृह निर्माण हेतु (अधिकतम एक वर्ष हेतु), सामाजिक/ वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोह हेतु अस्थाई संयोजन	अधिकृत भार पर, प्रति आधा किलोवाट पर रूपये 40 की दर से	अधिकृत भार पर, प्रति आधा किलोवाट पर रूपये 20 की दर से
बिना मीटर वाले संयोजन (शहरी क्षेत्र में)	रूपये 10 प्रति संयोजन	
बिना मीटर वाले संयोजन (विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में)	रूपये 2 प्रति संयोजन	
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा	शून्य	शून्य

<u>टीप</u> : अधिकृत भार वही होगा जैसा कि इसे विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में परिभाषित किया गया है।

(सी) **विलंबित भुगतान अधिभार** : अधिभार की वसूली निम्न दरों के अनुसार की जा सकेगी जो कि अधिकतम बकाया राशि के 25 प्रतिशत के अध्यधीन होगी :–

विवरण	दर
रू. 500.00 तक की बकाया राशि पर	रू. 1.00 प्रति दिवस, नियत तिथि के बाद
रू. 500.00 से अधिक तथा रूपये 1000.00 तक की बकाया राशि पर	रू. 2.00 प्रति दिवस, नियत तिथि के बाद
रू. 1000.00 से अधिक की बकाया राशि पर	रू. 5.00 प्रति दिवस, अथवा बकाया राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह या उसका अंश की दर से इनसे जो भी राशि अधिक हो, नियत तिथि के बाद

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ई) वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट शर्तें

(i) वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों के भुगतान हेतु उनकी सहमति देनी होगी।

(ii) समस्त उपभोक्तायों को इस आशय का एक अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(iii) यदि वितरण ट्रांसफार्मर मापयन्त्र (मीटर) त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ताओं को, उपरोक्त विनिर्दिष्ट अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं को अमीटरीकृत श्रेणी हेतु निर्धारित खपत के आधार पर भुगतान करना होगा।

————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–2

गैर–घरेलू :

प्रयोज्यता :

ये टैरिफ दरें रेलवे हेतु कर्षण (ट्रैक्शन) के प्रयोजन को छोड़कर, रेलवे कालोनियों/जलप्रदाय हेतु विद्युत प्रदाय, शासकीय कार्यालय, सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृह, शैक्षणिक संस्थाएं, दुकानें/ शोरूम, बैठक कक्ष (पारलर), सार्वजनिक/निजी संस्थाओं के कार्यालय, अतिथिगृह, क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट), व्यावसायिक परिसर (चेम्बर्स) (यथा, अधिवक्ता, सनदी लेखापाल, परामर्शदाता आदि के) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, लघु स्तर के सेवा संस्थान, अभियांत्रिकी/पालिटेक्निक संस्थानों की कर्मशालाएं (वर्कशॉप) तथा प्रयोगशालाएं, सार्वजनिक भवन, नगर–भवन (टाऊन–हाल), क्लब, रेस्टॉरेंट, खान–पान संबंधी संस्थाएं, बैठक परिसर (मीटिंग हाल), सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, सर्कस प्रदर्शन, होटल, सिनेमाघर, निजी औषधालय (क्लीनिक), नर्सिंग होम तथा निजी अस्पताल, विद्यार्थियों तथा कार्यशील महिलाओं के निजी छात्रावास, बॉटलिंग संयंत्र, कृषि प्रक्षेत्र भवन (फार्म हाउस), वैवाहिक उद्यान स्थल (मैरिज गार्डन), विवाह– घर, विज्ञापन सेवाऐं, प्रशिक्षण संस्थाएं, पेट्रोलपंप तथा सेवा केन्द्र (सर्विस स्टेशन), सिलाई कार्य की दुकानें (टेलरिंग शॉप), वस्त्र धुलाई–घर (लाउण्ड्री), व्यायाम–घर (जिमनेजियम) तथा स्वास्थ्य–क्लब (हेल्थ–क्लब) तथा अन्य कोई संस्था जिन्हें किसी केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक–कर/सेवा–कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन–कर/विलास–कर (लक्ज़री टैक्स) का भुगतान करने संबंधी अर्हता हो, को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य हैं।

टैरिफ :

विभिन्न उप श्रेणियों हेतु टैरिफ दरें, चालू मासिक खपत पर, निम्न तालिका पर आधारित होगी :

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे/ यूनिट)	शहरी क्षेत्रों में स्थाई प्रभार	विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसूचित स्थाई प्रभार
1	शासकीय विद्यालयों द्वारा समस्त उपभोग किये गये यूनिटों हेतु	500	शून्य	शून्य
2.	अन्य उपभोक्ताओं द्वारा समस्त उपभोग किये गये यूनिटों हेतु	537	शून्य	शून्य
3	**ऐच्छिक** मांग आधारित टैरिफ, 20 किलोवाट से अधिक हेतु	430	रूपये 150 प्रति किलोवाट अथवा रूपये 120 प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह	रू. 90 प्रति किलोवाट अथवा रू. 72 प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह
4	अस्थाई संयोजन, निम्नदाब पर बहु बिन्दु अस्थाई संयोजन मेला स्थलों	642	रूपये 75 प्रति किलोवाट अथवा उसका अंश	रूपये 45 प्रति किलोवाट अथवा उसका अंश

	के लिए, को सम्मिलित कर *			
5	क्ष–किरण संयत्र हेतु	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह)		
	एकल फेज	400		
	तीन फेज	600		

** केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जबकि मध्यप्रदेश शासन के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।*

निबंधन एवं शर्तें

(ए) **विलंबित भुगतान अधिभार** :– अधिभार की वसूली निम्न दरों के अनुसार की जा सकेगी जो कि अधिकतम बकाया राशि के 25 प्रतिशत के अध्यधीन होगी :–

विवरण	दर
रू. 500.00 तक की बकाया राशि पर	रू. 1.00 प्रति दिवस, नियत तिथि के बाद
रू. 500.00 से अधिक तथा रूपये 1000.00 तक की बकाया राशि पर	रू. 2.00 प्रति दिवस, नियत तिथि के बाद
रू. 1000.00 से अधिक की बकाया राशि पर	रू. 5.00 प्रति दिवस, अथवा बकाया राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह या उसका अंश की दर से इनसे जो भी राशि अधिक हो, नियत तिथि के बाद

(बी) **वे उपभोक्ता जो मांग आधारित टैरिफ हेतु विकल्प देवें** : इन्हें अतिरिक्त मांग हेतु, स्थाई प्रभारों के 1.5 (डेढ़) गुना टैरिफ दर का भुगतान करना होगा, यदि अभिलिखित की गई (रिकार्डेड) अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक हो।

(सी) **न्यूनतम खपत** : उपभोक्ता को शहरी क्षेत्रों में **संयोजित भार अथवा अनुबंधित भार इसमें से जो भी अधिक हो, संविदाकृत भार का (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में)** 360 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके एक अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत की तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में **संयोजित भार अथवा अनुबंधित भार इसमें से जो भी अधिक हो, संविदाकृत भार का (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में)** 240 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके एक अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत की प्रतिभूति (गारंटी) देनी होगी। तथापि, क्ष–किरण इकाई के भार को न्यूनतम खपत की गणना हेतु, उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय, पृथक कर दिया जावेगा। कम (डेफिसिट) यूनिट (न्यूनतम खपत–वास्तविक खपत), यदि कोई हों, तो उसकी बिलिंग प्रयोज्य ऊर्जा दर के अनुसार की जावेगी।

(डी) **अतिरिक्त प्रभार** : निम्नानुसार लागू होंगेः

- वे उपभोक्ता जो मांग आधारित टैरिफ के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं – यदि किसी माह में वास्तविक संयोजित भार स्वीकृत भार से अधिक हो तो कथित टैरिफ दर स्वीकृत भार की सीमा के अंतर्गत लागू होगी। स्वीकृत भार से अधिक की गई मांग (जिसे इसके बाद ''अतिरिक्त मांग'' कहा जावेगा) को, प्रदाय की गई तथा प्राप्त की गई विद्युत, पृथक–पृथक बिलिंग के प्रयोजन से माना जावेगा। इस प्रकार किसी माह में प्राप्त की गई अतिरिक्त मांग, यदि कोई हो तो इसे उपभोक्ता हेतु, प्रयोज्य टैरिफ से पिछले तीन माह की मांग आधारित टैरिफ दर हेतु विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों का डेढ़ गुना दर पर वसूल किया जावेगा तथा अनुवर्ती महीनों में इस अतिरिक्त भार को हटाये जाने तक अथवा सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति पर्यन्त इसे जारी रखा जावेगा। इस प्रकार के आधिक्य भार को हटाया जाने की अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथोचित जांच की जावेगी। ऐसा करते समय, टैरिफ की अन्य निबन्धन एवं शर्ते, यदि कोई हों, तो वे कथित आधिक्य मांग पर भी प्रत्योज्य होंगी।

- उपभोक्ताओं को प्रयोज्य उपरोक्त सामान्य टैरिफ दर की डेढ़ गुना अतिरिक्त बिलिंग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुबंध के पुनरीक्षण हेतु कहे जाने हेतु अधिकारों के बिना किसी पक्षपात तथा ऐसे अन्य अधिकारों जो कि आयोग द्वारा विनियमों अथवा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत अधिसूचित किये गये हों, के अंतर्गत प्रयोज्य हैं।

(ई) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

——————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–3

सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र एवं पथ–प्रकाश

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक एलवी–3.1 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों अथवा कोई संस्था जिसे जल प्रदाय/जल प्रदाय संयंत्रों/जल–मल संयंत्रों का उत्तरदायित्व सार्वजनिक उपयोगिता (यूटिलिटी) जल प्रदाय योजनाओं, जल–मल शोधन संयंत्रों (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), जल–मल पंपिंग संयंत्रों हेतु जल प्रदाय/सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्रों /जल–मल संयंत्रों के संधारण हेतु सौंपा गया हो तथा स्थानीय निकायों/न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शव–दाह गृह को भी लागू होगा।

टैरिफ अनुक्रमांक एलवी–3.2 यातायात संकेतों, सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, स्मारकों तथा इनके संस्थानों, सार्वजनिक प्रसाधनों (टायलेट) शासन द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को लागू होगा।

टैरिफ :

विभिन्न उप–श्रेणियों हेतु टैरिफ दरें चालू मासिक खपत पर आधारित निम्न तालिका के अनुसार होंगी :

	उपभोक्ता श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये/ किलोवाट/ प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	न्यूनतम प्रभार
3.1	**सार्वजनिक जल प्रदाय**			**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
(ए)	नगर पालिका निगम/ छावनी बोर्ड	80	305	
(बी)	नगर पालिक/नगर पंचायत	80	285	
(सी)	ग्राम पंचायत	80	245	
(डी)	अस्थाई	120	435	
3.2	**पथ प्रकाश**			**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
(ए)	नगर पालिक निगम/छावनी बोर्ड	130	320	
(बी)	नगर पालिक/नगर पंचायत	130	310	
(सी)	ग्राम पंचायत	130	270	

निबंधन तथा शर्तें

(ए) **विलंबित भुगतान अधिभार** : यदि उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में उन्हें देय बकाया राशि के अतिरिक्त बकाया राशि [बकाया (एरियर) राशि को सम्मिलित कर] पर एक प्रतिशत प्रति माह अथवा उसके एक अंश का अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करना होगा।

(बी) **मांग पक्ष प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन** : अनुज्ञप्तिधारी की तृष्टि अनुसार, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेटस् हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जावेगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जावेगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जावेगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

(सी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

टैरिफ अनुसूची एलवी – 4

निम्नदाब उद्योग

प्रयोज्यता :

ये टैरिफ दरें प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक संस्थाओं तथा कर्मशालाओं [जहां कोई प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) अथवा विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) कार्य टायर–रीट्रिडिंग को सम्मिलित कर, सम्पन्न हो] के लिए लाईट, पंखा या पावर हेतु लागू होंगी। ये टैरिफ दरें शीतागार (कोल्ड स्टोरेज), गुड़ (जैगरी) बनाने वाली मशीनें, आटा चक्कियां (फ़्लोर मिल्स), मसाला चक्कियां, हलर, खण्डसारी इकाईयां, ओटाई (गिन्निंग) तथा प्रेसिंग इकाईयां, गन्ना पिराई (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत करघा (पावरलूम), दालमिलें, बेसन मिलें तथा वर्फखाना (आईस–फैक्टरी) तथा अन्य कोई विनिर्माण मेन्युफेक्चरिंग अथवा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाईयां (बाटलिंग संयत्रों को छोड़कर), खाद्य उत्पादन का प्रसंस्करण उसका संरक्षण/इसके शेल्फ जीवन में अभिवृद्धि हेतु भी लागू होंगी।

टैरिफ : गैर–मौसमी (नॉन सीजनल) तथा मौसमी उपभोक्ताओं हेतु

	उपभोक्ता श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति) –शहरी क्षेत्रों में	स्थाई प्रभार (रूपये प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति) – ग्रामीण क्षेत्रों में	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
अ	**गैर–मौसमी उपभोक्ता**			
4.1 ए	25 अश्वशक्ति तक के निम्नदाब उद्योग	45	10	320
4.1 बी	मांग आधारित टैरिफ (100 अश्वशक्ति तक)	रू. 132 प्रति केवीए अथवा रू. 165 प्रति किलोवाट बिलिंग मांग प्रतिमाह	रू. 50 प्रति केवीए अथवा रू. 60 प्रति किलोवाट बिलिंग मांग प्रतिमाह	410
4.1 सी	मांग आधारित टैरिफ (100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति* तक) **(केवल विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु)**	रू. 176 प्रति केवीए अथवा रू. 220 प्रति किलोवाट बिलिंग मांग प्रतिमाह	रू. 80 प्रति केवीए अथवा रू. 100 प्रति किलोवाट बिलिंग मांग प्रतिमाह	425
4.1 डी	अस्थाई	प्रयोज्य टैरिफ दर का डेढ़ गुना		
ब	**मौसमी उपभोक्ता (मौसम की अवधि एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 180 दिवस से अधिक की न होगी)। यदि घोषित मौसम का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में प्रयोज्य टैरिफ दर तत्संबंधी अवधि हेतु लागू होगी।**			
4.1 ई	मौसम के दौरान	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें	गैर–मौसमी उपभोक्ताओंके अनुरूप, सामान्य टैरिफ दरें

4.1 एफ	मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के दौरान	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें, निविदा मांग के 10 प्रतिशत पर (अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग, जो भी अधिक हो)	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें, निविदा मांग के 10 प्रतिशत पर (अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग जो भी अधिक हो)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य टैरिफ दर का 120 प्रतिशत

**इसके अतिरिक्त, इन उपभोक्ताओं द्वारा रूपांतर (ट्रांसफार्मरमेशन) हानियां तीन प्रतिशत की दर से तथा ट्रांसफार्मर भाड़ा विविध तथा सामान्य प्रभारों हेतु आदेशानुसार देय होंगे।*

निबंधन तथा शर्तें

(ए) उपभोक्ता की प्रतिमाह अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दुवार उक्त माह में निरंतर 15 मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई 4 गुणा अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के बराबर होगी।

(बी) कोई भी उपभोक्ता मांग आधारित टैरिफ हेतु अपना विकल्प दे सकेगा, तथापि उन उपभोक्ताओं हेतु जिनका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति से अधिक है, मांग आधारित टैरिफ आदेशात्मक है तथा अनुज्ञप्तिधारी टाई–वेक्टर/बाई–वेक्टर मीटर जो कि मांग केवीए/किलोवाट, किलोवाट आवर, किलोवोल्ट एम्पीयर आवर तथा उपयोग का समय खपत (टाईम ऑफ यूज कंसम्पशन) में अभिलिखित किये जाने हेतु सक्षम हों, प्रदाय करेंगे।

(सी) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार मानी जावेगी :

- **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसका अंश, संविदा मांग की प्रतिभूति (गारंटी) दी जावेगी, भले ही वर्ष के दौरान किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं। वास्तविक खपत से किसी कमी (डेफिसिट) के रूप में (अर्थात, न्यूनतम प्रतिभूतित खपत– वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की विद्यमान दरों के अनुसार टैरिफ न्यूनतम अंतर के रूप में प्रभारित किया जावेगा तथा कम (डेफिसिट) यूनिटों का समायोजन वर्ष के अंत में किया जावेगा।

- **शहरी क्षेत्र में निम्नदाब उद्योग हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसका अंश, संविदा मांग की प्रतिभूति (गारंटी) दी जावेगी, भले ही वर्ष के दौरान किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं। वास्तविक खपत से किसी कमी (डेफिसिट) के रूप में (अर्थात, न्यूनतम प्रतिभूतित खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की विद्यमान दरों के अनुसार टैरिफ न्यूनतम अंतर के रूप में प्रभारित किया जावेगा तथा कम (डेफिसिट) यूनिटों का समायोजन वर्ष के अंत में किया जावेगा।

(डी) **अतिरिक्त प्रभार** : निम्नानुसार देय होगा :

- वे उपभोक्ता जो मांग आधारित टैरिफ के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं – यदि किसी माह में वास्तविक संयोजित भार स्वीकृत भार से अधिक हो तो कथित टैरिफ दर स्वीकृत भार की सीमा के अंतर्गत लागू होगी। स्वीकृत भार से अधिक की गई मांग (जिसे इसके बाद ''अतिरिक्त मांग'' कहा जावेगा) को, प्रदाय की गई तथा प्राप्त की गई विद्युत, पृथक–पृथक बिलिंग के प्रयोजन से माना जावेगा। इस प्रकार किसी माह में प्राप्त की गई अतिरिक्त मांग, यदि कोई हो तो इसे उपभोक्ता हेतु, प्रयोज्य टैरिफ से पिछले तीन माह की मांग आधारित टैरिफ दर हेतु विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों का डेढ़ गुना दर पर वसूल किया जावेगा तथा अनुवर्ती महीनों में इस अतिरिक्त भार को हटाये जाने तक अथवा सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति पर्यन्त इसे जारी रखा जावेगा। इस प्रकार के आधिक्य भार को हटाया जाने की अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथोचित जांच की जावेगी। ऐसा करते समय, टैरिफ की अन्य निबन्धन एवं शर्तें, यदि कोई हों, तो वे कथित आधिक्य मांग पर भी प्रत्योज्य होंगी।

- उपभोक्ताओं को प्रयोज्य उपरोक्त सामान्य टैरिफ दर की डेढ़ गुना अतिरिक्त बिलिंग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुबंध के पुनरीक्षण हेतु कहे जाने हेतु अधिकारों के बिना किसी पक्षपात तथा ऐसे अन्य अधिकारों जो कि आयोग द्वारा विनियमों अथवा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत अधिसूचित किये गये हों, के अंतर्गत प्रयोज्य हैं।

(ई) **विलंबित भुगतान प्रभार** : यदि उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान निर्धारित अवधि (नियत तिथि) तक नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में उन्हें बकाया राशि के अतिरिक्त बकाया राशि [बकाया (एरियर) राशि को सम्मिलित कर] पर एक प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके एक अंश का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

(एफ) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें :

(ए) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (आफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।

(बी) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(सी) यह टैरिफ दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(डी) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत, पिछले मौसम/चालू मौसम के अंतर्गत जो भी लागू हो, की औसत मासिक खपत का 15 प्रतिशत तक सीमित रखना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जावे तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, गैर–मौसमी टैरिफ दर के अनुसार की जावेगी।

(ई) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जावे, तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, गैर–मौसमी टैरिफ दर के अनुसार की जावेगी।

————————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–5

कृषि संबंधी एवं कृषि संबंधी के अतिरिक्त

प्रयोज्यता :

टैरिफ दर एलवी–5.1 कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों, थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों, उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल हेतु प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ दर एलवी–5.2 फूल/पौधे/पौध (सैपलिंग) फल उगाने वाली रोपणियों, मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, रेशम उद्योग (सेरीकल्चर), डेरी, अण्डा सेने के स्थानों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों, पशु–प्रजनन केन्द्रों (कैटल ब्रीडिंग फार्म्स), चारागाह (ग्रासलैंड) तथा कुकुरमुत्ता (मशरुम) उगाने वाले कृषि प्रक्षेत्रों हेतु संयोजन पर प्रयोज्य होगी।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	स्थाई प्रभार (रुपये प्रति केवीए, बिलिंग मांग का)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**कृषि संबंधी प्रयोग हेतु**		
ए)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	निरंक	220
बी)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	निरंक	275
सी)	अस्थाई संयोजन	निरंक	320
डी)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ता	निरंक	200
5.2	**कृषि संबंधी प्रयोग के अतिरिक्त**		
ए)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	45	320
बी)	अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	10	320
सी)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति से अधिक तथा 100 अश्वशक्ति तक	रु. 120/केवीए अथवा रु. 150/किलोवॉट, बिलिंग मांग का	410
डी)	अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति से अधिक तथा 100 अश्वशक्ति तक	रु. 50/केवीए अथवा रु. 60/किलोवॉट, बिलिंग मांग का	410

बिना मीटर विद्युत उपभोग का निर्धारण :

इसका निर्धारण निम्न विधि द्वारा किया जावेगा :

- विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिसूचित किये गये ग्रामीण क्षेत्रों में, बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु स्वीकृत भार पर 100 यूनिट प्रति अश्वशक्ति तथा अस्थाई संयोजन हेतु स्वीकृत भार पर 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के आधार पर की जावेगी।

- शहरी क्षेत्रों में बिना मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं हेतु बिलिग, स्थाई संयोजनों हेतु स्वीकृत भार पर 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति तथा अस्थाई संयोजनों हेतु स्वीकृत भार पर 150 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के आधार पर की जावेगी।

निबंधन तथा शर्तें :

(ए) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को दो माह के प्रभारों का भुगतान करना होगा जो कि बढ़ाई गई अवधि हेतु समय–समय पर प्रतिपूर्ति किये जाने तथा असंयोजन (डिसकनेक्शन) के उपरांत अंतिम बिल में समायोजन के अध्यधीन होगा।

(बी) कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी को तुष्टि के अध्यधीन, निम्न **प्रोत्साहन*** प्रदान किये जावेंगे :

स्रल क्रमांक	विवरण	टैरिफ में रिबेट दर
1	पंप सेट्स हेतु आई.एस.आई. मोटरों की संस्थापना हेतु	15 पैसे प्रति यूनिट
2	पंप सेट्स हेतु, आई.एस.आई. मोटरों की संस्थापना हेतु, तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्व का उपयोग	30 पैसे प्रति यूनिट
3	पंप सेट्स हेतु, आई.एस.आई. मोटरों की स्थापना हेतु, घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब का उपयोग मय उपयुक्त श्रेणी (रेटिंग) के शंट कैपेसिटर की संस्थापना	45 पैसे प्रति यूनिट

****मांग पक्ष प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य टैरिफ दर पर (पूर्ण टैरिफ दर में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो) पर उपभोक्ता के अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जावेगा।*** *यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि पूर्ण बिल की राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के अंदर कर दिया जावे जिसका परिपालन न किये जाने पर, समस्त खपत किये गये यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जावेगा। प्रोत्साहन स्थापना के माह के उपरान्त ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। अनुज्ञिप्तधारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार–प्रसार करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वैब–साईट पर प्रदर्शित करनी होगी।*

टीप :

(i) पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप एक 40 वॉट लैम्प लगाने की अनुमति होगी।

(ii) तीन–फेज कृषि पंप का उपयोग, एकल फेज पर उपलब्ध विद्युत प्रदाय के दौरान बाह्य उपकरण की स्थापना को अवैध विद्युत की निकासी माना जावेगा तथा त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के विरूद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(सी) **न्यूनतम खपतः**

(i) **मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु** : उपभोक्ता को संयोजित भार की न्यूनतम 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके अंश की प्रतिभूति (गांरटी) देनी होगी।

(ii) **कृषि संबंधी प्रयोग के अतिरिक्त (एलवी–5.2):** उपभोक्ता को अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में सविंदा मांग का 240 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर तथा शहरी क्षेत्रों में सविंदा मांग का 360 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर आधारित न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) की प्रतिभूति देनी होगी इस तथ्य से असंबंद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है अथवा नहीं।

(iii) वास्तविक खपत में कमी (डेफिसिट), यदि कोई हो (अर्थात, न्यूनतम प्रत्याभूतित खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अन्तर के बतौर प्रभारित किया जावेगा तथा कम (डेफिसिट) यूनिटों का समायोजन वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जावेगा।

(डी) **कृषि संबंधी उपभोक्तायों हेतु अतिरिक्त प्रभार (एलवी–5.1):** ऐसी दशा में, जहां संयोजित भार, स्वीकृत भार से अधिक पाया जाता है, वहां उपभोक्ता को अतिरिक्त भार हेतु, **रूपये 300 प्रति माह प्रति अश्वशक्ति** की दर से, पिछले तीन माह हेतु प्रभारों के भुगतान करने होंगे तथा इन्हें अनुगामी महीनों हेतु तब तक जारी रखा जावेगा जब तक अतिरिक्त भार को हटा नहीं लिया जाता अथवा इसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इसकी स्वीकृत प्रदान नहीं कर दी जाती तथा इस अतिरिक्त भार की अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से जांच नहीं कर ली जाती। ऐसे प्रकरणों में, उपभोक्ता को कुल संयोजित भार, जैसा कि वह जांच में पाया गया हो, हेतु ऊर्जा प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

(ई) **कृषि संबंधी उपयोग से अतिरिक्त प्रयोजन हेतु अतिरिक्त प्रभार (एलवी–5.2):–** उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण समय पर, वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग के अन्तर्गत सीमित रखनी होगी। ऐसे प्रकरण में, जहां किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग संविदा मांग से बढ़ जाती है तो ऐसी दशा में कथित टैरिफ दर संविदा मांग से अधिक प्राप्त की गई मांग (जिसे इसके बाद ''अधिक मांग'' कहा जावेगा) को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा माना जावेगा तथा बिलिंग के प्रयोजन से इसे पृथक प्राप्त किया गया माना जावेगा। इस प्रकार किसी माह में प्राप्त की गई अतिरिक्त मांग, यदि कोई हो, तो उसे उपभोक्ता हेतु, प्रयोज्य टैरिफ से विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों का डेढ़ गुना दर पर प्रभारित किया जावेगा तथा ऐसा करते समय टैरिफ की अन्य निबंन्धन एवं शर्ते, यदि वे लागू हों, कथित अधिक मांग पर भी लागू होंगी।

(एफ) **विलंबित भुगतान प्रभार** : यदि उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान निर्धारित अवधि (नियत तिथि) तक नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में बकाया राशि [बकाया (एरियर) राशि को सम्मिलित कर] पर एक प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके एक अंश का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

(जी) **वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट शर्तें**

(i) वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों के भुगतान हेतु उनकी सहमति देनी होगी।

(ii) समस्त उपभोक्तायों को इस आशय का एक अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(iii) यदि वितरण ट्रांसफार्मर मापयन्त्र (मीटर) त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ताओं को, उपरोक्त विनिर्दिष्ट अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं को अमीटरीकृत श्रेणी हेतु निर्धारित खपत के आधार पर भुगतान करना होगा।

(एच) अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिनिर्दिष्ट किया गया है।

निम्नदाब (लो टेंशन) टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्ते

1.1 ग्रामीण क्षेत्रों से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जिन्हें कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ 13/05/13/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

1.2 **पूर्णांक करना (राऊडिंग ऑफ)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जावेगा।

1.3 **बिलिंग मांग (बिलिंग डिमांड)** : मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में माह हेतु बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (फ्रेक्शन) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (इग्नोर्ड) किया जावेगा।

1.4 **टैरिफ न्यूनतम बिलिंग** : यदि कोई उपभोक्ता वित्तीय वर्ष के किसी एक माह में (यदि वार्षिक न्यूनतम खपत उस श्रेणी हेतु लागू हो) संचयी (कुमुलेटिव) खपत निर्धारित वार्षिक न्यूनतम खपत से अधिक को अभिलिखित करता है, तो ऐसी दशा में कोई भी टैरिफ न्यूनतम बिलिंग खपतें वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों हेतु नहीं की जावेगी।

निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय :

(ए) किसी प्रत्याशित उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी, जबकि मांग हेतु यथोचित नोटिस दिया

जावे। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जावेगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जावेगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जावेगी।

(बी) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग सामान्य टैरिफ की डेढ़ गुना की दर से, जैसा कि वह समस्त श्रेणियों हेतु लागू हो की जावेगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न की गई हो।

(सी) **अग्रिम भुगतान** – प्राक्कलित ऊर्जा खपत प्रभारों का भुगतान अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व, अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है जिसे समय–समय पर पुर्नभरण किया जावेगा तथा असंयोजन के समय अन्तिम देयक के अनुसार समायोजित किया जावेगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।

(डी) स्वीकृत भार / संयोजित भार 75 किलोवाट / 100 अश्वशक्ति से अधिक न होगा।

(ई) अस्थाई विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से, माह से अभिप्रेत है संयोजन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि अथवा आगे इसका कोई अंश।

(एफ) संयोजन एवं संयोजन विच्छेद प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान पृथक से करना होगा जैसा कि इन्हें विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जावे।

(जी) भार–कारक (लोड–फेक्टर) रियायत (कन्सेशन) अस्थाई संयोजन खपत हेतु अनुज्ञेय नहीं की जावेगी।

(एच) ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन / अर्थदण्ड स्थाई संयोजन के अनुरुप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

स्थाई संयोजनों हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें:–

(ए) खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये अग्रिम भुगतान हेतु, जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, 1 (एक) प्रतिशत की छूट प्रतिमाह उस राशि पर दी जावेगी जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उपभोक्ता के लेखे में (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, आकलित (क्रेडिट) कर दी जावेगी।

(बी) स्वीकृत भार / संयोजित भार / निविदा मांग 75 किलोवाट / 100 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता उसके भार / मांग को 75 किलोवाट / 100 अश्वशक्ति की इस उच्चतम सीमा का दो से अधिक अवसरों पर वृद्धि करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।

(सी) मीटर (मापयंत्र) किराया : मीटर किराया विविध प्रभारों की अनुसूची के अनुसार प्रभारित किया जावेगा। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जावेगा।

(डी) ऐसे प्रकरण में जहां कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां पर नियमों के अनुसार रूपये 150 प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, आरोपित किया जावेगा।

(ई) अन्य प्रभार जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

(एफ) वेल्डिंग अधिभार वेल्डिंग ट्रांसफार्मरयुक्त संस्थापनाओं के साथ प्रयोज्य होगा, जहां पर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का भार कुल संयोजित भार से 25 प्रतिशत अधिक हो तथा जहां पर निर्दिष्ट क्षमता के उपयुक्त कैपेसिटर स्थापित नहीं किये गये हैं जिससे कि ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) न्यूनतम 0.8 लैगिंग का सुनिश्चित किया जा सके। वेल्डिंग सरचार्ज, माह के दौरान सम्पूर्ण अधिस्थापना हेतु 75 (पिचहत्तर) पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया जावेगा।

(जी) वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का संयाजित भार किलोवॉट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का 0.6 का भार–कारक (पावर फेक्टर) अधिकतम करंट का अथवा केवीए रेटिंग का प्रयोज्य होगा।

(एच) विद्यमान निम्नदाब उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित क्षमता (रेटिंग) का निम्नदाब कैपेसिटर प्रदाय किया जावे। तथापि, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 को मार्गदर्शन हेतु उल्लिखित किया जा सकेगा। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व रहेगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत भार–कारक (पावर फेक्टर) 0.8 से कम न रहे। उपरोक्त मापदण्ड प्राप्त न किये जाने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान 26 (छब्बीस) पैसे प्रति यूनिट की दर से निम्न भार–कारक (लो पावर फेक्टर) अधिभार सम्पूर्ण संस्थापना की खपत हेतु भुगतान करना होगा।

(आई) यहां पर दर्शाये गये वेल्डिंग/भार–कारक (पावर फेक्टर) सरचार्ज, अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी भेदभाव, उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन–विच्छेद (डिसकनेक्ट) किये जाने के अधिकारों के अंतर्गत होंगे, यदि उसके द्वारा भार–कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट कैपेसिटरों की स्थापना द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाते।

(जे) **भार कारक (लोड फेक्टर) रियायत** : मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड टैरिफ) के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को निम्नानुसार रियायत के स्लैब अनुज्ञेय होंगे।

भार–कारक (लोड फेक्टर)	ऊर्जा प्रभारों में रियायत
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक का भार–कारक (लोड फेक्टर)	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 10 पैसे प्रति यूनिट की रियायत।
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक का भार कारक	बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 20 पैसे प्रति यूनिट की रियायत।
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक का भार कारक	बिलिंग माह के दौरान, 40प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 30 पैसे प्रति यूनिट की रियायत।

भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्रों के अनुसार की जावेगी :

भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में) =

बिलिंग मांह में खपत किये गये यूनिटों की संख्या (कैप्टिव/पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित यूनिटों को छोड़कर) **X** 100

———————————————————————

बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या **X** अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग केवीए में, इनमें से जो भी अधिक हो **X** 0.8

*टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (फ्रेक्शन) को आगामी अंक तक पूर्ण किया जावेगा तथा 0.5 से कम के भिन्न को उपेक्षित (इग्नोर्ड) किया जावेगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्रतिप्राप्य यूनिटों की संख्या, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (उपभोग किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना के प्रयोजन से लिया जावेगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमवर्ती **(consecutive)** तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो कि उपभोक्ता हेतु, बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रुप में, विचाराधीन हो।*

(के) किसी विशिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर, टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(एल) टैरिफ दर में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (ड्यूटी) सम्मिलित नहीं होती, जो कि तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती है। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों तो उपभोक्ता द्वारा इनका भुगतान टैरिफ प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

(एम) एक उपभोक्ता का संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित किये जाने के उपरांत, विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।

(एन) निम्नदाब संयोजन को उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब विद्युत प्रदाय की सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी को उच्चदाब अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य (आदेशात्मक) होगा।

(ओ) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन :

यदि किसी उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ जावे, तो ऐसी दशा में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि पर प्रोत्साहन निम्नानुसार देय होगा, जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से अधिक हो :

ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर)	देय प्रोत्साहन
90 प्रतिशत से अधिक होने पर	शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अंतर्गत कुल बिल राशि पर 1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से, ऊर्जा कारक की प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु

उदाहरणः– यदि औसत मासिक भार–कारक 92% है तो प्रोत्साहन ऊर्जा प्रभारों का 2% देय होगा।

भार–कारकों की गणना हेतु, अनुबंध मांग (केवीए) पर 0.8 का औसत ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) प्रयुक्त किया जावेगा। इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक''को माह के दौरान 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। इस अनुपात को दो अंको तक पूर्णांक किया जावेगा, तृतीय अंक पर 5 से अधिक की संख्या को दशमलव के द्वितीय स्थान पर आगामी उच्चतर अंक पर पूर्णांक किया जावेगा।

(पी) टैरिफ तथा टैरिफ संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की बिना लिखित अनुमति की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जावेगा।

(क्यू) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई उपबंध उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीतात्मक हो।

———————

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

उच्चदाब (हाई टेंशन–एचटी) उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

टैरिफ अनुसूचियां	पृष्ठ
एचवी–1 रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	2
एचवी–2 कोयला खदानें	5
एचवी–3 औद्योगिक एवं गैर–औद्योगिक	8
3.1 औद्योगिक	8
3.2 गैर–औद्योगिक	8
3.3 शॉपिंग मॉल	8
एचवी–4 मौसमी	13
एचवी–5 सिंचाई एवं सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र तथा कृषि संबंधी से अन्य	17
5.1 सार्वजनिक जल–प्रदाय संयंत्र, उद्वहन सिंचाई योजनाएं तथा सामूहिक सिंचाई योजनाएं	17
5.2 कृषि संबंधी प्रयोग से अन्य	17
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता	20
टैरिफ उप–श्रेणी 6.1 हेतु	20
टैरिफ उप–श्रेणी 6.2 हेतु	20
एचवी–7 छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	23
उच्च दाब टैरिफ हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तें	25

टैरिफ अनुसूचियां

उच्चदाब (हाई टेंशन–एचटी) उपभोक्ताओं हेतु अनुसूचियां

टैरिफ अनुसूची–एचवी–1

रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) :

प्रयोज्यता :

यह टैरिफ दर रेलवे हेतु केवल कर्षण (ट्रेक्शन) भारों हेतु ही लागू होगी। संविदा मांग केवल पूर्णाकों में अभिव्यक्त की जावेगी।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक रूप से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जावेगा।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)
1	132 केवी/220 केवी पर रेलवे कर्षण	शून्य	465

निबंधन तथा शर्ते

(ए) राज्य में रेलवे नेटवर्क के तीव्रतर विद्युतीकरण एवं इसकी वृद्धि को आकर्षित किये जाने की दृष्टि से संयोजन तिथि से पांच वर्षो की अवधि हेतु उन्हीं नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जावेगी जिनके अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 08 के दौरान अंतिम किये जावेंगे।

(बी) समर्पित प्रदायक संधारण प्रभार (डेडिकेटिड फीडर मेंटनेंस चार्जेस) लागू नहीं होंगे।

(सी) **न्यूनतम खपत** : उपभोक्ता माह हेतु न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट आवर या (केडब्ल्यूएच) संविदा मांग का 20 प्रतिशत भार कारक (लोड फेक्टर) के बराबर प्रत्याभूति (गारंटी) देगा। संविदा मांग के 20 प्रतिशत भार कारक पर तत्संबधी यूनिटों की गणना हेतु 0.85 का एक औसत भार–कारक (लोड फेक्टर) प्रयुक्त किया जावेगा। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट) यदि कोई हो (अर्थात्, न्यूनतम प्रत्याभूतित

खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा।

(डी) **अधिकतम मांग का अवधारण** : प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की अधिकतम मांग, माह के दौरान किसी 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के सलाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार,प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

(ई) अन्य निबंधन तथा शर्ते वही होंगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य तथा शर्तो में उल्लेख की गई हैं।

प्रोत्साहन तथा अर्थदण्डः–

ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अर्थदण्ड :

(ए) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जावे, हेतु अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा, जो शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अंतर्गत बिल राशि के एक प्रतिशत की दर से अधिभारित किया जावेगा। ऊर्जा कारक के अवधारण हेतु केवल अनुगामी तर्क (लैग लॉजिक) का उपयोग किया जावेगा तथा अग्रगामी (लीडिंग) ऊर्जा–कारक अभिलिखत होने पर कोई ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जावेगा।

(बी) यदि ऊर्जा कारक 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी को अर्थदण्ड प्रभारों को उच्चतर स्तर पर अधिरोपित किये जाने का अधिकार होगा, जिसकी गणना 70 प्रतिशत से निम्न स्तर हेतु 2 प्रतिशत की दर से की जावेगी।

(सी) इस प्रयोजन से ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average Monthly Power Factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित कुल किलोवाट घंटे तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस अनुपात को दो अंकों तक पूर्णांक किया जावेगा तथा दशमलब के तृतीय स्थान पर 5 अथवा उससे अधिक के अंक को दशमलव के द्वितीय स्थान पर आगामी उच्चतर अंक पर पूर्णांक किया जावेगा।

(डी) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 माह के दौरान किसी भी समय 85 प्रतिशत से कम पाया जावे, तो उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 85 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगा :

– यह 6 माह की अवधि उस तिथि से मान्य की जावेगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 85 प्रतिशत से कम पाया गया था।

– समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों का बिलिंग किया जावेगा, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती तीन माह में (इस प्रकार कुल–मिलाकर चार माह) कम से कम 85% से अधिक औसत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो कथित 6 माह की अवधि को वापस ले लिया जावेगा तथा इन्हें आगामी मासिक बिलों में आकलित (क्रेडिट) किया जावेगा।

– उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 85 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 85% प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति करना होगा।

————

टैरिफ अनुसूची–एचवी–2

कोयला खदानें :–

प्रयोज्यता :

यह टैरिफ दर कोयला खदानों को पावर, वातायन (वेटिंलेशन), बत्तियां, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्रेत है समस्त ऊर्जा का कोयला खदानों, कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन में प्रकाश व्यवस्था, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि तथा उनसे संलग्न आवासीय उपयोग में विद्युत ऊर्जा की खपत को सम्मिलित किया जाना। संविदा मांग केवल पूर्णाकों में अभिव्यक्त की जावेगी।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर विद्युत प्रदाय सम्पूर्ण परिसर हेतु एक ही बिन्दु पर किया जावेगा। विद्युत प्रदाय, तथापि, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जावेगी।

टैरिफ :

विभिन्न उपश्रेणियों हेतु टैरिफ दर, चालू मासिक खपत पर आधारित निम्न तालिका के अनुसार होगी :

स.क्र.	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
	कोयला खदानें		
1	11 केवी प्रदाय	385	428
2	33 केवी प्रदाय	385	403
3	132 केवी प्रदाय	385	388
4	220 केवी प्रदाय	385	378

निबंधन तथा शर्तें

(ए) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार निर्धारित होगी :

– *220/132 केवीए पर विद्युत प्रदाय :* उपभोक्ता को 1980 यूनिट प्रति केवीए की अनुबंध मांग पर आधारित वार्षिक न्यूनतम खपत की प्रतिभूति (गारंटी) देनी होगी चाहे वर्ष में किसी ऊर्जा की खपत की जावे अथवा नहीं। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट), यदि कोई हो (अर्थात, न्यूनतम प्रत्याभूत की गई खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा तथा कम यूनिटों (डेफिसिट यूनिट्स) का समायोजन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जावेगा।

– *33/11 केवीए पर विद्युत प्रदाय :* उपभोक्ता को 1200 यूनिट प्रति केवीए, की अनुबंध मांग पर आधारित वार्षिक न्यूनतम खपत की प्रतिभूति (गारंटी) देनी होगी चाहे वर्ष में किसी ऊर्जा की खपत की जावे अथवा नहीं। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट) यदि कोई हो (अर्थात,न्यूनतम प्रत्याभूत की गई खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा तथा कम यूनिटों (डेफिसिट यूनिट्स) का समायोजन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जावेगा।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव)** : उपभोक्ता निम्नांकित व्यवस्था के अनुसार भार कारक (लोड फेक्टर) आधारित ऊर्जा प्रभारों पर प्रोत्साहनों की पात्रता रखेगा :

भार कारक सीमा	प्रोत्साहन	**ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना**
भार कारक <=50%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
50%<भार कारक <=60%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर 50% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.5% का प्रोत्साहन देय होगा।	= (x-50) * 0.50
60%<भार कारक <=70%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (60% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 5% धन (+) 0.4% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 5.00 + (x-60) * 0.40
70%<भार कारक <=80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (70% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 9% धन (+) 0.3% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 9.00 + (x-70) * 0.30
भार कारक >80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (80% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 12% धन (+) 0.2% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 12.00+(x-80)* 0.20

उदाहरण,

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 42 प्रतिशत होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर छूट (डिसकाउंट) प्राप्त नहीं करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 52 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 52 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [0.5 प्रतिशत * (52–50)] = 1 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 62 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 62 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [5 प्रतिशत + 0.4 प्रतिशत * (62–60)] = 5%+0.8%=5.8 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 72 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [9 प्रतिशत + 0.3 प्रतिशत * (72–70)] = 9%+0.6% = 9.6 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह सम्पूर्ण खपत पर 82 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी* [12 प्रतिशत +0.2 *प्रतिशत* *(82-80)]=12%+0.4%=12.4 प्रतिशत छूट (डिसकांउट) प्राप्त करेगा।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूटः** यह शर्त दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि/खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जावेगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्ते वह होंगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबन्धनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–3

औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.1 (औद्योगिक) समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर परन्तु, कोयला खदानों को छोड़कर, पावर, बत्ती, पंखा आदि को लागू होगा जिससे अभिप्रेत है कार्यालयों, मुख्य फेक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक) रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी संस्थापनाओं को लागू होगा जिनके पावर, बत्ती तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हैं जिस से अभिप्रेत है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे, जो कि निम्नदाब गैर–घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, बशर्ते उच्चदाब उपभोक्ता किसी भी प्रकार से अन्य निम्नदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा को न ही पुर्नवितरित करेगा अथवा इसे उप–भाटक पर देगा।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल) शॉपिंग मॉल की संस्थापनाओं को लागू होगा जिनमें निम्न परिभाषित गैर–औद्योगिक समूह सम्मिलित हैं जो कि इस अनुसूची में दर्शाये विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्ते के अध्यधीन होंगे।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय एकल बिन्दु पर किया जावेगा।

टैरिफ :

विभिन्न उप–श्रेणियों हेतु टैरिफ दर चालू मासिक खपत पर आधारित निम्न तालिका के अनुसार होगी :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता उप–श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
3.1	**औद्योगिक**		
	11 केवी प्रदाय	130	405
	33 केवी प्रदाय	220	386

	132 केवी प्रदाय	320	356
3.2	गैर–औद्योगिक		
	11 केवी प्रदाय	120	430
	33 केवी प्रदाय	200	400
	132 केवी प्रदाय	300	370
3.3	शॉपिंग मॉल		
	11 केवी प्रदाय	125	435
	33 केवी प्रदाय	205	405

निबंधन तथा शर्तें :

(ए) न्यूनतम खपत : निम्नानुसार निर्धारित होगी :

– *220/132 केवीए पर विद्युत प्रदाय :* उपभोक्ता को 1980 यूनिट प्रति केवीए की अनुबंध मांग पर आधारित वार्षिक न्यूनतम खपत की प्रतिभूति (गारंटी) देनी होगी चाहे वर्ष में किसी ऊर्जा की खपत की जावे अथवा नहीं। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट), यदि कोई हो (अर्थात, न्यूनतम प्रत्याभूत की गई खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा। **रोलिंग मिल्स हेतु वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर) 1200 यूनिट प्रति केवीए अनुबंध मांग पर आधारित होगी** तथा कम यूनिटों (डेफिसिट यूनिट्स) का समायोजन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जावेगा।

– *33/11 केवीए पर विद्युत प्रदाय :* उपभोक्ता को 1200 यूनिट प्रति केवीए, की अनुबंध मांग पर आधारित वार्षिक न्यूनतम खपत की प्रतिभूति (गारंटी) देनी होगी चाहे वर्ष में किसी ऊर्जा की खपत की जावे अथवा नहीं। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट) यदि कोई हो (अर्थात,न्यूनतम प्रत्याभूत की गई खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा तथा कम यूनिटों (डेफिसिट यूनिट्स) का समायोजन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जावेगा।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव)** : उपभोक्ता निम्नांकित व्यवस्था के अनुसार भार कारक (लोड फेक्टर) आधारित ऊर्जा प्रभारों पर प्रोत्साहन की पात्रता रखेगा :

भार कारक सीमा	प्रोत्साहन	ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना
भार कारक <=50%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
50%<भार कारक <=60%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (50% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.5% का) प्रोत्साहन देय	= (x-50) * 0.50

	होगा।	
60%<भार कारक <=70%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (60% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 5% धन (+) 0.4% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 5.00 + (x-60) * 0.40
70%<भार कारक <=80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (70% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 9% धन (+) 0.3% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 9.00 + (x-70) * 0.30
भार कारक >80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (80% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 12% धन (+) 0.2% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 12.00+(x-80)* 0.20

उदाहरण,

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 42 प्रतिशत होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर छूट (डिसकाउंट) प्राप्त नहीं करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 52 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 52 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [0.5 प्रतिशत * (52–50)] = 1 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 62 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 62 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [5 प्रतिशत + 0.4 प्रतिशत * (62–60)] = 5%+0.8%=5.8 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 72 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [9 प्रतिशत + 0.3 प्रतिशत * (72–70)] = 9%+0.6% = 9.6 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह सम्पूर्ण खपत पर 82 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी* [12 प्रतिशत +0.2 *प्रतिशत* *(82-80)]=12%+0.4%=12.4 प्रतिशत छूट (डिसकांउट) प्राप्त करेगा।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह शर्त दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि/खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत अधिभार के रूप में

2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जावेगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

(डी) **ग्रामीण संभाारकों (रूरल फीडर्स) के माध्यम से विद्युत प्रदाय हेतु छूट** : ग्रामीण संभारकों से विद्युत प्राप्त करने वाले इस श्रेणी के उच्चदाब उपभोक्ताओं को स्थाई प्रभारों पर तथा तत्संबंधी वोल्टेज स्तरों हेतु उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट की गई न्यूनतम खपत (किलोवॉट ऑवर) पर 10 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।

(ई) **शॉपिंग मॉलः**– यह किसी शहरी क्षेत्र में एक बहु–मंजिला बाजार करने का शॉपिंग केन्द्र है, जो पैदल भ्रमण करने वालों हेतु मार्ग तक सीमित एक समावृत है तथा जिनमें स्वतन्त्र खुदरा स्टोर्स का समूह, सेवाएं तथा वाहनों हेतु पार्किंग क्षेत्र किसी इकाई के रुप में किसी प्रबन्धन संस्थान/विकासकर्ता द्वारा निर्मित तथा संधारित किये जाते हैं।

(एफ) **शॉपिंग मॉल हेतु विशिष्ट निबन्धन एवं शर्तेः**–

(i) वैयक्तिक अन्तिम छोर के प्रयोक्ता को ऐसी टैरिफ दर अधिरोपित नही की जावेगी जो निम्न दाब संयोजन के प्रकरण में गैर–घरेलू टैरिफ दर तथा उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में उच्च दाब गैर–औद्योगिक टैरिफ दर से अधिक हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अवधारित किया गया है।

(ii) इस श्रेणी के अन्तर्गत समस्त अन्तिम छोर प्रयोक्ताओं को प्रबन्धन संस्थान/विकासकर्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी से शॉपिंग मॉल में विद्युत प्रदाय उपलब्धि हेतु टैरिफ दर की लाभ प्राप्ति हेतु एक त्रि–पक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(जी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–4

मौसमी :–

प्रयोज्यता :

यह टैरिफ दर ऐसे मौसमी (सीजनल) उद्योगों/उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के प्रयोजनों से एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 180 दिवस की अवधि हेतु तथा न्यूनतम 3 माह की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। **यदि घोषित मौसम का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में संबंधित अवधि की टैरिफ दर प्रयोज्य होगी।**

अनुज्ञप्तिधारी इस टैरिफ दर को केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही अनुज्ञेय करेगा। संविदा मांग की अभिव्यक्ति केवल पूर्णांकों में ही की जावेगी।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण परिसर हेतु पावर (ऊर्जा) एकल बिन्दु पर प्रदान की जावेगी।

टैरिफ : 8

	उपभोक्ताओं की श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
	मौसम (सीजन) के दौरान		
	11 केवी प्रदाय	180	420
	33 केवी प्रदाय	200	400
	मौसम बाह्य (आफ सीजन) के दौरान		
	11 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग (अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो)के 10 प्रतिशत पर, रूपये 180	504 अर्थात्, सामान्य ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत
	33 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग (अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो) के 10 प्रतिशत पर, रूपये 200	480 अर्थात्, सामान्य ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत

निबंधन तथा शर्ते :

(ए) **न्यूनतम खपत** : उपभोक्ता संविदा मांग के 900 यूनिट प्रति केवीए की न्यूनतम वार्षिक खपत की प्रतिभूति (गारंटी) प्रदान करेगा।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव)** : उपभोक्ता निम्नांकित व्यवस्था के अनुसार भार कारक (लोड फेक्टर) आधारित ऊर्जा प्रभारों पर प्रोत्साहन की पात्रता रखेगा :

भार कारक सीमा	प्रोत्साहन	ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना
भार कारक <=50%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
50%<भार कारक <=60%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (50% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.5% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= (x-50) * 0.50
60%<भार कारक <=70%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (60% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 5% धन (+) 0.4% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 5.00 + (x-60) * 0.40
70%<भार कारक <=80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (70% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 9% धन (+) 0.3% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 9.00 + (x-70) * 0.30
भार कारक >80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (80% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 12% धन (+) 0.2% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 12.00+(x-80)* 0.20

उदाहरण

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 42 प्रतिशत होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर छूट (डिसकाउंट) प्राप्त नहीं करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 52 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 52 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [0.5 प्रतिशत * (52–50)] = 1 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 62 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 62 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [5 प्रतिशत + 0.4 प्रतिशत * (62–60)] = 5%+0.8%=5.8 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 72 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [9 प्रतिशत + 0.3 प्रतिशत * (72–70)] = 9%+0.6% = 9.6 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह सम्पूर्ण खपत पर 82 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी* [12 प्रतिशत +0.2 *प्रतिशत* *(82-80)]=12%+0.4%=12.4 प्रतिशत छूट (डिसकांउट) प्राप्त करेगा।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूटः** यह शर्त दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि/खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जावेगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

(डी) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (आफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।

(ई) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(एफ) यह टैरिफ दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(जी) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत, पिछले मौसम/चालू मौसम के अंतर्गत जो भी लागू हो, की औसत मासिक खपत का 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जावे तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, एचवी–3 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची दर के अनुसार की जावेगी।

(एच) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जावे, तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, एचवी–3 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची के अनुसार की जावेगी।

(आई) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–5

उच्चदाब सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र तथा कृषि संबंधी से अन्य

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.1 उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) योजनाओं, समूह सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन), सार्वजनिक उपयोगिता की जल–प्रदाय योजनाओं, जलमल उपचार सयंत्रों/जलमल पंपिंग संयत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग की गई ऊर्जा हेतु ही लागू होगी।

टीपः– निजी जल–प्रदाय योजना, संस्थानों द्वारा चलाई जा रही जल–प्रदाय योजनाएं जो इनके द्वारा अपने निजी उपयोग/कर्मचारियों/टाऊनशिपों, आदि हेतु संचालित की जाती हों, इस श्रेणी में नहीं आयेंगी परन्तु, इनकी बिलिंग उपयुक्त टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जावेगी, जिसके अन्तर्गत ये संस्थान आते हैं। यदि जल–प्रदाय का उपयोग दो या दो से अधिक विभिन्न प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है तो ऐसी दशा में उच्चतम टैरिफ दर प्रयोज्य होगी।

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.2 कृषि पंप संयोजनों, को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय, जैसे कि डेरी (हैचरी), कुक्कुट पालन (पोल्ट्री), पशु–प्रजनन केन्द्र (केटल ब्रीडिंग फार्म), चारागाह (ग्रासलेंड), सब्जी, फल, पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली इकाईयों आदि को लागू होगी।

सेवा का स्वरूप

सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु

उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण परिसर हेतु पावर (ऊर्जा) सामान्यतः एकल बिन्दु पर प्रदान की जावेगी।

टैरिफ :

	उपभोक्ताओं की श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	सार्वजनिक जल प्रदाय संयत्र, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई योजनाएं		
	11 केवी प्रदाय	110	315
	33 केवी प्रदाय	115	295
	132 केवी प्रदाय	120	265
5.2	कृषि संबंधी प्रयोग से अन्य उपयोग		
	11 केवी प्रदाय	140	320

	33 केवी प्रदाय	130	300
	132 केवी प्रदाय	120	280

निबंधन तथा शर्ते :

(ए) उपभोक्ता वर्ष के दौरान अभिलिखित की गई अधिकतम मांग के उच्चतम अथवा निविदा मांग इनमें से जो भी अधिक हो की 720 यूनिट प्रति केवीए की न्यूनतम वार्षिक खपत की प्रतिभूति (गारंटी) प्रदान करेगा।

(बी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार / छूटः** यह शर्त दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि / खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार / छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगेः

स.क्र.	शीर्ष / शीर्ष–बाह्य अवधि	ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार / छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जावेगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार / छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

(सी) **मांग पक्ष प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन** : अनुज्ञप्तिधारी की तृष्टि अनुसार, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेटस् हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द / मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जावेगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जावेगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जावेगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–6

थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसीडेन्शियल यूजर्स)

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी–6.1 औद्योगिक अथवा अन्य टाऊनशिप (उदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं), पंजीकृत समूह गृह–निर्माण समितियां (टैरिफ श्रेणी एचवी–6.2 के उपभोक्ताओं को छोड़कर), आवासीय कालोनियां जो उच्चदाब विद्युत प्रदाय की इच्छुक हों (उद्योगों की टाऊनशिप को सम्मिलित कर अस्पतालों, एमईएस तथा सीमांत ग्रामों), के लिए घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) हेतु लागू होगी, बशर्ते यह कि अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर–घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत होगा :–

(ए) जल प्रदाय तथा जल–मल सीवेज पंपिंग, अस्पताल हेतु – **कोई सीमा का बंधन नहीं होगा**

(बी) गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से – **कुल संयोजित भार का 10 प्रतिशत**

टैरिफ श्रेणी एचवी–6.2, **भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798(ई) दिनांक 9 जून 2005** के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह–निर्माण समितियों को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्ते विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के उपबन्धों के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण परिसर हेतु पावर (ऊर्जा) सामान्यतः एकल बिन्दु पर प्रदान की जावेगी।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
1.	टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.1 हेतु		
	11 केवी प्रदाय	100	350
	33 केवी प्रदाय	110	330

	132 केवी प्रदाय	120	310
2.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.2 हेतु**		
	11 केवी प्रदाय	20	315
	33 केवी प्रदाय	20	310
	132 केवी प्रदाय	20	300

निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **न्यूनतम खपत** : किसी भी वोल्टेज स्तर पर, उपभोक्ता माह हेतु संविदा मांग के 10 प्रतिशत भार कारक (लोड फेक्टर) के बराबर न्यूनतम मासिक खपत (किलोवाट आवर में) की प्रतिभूति (गारंटी) देगा। तत्संबंधी यूनिटों की गणना हेतु 0.90 का एक औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) संविदा मांग पर 10 प्रतिशत का भार कारक प्रयुक्त किया जावेगा। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट), यदि कोई हो (अर्थात, न्यूनतम प्रत्याभूत की गई खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा तथा कम यूनिटों (डेफिसिट यूनिट्स) का समायोजन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जावेगा।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव) :** उपभोक्ता निम्नांकित व्यवस्था के अनुसार भार कारक (लोड फेक्टर) आधारित ऊर्जा प्रभारों पर प्रोत्साहन की पात्रता रखेगा :

भार कारक सीमा	प्रोत्साहन	ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना
भार कारक <=50%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
50%<भार कारक <=60%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (50% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.5% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= (x-50) * 0.50
60%<भार कारक <=70%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (60% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 5% धन (+) 0.4% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 5.00 + (x-60) * 0.40
70%<भार कारक <=80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (70% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 9% धन (+) 0.3% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 9.00 + (x-70) * 0.30

भार कारक >80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (80% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 12% धन (+) 0.2% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 12.00+(x-80)* 0.20

उदाहरण

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 42 प्रतिशत होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर छूट (डिसकाउंट) प्राप्त नहीं करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 52 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 52 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [0.5 प्रतिशत * (52–50)] = 1 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 62 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 62 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [5 प्रतिशत + 0.4 प्रतिशत * (62–60)] = 5%+0.8%=5.8 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 72 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [9 प्रतिशत + 0.3 प्रतिशत * (72–70)] = 9%+0.6% = 9.6 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह सम्पूर्ण खपत पर 82 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी* [12 प्रतिशत +0.2 *प्रतिशत* *(82-80)]=12%+0.4%=12.4 प्रतिशत छूट (डिसकांउट) प्राप्त करेगा।

(सी) टैरिफ श्रेणी एचवी 6.1 के अन्तर्गत वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता को तत्स्थानी निम्न दाब श्रेणी की प्रयोज्य टैरिफ दर से अधिक की दर अधिरोपित नहीं की जावेगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———————

टैरिफ अनुसूची–एचवी–7

छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय (बल्क सप्लाई टू एक्जेम्पटीज)

प्रयोज्यता :

यह टैरिफ दर ग्रामीण सहकारी समितियों, किसी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत संस्था, प्रयोक्ता संघ (यूजर्स एसोसियेशन), सहकारी संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं अथवा उनके प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) अर्थात् वे उपभोक्ता जिन्हें कि विद्युत अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 13 के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई हो, को लागू होगी।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय एकल बिन्दु पर किया जावेगा। तथापि विद्युत प्रदाय, ग्रामीण सहकारी समिति के अनुरोध पर, उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जावेगी।

समस्त वोल्टेज स्तरों हेतु टैरिफ दरः

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय		
(ए)	ग्रामीण सहकारी समितियां जो विद्युत का मिश्रित उपयोग कर रही हैं	165	295
(बी)	राज्य शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित घरेलू तथा कृषि उपयोग (अधिकतम 10 प्रतिशत गैर–घरेलू उपयोग अनुज्ञेय किया जावेगा)	60	220
(सी)	शहरी क्षेत्रों में मिश्रित घरेलू तथा गैर–घरेलू उपयोग (कुल प्रयोग के 10 प्रतिशत के अध्यधीन)	110	270

निबंधन तथा शर्तें :

(ए) विद्युत प्रदाय केवल 33 केवी तथा इससे अधिक वोल्टेज पर प्रदाय किया जावेगा। **तथापि, ग्रामीण सहकारी समितियों को 11 केवी पर संयोजन किये जाने बाबत अनुज्ञेय किया जा सकता है।** छूट प्राप्तकर्ताओं द्वारा वैयक्तिक उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले प्रभार, तत्संबंधी श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट टैरिफ दर के अनुसार सीमित रखे जावेंगे।

(बी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूटः** यह शर्त दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि/खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जावेगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

(सी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

उच्चदाब टैरिफ हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें

<u>निम्न निबंधन तथा शर्ते समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो कि तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होंगी :</u>

मांग का अवधारण

1.1 प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की अधिकतम मांग, माह के दौरान 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के सलाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

1.2 **बिलिंग मांग (बिलिंग डिमांड)** : माह के दौरान, माह हेतु, बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न

(फ्रेक्शन) को आगामी अंक पर पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 से कम के भिन्न को उपेक्षित (इग्नोर्ड) किया जावेगा।

1.3 **टैरिफ न्यूनतम बिलिंग** : यदि कोई उपभोक्ता वित्तीय वर्ष के किसी एक माह में (यदि वार्षिक न्यूनतम उपभोग उस श्रेणी हेतु लागू हो) संचयी (कुमुलेटिव) उपभोग निर्धारित वार्षिक न्यूनतम उपभोग से अधिक को अभिलिखित करता है, तो ऐसी दशा में कोई भी टैरिफ न्यूनतम बिलिंग आगामी महीनों हेतु नहीं की जावेगी।

1.4 **पूर्णांक करना (राऊडिंग ऑफ)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जावेगा।

छूट/अर्थदण्डः

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (पावर फेक्टर इनसेन्टिव)

1.5 यदि किसी उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 95 प्रतिशत से अधिक बढ़ जावे, तो ऐसी दशा में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि पर प्रोत्साहन निम्नानुसार देय होगा, जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 95 प्रतिशत से अधिक हो :

ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर)	देय प्रोत्साहन
95 प्रतिशत से अधिक	शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अंतर्गत कुल बिल राशि पर 1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से प्रत्येक ऊर्जा कारक में 1(एक) प्रतिशत वृद्धि होने पर

उदाहरणः– यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 97 प्रतिशत है, तो देय प्रोत्साहन ऊर्जा प्रभारों का 2 प्रतिशत होगा।

ऊर्जा कारक अर्थदंड (पावर फेक्टर पैनाल्टी)

1.6 यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1% (एक) प्रतिशत हेतु, जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जावे, हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 1% (एक प्रतिशत) का भुगतान शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अन्तर्गत करेगा।

1.7 यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1 (एक) प्रतिशत हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जावे, हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 2% (दो प्रतिशत) का भुगतान शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अन्तर्गत करेगा।

1.8 यदि ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) 70 प्रतिशत से कम गिर जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की अधिस्थापना का विद्युत प्रदाय असंयोजित करने का अधिकार होगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टिपर्यन्त इस संबंध में उसके द्वारा आवश्यक कदम उठा नहीं लिये जाते; तथापि, यह निम्न पावर फेक्टर के कारण विद्युत प्रदाय को असंयोजित न किये जाने के कारण उपभोक्ता पर अर्थदण्ड को प्रभारों को अधिरोपित किये जाने संबंधी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

1.9 इस प्रयोजन से ''औसत मासिक ऊर्जा कारक ''(Average Monthly Power Factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित कुल किलोवाट घंटे तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस अनुपात को दो अंकों तक पूर्णांक किया जावेगा तथा दशमलब के तृतीय स्थान पर 5 अथवा उससे अधिक के अंक को दशमलव के द्वितीय स्थान पर आगामी उच्चतर अंक पर पूर्णांक किया जावेगा।

1.10 उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जावे, तो उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगाः

(ए) यह 6 माह की अवधि उस तिथि से मान्य की जावेगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।

(बी) समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों का बिलिंग किया जावेगा, परन्तु यदि उपभोक्ता औसत आगामी तीन महीनों के दौरान (इस प्रकार कुल चार माह) कम से कम 90% ऊर्जा कारक संधारित करे तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों को कथित 6 माह की अवधि को वापिस ले लिया जावेगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें आकलित (क्रेडिट) किया जावेगा।

(सी) उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति करना होगा।

आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :

1.11 उपभोक्ता को सम्पूर्ण समय पर, वास्तविक अधिकतम मांग संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। ऐसे प्रकरण में, जहां कि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से बढ़ जाती है तो पूर्व में दर्शाई गई टैरिफ दरें संविदा मांग की सीमा तक ही प्रयोज्य होंगी। संविदा मांग से अधिक प्राप्त की गई मांग (जिसे इसके बाद ''अधिक मांग'' कहा जावेगा) को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा माना जावेगा तथा बिलिंग के प्रयोजन से इसकी पृथक से गणना की जावेगी। किसी माह में इस प्रकार से अधिक की गई गणना, यदि कोई हो को समस्त उपभोक्ताओं पर, केवल रेलवे कर्षण को छोड़कर निम्न दरों के अनुसार पारित किया जावेगाः—

(अ) संविदा मांग से अधिक, 15% तक की आधिक्य मांग पर—सामान्य स्थाई प्रभारों का डेढ़ गुना

(ब) संविदा मांग से अधिक, 15% से आधिक की आधिक्य मांग पर—सामान्य स्थाई प्रभारों का दो गुना

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा 3 बिलिंग माह के अन्तर्गत अधिकतम अभिलिखित मांग 140 केवीए है, तो उपभोक्ता पर स्थाई प्रभारों हेतु बिलिंग निम्नानुसार की जावेगीः—

(i) 100 केवीए तक, सामान्य टैरिफ दर के अनुसार

(ii) 100 केवीए से अधिक, परन्तु 115 केवीए तक, अर्थात् 15 केवीए हेतु, सामान्य टैरिफ दर का डेढ़ गुना

(iii) 115 केवीए से अधिक, परन्तु 140 केवीए तक, अर्थात् 25 केवीए हेतु, सामान्य टैरिफ दर का दो गुना

1.12 रेलवे कषर्ण के प्रकरण में, कोई भी मांग प्रभार अधिरोपित नहीं किये जावेंगे यदि अधिकतम मांग, संविदा मांग का 120% तक हो। मांग प्रभार, अधिकतम मांग के रु. 300 प्रति केवीए की दर से भारित किये जावेंगे (अर्थात्, संविदा मांग के 120% से अधिक मांग प्रभार पर) यदि अधिकतम मांग संविदा मांग के 120% से अधिक है। ऐसा करते समय, विद्युत टैरिफ के अन्य उपबन्ध (जैसे कि, टैरिफ न्यूनतम प्रभार आदि) उपरोक्त कथित आधिक्य मांग पर भी प्रयोज्य होंगे।

1.13 किसी माह में की गई अधिक मांग की गणना को मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जावेगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।

1.14 उपभोक्ता को प्रयोज्य अधिक मांग की बिलिंग सामान्य टैरिफ दर के डेढ़ गुना/दो गुना दर पर किया जाना, विद्युत प्रदाय संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विद्युत प्रदाय बंद किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

विलंबित भुगतान अधिभार

1.15 देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर बकाया राशि (एरियर्स राशि को सम्मिलित कर) पर अधिभार का भुगतान एक प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके अंश हेतु करना होगा। माह के एक अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जावेगा। उपभोक्ता को स्थाई रूप से असंयोजित कर दिये जाने पर विलंबित भुगतान अधिकार प्रयोज्य न होगा।

अग्रिम भुगतान पर छूट

1.16 खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये अग्रिम भुगतान हेतु, जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, 1.0 (एक) प्रतिशत की छूट प्रतिमाह उस राशि पर दी जावेगी जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उपभोक्ता के लेखे में (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, आकलित (क्रेडिट) कर दी जावेगी।

अनादरित धनादेशों (डिसआनर्ड चेक्स) पर सेवा प्रभार

1.17 ऐसे प्रकरण में जहां कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां पर नियमों के अनुसार रूपये 1000/– प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, आरोपित किया जावेगा।

उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय

1.18 यदि कोई उपभोक्ता किसी अस्थाई अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत प्रदाय चाहता हो तो अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को पृथक सेवा माना जावेगा तथा इसे निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रभारित किया जावेगा :

(ए) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की डेढ़ गुना दर पर प्रभारित किये जावेंगे।

(बी) उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर) प्रतिभूतित करनी होगी जैसा कि यह स्थाई उपभोक्ताओं को अनुपातिक आधार पर प्रयोज्य है तथा निम्न दर्शाये गये दिवसों संबंधी विवरण पर आधारित हैः–

$$\textbf{अस्थाई अवधि हेतु अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु, न्यूनतम खपत} = \frac{\textbf{स्थाई विद्युत प्रदाय को प्रयोज्य वार्षिक न्यूनतम खपत } \times \textbf{ अस्थाई संयोजन की न्यूनतम दिवस संख्या}}{\textbf{वर्ष में दिवसों की संख्या}}$$

(सी) बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

(डी) उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व, उसे प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो कि उसके द्वारा समय–समय पर प्रतिपूर्ति के अध्यधीन होगी तथा जिसे संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक में समायोजित किया जावेगा।

(ई) उपभोक्ता मीटरिंग प्रणाली हेतु भाड़े का भुगतान करेगा।

(एफ) संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों का भुगतान अलग–अलग करना होगा।

(जी) विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में, अस्थाई संयोजन को विद्यमान स्थाई उच्च दाब संयोजन के माध्यम से निर्धारण की निम्न पद्धति के अनुसार दिया जा सकेगाः–

(i) सामान्य टैरिफ दर के अनुसार माह हेतु बिलिंग की जाने वाली मानी गई संविदा मांग = संविदा मांग (विद्यमान) + संविदा मांग (अस्थाई संयोजन हेतु)

(ii) माह हेतु बिलिंग मांग टैरिफ आदेशानुसार उक्त माह हेतु, मानी गई संविदा मांग के अनुसार होगी।

(iii) स्थाई संयोजन हेतु माह के दौरान बिलिंग हेतु खपत (A)

संविदा मांग (स्थाई)

$$A = \frac{\text{संविदा मांग (स्थाई)}}{\text{मानी गई संविदा मांग}} \times \text{कुल खपत}$$

अस्थाई संयोजन हेतु खपत=कुल खपत – (A)

(iv) उपरोक्तानुसार, अस्थाई संयोजन हेतु खपत की गणना, बिलिंग सामान्य ऊर्जा प्रभारों की डेढ़ गुना दर पर की जावेगी।

(v) भार–कारक रियायत (लोड फेक्टर कन्सेशन) अस्थाई संयोजन संबंधी खपत पर अनुज्ञेय नहीं होगी।

(आई) ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अर्थदण्ड उसी दर पर प्रयोज्य होंगे जो कि स्थाई संयोजन हेतु लागू हैं।

अन्य निबंधन तथा शर्तें

1.19 पूर्व में दर्शाई गई टैरिफ दरें विभिन्न विद्युत प्रदाय वोल्टेज सहित संविदा मांग के भारों हेतु निम्नानुसार प्रयोज्य होंगी :

मानक प्रदाय वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
11 केवी	60 केवीए	300 केवीए
33 केवी	100 केवीए	10000 केवीए
132 केवी	5000 केवीए	50000 केवीए
220 केवी	40000 केवीए	–

1.20 तकनीकी कारणों से उपरोक्त न्यूनतम/अधिकतम संविदा मांग से विचलन, यदि कोई हो, तो इसे गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

1.21 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 11 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.22 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 10000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 33 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.23 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 132 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.24 मीटर किराया विविध प्रभार की अनुसूची के अनुसार प्रभारित किया जावेगा। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जावेगा।

1.25 भार–कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जावेगी :

भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में) = बिलिंग मांह में खपत किये गये यूनिटों की संख्या (कैप्टिव/पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित यूनिटों को छोड़कर) / बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या X अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग केवीए में, इनमें से जो भी अधिक हो X 0.9

*टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (फ्रेक्शन) को आगामी अंक तक पूर्ण किया जावेगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (इग्नोर्ड) किया जावेगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (उपभोग किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिओं को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से लिया जावेगा। उपभोक्ता हेतु बिलिंग के प्रयोजन से माह के दौरान विचाराधीन अवधि बिलिंग माह मापयन्त्र (मीटर) वाचन की दो क्रमवर्ती **(Consecutive)**तिथियों के बीच की अवधि दिवसों की संख्या के रुप में होगी।*

1.26 टैरिफ दर में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (ड्यूटी) सम्मिलित नहीं होती, जो कि तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती है। ऐसे प्रभार, यदि ये लागू हों, तो इनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा टैरिफ प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

1.27 इस टैरिफ आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में, किसी विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

1.28 टैरिफ अथवा टैरिफ संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की बिना लिखित अनुमति की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जावेगा।

1.29 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय का उपयोग करता हो, तो ऐसी दशा में उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई वोल्टेज के अनुसार की जावेगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जावेंगे।

1.30 समस्त उपभोक्ताओं को जिनके द्वारा स्थाई प्रभारों का भुगतान किया जाना आवश्यक है की प्रत्येक माह में स्थाई प्रभारों का भुगतान करना अनिर्वाय होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

1.31 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही उपबंध, यदि कोई हों, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध, से विपरीत हों।

———

आपत्तिकर्ताओं की सूची

परिशिष्ट–II

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु दिनांक 06.02.2008 को आयोजित सुनवाई (मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी) याचिका क्रमांक पी–64/07	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्ताओं के नाम
1.	श्री पी. जी नाजपाण्डे, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच, 6/47, रामनगर आधारताल जबलपुर
2.	चीफ इलेक्ट्रीकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्जीनियर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
3.	अध्यक्ष, महाकौशल पॉलीबैग्स निर्माता एवं विक्रेता संघ, 21 एस.के. शॉपिंग सेंटर, नौदारा ब्रिज, नगर रोड, जबलपुर
4.	एमपी इलेक्ट्रीसिटी कंस्यूमर्स सोसाइटी, द्वारा, ऑल इण्डिया मेन्यूफेक्चरर्स आर्गेनाईजेशन, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राऊंड, इन्दौर 452015
5.	सर्वश्री राजेश कुमार राय, शशिभूषण दूबे, कृष्ण चन्द्र शर्मा, अभय कुमार जैन, सुमनलता ब्रिजपुर्रिया, डॉ. एच.के.बी. पारेख, सुनील कुमार रॉय, हरिवंश सिंह, गोपालदास कोरी, गजेन्द्र, आई.के. अग्रवाल, डॉ. आर.के. चौरसिया, डॉ. एन.के.खरे, जे.सी.मंगलम, मुरलीधर मंगतारी, श्रीमती प्रमिला वर्मा, आर.के. सोनी, डॉ. अमरचन्द्र, विष्णु.पी.भार्गव, डॉ. जी.आर. गजेन्द्र
6.	श्री. एस.पी. कुरचनिया, डॉ. आर.के. शर्मा, डॉ. जी.एस. ठाकुर, डॉ. बी.डी. राय, डॉ. एम.एल. नायक
7.	श्री जी.सी. जैन, उपाध्यक्ष (कार्य.), एचजेआई–प्रो.जीएमएम क. लि., पोस्ट. अमलाई पेपर मिल्स, जिला–अनूपपुर
8.	नगर पालिका निगम, जबलपुर, उनके आयुक्त के माध्यम से जबलपुर, म.प्र.
9.	श्री प्रकाश काबरा, मध्यप्रदेश खाण्डसारी निर्माता संघ, बगीचा, गाडरवारा–487551
10.	प्रबन्ध संचालक, ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, नौगांव, जिला – छतरपुर (म.प्र.)

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु दिनांक 07.02.2008 तथा 08.02.2008 को आयोजित सुनवाई (मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी) याचिका क्रमांक पी–63/07	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्ताओं के नाम
1.	श्री दिनेश यादव, महेश इलेक्ट्रीकल्स, महाकाल मार्ग, संजय चौक, उज्जैन
2.	चीफ इलेक्ट्रीकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्जीनियर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
3.	मे. वीनस एलायज प्रा. लि., 67 इण्डस्ट्रीयल एरिया, मन्दसौर, दूरभाष 07422–255601/255604
4.	में. जयदीप इस्पात एण्ड एलॉयज प्रा. लि., 103, लक्ष्मी टॉवर, 576, एमजी रोड, इंदौर, दूरभाष 2549781–82–83
5.	मे. मोयरा स्टील्स लिमिटेड, 103 लक्ष्मी टावर, 576, एमजी रोड, इंदौर, दूरभाष 3045114 तथा 3045115
6.	आल इण्डिया इण्डक्शन फर्नेसिस एसोसियेशन, मप्र चेप्टर, द्वारा मे. वीनस एलायज प्रा. लि. 67 इण्डस्ट्रियल एरिया, मन्दसौर दूरभाष 07422–255601/255604
7.	में, एसोसियेशन ऑफ इण्डट्रीज मध्यप्रदेश, उद्योग भवन, पोलो ग्राऊंड, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, इन्दौर 452015, दूरभाष 2420566, 2421837
8.	एमपी इलेक्ट्रीसिटी कन्स्यूमर्स सोसाइटी, द्वारा, आल इण्डिया मेन्यूफेक्चरर्स आर्गेनाईजेशन, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राऊंड, इन्दौर 452015
9.	एसोसियेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, 1 बी/1, 1 बी/2ए/1, आईएस गजरा इण्डस्ट्रियल एरिया, एबी रोड, देवास–455001, दूरभाष 07272–258052 एवं 259455
10.	मे. शिवांगी एस्टेट लि. 170/10, फितम कालोनी, आरएनटी मार्ग–इन्दौर
11.	मे. अनन्त स्टील्स प्रा. लिमिटेड, 170/10, फिल्म कालोनी, रवीन्द्र नाट्य गृह के सामने, आएनटी मार्ग, इंदौर–452001
12.	मे. गोल्डन इन्गॉट्स प्रा. लिमिटेड, 219–220, सेक्टर–एफ, सांवेर रोड, इंदौर–452015
13.	ई. लोकेन्द्र धनगर, नर्मदा किसान संघ, जिला–बड़वानी
14.	श्री मधुसूदन पाटीदार, भारतीय किसान संघ, जिला–बड़वानी
15.	श्री राजेन्द्र दामोदरजी पाण्डे, पो–चिकलदा, तह– कुक्षी, जिला – धार मप्र,–9301567277 श्री जगदीश श्रीकृष्ण दीक्षित, श्री शिवजी, मांगीलाल पाटीदार, श्री भिल्या पाटीदार, श्री गेंदालाल पाटीदार, श्री अंबाराम भीमाजी, श्री महेश कैलाशजी पाटीदार, श्री देवेन्द्र पाटीदार, श्री शंकरलाल, श्री शफी मोहम्मद, श्रीमती कमलाबाई, श्री दिलीप पाटीदार, श्री घनश्याम पाटीदार, श्री राजेन्द्र पटेल, श्री मांगीलाल यादव, श्री रामेश्वर पाटीदार, श्री गोविन्द पाटीदार, श्री प्रकाश पाटीदार, श्री सगदेव पाटीदार, श्री देवराम पाटीदार, श्री रामदेव राधेश्याम, श्री सेवकराम वदोड़, श्री अमृतलाल सुखलाल, श्री सुखदेव पाटीदार, श्री राकेश वासुदेव, श्री विकास मंडलोई, श्री उदद्धव कुमावत, श्री रमेश चंद, श्री जगदीश कुमावत, श्री त्रिलोकचंद गणपति, श्रीमती तुलसी बाई, श्री सीताराम, श्री नारायण, श्री महेन्द्र कुमार, श्री हरिराम यादव, श्री नारायण पाटीदार, श्री सुधाराम, श्री उदद्धव पाटीदार, श्री डोंगर पाटीदार, श्री

	परसराम पाटीदार, श्री अरुण कुमार पंचोली, श्री भगवान पाटीदार, श्री दिनेश पाटीदार, श्री नारायण बोदर, श्री मनोहर पाटीदार, श्री हीरामंगा पाटीदार, श्री अब्दुल लतीफ, श्री धनराज पाटीदार, श्री मोतीलाल पाटीदार, श्री महेश दयारामजी, श्री देवेन्द्र, श्री जगदीश, श्री नारायण, श्री शंकरलाल पाटीदार, श्री नारायण पाटीदार, श्री नारायण पाटीदार, श्रीमती ग्यारसी बाई, श्री मांगीलालजी यादव, श्री भगवान यादव, श्री मो. हनीफ, श्री राजेन्द्र पाण्डे, श्री राधेश्याम, श्री नारायण दीक्षित, श्री बुद्दा पाटीदार, श्री जयप्रकाश सुखदेव, श्री लीला पाटीदार, तह– कुक्षी, जिला – धार
16.	अध्यक्ष, किसान संघ धार–बड़वानी खरगौन क्षेत्र, चिकलदा, जिला – धार दूरभाष–07297–266228
17.	श्री भागीराम रामजी जाट, ग्राम सत्ताफई, पो–सिरसी, तह–मनावर, जिला – धार
18.	मागीलाल ग्राम, गणपुर, तह–मनावर जिला – धार
19.	श्री महेन्द्र गोविन्द पाटीदार,, सुभाष चौक, मेन रोड–निसरपूरा, जिला – धार
20.	श्री प्रकाश पाटीदार, ग्राम देवगढ़ पो–सिरसी, तह–मनावर, जिला – धार
21	श्री देवी सिंह ग्राम अकलवाड़ा तह–मनावर, जिला – धार
22.	श्री देवेन्द्र सिंह, ग्राम पिपला, तह–मनावर, जिला – धार
23.	श्री गजानन्द, ग्राम गणपुर, तह–मनावर, जिला – धार दूरभाष – 07294–267108
24.	श्री सोहन कोराजी, ग्राम गणपुर, तह–मनावर, जिला – धार
25.	श्री मनोहर जगन्नाथ चौधरी, अध्यक्ष किसान विकास मंच समिति, जिला–बुरहानपुर मो–9826485431, श्री गोपालदास पटेल, श्री मोहन, श्री गोविन्द, श्री सुखराम, श्री दीपक नारायण पाटिल, श्री गोविन्द सिंह, श्री सुरेश विश्वनाथ पाटिल, श्री आशिष, श्री रघुनाथ सीताराम चौधरी, श्री अरुण किसान पाटिल, श्री अशोक, श्री जगन्नाथ किसान पाटिल, श्री रघुनाथ शंकर पाटिल, श्री रामभाऊ संधू पाटिल, श्रीमती मांगी बाई, श्री सुभाष रघुनाथ महाजन, एवं अन्य किसान जिला – बुरहानपुर
26.	श्री विकास बोंदिया, सचिव, अरेरा रहवासी सुधार एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति, मिडलैंड अंडरग्राउंड, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल, दूरभाष – 2725323
27.	डॉ. डी.वी. रेड्डी प्रो. वसुंधरा फार्मस, 32 जीवनधारा, ईदगाह हिल्स, भोपाल
28.	श्री वी.आर. रेड्डी, प्रो. संतोषी फार्म्स, एच–3, मीनाक्षी रिजेंसी, ईदगाह हिल्स, भोपाल
29.	श्री राजनारायण भारद्वाज, प्लाट न. 453, पटेल, आटा चक्की के सामने संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर
30.	श्री ईश्वरदीन शर्मा, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, अवस्थी ब्रम्हनगर, आजाद नगर, उराहट, रीवा
31.	श्री इंदरबीर सिंह नैयर, पार्टनर आईडीयल फार्म 330, विष्णुपुरी आनेक, इन्दौर मो.–94250–60103
32.	मे. संजोत पोल्टरी फार्म, 67– विष्णुपुरी आनेक, इन्दौर मो.–8302481190
33.	श्री सतपाल सिंह भाटिया, त्रिलोक पोल्ट्री फार्म, 4, गुरुकृपा अपार्टमेंट विष्णुपुरी ए.बी रोड, इन्दौर

	दूरभाष – कार्यालय – 2466010, फार्म – 2863417
34.	श्री इंन्दरजीत कौर, यूनिक पोल्ट्री फार्म, खातीवाले ट्रक, गैलेक्सी होटल के सामने, इन्दौर
35.	श्री इन्दरबीर सिंह नैयर,, आईडीयल फार्म 330, विष्णुपुरी ंआनेक, इन्दौर
36.	श्री दर्शन सिंह भाटिया, संजोत पोल्ट्री फार्म, 67 विष्णुपुरी ंआनेक, इन्दौर
37.	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह भाटिया, रौनक फार्म 4, गुरुकृपा अपार्टमेंट, विष्णुपुरी ए.बी रोड, इन्दौर
38.	श्री प्रकाश राव, न्यू गोल्डन पोल्ट्री शमशान घाट के पास, गांधी नगर, इन्दौर

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु दिनांक 11.02.2008 को आयोजित सुनवाई (मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी) याचिका क्रमांक पी–65/07	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्ताओं के नाम
1.	मे. डी.बी. माल्स प्रा. लि. द्वारका सदन, 6 प्रेस काम्पलेक्स, जोन–I, एम.पी. नगर
2.	चीफ इलेक्ट्रीकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्जीनियर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
3.	एमपी इलेक्ट्रीसिटी कन्स्यूमर्स सोसाइटी, द्वारा, आल इण्डिया मेन्यूफेक्चरर्स आर्गेनाईजेशन, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राऊंड, इन्दौर 452015
4.	मे. एम.पी. चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, चेम्बर भवन, सनातन धर्म मन्दिर मार्ग, ग्वालियर
5.	वर्क्स मैनेजर (विद्युत), कोच रिहैबीलिटेशन वर्कशाप, निशातपुरा, भोपाल–462010
6.	श्री विजय गोयल माननीय सचिव, एम.पी. चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर
7.	श्री ए.के. कौशिक, सहायक उपाध्यक्ष (इन्जी.) अनन्त स्पिनिंग मिल्स, पोस्ट बैग नं.9, प्लाट नं. 1 ए, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया, मण्डीदीप–462046, रायसेन
8.	एस.एस. रघुवंशी, सीनियर सिटीजन फोरम ई–4, डेकेयर सेंटर, स्टाप न. 10, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
9.	श्री राधेश्याम जुलानिया, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल
10.	श्री के.एन. माथुर, तकनीकी सहालकार, एच.ई.जी. लिमिटेड, मण्डीदीप–462046, रायसेन